रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19—जून 25, 2010 (ज्येष्ठ 29, 1932)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19—JUNE 25, 2010 (JYAISTHA 29, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 889

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 517

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 953

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1603

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 5873

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 309

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	889
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	517
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	953
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1603
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5873
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	309
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2010

सं. 55-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. मोहम्मद रफी,
   हैड कांस्टेबल

2. कंवल सिंह
   फोलोअर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :--

दिनांक 22.01.2009 को पुलिस स्टेशन गन्दोह के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले भात्यास क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त विशेष जानकारी पर पुलिस दल द्वारा सतर्कतापूर्ण सुनियोजित तलाशी अभियान चलाया गया। पूरी रात क्षेत्र की घेराबन्दी करके रखी गयी। दिनांक 23.01.2009 को सुबह किसी फरीद अहमद पुत्र रमजान, निवासी भात्यास के घर में दो आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली। तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस दल के हैड कांस्टेबल मोहम्मद रफी और फोलोअर कंवल सिंह ने आतंकवादियों को धर-दबोचने के लिए छापामारी की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। अपने जीवन की परवाह किए बगैर वे घुटनों के बल सरकते हुए ठिकाने पर पहुंचे और अपनी पोज़ीशन लेकर आतंकवादियों को समर्पण करने के लिए कहा किन्तु आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और वे उनसे बाल-बाल बच गए हैड कांस्टेबल रफी फोलोअर कंवल सिंह के कवरिंग फायरिंग का सहारा लेते हुए आगे सरककर खिड़की के पास पहुंच गए, वहां अपनी पोज़ीशन ली और वहां से आतंकवादियों पर नजर रखी परन्तु यह अत्यन्त जोखिमपूर्ण था क्योंकि आतंकवादी घर की छत की सीलिंग में ऐसी जगह छुपे हुए थे जहां से वे इन्हें अपना निशाना बना सकते थे। किन्तु उक्त कर्मचारियों ने एक बड़ा जोखिम उठाया और खिड़की को तोड़ा और कमरे के अन्दर घुस गए। ज्यों ही आतंकवादियों को उनकी गतिविधि का पता लगा, उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका जो लक्षित जगह पर नहीं गिरा और बाहर जाकर फटा। इसी दौरान, फोलोअर कंवल सिंह भी उसी कमरे में पहुंच गया। उन्होंने दीवार के सहारे पोज़ीशन ली और वहां से आतंकवादियों के ऊपर लगातार नज़र बनाए रखी जो बाहर से होने वाली सहकर्मी पार्टी के साथ गोलीबारी कर रहे थे। ज्यों ही एक आतंकवादी ने सीलिंग/छत में अपनी पोजीशन बदली, हैड

कांस्टेबल मोहम्मद रफी और फोलोअर कंवल सिंह ने उस पर फायर कर दिया, गोली आतंकवादी को लगी और वह सीलिंग पर गिर पड़ा जिससे वह टूट गई और वह नीचे उसी कमरे में गिरा जहां हैड कांस्टेबल मोहम्मद रफी और फोलोअर कंवल सिंह पहले से ही पोजीशन लिए हुए थे। उन्होंने फिर से उसके ऊपर गोली की बौछार कर दी और वह मौके पर ही मार गिराया गया। इसी बीच, दूसरा आतंकवादी नीचे कूदा और उसने बचकर भागने का प्रयास किया, किन्तु घेराबन्दी किए हुए दल ने उसे घेर लिया और मौके पर ही मार गिराया। इन दुर्दान्त आतंकवादियों की पहचान (i) जहूर दीन खाण्डे पुत्र गु.. मोहम्मद खाण्डे, निवासी चिली गन्दोह, विगत 13 वर्ष से सक्रिय 'ए' श्रेणी के आतंकवादी और (ii) सज्जाद हुसैन उर्फ बट्टू पुत्र गु. कादिर गनाई, निवासी बेली चिनारा गन्दोह, विगत 01 वर्ष से सक्रिय 'ग' श्रेणी के आतंकवादी के रूप में की गई। इस संबंध में यह मामला आर पी सी की धारा 307, 7/27 ए ए के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, गन्दोह में एफ आई आर सं0 5/2009 के रूप में दर्ज हैं।

इस प्रकार हैड कांस्टेबल मोहम्मद रफी और फालोअर कंवल सिंह ने अति सतर्कतापूर्ण ढंग से कार्रवाई की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया और अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डालकर इन दोनों खूंखार आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए खतरनाक कार्रवाई का संचालन किया।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क)	ऐके राइफल	-02
(ख)	ऐके मैगजीनें	-04 नग
(ग)	ऐके राउन्ड	-22 राउन्ड
(घ)	पाउचें	-02 नग
(ड)	मोबाइल चार्जर	-01 नग
(च)	एच एम का पत्र शीर्ष	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व श्री मोहम्मद रफी, हैड कांस्टेबल और कंवल सिंह, फोलोअर ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.01.2009 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.56-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. एम.एस राठौर, कमाण्डेट (पी पी एम जी)
2. अमृत हजंग, हैड कांस्टेबल (पी पी एम जी)
3. हरदेश कुमार, हैड कांस्टेबल/रेडियोआपरेटर (पी पी एम जी)
4. निशान सिंह, कांस्टेबल (पी पी एम जी)
5. एस. आर. पाण्डा, उप-कमाण्डेन्ट (पी एम जी)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:-</u>

दिनांक 17 नवम्बर, 2004 को शेर-ए -कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में लगभग 1300 बजे माननीय प्रधान मंत्री का भाषण होना था। इस समारोह को अस्त-व्यस्त करने और भगदड़ व तहलका मचाने के इरादे से उग्रवादियों ने शेर-ए-कश्मीर-स्टेडियम पर नजर रखने के लिए सुलेमान कम्प्लेक्स के पास स्थित जन बेकर्स के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में कब्जा कर लिया। उग्रवादियों की मौजूदगी का पता लगभग 0815 बजे तब लगा जब उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाई, जिसे उस क्षेत्र पर आधिपत्य रखने का कार्य सौंपा गया था। गोली की आवाज सुनने पर श्री एम.एस राठौर, कमाण्डेन्ट 43वीं बटालियन, बी एस एफ, जो वहीं पास में ही थे, तत्काल अपने त्वरित कार्रवाई दल और गार्डों के साथ उस स्थान की ओर दौड़े। मौके की स्थिति का जायजा लेने के पश्चात उन्होंने श्री एस.आर.पाण्डा, डी सी, 57 वीं बटालियन, बी एस एफ को बुलाया जिनका बंकर पर्यटक स्वागत केन्द्र के पास त्वरित कार्रवाई दल ड्यूटी पर था। टुकडियों एवं वाहनों की आवाजाही को देखकर, उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसके प्रत्युत्तर में हमारे दल द्वारा जवाबी गोलीबारी की गई। आचानक शुरू हुई इस जवाबी गोलीबारी में दो निर्दोष नागरिक फंस गए थे। हैड-कांस्टेबल/रेडियो आपरेटर हरदेश कुमार

अपनी जान की परवाह किए बगैर और अनूठे साहस का प्रदर्शन करते हुए उन नागरिकों की ओर लपके और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया परन्तु इस बहादुरी के कार्य में वे उग्रवादियों की गोलीबारी के सामने आ गए और उनका दाहिना हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया। चूंकि उग्रवादी बेहतर जगह पर थे, अत: उग्रवादियों को दो तरफ से घेरने के लिए एक युक्तिपूर्ण रणनीति संचालन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई जिसका एक दल श्री एम.एम. राठौर, कमांडेन्ट के नेतृत्व में था और दूसरे दल का नेतृत्व श्री एस.आर. पाण्डा, उप कमाण्डेन्ट द्वारा किया गया। घेराबन्दी हो जाने के बाद भी उग्रवादियों की लगातार हो रही गोलीबारी को नहीं रोका जा सका क्योंकि वे बेहतर पोजीशन में छिपे हुए थे। तब उस इमारत में तूफानी गति से भीतर घुसने और उग्रवादियों को मार गिराने का निर्णय लिया गया क्योंकि सभा स्थल पर प्रधान-मंत्री के पहुंचने का समय नजदीक आ रहा था। सामने से आक्रमण करने पर उग्रवादी खिड़की से भागकर मकान के पीछे के हिस्से में छिप गए। श्री एम.एम. राठौर, कमान्डेट, अमृत सिंह, हेड कांस्टेबल और निशान सिंह, कांस्टेबल के दल ने माननीय प्रधान मंत्री के आगमन से पहले इस कार्रवाई को समाप्त करने के दृढ़-निश्चय के साथ अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर और अपनी जान के संकट से पूर्णत: वाकिफ होते हुए भी वे भीषण गोलीबारी और ग्रेनेड हमले का सहारा लेकर आतंकवादियों के ठिकाने की ओर बढ़े। आमने सामने की लड़ाई में गम्भीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद, श्री एम.एम. राठौर, कमांडेन्ट, अमृत हजंग, हैड कांस्टेबल और निशान सिंह, कांन्स्टेबल इस स्थिति से पीछे नहीं हटे और अतुल्य दृढनिश्चय और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए एक खूंखार उग्रवादी को सफलतापूर्वक मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। उग्रवादी का सफाया करने की कार्रवाई श्री. एम.एस. राठौर, कमाण्डेंट, हैड कांस्टेबल, अमृत सिंह और कांस्टेबल निशान सिंह द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, सतर्कतापूर्ण योजना बनाने, पेशेवर कौशल और कर्तव्य के प्रति उच्च स्तरीय दृढ निश्चय तथा समर्पण की भावना की वजह से सम्भव हो सकी। इस कार्रवाई के दौरान, श्री एस.आर.पाण्डा, उप कमाण्डेट के दल ने अपनी जान को संकट में डालकर ठोस पेशेवरता और युक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रभावी तरीके से मकान के पीछे की ओर घेराबन्दी बनाए रखी और उग्रवादियों के भागने के मार्ग को अवरूद्ध रखा। घायल उग्रवादी, जब लुढकते हुए पहाड़ी के पीछे की तरफ से भागने का प्रयास कर रहा था, तो श्री एस.आर. पाण्डा, उप कमाण्डेन्ट द्वारा उसे बडी ही फुर्ती से मार गिराया गया। इसके पश्चात्, दोनों उग्रवादियों की प्राप्त लाश की पहचान एल ई टी संगठन के एब रहमान लकवी और एब असम पठान के रूप में की गई थी। इसके अतिरिक्त, वहां से दो नग ऐके.47 राइफलें और 07 मैगजीन, एके-47 के 160 जिन्दा कारतूस, हैंड ग्रेनेड, जम्पिंग ग्रेनेड और एन्टी टैंक राइफल सेल बरामद/जब्त किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम.एस राठौर, कमांडेन्ट, अमृत हजंग, हैड कांस्टेबल, हरदेश कुमार, हैड कांस्टेबल/रेडियो आपरेटर, निशान सिंह, कांस्टेबल, , और श्री एस.आर. पाण्डा, उप-कमाण्डेन्ट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17/11/2004 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.57-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. वघेला बलदेव सिंह (पीपीएमजी) (मरणोपरान्त)
   कांस्टेबल
2. के. सज्जानुद्दीन (पीएमजी)
   कमाण्डेंट
3. बी. बसुमतारी, (पीएमजी)
   हैड कांस्टेबल
4. सज्जन सिंह (पीएमजी)
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 08.08.2007 को लगभग 2100 बजे 185वीं बटालियन के कमाण्डेंट श्री के. सज्जानुद्दीन, को पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुर और एक स्थानीय स्रोत से मिदुरा गांव में दो उग्रवादियों के होने के बारे में जानकारी मिली। सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के पश्चात 185वीं बटालियन के कमाण्डेंट द्वारा पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुर के परामर्श से एक कार्रवाई योजना तैयार की गई। लक्ष्य क्षेत्र की घेराबंदी करने के लिए ई/185 का एक दल मुख्यालय में सूचना मिलते ही रवाना होने के लिए तैयार रखा गया। दिनांक 09.08.2007 को लगभग 0540 बजे लक्ष्य-क्षेत्र में स्थित घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से बाहर बुलाया गया। एक घर से 'फेरेन' पहने हुए एक व्यक्ति बाहर आया और जब उसे हाथ ऊपर करने के लिए ललकारा गया तो उसने अचानक घेराबंदी करने वाले दल पर गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल सज्जन सिंह, जो उस घर की चारदीवारी के पास थे, ने तत्काल पोजीशन ली और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उग्रवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी जिसके कारण उग्रवादी को घर में वापस जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस जानकारी के मिलने पर श्री के.

सज्जानुद्दीन, कमान्डेन्ट अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने घेराबंदी की जांच की और उसे और अधिक सुदृढ किया ताकि बच निकलने के सभी रास्तों को बंद किया जा सके। घेराबंदी की जांच करने के पश्चात के. सज्जानुद्दीन, कमाण्डेन्ट ने लक्ष्य-क्षेत्र के हर एक घर की सघन तलाशी करायी ताकि उग्रवादियों के छिपे होने के स्थान का पता लगाया जा सके। उन्होंने, पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुर श्री सरदार खान के साथ मिलकर सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सामरिक दृष्टि से जवानों को लगाया ताकि लक्ष्य क्षेत्र पर जोरदार और कारगर गोलीबारी की जा सके। उग्रवादियों की स्थिति की पुन: पुष्टि करने के लिए श्री के. सज्जानुद्दीन, कमाण्डेन्ट ने लगभग 0730 बजे हैड कांस्टेबल/जी डी की मदद से एक संदिग्ध मकान की खिड़की खोलने का प्रयास किया। यह खिड़की अत्यन्त जोखिम लेकर खोली गई थी क्योंकि उसमें उग्रवादियों की तरफ से तुरन्त गोलीबारी किए जाने की आशंका थी। जैसे ही खिड़की खोली गई अंदर से उग्रवादियों ने श्री के. सज्जानुद्दीन, कमाण्डेंट और हैड कांस्टेबल/जी डी बी. बसुमतारी पर गोलियों की भीषण बौछार कर दी। उन दोनों ने खिड़की के नीचे अपनी पोजीशन ली और अपनी निजी जिन्दगी की परवाह किए बगैर खिड़की से ही उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करते हुए दृढ निश्चय का परिचय दिया। कमाण्डेन्ट के. सज्जानुद्दीन और हैड कांस्टेबल/जी डी. बी. बसुमतारी ने अपनी जान को अत्यन्त खतरा होने के बावजूद, घर की खिड़की से उग्रवादियों पर तीन राइफल ग्रेनेड दागे। इस जवाबी गोलीबारी में एक उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान बाद में बशीर अहमद खान के रूप में हुई जिसका कोड नाम एच एम का आदिल था और जो 'बी' श्रेणी का उग्रवादी था। दूसरे उग्रवादी की स्थिति का कुछ समय तक पता नहीं लग सका। उग्रवादी की संदिग्ध स्थिति पर सी आर पी एफ, एस ओ जी और आर.आर. के द्वारा ली गई तीन महत्वपूर्ण पोजीशनों से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। इसी दौरान, आई ई डी लगाकर उस ढाँचे को गिरा दिया गया। जिस समय ढांचे को गिराया जा रहा था, स्व. सी टी/जी डी बघेला बलदेव सिंह, जो उग्रवादी के होने के स्थान के निकट मौजूद था, को कुछ संदिग्ध हलचल का पता चला। उन्होंने तुरंत उग्रवादी पर गोलीबारी की जो सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करते हुए मलबे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। स्व. सी टी/जी डी बघेला बलदेव सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उग्रवादी पर अपनी गोलीबारी करते रहे। उग्रवादी की जवाबी गोलीबारी का उन्होंने अत्यन्त साहस के साथ सामना किया। उनकी इस कार्रवाई के फलस्वरुप दूसरा उग्रवादी भी मार गिराया गया। बाद में उसकी पहचान अली मोहम्मद भट के रूप में हुई जो एच एम का श्रेणी रहित उग्रवादी था। इस जवाबी गोलीबारी में बघेला बलदेव सिंह, कांस्टेबल/जी डी को प्राणघातक गोलियां लगी और बाद में दिनांक 13.08.2007 को घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उपर्युक्त कार्रवाई में, दो उग्रवादियों को मार गिराने के साथ-साथ भारी मात्रा में हथियार/गोला बारुद भी बरामद किया गया। बरामदगियों का ब्यौरा निम्नवत है:

1)	ए के 47	-	01 नग
2)	ए के 56	-	01 नग
3)	ए के 47 मैगजीन	-	03 नग
4)	राउन्ड्स 7.62x39 एम एम	-	88 नग
5)	चाइनीज ग्रेनेड	-	01 नग
6)	ए एम एन पाउच	-	01 नग
7)	मोबाइल फोन	-	01 नग
8)	मोबाइल चार्जर	-	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्व.) बघेला बदलेव सिंह, कांस्टेबल, के. सज्जानुद्दीन, कमांडेंट, बी. बसुमतारी, हैड कांस्टेबल और सज्जन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.08.2007 से अनुमत है।

बरुण मित्रा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.58-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. आर. अनिल कुमार (मरणोपरांत)
   हेड कांस्टेबल
2. बी. श्रीनिवासुलु
   पुलिस कांस्टेबल
3. आर. राजेश,
   पुलिस कांस्टेबल
4. जी. पुरुषोत्तम
   पुलिस कांस्टेबल
5. जी. वीरा बाबू
   पुलिस कांस्टेबल
6. के. श्रीनिवासुलु
   पुलिस कांस्टेबल
7. वाई. ब्रह्म रेड्डी
   पुलिस कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 26.05.2008 को सहायक पुलिस अधीक्षक, नरसीपटनम श्री कान्थी राणा टाटा, आई.पी.एस. को एक स्थानीय सूचना मिली कि आन्ध्र उड़ीसा विशेष मण्डलीय समिति से संबंधित कुछेक माओवादी कैडर मानचित्र सं. 65के/5 के ए-1, ए-2 और बी-1 ब्लॉकों में जी.के. वीथि पुलिस सीमा में स्थित गोलापल्ली, चिन्तावालसा, कोन्डुपल्ली, तातलागोन्दी, चक्कला-मट्टी क्षेत्र में कहीं घूम रहे हैं/ठिकाना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर, ए एस पी नरसीपटनम और ग्रुप कमाण्डर (विशाखापट्टनम) श्री विनीत बृजलाल, आई पी एस ने माओवादियों को पकड़ने की योजना बनायी और कार्यवाही प्रारम्भ की। विशाखापट्टनम में उपलब्ध ग्रेहाउण्ड इकाई को दो दलों में विभाजित किया गया, पहले दल का नेतृत्व डी ए सी/आर आई जी प्रभाकर द्वारा किया गया जिसमें 16 सदस्य थे और 16 अन्य सदस्यों वाले दूसरे दल का नेतृत्व ए एस

सी/आर एस आई, एम. सुरेश बाबू द्वारा किया गया। दोनों दलों को उसी रात लगभग 11.00 बजे अपराह्न कोडेसिंगी गांव की बाहरी सीमा में उतारा गया। वहां उतरने के पश्चात, दोनों दल उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर लगभग 1½ कि.मी. पैदल चले और रात भर अस्थायी एल यू पी का आश्रय लिया। अगले दिन अर्थात 27.5.08 को दोनों दल वांछित क्षेत्र की ओर बढ़े और पूर्वनिर्धारित स्थल की जांच-पड़ताल की और पूर्व निर्धारित स्थानों पर एल.यू.पी. का आश्रय लिया। अगले दिन सुबह अर्थात 28.05.2008 को लगभग 5.15 (अपराह्न) बजे ए ए सी/आर एस आई एम. सुरेश बाबू के नेतृत्व वाला दल स्थल संख्या 11 की ओर बढ़ते हुए एक नाला तक पहुंच गया। दल के प्रभारी श्री एम. सुरेश बाबू ने भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र का अध्ययन किया और नाला को पार कर लिया। नाला को पार करने के पश्चात, दल ने गुन्नुकुराई (v) – कोन्ड्रपली (v) को जोड़ने वाली उत्तर में दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता देखा, वहां पर एक दूसरा पैदल का रास्ता था जो उपर्युक्त रास्ते से कटकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर गडीममीडी (v) को जा रहा था। जब यह दल रास्ता पार कर रहा था और दल के 10 सदस्यों ने जब मुख्य रास्ता पार कर लिया तो अचानक कुछेक भूमिगत सुरंगे फट गईं। जैसे ही बारुदी सुरंग फटी, दल के सभी सदस्यों ने लेटकर अपनी पोजीशन ली। जब माओवादी उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम की दिशा से दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे तब दल के सदस्य आत्मसंयम का परिचय देते हुए अपनी यथास्थिति लेने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेहाउंड पार्टी भी दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए जवाबी गोलीबारी करते रही। जब यह दल उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी कुछ और बारुदी सुरंगे फट गईं जो सम्भवतः क्लेमोर/डाईरेक्शनल सुरंगे थी। धमाकों की वजह से पुलिस दल 3 उप-दलों में विभाजित किया गया और साथ ही साथ जवाबी गोलीबारी चलती रही। पहला दल जो बारुदी सुरंगों में फंसा हुआ था उसमें सर्वश्री आर. अनिल कुमार, हैड कांस्टेबल, बी. श्रीनिवासुलु, पुलिस कांस्टेबल, आर. राजेश, पुलिस कांस्टेबल, जी. वीराबाबू, पुलिस कांस्टेबल और के. श्रीनिवासुलु, पुलिस कांस्टेबल थे। दूसरे दल में सर्वश्री जी. पुरुषोत्तम, पुलिस कांस्टेबल और जी. वीराबाबू थे और तीसरे दल में 11 सदस्य थे जिसमें ए ए सी, एम. रमेश बाबू और दल के शेष सदस्य थे। हालांकि, सर्वश्री आर. अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल, बी. श्रीनिवासुलु, पुलिस कांस्टेबल, आर. राजेश, पुलिस कांस्टेबल, जी. वीराबाबू, पुलिस कांस्टेबल और के. श्रीनिवासुलु, पुलिस कांस्टेबल धमाकों और उग्रवादियों की ओर से हो रही भीषण गोलीबारी की चपेट में थे, तथापि आर. अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल ने अपनी ए.के.-47 से जवाबी गोलीबारी की और उनके साथ सर्व/श्री बी. श्रीनिवासुलु पुलिस कांस्टेबल, आर. राजेश, पुलिस कांस्टेबल, जी. वीरा बाबू पुलिस कांस्टेबल और के. श्रीनिवासुलु पुलिस कांस्टेबल भी अपने-अपने हथियारों से गोलीबारी करते रहे। श्री जी. पुरुषोत्तम और श्री वाई ब्रह्म रेड्डी वाले दूसरे दल ने भी कुछ अलग दिशा से पहले दल के पूर्व की ओर से जवाबी गोलीबारी की। उपर्युक्त सभी 7 नामधारी लोग धमाकों और दो तरफ भारी संख्या में मौजूद उग्रवादियों के स्वचालित हथियारों से हो रही गोलीबारी के मारक क्षेत्र में आते

हुए भी अनुकरणीय साहस, अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करते रहे। इस जबाबी गोलीबारी में श्री आर. अनिल कुमार को घातक गोली लगी। कर्तव्यनिष्ठा में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यह जवाबी गोलीबारी, जो लगभग 5.15 बजे अपराह्न शुरु हुई थी, अंधेरा होने तक चलती रही, अतएव, रात में क्षेत्र में तलाशी नहीं की जा सकी थी। चूंकि उग्रवादियों के मुकाबले पुलिस दल की संख्या काफी कम थी, अत: नरसीपटनम बेस से दिनांक 28.5.08 की रात में ग्रेहाण्डस की एक ओर इकाई रवाना की गई। यह दल गोलीबारी के क्षेत्र में दिनांक 29.5.08 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न पहुंचा और ए ए सी- एम. सुरेश बाबू और डी ए सी/आर आई जी. प्रभाकर की अध्यक्षता वाले दल के साथ मिल गया। संयुक्त हो जाने के पश्चात, सभी दलों ने उस क्षेत्र की जांच-पड़ताल की और श्री आर. अनिल कुमार के शव को उठाया और उसे भारतीय नौ सेना के हेलीकॉप्टर से विशाखापट्नम रवाना कर दिया। श्री आर. अनिल कुमार के शव को भेजने के पश्चात, सभी पुलिस दल पूरे दिन कॉम्बिंग कार्रवाई करते रहे और पहाड़ी की चोटी में रात भर एन यू पी ग्रहण किया। अगले दिन सुबह अर्थात 29.5.2008 को जब, डी ए सी/आर आई एम श्रीनिवास राव के नेतृत्व में चल रही पुलिस पार्टी वापस आ रही थी तो उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए 4 सिविलियन मिले। पार्टी को देखते ही चारों सिविलियनों ने भागना आरम्भ कर दिया। पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने यह रहस्योदघाटन किया कि ये नक्सलियों से सहानुभूति रखते थे और माओवादियों को 4 दिनों से खाना मुहैया करा रहे थे। वे घातपूर्ण सुरंगी हमला और जवाबी गोलीबारी के चश्मदीद गवाह भी थे जो पिछले दिन के पूर्व हुई थी। उन्होंने बाद में पुलिस पार्टी को सूचित किया कि जवाबी गोलीबारी में 4 माओवादी भी मारे गए हैं और वे वह जगह जानते थे जहां उनके शव पड़े हुए थे। इसके बाद वे डी ए सी/आर आई एम. श्रीनिवास के नेतृत्व वाली ग्रेहाउड यूनिट को शवों तक ले गए। तब यूनिट को ओलाइव ग्रीन वर्दी में माओवादियों (3 पुरुष, 1 महिला) के 4 शव बरामद हुए। बाद में, इन शवों की पहचान निम्नलिखित के रूप में हुई:-

1. बिसाई कामराज उर्फ रणदेव, सी आर बी कम्पनी कमाण्डर एवं ए ओ बी दक्षिण मण्डल समिति सदस्य, सी पी आई(माओवादी)
2. संतोष उर्फ कनकैया उर्फ अंजैय्या सेक्सन कमाण्डर, सी आर बी कम्पनी, सीपीआई (माओवादी)
3. अशोक, सदस्य, सी आर बी कम्पनी, सी पी आई (माओवादी)
4. सुजाता, उप-कमाण्डर, सी आर बी कम्पनी, सी पी आई (माओवादी)

श्री आर. अनिल कुमार के हथियार नहीं मिल सके शायद उसे उग्रवादी ले गए होंगे। माओवादियों के शवों के अतिरिक्त वहां से डीबीबी एल-2, यू एस निर्मित कारबाइन-1, 8 एम एम राइफल-1, ग्रिनेड-2, पाइप बम और डाइरेक्शन माइन्स-2, सॉप बम-4 और खाली कारतूस-22 नग भी बरामद हुए थे। सी पी आई (माओवादी की उग्रवादी कम्पनी और ए ए सी- एम. सुरेश बाबू के नेतृत्व वाली ग्रेहाउण्डस यूनिट के बीच यह जवाबी गोलीबारी लगभग 2½ घण्टे चली

और इसमें 4 उग्रवादी मारे गए और 4 हथियारों की बरामदगी हुई। क्रम सं. 1 से 7 में उल्लिखित नामितियों ने भूमिगत सुरंगों, क्लेमोरमाइन्स और स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों को समाप्त करने के दौरान सामने से आ रही जवाबी गोलीबारी का डटकर मुकाबला करते हुए अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। इस जवाबी गोलीबारी ने उग्रवादियों के मनोबल पर गंभीर आघात डाला क्योंकि उनकी पूरी कम्पनी, 17 सदस्यों वाली ग्रेहाउण्ड्स की एक छोटी इकाई का सामना नहीं कर सकी। यद्यपि इस मामले की पहल पूर्णतः उग्रवादियों की ओर से हुई क्योंकि उन्होंने ही पहले पुलिस दल को देखा और उन पर भूमिगत सुरंग से हमला किया और गोली चलाई, तथापि क्रम सं. 1 से 7 में उल्लिखित नामिती, माओवादियों द्वारा बिछाई गई घातक सुरंगों को सफलतापूर्वक समाप्त करने में सफल रहे किन्तु श्री आर. अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल ने कर्तव्यनिष्ठा की बलिवेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्व.) आर. अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल, श्री निवासुलु, पुलिस कांस्टेबल, आर. राजेश, पुलिस कांस्टेबल, जी. पुरुषोत्तम, पुलिस कांस्टेबल, जी. वीराबाबू, पुलिस कांस्टेबल, के. श्रीनिवासुलु, पुलिस कांस्टेबल और वाई. ब्रह्म रेड्डी, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.05.2008 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.59-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री के. श्रीधर
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 21.10.2009 को उप-निरीक्षक श्री के. श्रीधर को अपने विश्वस्त सूत्रों से यह विशेष खबर मिली कि भूपालपल्ली मण्डल गांवों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में हत्या और संवेदनशील संज्ञेय अपराध कारित करने के आशय से गैर कानूनी सी पी आई माओवादी एक्शन टीम की गतिविधियां चल रही हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर उप-निरीक्षक श्री के. श्रीधर पुलिस अधीक्षक और वारंगल ओ एस डी से मिले और उन्हें इस सूचना के संबंध में अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक, वारंगल और ओएसडी, वारंगल ने इस जानकारी की बारीकियों का विश्लेषण किया और एक सतर्कतापूर्ण कार्रवाई करने की योजना तैयार की। ओएसडी वारंगल ने कैम्प पर छापा मारने के लिए जिले में उपलब्ध गार्डों को एकत्रित किया। ओएसडी ने अपने दल को जानकारी के महत्व के बारे में ब्रीफ किया और कैम्प स्थल के आस-पास माओवादियों द्वारा बिछाई गई संभावित घातों, क्लेमोर माइन्स और लैण्डमाइन्स के बारे में ब्रीफ किया और मौका स्थल पर अपनायी जाने वाली रणनीति के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। उप-निरीक्षक, इन्थेजरगंज और जिला गार्ड के उप-निरीक्षक अपने 15 सदस्यों वाली पार्टी के साथ दिनांक 21.10.2009 को 1605 बजे जिला मुख्यालय से रवाना हो गए और श्रीपल्ली (v) की बाहरी सीमा पर उतर गए। चूंकि उसके सभी मार्गों में भारी मात्रा में सरंगे बिछी होने की सम्भावना थी अतः उप-निरीक्षक, के. श्रीधर ने अपनी पार्टी के साथ क्षेत्रीय रणनीति का सतर्कतापूर्वक अनुसरण करते हुए वहां से ग्रामों की ओर होते हुए पैदल चलना आरम्भ किया। 2½ कि.मी. का सफर करने के पश्चात, करीब 2045 बजे उप-निरीक्षक के. श्रीधर को कपास के खेत और कुछेक पेड़ों के पास हथियार युक्त तीन सशस्त्र उग्रवादियों के घूमने की खबर लगी। तब उप-निरीक्षक के. श्रीधर ने अपनी पूरी पार्टी को तीन दलों में विभाजित किया जिसमें पहली पार्टी, उप निरीक्षक के. श्रीधर के नेतृत्व में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हमला करने वाली पार्टी, दूसरी, उप-निरीक्षक, इन्थजारगुंग के नेतृत्व में 6 पुलिस कांस्टेबलों की कवर पार्टी और अन्य पार्टी उप-निरीक्षक, जिला गार्ड्स के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कट-ऑफ पार्टी बनायी गई। कट-

आफ पार्टी द्वारा बचकर भागने वाले रास्तों पर अपनी पोजीशन लेने के पश्चात और हमलापार्टी को सुरक्षा कवर देने वाली कवर पार्टी के पोजीशन लेने के बाद उप-निरीक्षक के. श्रीधर ने हमला पार्टी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही रेंगते हुए हमला पार्टी उग्रवादियों के कैम्प के करीब पहुंची, वहां तैनात संतरी ने "पुलिस" की आवाज लगाकर कैम्प में मौजूद उग्रवादियों को खबरदार कर दिया और इसके पश्चात पुलिस पार्टी पर जोरदार गोलीबारी कर दी। लगभग 03 उग्रवादी, जो महत्वपूर्ण ठिकानों पर थे, ने अपने स्वचालित हथियारों से तुरन्त उनकी ओर अंधाधुंध गोलीबारी करनी प्रारम्भ कर दी और इसके पश्चात एच ई ग्रेनेड फेंके। उप-निरीक्षक, के. श्रीधर ने उग्रवादियों को गोलीबारी बंद करने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए असाल्ट पार्टी को उपलब्ध कवर का सहारा लेते हुए उग्रवादी कैम्प की ओर बढ़ने का आदेश दिया। चूंकि उग्रवादियों ने बार-बार दी जा रही चेतावनी को अनसुना करते हुए अपने स्वचालित हथियारों से पुलिस वालों को मारने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी करना जारी रखा। उप-निरीक्षक के. श्रीधर ने आत्मरक्षा में उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया और कट-आफ पार्टी को उनके बचकर भागने के सभी रास्तों को बंद करने के लिए सावधान किया। उप निरीक्षक के. श्रीधर बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर अपने जीवन की परवाह न करके उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करते हुए कैम्प की ओर बढ़े। दो उग्रवादी कवर और क्षेत्रीय संरचना का फायदा उठाकर भागने लगे। जबकि अन्य कैडर कैम्प में लगातार गोलीबारी करते रहे। इस गोलीबारी की वजह से वह क्षेत्र युद्ध स्थान जैसा लग रहा था। उप-निरीक्षक के. श्रीधर और पार्टी, हालांकि उग्रवादियों की भीषण गोलीबारी की सीमा के भीतर थे और गोलियों की बौछार उनके बाल-बराबर दूरी से जा रही थीं, फिर भी उन्होंने उग्रवादियों का बहादुरी से पीछा किया और नियंत्रित गोलीबारी से उग्रवादियों को शांत कर दिया। उग्रवादियों की ओर से 2100 बजे तक गोलियाँ चलती रहीं। उप-निरीक्षक श्रीधर और उनकी पार्टी ने, उग्रवादियों की तुलना में कम संख्या में होते हुए भी, अपनी जान की परवाह किए बगैर, बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। पुलिस पार्टी ने जब मौके पर तलाश कार्य शुरु किया तो उन्हें कैम्प में एक पुरुष काडर का शव मिला जिसकी पहचान बाद में निम्नलिखित के रूप में हुई:-

गांगरा बोड़ना स्वामी उर्फ रमेश उर्फ महेश पुत्र राजैया, उम्र 25 वर्ष, मुदीराज निवासी चालागौरिज(v) चितियाल(एम) वारंगल जिला, एक्शन टीम मेम्बर/कमांडर। पुलिस ने मौके से 9 एम एम पिस्टल और तौलिया, लुंगी और एक जोड़ी चप्पल रखा हुआ एक बैग भी जब्त किया। गांगराबोड़ना स्वामी उर्फ रमेश, सीपीआई(माओवादी) एक पार्टी मेम्बर से उठकर कमाण्डर रैंक तक पहुंचा था। वह तीन जिलों में सर्वाधिक खूंखार उग्रवादी है जो हत्या सहित 12 जघन्य अपराधों को कारित करने का अपराधी है। इस मुठभेड़ के बाद, सीपीआई(माओवादी) ग्रुप के कैडरों का मनोबल बिलकुल कम हो गया। इस जवाबी गोलीबारी के दौरान, असाल्ट ग्रुप पास के खेतों में काम कर रहे किसानों की वजह से असहाय से थे। लेकिन इसके बावजूद, नामितियों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक पैशेवर तरीके से किसी निर्दोष के जीवन से समझौता किए बगैर इस कार्य को अंजाम दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों के आस-पास स्थित गांव अर्थात श्रीपल्ली, गुडादिपल्ली और कोम्पेल्ली के लोग यहाँ आते-जाते रहते थे और पुलिस के वहां पहुंचने की खबर फैल जाने की सम्भावना थी और इसलिए पुलिस पार्टी को वहां पर

अत्यधिक खतरा था। उप-निरीक्षक के. श्रीधर ने छोटे हथियार के साथ बड़ी ही सावधानी से कार्रवाई की योजना बनाई और पुलिस पक्ष की तरफ से किसी तरह की गलती किए बगैर उसे सतर्कता से कार्यान्वित किया और उसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आए जिसके लिए वे और प्रोत्साहन दिए जाने के पात्र हैं।

इस मुठभेड़ में श्री के. श्रीधर, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 21.10.2009 से अनुमत है।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.60-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बी नागार्जुन

रिजर्व उप-निरीक्षक/सहायक असॉल्ट कमान्डर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

उड़ीसा राज्य के रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक से यह सूचना प्राप्त होने पर कि प्रतिबंधित भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) के 35 सदस्य पुलिस पार्टी पर हमला कराने तथा मुनुपुर उप-संभाग के गुरहारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुकुरहुबाइ गाँव के आस-पास स्थित कतिपय सिविल संस्थापनाओं पर हमला करने के उद्देश्य से एक बैठक कर रहे हैं और नए काडरों की भर्ती कर रहे हैं। आर एस आई/एएसी की असॉल्ट इकाई के सदस्य श्री बी नागार्जुन और, इकाई कार्मिक को बे हाउंड्स, क्षेत्रीय मुख्यालय विशाखापत्तनम ग्रुप कमांडर द्वारा दिनांक 16.12.2007 की रात्रि ड्यूटी पर जाने से पूर्व पूरी तरह से ब्रीफिंग किया गया। बाद में हमलावर पार्टी दिनांक 17.12.2007 को 0545 बजे रायगढ़ के कुरहिंगी (V) पर रूक गई और डूराघाटी, बीहुर्ही और कट्रागुडा गाँवों की तरफ बढ़ गई। कट्रागुडा और लोडारी गाँवों के बीच असॉल्ट पार्टी दो भागों में बँट गई। ए सी एस श्यामसुन्दर, आई पी एस के नेतृत्व में प्रथम पार्टी और ए एसी श्री बी नागार्जुन के नेतृत्व में दूसरी पार्टी प्रत्येक के साथ 10-10 सदस्य थे, और वे उत्तरी दिशा में, जो कि घने जंगलों वाला क्षेत्र है जिसमें घनी झाड़ियाँ और वृक्ष हैं, की गहन जाँच करते हुए आगे बढ़े और एल यू पी लिया। दिनांक 18.12.2007 को 0600 बजे बी नागार्जुन के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी ने घने जंगलों से बनी सुकुर्हुबाजू (वी) में भारी हथियारों से लैस 8-10 सदस्यों के दलम को देखा। ठीक उसी समय प्रथम पार्टी भी सुकुर्हुबाजू (वी) की ओर बढ़ी। ऐसी विकट परिस्थिति में आर एस आई/ एएसी बी नागार्जुन ने रणनीतिपूर्वक अपनी पार्टी को दो दलों में विभक्त किया और प्रथम दल का नेतृत्व स्वयं किया और दूसरे दल को एक वरिष्ठ कमांडो के नेतृत्व में सौंप दिया। ग्रुप के सदस्यों को सावधानीपूर्वक ब्रीफ करने और आवश्यक अनुदेश देकर आर एस आई/ एएसी बी नागार्जुन ने तत्काल दूसरी पार्टी को वी एच एफ सैट पर सूचना दी। तथापि दलम ने संत्री ने गति कम करते हुए आर एस आई/ एएसी बी नागार्जुन देख लिया उसमें आर एस आई/ एएसी बी नागार्जुन और पार्टी को मारने के इरादे से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के रूप में आर एस आई/ एएसी बी

नागार्जुन और जे सी ने उन पर गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक महिला माओवादी की मृत्यु हो गई। बाद में यह सिद्ध हुआ कि मारी गई माओवादी महिला वामसधारा दलम की डी सी एम सुजाता थी। आर एस आई/ एएसी बी नागार्जुन ने जवाबी हमले में दुर्लभ और अदम्य साहस का परिचय उस समय दिया जब, माओवादी उन पर दूसरी तरफ से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे। जब माओवादियों ने घटना स्थल से भागने की कोशिश की तो आर एस आई / एएसी बी नागार्जुन अपनी पार्टी के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़े और गोलीबारी के दौरान दलम का 700 मीटर तक पीछा किया।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं जब्त की गई:-

1. एस बी बी एल
2. दो लोडेड एस एल आर मैगजीन
3. मैनपैक
4. किटबैग-5

इस मुठभेड़ में श्री बी नागार्जुन, रिजर्व उप-निरीक्षक/ सहायक असॉल्ट कमान्डर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.12.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.61-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. डी उदय भास्कर
   निरीक्षक
2. टी शरद बाबू
   निरीक्षक
3. यू. श्रीनिवास राव
   निरीक्षक
4. ए वेणुगोपाल
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल विशेष आसूचना शाखा (एस आई बी) की टीम के सदस्य हैं जो कि शीर्ष माओवादी काडरों को निष्प्रभावी करने के लिए विशेष रूप से गठित की गई है। श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल को वारंगल जिले के मुलुगू उप-संभाग के तडवई पुलिस स्टेशन सीमाक्षेत्र के लववाला जंगल में सी पी आई (माओवादी) के केन्द्रीय मिलिटरी कमीशन (सी एम सी) सदस्य और केन्द्रीय कमिटी सदस्य (सी सी) पटेल सुधाकर रेड्डी उर्फ विकास के साथ एक प्लाटून की उपस्थिति के बारे में एक विश्वसनीय सूचना मिली। दिनांक 23.05.2009 को श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यूश्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल स्थानीय पुलिस और जिला विशेष पार्टी सहित लववाला जंगल में छानबीन करने के लिए पूर्वान्ह 11.00 बजे रवाना हुए और दिनांक 24.05.2009 को पूर्वाह्न 03.00 बजे लववाला जंगल के जलगवान्चा वागू झरने के पास पहुँच गए।

श्री डी. उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल ने एक विशेष दस्ते का नेतृत्व किया और

सुबह-सुबह ही दुर्गम गट्टा' पहाड़ी के शिखर पर पहुँच गए और पहाड़ी के शिखर पर एक कोने में कुछ संदिग्ध हलचल महसूस की। श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल ने विशेष पार्टी के साथ धीरे-धीरे झाड़ियों, पेड़ों और पत्थरों की आड़ ले कर रेंगना प्रारंभ किया। यद्यपि कंटीली झाड़ियों और कठोर चट्टानों के कारण सतह पर रेंगना बहुत कठिन था, फिर भी वे उक्त स्थान की ओर बढ़े और सी पी आई (माओवादी) की 20 से 25 की संख्या में एक प्लाटून को अत्याधुनिक हथियारों से लैस पाया। इस पर श्री यू. उदय भास्कर, निरीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और विशेष पार्टी के आधे सदस्यों की टीम 1 के रूप में और श्री शरद बाबू और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल को शेष बचे पार्टी के सदस्यों के साथ टीम 2 बनाई। इसके बाद टीम 1 माओवादी कैम्प की उत्तरी दिशा से रेंगकर बढ़ी और उसने एक आड़ में पोजीशन ले ली और टीम 2 ने कैम्प को पश्चिमी दिशा से घेर लिया। तब स्थानीय उपनिरीक्षक ने अपनी पहचान बताते हुए माओवादियों को आत्मसमर्पण करने को कहा। इस पर माओवादी संतरी ने "पुलिस" "पुलिस" चिल्लाते हुए अपनी प्लाटून को सतर्क करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। सभी माओवादी सतर्क हो गए और पुलिस को मार गिराने के इरादे से गोलीबारी शुरू कर दी। श्री डी उदय भास्कर, पुलिस उपाधीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और उनकी टीम ने माओवादियों की गोलीबारी की बौछार से बचने के लिए झाड़ियों, पेड़ों और गोलमोल चट्टानों के पीछे पोजीशन ले ली। उसी क्षण श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक ने एक माओवादी को एके 47 रायफल से गोलीबारी करते हुए देखा जो कि हथियारबन्द माओवादियों की एक टीम से घिरा था और वह घटनास्थल से भागने का प्रयास कर रहा था। तत्क्षण श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक जो कि अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, ने अपनी रक्षा और सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा से बाहर निकल कर माओवादियों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया जो कि उन पर भीषण प्रहार कर रहे थे। श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक की कार्रवाई साक्षात् मृत्यु को चुनौती थी। श्री डी भास्कर, निरीक्षक माओवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में बाल-बाल बचे। एक गोली उनके बालों को लगभग छूती हुई निकल गई और एक दो गोलियाँ उनके गले के पास से गुजर गई। श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक गोलियों की गूँज को महसूस कर सकते थे क्योंकि 3 से 4 गोलियाँ उनके गले के के पास से गुजर गई और वे गोलियों की सनसनाती गूँज को भी सुन सकते थे क्योंकि कुछ गोलियाँ उनके दाएं कान को लगभग छूती हुई निकल गईं थीं। तब भी श्री उदय भास्कर, निरीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साहसपूर्ण और निर्भीक जवाबी हमले को जारी रखते हुए गोलियाँ चलाते हुए वे माओवादियों की ओर झपटे। श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक और श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक के जवाबी हमले से आहत माओवादी प्लाटून अत्याधुनिक हथियारों द्वारा गोलीबारी से बचने के लिए पश्चिमी दिशा की ओर मुड गई। यदि माओवादियों को पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ने दिया जाता तो माओवादी न केवल बच निकल सकते थे बल्कि पुलिस को भी मार सकते थे जो कि पश्चिमी दिशा में मोर्चा संभाले हुए थे। उसी क्षण श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक अपनी आड़ (चट्टान) से बाहर कूदे और माओवादियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी जो कि लगातार गोलियाँ बरसा रहे थे। श्री

टी शरद बाबू निरीक्षक इतने खुशकिस्मत थे कि वे माओवादियों द्वारा चलाई गई कई गोलियों में बाल-बाल बचे। दो गोलियाँ उनकी कमीज को ठीक छूते हुए निकल गईं। श्री शरद बाबू, निरीक्षक ने अपने प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए और अपने जीवन को खतरे में डालते हुए उनपर गोलियाँ दागीं। ठीक उसी समय श्री वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल भी अपनी सुरक्षा से बाहर आए और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर माओवादी प्लाटून की ओर दौड़ते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। माओवादी श्री शरद बाबू, निरीक्षक और श्री ए वेणु गोपाल, पुलिस कांस्टेबल द्वारा पश्चिमी ओर से किए गए हमले से चकित हो गए चूँकि उन्होंने पश्चिमी ओर से इस प्रकार के निर्भीक हमले की आशा नहीं की थी। उत्तरी और पश्चिमी ओर से नामित कार्मिकों के द्वारा किए गए साहसपूर्ण और निर्भीक हमलों ने प्लाटून के हौसले पस्त कर दिए और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल ने माओवादियों का मुकाबला करने में अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया। अपनी बहादुरीपूर्ण और साहसपूर्ण कार्रवाई से नामित कार्मिकों ने दोनों दिशाओं से आक्रमण जारी रखा और माओवादियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया। माओवादी श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, श्री टी शरद बाबू, निरीक्षक, श्री यू श्रीनिवास राव, निरीक्षक और श्री ए वेणु गोपाल, पी सी द्वारा किए गए बहादुरीपूर्ण हमले का सामना न कर सके और युद्ध में हारकर पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं में स्थित घाटियों में भाग निकले। दोनों पक्षों में गोलीबारी पूर्वाह्न 05.30 बजे से पूर्वाह्न 05.45 बजे तक पंद्रह मिनट तक चली। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान पटेल सुधाकर रेड्डी को हाथ में ए के 47 रायल के साथ और एक अन्य माओवादी एक पिस्तौल के साथ मृत पाया गया जिसकी बाद में कोगान्ती वेन्कटैया राज्य समिति सदस्य, (एस सी एम) केन्द्रीय कमेटी टेक्नीकल टीम के रूप में पहचान हुई। इस परस्पर गोलीबारी में पुलिस ने घटनास्थल से एक एके 47 रायल, एक 8 एम एम रायफल, एक पिस्तौल, एक ए के 47 मैगजीन गोलियों के साथ, चार किटबैगों में 20,000/- रूपए नकद, साहित्य, एक तौलिया इत्यादि जब्त किए और यह मामला वारंगल जिले के तडवई पुलिस स्टेशन में सी आर संख्या 34/2009 के तहत दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री डी उदय भास्कर, निरीक्षक, टी शरद बाबू, निरीक्षक, यू श्रीनिवास राव निरीक्षक और ए वेणुगोपाल, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24.05.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.62-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अजय यादव,
   पुलिस अधीक्षक
2. मयंक श्रीवास्तव,
   अपर पुलिस अधीक्षक
3. अजीत ओग्रे
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 10.11.2008 को नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव को खोड़गांव क्षेत्र में नक्सलियों की बैठक के बारे में सूचना प्राप्त हुई । उक्त सूचना के आधार पर उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई और अपर पुलिस अधीक्षक, (नारायणपुर) मयंक श्रीवास्तव और टी आई, नारायणपुर अजीत ओग्रे के नेतृत्व में 29 पुलिस कार्मिकों की एक पार्टी गठित करके उन्हे संदिग्ध क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया। जब पार्टी खोडगांव के निकट पहुँची, उन्हें बांदीपुर पहाड़ी के पास की जा रही बैठक के बारे में सूचना मिली। यह सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को वायरलैस के माध्यम से दे दी गई। श्री अजय यादव ने अपनी पार्टी को निगरानी रखने को कहा और स्वयं अन्य पुलिस पार्टी के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर श्री अजय यादव ने अपनी पार्टी को दो भागों में पुनर्गठित किया और एक पार्टी का स्वयं नेतृत्व किया और अन्य पार्टी को नारायणपुर के अपर पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव और टी आई नारायणपुर श्री अजीत ओग्रे के नेतृत्व में सौंप दिया। दोनों ही पार्टियां जंगल-युद्धकला अपनाते हुए और गुस्ता बनाए हुए आतंकियों के बैठक-स्थल की ओर बढ़ीं। उक्त स्थल पर पहुँचने के बाद पुलिस पार्टी ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने को कहा किन्तु नक्सलियों ने पुलिस पार्टी की चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। तत्पश्चात् पुलिस पार्टी को भी आत्मरक्षा में गोलीबारी करनी पड़ी। नक्सलवादी जो कि संख्या में बहुत अधिक थे और-स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे। युद्ध कला कौशल का लाभ उठा रहे थे, किन्तु पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। तब पुलिस पार्टी ने उनका पीछा करना शुरू किया। श्री यादव, श्री श्रीवास्तव और श्री ओग्रे अपने ड्रपों

का आगे से नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस को नक्सलियों की ओर बढ़ते समय, नक्सलियों ने चट्टानों और पेड़ों की ओट लेकर भू-खानों में विस्फोट करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी अपनी "फायर एण्ड मूव" नीति को अपनाकर नक्सलियों की ओर बढ़ी किन्तु पहाड़ी की चोटी से नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के कारण पुलिस पार्टी का जीवन खतरे में पड़ गया। तब श्री अजय यादव ने स्थिति के खतरे को भाँपते हुए और नेतृत्व कौशल दर्शाते हुए अपनी जॉन की परवाह किए बिना अन्य पुलिस कार्मिकों का जीवन बचाने के उद्देश्य से अपनी एके 47 रायफल से नक्सलियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी ओर से श्री मयंक श्रीवास्तव और श्री अजीत ओग्रे ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुई इस प्रतिपक्षी कार्रवाई के कारण नक्सली भाग खड़े हुए। घटना स्थल की गहन जाँच की गई जिसमें तीन यूनीफॉर्मधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए। श्री अजय यादव, श्री मयंक श्रीवास्तव और श्री ओग्रे ने उच्च स्तर का पेशेवर कौशल, अदम्य साहस और प्रशंसनीय मानसिक सूझबूझ का परिचय दिया। वे नक्सलियों की पोजीशन और टोरियन को देखते हुए जमीन पर से रणकौशल दर्शाते हुए नक्सलियों की ओर बढ़ गए। उपर्युक्त अधिकारियों के अद्वितीय नेतृत्व में पुलिस कार्रवाई का परिणाम तीन खतरनाक नक्सलियों के खात्मे में हुआ। इन तीन खतरनाक नक्सलियों के मारे जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र असुरक्षा की भावना से मुक्त हो गया जिसको इन नक्सलियों की उपस्थिति ने सम्पूर्ण समुदाय को आतंकित किया हुआ था। पुलिस पार्टी ने इस मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 1, 12 बोर की डी बी बन्दूक (डी बी बी एल), 5 मजल लोडर बन्दूकें, 1 टिफिन बम, 1 डिटोनेटर, 12 बोर की बन्दूक की 5 गोलियाँ और अन्य आवश्यक सामग्री बरामद की। नक्सलियों के विरुद्ध यह प्रशंसनीय सफलता केवल श्री अजय यादव, श्री मयंक श्रीवास्तव और श्री अजीत ओग्रे के अनुकरणीय साहस, और ड्यूटी के प्रति दृढ़ समर्पण के दुर्लभ कृत्य से ही संभव हो सकी।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री अजय यादव, पुलिस अधीक्षक, मयंक श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक, मयंक श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक और अजीत ओग्रे, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11.11.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.63-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री अमरेश कुमार मिश्रा
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

नक्सलियों द्वारा संसदीय चुनाव-2009 का बहिष्कार करने के मद्देनजर, जिला नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अमरेश मिश्र ने नक्सलियों का गढ़, अबुजमद क्षेत्र में में एक अभियान चलाने की योजना बनाई। दिनांक 06.04.2009 को उक्त अभियान के लिए अपनी पार्टी का नेतृत्व स्वयं किया। उन्होंने सम्पूर्ण पार्टी को दो भागों में बाँट दिया, एक दल का नेतृत्व टी आई अजीत ओग्रे ने किया जबकि दूसरी पार्टी का नेतृत्व विशेष कार्य दल, कम्पनी कमांडर राजेन्द्र सिंह ने किया और स्वयं को दोनों पार्टियों का सम्पूर्ण प्रभारी बनाए रखा। जब पार्टी एनमेट्टा गाँव पहुँची उन्होंने विद्यालय भवन के पीछे नक्सलियों की एक बैठक होती देखी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पार्टी को उस क्षेत्र को घेरने के तत्काल आदेश दिए और सावधानी से नक्सलियों के बैठक स्थल की ओर बढ़ गए। किन्तु नक्सलियों के संतरी ने पुलिस पार्टी की गतिविधी को भाँप लिया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी को भी आत्मरक्षा में इस प्रकार से सावधानीपूर्वक जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी जिससे कि ग्रामीणों को कोई आँच न आ जाए। किन्तु इससे नक्सलियों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने ग्रामीणों की आड़ लेकर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। यहाँ श्री मिश्रा ने अपने संगठनात्मक विवेक का परिचय दिया और उन्होंने पुलिस की एक पार्टी को नक्सलियों को इस तरह घेरने का आदेश दिया कि जिससे नक्सलियों को पुलिस पार्टी की उपस्थिति सिर्फ उस ओर ही जान पड़े। उन्होंने दूसरी पुलिस पार्टी का स्वयं नेतृत्व किया और वे नक्सलियों के बैठक स्थल के पिछले भाग की ओर बढ़ गए। यहाँ पहुँचकर उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक बड़े नक्सली कैम्प को पहली पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए देखा। जैसे ही वे षड़यंत्रपूर्वक नक्सलियों की ओर बढ़ रहे थे, नक्सलियों ने उनकी गतिविधि को भाँप लिया और उन पर हथगोले फैंके और अन्धाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण सम्पूर्ण पुलिस पार्टी का जीवन भी खतरे में पड़ गया। तो भी श्री मिश्रा ने स्थिति की गंभीरता को भाँपकर और अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन

करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों पर अपनी ए के 47 रायफल भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुई इस जवाबी कार्रवाई ने नक्सलियों को तितर-बितर कर दिया और वे घबरा गए और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। किन्तु दुबारा बंदूकें चलने लगीं और श्री मिश्रा ने उच्च स्तरीय शौर्य प्रदर्शित करते हुए उनका पीछा किया और एक महिला नक्सली को मार गिराया। श्री मिश्रा को भयंकर रूप से आगे बढ़ते देखकर नक्सलियों ने तीन बारूदी सुरंगें उड़ा दी जो कि उन्होंने पहले से ही कैम्प के चारों ओर बिछा रखी थीं। इसका परिणाम घायल नक्सलियों को अपने साथ लेकर और आगे बढ़ने में हुआ। घटना स्थल की गहन और पूरी छानबीन की गई जिसमें एक मृत महिला नक्सली का शव बरामद हुआ। श्री अमरेश मिश्रा ने उच्च स्तरीय पेशेवर विवेक, अदम्य साहस और प्रशंसनीय मानसिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने तराई को और नक्सलियों की स्थिति को देखकर आत्मरक्षा में तराई का रणनीतिक प्रयोग किया और अपनी बन्दूक का उचित इस्तेमाल किया।

उनके आपवादिक नेतृत्व में पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप एक कट्टर महिला नक्सली को मारा गया। पुलिस पार्टी ने घटना स्थल से एक .0303 रायफल, 01 एम एल बन्दूक, 01 एम एल पिस्तौल, 06 टिफिन बम, आठ, 303 गोलियाँ, 07 डेटोनेटर, नक्सली दस्तावेज, चुनाव-विरोधी प्रचारपत्र और दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं बरामद कीं। नक्सलियों के विरुद्ध यह प्रशंसनीय सफलता केवल श्री अमरेश मिश्रा की अनुकरणीय वीरता, साहस और ड्यूटी के प्रति दृढ़ समर्पण के दुर्लभ कृत्य से ही संभव हो सकी।

इस मुठभेड़ में श्री अमरेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 06.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.64-प्रेज/2010, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री अंकित गर्ग
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

दिनांक 9.12.2008 को जिला बीजापुर के पुलिस अधीक्षक को कंडुलनर और अडेड गाँव के जंगली क्षेत्र में 50-60 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना की प्राप्ति पर एक अभियान की तत्काल योजना बनाई गई और उपलब्ध पुलिस बल को दो भागों में बाँट दिया गया। पहले दल का नेतृत्व श्री अंकित गर्ग ने स्वयं किया तथा दूसरे दल का नेतृत्व इंस्पेक्टर के.एल. नंद, एस एच ओ, बीजापुर ने किया। पार्टी कंडुलनर और अडेड के घने जंगलों के बीच स्थित संदिग्ध घटना स्थल पर पहुँच गई और दोनों ओर से उस क्षेत्र की छानबीन के दौरान पुलिस पार्टी को नक्सलियों की भारी गोलीबारी का शिकार बनना पड़ा। दुपों ने तत्काल पोजीशन ले ली और आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। नक्सली, जो कि चतुराई पूर्ण लाभ उठा रहे थे, संख्या में लगभग 50 थे और स्वचालित हथियारों से गोलियां दाग रहे थे, किन्तु पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई ने नक्सलियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। नक्सली पीछे की ओर हटे और उन्होंने पहाड़ी की ओट से गोलियां चलाते हुए भागना शुरू कर दिया। तत्पश्चात् श्री अंकित गर्ग ने पुलिस पार्टियों को पुनर्संगठित किया और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने दाहिनी ओर से पोजीशन ली जबकि शेष पार्टी ने पहाड़ी को घेरने के उद्देश्य से बायीं ओर से पीजीशन ले ली। नक्सलियों की ओर पुलिस की बढ़त के दौरान नक्सलियों ने भू-सुरंगों में विस्फोट करना शुरू कर दिया और चट्टानों और पेड़ों की आड़ लेकर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। दोनों ही पार्टियों ने 'फायर एंड मूव' की नीति अपनाकर नक्सलियों की ओर बढ़ना शुरू किया। किन्तु पहाड़ी की चोटी से नक्सलियों द्वारा की जा रही गोली की वर्षा से पुलिस पार्टी का जीवन खतरे में पड़ गया। तब श्री अंकित गर्ग ने स्थिति की गंभीरता को भाँपते हुए और अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य पुलिस कार्मिकों के जीवन को बचाने के उद्देश्य से अपनी ए.के.47 रायफल से नक्सलियों पर भारी गोलीबारी करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस जवाबी हमले के परिणामस्वरूप नक्सली भाग खड़े हुए।

तत्पश्चात् घटना स्थल की विस्तृत और गहन जाँच की गई जिसमें दो हथियारबन्द नक्सलियों के शव बरामद हुए। श्री अंकित गर्ग ने उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता, उत्कृष्ट साहस और प्रशंसनीय मानसिक सूझबूझ का परिचय दिया। श्री गर्ग भूमि का चातुर्यपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए, भू-भाग का अवलोकन करते हुए और नक्सलियों की स्थिति को देखते हुए आगे बढ़े। पुलिस अधीक्षक श्री गर्ग के असाधारण नेतृत्व के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई का परिणाम दो (1) अयतू उर्फ प्रदीप, आयु 26 वर्ष, निवासी बेलम नेन्द्रा, पुलिस स्टेशन बासागुडा, (2) मोडियम बुद्धु उर्फ किशोर, आयु 35 वर्ष, निवासी पेडाकोरमा, पुलिस स्टेशन बीजापुर के रूप में पहचाने गए कट्टर नक्सलियों की मौत, के रूप में हुआ। इन दोनों खतरनाक नक्सलियों की मौत के परिणामस्वरूप इन खतरनाक नक्सलियों की उस संपूर्ण क्षेत्र में असुरक्षा की भावना से सदैव के लिए मुक्ति मिल गई जिससे कि सारा समुदाय आतंकित था। घटना स्थल से पुलिस पार्टी ने 02 मजल लोडिंग बन्दूकें, 02 हथगोले और अन्य आवश्यक सामग्री बरामद की। नक्सलियों के विरुद्ध यह स्टर्लिंग सफलता केवल श्री अंकित गर्ग के अनुकरणीय साहस, वीरता और ड्यूटी के प्रति गंभीर आस्था से ही संभव हो सकी। उन्होंने सामान्य ड्यूटी के विपरीत अपनी जान को जोखिम में डालकर उल्लेखनीय शौर्य का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक श्री अंकित गर्ग ने असामान्य शौर्य, साहस और ड्यूटी के प्रति उच्च स्तरीय आस्था का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10.12.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.65-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहम्मद अर्शद,
   पुलिस अधीक्षक
2. राजिन्दर सिंह राही,
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.4.2007 को श्रीनगर जिला के ईशबर निशात में तीन आतंकवादियों के उपस्थित होने की जानकारी मिली थी, जो शहर और इसके बाहरी ईलाकों में सुरक्षा बलों तथा नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित करने तथा राज्य में शांति की प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करने की योजना बना रहे थे। इस जानकारी पर, मोहम्मद अर्शद, पुलिस अधीक्षक (कार्रवाई), श्रीनगर के समग्र पर्यवेक्षण में श्रीनगर जिला के पुलिस दलों द्वारा इलाके को घेर लिया गया तथा तलाशी अभियान चलाया गया। जब पुलिस दल तलाशी अभियान के लिए क्षेत्र का घेराव कर रहे थे, तब एक मकान में छुपे आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर उन्हें मारने के लिए अपने अवैध हथियारों से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दलों ने तुरन्त अपना मोर्चा संभाल लिया और लक्षित मकान के चारों ओर की घेराबंदी को सख्त बना दिया तथा पुलिस एवं सी आर पी एफ के अतिरिक्त बल को बुलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान उनमें से एक आतंकवादी ने छापामार दलों पर हथगोले फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी कर भागने की कोशिश की। परन्तु वीरतापूर्ण कार्रवाई एवं समझदारी से एक पुलिस दल द्वारा उन्हें मार गिराया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक (कार्रवाई) के नेतृत्व में दूसरे दल ने अंदर से हो रही निरन्तर गोलीबारी के बीच भूमि तल के एक कमरे में प्रवेश किया। इस दल ने अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल नजदीक से गोलीबारी करके दूसरे आतंकवादी को मारने में सफलता हासिल कर ली। इसी समय निरीक्षक राजिन्दर सिंह के नेतृत्व में दूसरे दल ने भीतर से आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद कमरे के अंदर हथगोले फैंकते हुए कमरे में घुसने में सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद तत्काल ही दल के प्रभारी निरीक्षक राजिन्दर सिंह एक खिड़की पर चढ़ते हुए अन्दर कूद गए तथा आतंकवादी

को हतप्रभ कर दिया और बिल्कुल नजदीक से उस पर गोली चला दी जिससे तीसरा आतंकवादी मारा गया। इस अनुवर्त्ती मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए जिनकी बाद में अब्दुल अख्तर पहलवान उर्फ इमरान निवासी-रावलपिंडी, रमीज अहमद मल्ल उर्फ अबु तैयब पुत्र-गुलाम हसन मल्ल निवासी- लिट्टर पुलवामा तथा गुलजार अहमद डार उर्फ अबु सैफुल्ला पुत्र-अब रशीद डार निवास-जैनबोतु शोपियन के रूप में की गयी थी। सी आर पी एफ के सैनिकों, जिन्हें पुलिस दलों की सहायता के लिए बुलाया गया था, ने भी कार्रवाई के दौरान साहसपूर्ण भूमिका निभाई।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोली बारूद बामद किए गए थे:-

1.	ए के- 47 राईफल	03
2.	ए के मैंगजीन	06
3.	वायरलेस सेट	01(क्षतिग्रस्त)
4.	चीनी ग्रेनड	01
5.	एन्टीना	01
6.	ए के चक्र	111

इस मुठभेड़ में सर्व श्री मोहम्मद अर्शद, पुलिस अधीक्षक, मयंक श्रीवास्तव एवं राजिन्दर सिंह राही, निरीक्षक ने अदम्य साहस, वीरता तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06.04.2007 से अनुमत है।

(वरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.66-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जमील अहमद खटाना,
   पुलिस उपाधीक्षक (डी एस पी)
2. सुखेदव सिंह,
   पुलिस उपाधीक्षक (डी एस पी)
3. पवन सिंह,
   उप निरीक्षक (एस आई)
4. इशाक अहमद,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25.9.2007 को यमराज गांव में कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशेष जानकारी मिली थी। यमराज पुलवामा एवं कुलगाम जिला की सीमा में पड़ता है। तत्काल दोनों जिलों से यमराज गांव के निकटतम शिविरों से बलों को जुटाया गया। शिविर प्रभारी श्री सुखदेव सिंह, डी.एस.पी. (ए ओ जी) शिविर इमाम साहिब शोपियान और श्री जमील अहमद खटाना, डी.एस.पी. (ए ओ जी) इटिपुड़ा कुलगाम गांव की ओर चल पड़े। दोनों अधिकारियों के साथ एक छोटी टुकड़ी और छोटा सा पुलिस दल था। गांव को शोपियन तथा कुलगाम जिलों के दोनों पुलिस दलों द्वारा घेर लिया गया। डी.एस.पी. जमील अहमद के साथ एस.आई. पवन सिंह और कांस्टेबल इशाक अहमद एक खोजी दल के सदस्य थे जबकि दूसरे दल का नेतृत्व श्री सुखदेव सिंह, डी.एस.पी. (एस ओ जी) इमाम साहिब शोपियान कर रहे थे। जैसे ही पुलिस दल लक्षित मकान के पास पहुँचे, छुपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल ने हार नहीं मानी बल्कि लक्षित मकान पर रुक-रुक कर गोलीबारी करते हुए लक्षित मकान तक पहुँच गए। दोनों दलों ने लक्षित मकान के एकदम नजदीक पहुँचने में सफलता हासिल कर ली। श्री जमील अहमद, डी.एस.पी. के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने मकान को सामने की तरफ से सील कर दिया जबकि श्री सुखदेव सिंह, डी.एस.पी. के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने मकान को पीछे की तरफ से सील कर दिया। इस कार्रवाई ने छुपे हुए दोनों आतंकवादियों के

लिए बच निकलने की कोई संभावना नहीं छोड़ी। दोनों आतंकवादियों ने घेरे से बच निकलने का कोई रास्ता न देखते हुए, पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल ने सही अनुभव और प्रत्यक्ष साहस का प्रदर्शन करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस कार्रवाई के संबंध में यह कहना उल्लेखनीय होगा कि न तो कोई जानमाल की क्षति हुई और न ही किसी सम्पत्ति की। जम्मू व कश्मीर पुलिस द्वारा यह एक अलग किस्म की कार्रवाई थी। मारे गए आतंकवादियों की बाद में गाजी अहमद मीर उर्फ गाजी, पुत्र-मंजूर अहमद, निवासी-खेलन पुलवामा और हंजला पाकिस्तानी, निवासी –पाकिस्तान, प्रतिबंधित गुट लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य के रूप में पहचान की गई। उनमें से एक "ए" श्रेणी का आतंकवादी और दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी था। उपरोक्त कार्रवाई में मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद किए गए:-

1.	ए के राइफल	-	2 (अंशतः क्षतिग्रस्त)
2.	ए के मैगजीन	-	5
3.	ए के गोलाबारुद	-	150 चक्र
4.	बेल्ट सहित पाऊच	-	2

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जमील अहमद खटाना, पुलिस उपाधीक्षक, सुखदेवसिंह, पुलिस उपाधीक्षक, पवन सिंह, उप निरीक्षक तथा इशाक अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.09.2007 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.67-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस. कलिराज महेश कुमार,
   पुलिस अपर अधीक्षक (ए.एस.पी.)
2. अजाज अहमद मीर,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.06.2008 को श्री कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. को रवाईपुरा गांव में एक गुप्त स्थानपर महबूब अहमद अफरीदी उर्फ जरकारी उर्फ जुगनु उर्फ अहमा बाई नामक एक आतंकवादी, पुत्र- मौलवी तबलीब अफरीदी, चेक 879 अंजुम फरमाली, पाकिस्तान(लश्कर-ए-तैयबा) ए आई मंसुरीन जिला कमाण्डर,सोपोर के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। श्रीनगर के एक पुलिस दल ने 20.06.2008 को तड़के ही उक्त गांव की ओर जाकर उसे घेर लिया। श्री एस. कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. के साथ श्री अजाज अहमद मीर संदिग्ध गुप्त स्थान की ओर बढे। संदिग्ध मकान का पता लगा लेने के बाद,श्री एस. कलिराज महेश कुमार ने युक्तिपूर्वक पुलिस दल को संदिग्ध मकान के चारों ओर तैनात कर दिया। जैसे ही श्री एस. कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. और श्री अजाज अहमद मीर, कांस्टेबल ने गुप्त स्थान की ओर जाने की कोशिश की, अंदर छुपे आतंकवादी ने पुलिस दल पर एक हथगोला फेंक दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें श्री एस. कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. बाल-बाल बच गए क्योंकि एक गोली उनको लगभग छुते हुए निकल गई। पुलिस दल द्वारा जवाब दिए जाने पर आतंकवादी फिर से गुप्त स्थान में छुप गया। तभी 32 आर आर की टुकड़ी भी वहां पहुंच गई और एक बाहरी घेरा डाल दिया। अत्यन्त चालाकी और साहस का परिचय देते हुए एस. कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. ने अपने जान की परवाह किए बिना, आतंकवादी के स्थान के बिल्कुल करीब अपना स्थान बना लिया और आतंकवादी को गोलीबारी की लड़ाई में व्यस्त कर दिया। आतंकवादी ने श्री एस. कलिराज महेश कुमार, ए.एस.पी. तथा श्री अजाज अहमद मीर, कांस्टेबल की ओर एक हथगोला फेंकते हुए भागने की कोशिश की परन्तु उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कथित आतंकवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त कर ली। वह 2001 से

सक्रिय था और शोपियान, कुलगाम, सोपोर और हंदवाड़ा में नागरिकों एवं सुरक्षा बलों को मारने सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल था। कथित आतंकवादी के मारे जाने के बाद लश्कर-ए-तैयबा गुट को भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में मामला प्राथमिकी सं. 38/2008 धारा 307 आर पी सी 7/27 आर्म्स एक्ट, 19 यू एल ए के तहत क्रलगुंड थाने में दर्ज है। उपरोक्त बीरतापूर्ण कार्रवाई में निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

ए के 47 राईफल-01, ए के 47 राईफल मैंगजीन-04, ए के 47 चक्र-70 राऊण्ड, ग्रेनेड-01

इस मुठभेड़ में सर्व श्री कलिराज महेश कुमार,पुलिस अपर अधीक्षक और अजाज अहमद मीर,कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.06.2008 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.68-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सरदार खान,

पुलिस अधीक्षक

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

09.08.2007 को मोदूरा गांव के खुर्द मोहल्ला में दो आतंकवादियों के उपस्थित होने के संबंध में एस.पी. अवन्तीपुरा द्वारा खुफिया जानकारी दी गई। इस जानकारी के आधार पर सी आर पी एफ की 185 वीं बटालियन की सहायता से अवन्तीपुरा पुलिस द्वारा पूरे मोहल्ले को घेर लिया गया। घर-घर तलाशी के दौरान बशीर अहमद खान, पुत्र- मोहम्मद जबर खान, निवासी-पस्तून, हिज्बुल मुजहिद्दीन गुट नामक एक आतंकवादी, जो मोहदा मलिक, पुत्र-गुलाम कादिर, निवासी- खुर्द मोहल्ला मोदूरा के मकान में छुपा हुआ था, ने तलाशी दल के ऊपर गोलीबारी कर दी। आतंकवादी, जो मकान में छुपे हुए थे, ने अपनी सुरक्षा के लिए उस मकान के परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। पुलिस अधीक्षक अवन्तीपुरा ने पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने से रोके रखा क्योंकि उस मकान में नागरिक उपस्थित थे। तभी मकान की दाहिनी ओर से अली मोहम्मद भट, पुत्र- गुलाम मोहम्मद, निवासी चारसू, हिज्बुल मुजाहिद्दीन गुट नामक एक आतंकवादी ने भी गुलाम रसूल मीर, पुत्र-गुलाम कादिर मीर, निवासी-खुर्द मोहल्ला के मकान से पुलिस दल पर गोलीबारी की। उक्त मकान में परिवार के सभी सदस्यों को आतंकवादी ने अपनी सुरक्षा के लिए बंधक बना रखा था, ऐसी परिस्थिति में एस.पी. अवन्तीपुरा श्री सरदार खान ने पहले आतंकवादी की ओर ध्यान केन्द्रित किया। आतंकवादी लगातार पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहा था परन्तु वे जवाब नहीं दे पाए। श्री सरदार खान, एस.पी. ने अपनी कुशाग्रता एवं पेशेगत अनुभव का प्रदर्शन करते हुए मकान में प्रवेश किया और आतंकवादी को घेरे में ले कर उसे वहीं मार गिराया तथा 7 निर्दोष नागरिकों की जान बचा ली। दूसरा आतंकवादी दूसरे मकान से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहा था, जहां उसने भी परिवार के सदस्यों को बंधक बना रखा था। एस.पी. अवन्तीपुरा उक्त मकान के अन्दर घुस गए और उस स्थिति का जायजा लेने के बाद, जहां से आतंकवादी गोलीबारी कर रहा था, एस.पी. अवन्तीपुरा ने आतंकवादी पर गोली चला दी तथा उसे वहीं मार गिराया और समस्त नागरिकों की जान बचा ली। उसके पास से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किए गए थे:-

1.	ए के- 47 राईफल	02
2.	एक- 47 मैगजीन	03
3.	ए के- 47 बारूद	88 चक्र
4.	चीनी हथगोला	01(ध्वस्त)
5.	पाऊच	01

इस संबंध में मामला प्राथमिकी सं. 130/07 धारा 307 आर पी सी, 7/27 ए एक्ट के तहत अवन्तीपुरा पुलिस थाने में दर्ज है।

इस मुठभेड़ में श्री सरदार खान, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.08.2007 से अनुमत है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.69-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहम्मद इमरान लोन,
   कांस्टेबल
2. अब्दुल मजीद नजर
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

04.12.2007 को 1300 बजे सी आर पी एफ की 130 वीं बटालियन लद्दरमाड गांव में गश्त कर रही थी जब आतंकवादियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और एक सी आर पी एफ कर्मी को घायल कर दिया। घटना के बाद आतंकवादियों की तलाशी के लिए गांव को अवन्तीपुरा पुलिस/एस एस आर/एस ओ जी, सी आर पी एफ की 130 वीं बटालियन तथा तथा, 50 आर आर द्वारा घेर लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान, आतंकवादियों ने, जो गफ्फार वानी, पुत्र ग0 कादिर वानी, निवासी लद्दरमाड के मकान में छुपे हुए थे, तलाशी दल के ऊपर ताबड़तोड गोलीबारी शुरू कर दी और कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को घायल कर दिया। फिर भी, उक्त घायल कांस्टेबल बहादुरी से लडा तथा उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया। कांस्टेबल अब्दुल मजीद, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, उक्त मकान में घुस गया और कांस्टेबल मोहम्मद इमरान लोन को बचाते हुए दूसरे दुर्दांत आतंकवादी को भी मार गिराया। जबकि, पहले आतंकवादी की पहचान अबु तलहा, निवासी- लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के रूप में की गई, वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान नहीं की जा सकी। उस स्थान से दो क्षतिग्रस्त ए के – 47 बरामद किए गए।

इस मुठभेड में सर्व श्री मोहम्मद इमरान लोन, कांस्टेबल तथा अब्दुल मजीद नजर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.12.2007 से अनुमत है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.70-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री काफिल अहमद,

हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मोहम्मद मकबूल शेख पुत्र कुमार शेख, निवासी दुसु (राफियाबाद) जिला बारामुला के मकान में एल ई टी के चार आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में पहली फरवरी, 2008 को पुलिस द्वारा प्राप्त की गई विशिष्ट सूचना के आधार पर निरीक्षक एम.एस. भाटी और हैड कांस्टेबल मुंशी राम, 179 बटालियन सी आर पी एफ, हैड कांस्टेबल काफिल अहमद सहित अन्य कार्मिकों के अलावा 179 बटालियन सी आर पी एफ के अपर एस पी सोपोर की कमान और सहायक कमांडेंट श्री जतिन्द्र कुमार के तहत पुलिस कंपोनेंट सोपोर के साथ पुलिस कंपोनेंट सोपोर/सी आर पी एफ द्वारा प्रारंभिक घेराव किया गया। जब घेराव किया जा रहा था तो मकान में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस/सी आर पी एफ दलों पर गोलीबारी कर दी। अत्यधिक सतर्कता और सूझ-बूझ के साथ इन पुलिस/सी आर पी एफ के कार्मिकों ने सराहनीय भूमिका निभाई और घेराव को और अधिक कड़ा कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आतंकवादी भाग न पाएं। चूंकि यह मकान अलग-थलग था इसलिए मकान में और आतंकवादियों के छिपने के स्थान तक पहुंचना कठिन था तथा आतंकवादियों द्वारा एप्रोचिंग दलों पर गोलीबारी की जा रही थी। ऐसे स्थिति में हैड कांस्टेबल काफिल अहमद स्वयं आगे आए और उन्होंने आतंकवादियों के छिपने के स्थान से केवल 03 मीटर की दूरी पर स्थित खिड़की से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे वैसे ही आतंकवादियों ने रणनीतिक और गोलीबारी संबंधी अत्यधिक बुद्धिचातुर्य का प्रयोग करते हुए भारी गोलीबारी कर दी। इस पर हैड कांस्टेबल ने इस तरह मोर्चा संभाला कि उन्हें आतंकवादियों के छिपने का स्थान साफ दिखाई दे। दल के अन्य उल्लिखित सदस्यों ने घेराव को सख्त बनाए रखते हुए हैड कांस्टेबल काफिल अहमद को कवर सहायता प्रदान की। ऐसी स्थिति में आई जी, सी आर पी एफ, डी आई जी, जे के पी उत्तरी कश्मीर, डी आई जी, सी आर पी एफ उत्तरी कश्मीर और एस एस पी बारामुला के वरिष्ठ अधिकारी अभियान स्थल पर पहुंचे और तैनाती का और अधिक समन्वय और पर्यवेक्षण किया। चूंकि छिपने के स्थान का केवल एक निकासी मार्ग था और बाकी कंकरीट का बना हुआ था

इसलिए उस प्रेक्षण स्थान पर मोर्चा संभालने के लिए हैड कांस्टेबल काफिल अहमद स्वयं आगे आए जहां से उन्हें छिपने का एकमात्र निकासी मार्ग साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि प्रयुक्त की गई गोलीबारी इतनी अधिक नहीं थी कि उससे छिपने का स्थान नष्ट हो सकता। यहां पर जे के पी/सी आर पी एफ के वरिष्ठ अधिकारियों की सूझ-बूझ और विगत अनुभव काम आया और यह सोचा गया कि छिपने के स्थान को भरने के लिए पानी की तोपों का इस्तेमाल किया जाए ताकि आतंकवादियों को छिपने के स्थान से बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। आई जी, सी आर पी एफ, डीआई जी, जे के पी, एन के आर और डी आई जी, आर पी एफ ने मोर्चे का समन्वय किया और सामान्य तौर पर सी आर पी एफ के कार्मिकों की तैनाती की जबकि कमांडेंट 179 बटालियन सी आर पी एफ ने सहायक कमांडेंट जतिन्द्र कुमार, निरीक्षक एम.एस. भाटी और हैड कांस्टेबल मुंशी राम, 179 बटालियन सी आर पी एफ को और विशेष रूप से एसॉल्ट दल को छिपने के स्थान के निकट तैनात करने का समन्वय किया। हैड कांस्टेबल मो. काफिल ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ था। यद्यपि इन कार्मिकों के जीवन को खतरा था फिर भी इन्होंने छिपने के स्थान के नजदीक से ही उसे भरने का सम्मिलित बीड़ा उठाया और उससे सटी दीवार पर आई ई डी लगा दिया। जैसे-जैसे छिपने का स्थान पानी से भरता गया और आई ई डी, दीवार पर अपना प्रभाव डाल रही थी वैसे-वैसे, आतंकवादियों ने पुलिस/सी आर पी एफ के उल्लिखित कार्मिकों पर गोलीबारी की और वहां से भागने लगे। तथापि, सहायक कमांडेंट जतिन्द्र कुमार, निरीक्षक एम.एस. भाटी और हैड कांस्टेबल मुंशी राम, 179 बटालियन सी आर पी एफ और विशेष रूप से पुलिस स्वयंसेवक काफिल अहमद सहित सी आर पी एफ कार्मिकों के सतर्क इनर कॉर्डन ने आतंकवादियों को उलझाए रखा और उन्हें निष्क्रिय करने में सफल हुए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान इब्राहिम, मोसावां, नजीर और उमर (सभी पाकिस्तान के निवासी) के रूप में हुई। अभियान के दौरान बरामद हथियारों और गोलीबारुद में 04 ए के राइफल, 04 ए के मैग्जीन और 65 ए के राउंद शामिल हैं। इस घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन डांगीवाचा में आर पी सी की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं. 3/2008 दर्ज की गई है।

इस मुठभेड़ में श्री काफिल अहमद, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.02.2008 से अनुमत है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.71-पेज/2010. राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी के नाम और रैंक

श्री पीरजादा नवीद,

पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ग्राम तुजान में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में दिनांक 29.09.2007 को विशिष्ट सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक (आप्स बड़गांव), पीरजादा नवीद की कमान में बड़गांव पुलिस ने 53 आर आर की सहायता से लगभग 0230 बजे उक्त गांव का घेराव किया। घर-घर तलाशी के दौरान आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला। तथापि, दोपहर के आस-पास विश्वसनीय आधार पर यह पता चला कि आतंकवादियों ने गांव की स्थानीय मस्जिद में आश्रय लिया हुआ है। इस पर अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस उपाधीक्षक (आप्स) बड़गांव, पीरजादा नवीद ने 53 आर आर के साथ मस्जिद के चारों ओर कड़ा घेराव किया। जब घेराव किया जा रहा था तो छिपे हुए आतंकवादियों ने घेराव पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, चूंकि आतंकवादी मस्जिद में छिपे हुए थे (जिसके साथ स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी थीं) इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई रोक दी और जबाबी कार्रवाई नहीं की। वहां पर छुपे हुए आतंकवादियों से समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना और घेराव दल पर गोलीबारी करना जारी रखी। दिनांक 30.09.2007 को भी पुलिस उपाधीक्षक पीरजादा नवीद, सीमित मानव शक्ति के साथ घेराव दल के साथ रहे और मस्जिद में रुके हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया। बाहरी घेराव के लिए 181 बटालियन सी आर पी एफ से कुमुक मंगाई गई। अधिकारी ने सारी रात आतंकवादियों से समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह पुलिस उपाधीक्षक (आप्स) बड़गांव, पीरजादा नवीद ने अपने बहुमूल्य जीवन की परवाह किए बगैर और बहादुरीपूर्ण/हिम्मत के साथ उस मस्जिद में घुसने का साहस किया जहां से उन पर भारी गोलीबारी हो रही थी। मस्जिद के खम्भों का मोर्चा लेने और दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी के बाद उक्त अधिकारी बिल्कुल नजदीक से उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में सफल हुए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान खुर्शीद अहमद राथेर उर्फ जुबेर (श्रेणी "क") पुत्र गुलाम नबी राथेर, निवासी कादीपुरा पुलवामा और नाजिर अहमद डार उर्फ इरफान पुत्र मुनवर डार, निवासी तुजान पुलवामा के रूप में हुई। मारे

गए उक्त आतंकवादी, कई उग्रवादी/आपराधिक मामलों में वांछित थे। दो दिन तक चले अभियान के दौरान अधिकारी ने अभियान की योजना इस ढग से बनाई कि किसी भी तरह की संपार्श्विक हानि नहीं हुई। इसके अलावा, उस मस्जिद को भी कोई हानि नहीं हुई जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद हुआ:-

01.	ए के-47 राइफल	-	01 नग
02.	ए के-47 मैग्जीन	-	01 नग
03.	कार्बाइन	-	01 राउंद
04.	कार्बाइन मैग.	-	01 नग

इस मुठभेड़ में श्री पीरजादा नवीद, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.09.2007 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.72-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. नवीन कुमार सिन्हा,
   उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी
2. मनोज कुमार रॉय,
   उप-निरीक्षक
3. अनिल कुमार सिंह,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 01.02.2006 को जब झारखंड पुलिस के सर्व श्री नवीन कुमार सिन्हा, एस डी पी ओ, मनोज कुमार रॉय, उप-निरीक्षक, अनिल कुमार सिंह, उप-निरीक्षक और सी आर पी एफ के कांस्टेबल पवन कुमार 13 बटालियन और नवीन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अन्य बलों के साथ नवदिहा ओ.पी. क्षेत्र के अंतर्गत उग्रवादियों के विरुद्ध छापा मार रहे थे, तलाशी ले रहे थे तो उन्हें सूचना दी गई कि उग्रवादी, लालगढ़ गांव में ठहरे हुए हैं तो दल के नेता ने रणनीति बनाई और गंतव्य स्थल को घेरने के लिए तुरंत चल पड़े। जब लगभग 1130 बजे बल उस क्षेत्र के निकट पहुंचा तो उग्रवादियों ने बल के कार्मिकों की हत्या करने की मंशा से आधुनिक हथियारों से उन पर गोलियों की बौछार कर दी लेकिन नवीन कुमार सिन्हा चतुराई से बाल-बाल बच गए और ऐसी कठिन और संकट की स्थिति में इन्होंने कार्मिकों को प्रेरित किया और निदेश दिया कि अपना जीवन और सरकारी हथियारों को बचाने के लिए बचाव में गोलीबारी करें, जिसके परिणामस्वरुप बल ने तुरंत जबाबी गोलीबारी की और साहस, हिम्मत और बहादुरी से लगभग 40-50 उग्रवादियों को मार गिराया तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित उग्रवादियों के हित वाले स्थान को नष्ट करने में सफल हुए। कार्मिकों के साहसिक कृत्यों से बड़ी संख्या में मौजूद उग्रवादियों के खूनी मंसूबे नेस्तानाबूत हो गए, उग्रवादियों को बल के कार्मिकों पर पहले ही हमला करने पर मजबूर होना पड़ा, दक्षिण-पश्चिम पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में फैले छिपने के अपने स्थानों की लाभप्रद स्थिति और दृढ़ निश्चय से पीछे हटना पड़ा जबकि दूसरी ओर मनोज कुमार रॉय, अनिल कुमार सिंह और पवन कुमार निरंतर आगे बढ़ रहे थे और प्रभावी गोलीबारी से बल को

प्रेरित कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप काले कपड़े पहने एक उग्रवादी को छः राउंड के सीमित पुलिस सर्विस रिवाल्वर से, जिसमें चार गोलियाँ भरी हुई थी और 19 जीवित गोलियों वाले विंडोलियर से, जिसमें दो का प्रयोग किया गया था, मार गिराया गया। इसके अलावा कई उग्रवादी घायल हो गए लेकिन वे बच कर निकल भागने में सफल हो गए। अधिकारियों ने साहस के साथ उनका पीछा किया और गुट की घायल हुई तीन महिला सदस्यों काम्जी उर्फ कविता देवी, सरिता देवी और सुमित्री कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछ-ताछ से इन्होंने मृतकों की पहचान एरिया कमांडर कैलाश सिंह उर्फ पवन जी के रूप में की और नवदिहा ओ.पी. हरिहरगंज पुलिस स्टेशन तथा एस.डी.पी.ओ, छतरपुर स्थित रिहायशी कार्यालय लूटने में संलिप्त अन्य साथियों की भी पहचान की। इसके अलावा उग्रवादियों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई और उनकी विभिन्न वस्तुएं जब्त की गई तथा छतरपुर (नवरिहा) पुलिस स्टेशन में मामला सं. 10/2006 भी दर्ज करवाया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री नवीन कुमार सिन्हा, उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी, मनोज कुमार रॉय, उप-निरीक्षक और अनिल कुमार सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.02.2006 से अनुमत्त है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.73-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. तारानंद सिंह,
   उप-निरीक्षक
2. शमशाद आलम शमशी
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

यह सिफारिश सी आर पी एफ के सहायक कमांडेंट कन्हैया सिंह, उप-निरीक्षक माला राम, उप-निरीक्षक नंदलाल, लांस नायक गुलाब सिंह, कांस्टेबल मोहन शर्मा और कांस्टेबल मुकेश कुमार तथा झारखंड पुलिस के तारानंद सिंह और उप-निरीक्षक शमशाद आलम शमशी और सी आर पी एफ, झारखंड सशस्त्र पुलिस के अन्य कार्मिकों द्वारा भंडारिया थानांतर्गत, गढ़वा, ग्राम टोट्की में पुलिस/सी आर पी एफ और सी पी आई (माओवाद) के उग्रवादियों के बीच हुई फलदायी मुठभेड़ के परिणामस्वरुप की गई है। इससे पहले उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों/सी आर पी एफ के लिए घात लगाने की कोशिश की थी। लेकिन उनकी योजना निष्फल कर दी गई। संक्षिप्त तथ्य यह है कि इस आशय की सूचना मिली थी कि उग्रवादी, भंडारिया थानांतर्गत क्षेत्र में ठहरे हुए हैं। तदनुसार उप-निरीक्षक तारानंद सिंह के नेतृत्व में छापा आयोजित किया गया। अभियान की योजना के अनुसार उप-निरीक्षक शमशाद आलम शमशी, उप-निरीक्षक मालाराम और उप-निरीक्षक नंदलाल तथा सी आर पी एफ और जे ए पी के अन्य कार्मिकों के साथ श्री कन्हैया सिंह की कमान में सी आर पी एफ/जे ए पी के बलों ने दिनांक 12.05.07 को पूर्वाह्न 6.30 बजे गांव के क्षेत्रों में छापा मारने/तलाशी लेने के लिए कूच किया। नम्नहा गांव पार करते हुए जब छापामार दल ने जंगल पार किया और ग्राम "टोट्की" में प्रवेश किया तो इन्होंने यह नोट किया कि नक्सली संतरी एक मकान के निकट पेड़ के नीचे खड़ा है। वे संख्या में लगभग 25-30 थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे कोई गंभीर वारदात करने के लिए एकत्र हुए हैं। छापामार दल को सतर्क कर दिया गया और सी आर पी एफ के सहायक कमांडेंट के साथ परामर्श करके उप-निरीक्षक तारानंद सिंह द्वारा छापामार दल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक दल का नेतृत्व स्वयं इन्होंने किया और इनके साथ श्री कन्हैया सिंह, सहायक

कमांडेंट और उप-निरीक्षक मालाराम थे। दूसरे दल का नेतृत्व उप-निरीक्षक शमशाद आलम शमशी ने किया तथा सी आर पी एफ/जे ए पी के साथ उप-निरीक्षक नंदलाल को भाग रहे उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए उनका रास्ता रोकने हेतु तैनात किया गया। बलों के कार्मिकों के साथ उप-निरीक्षक तारानंद सिंह और श्री कन्हैया सिंह उग्रवादियों की ओर बढ़े। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने इन्हें देख लिया और इन पर गोलीबारी करनी शुरु कर दी। जब इन्हें लगा कि अपनी सुरक्षा, बल के कार्मिकों के जीवन की रक्षा और हथियारों को बचाने का कोई विकल्प नहीं है और हम नाजुक स्थिति में हैं तो उप-निरीक्षक तारानंद सिंह, कन्हैया सिंह और उप-निरीक्षक मालाराम ने गोलीबारी शुरु कर दी जिससे 3 उग्रवादी ढेर हो गए। कांस्टेबल मुकेश कुमार ने भी बहादुरी से कार्रवाई की और गोलीबारी में नक्सलियों को उलझाए रखा। पुलिस से दबाव पड़ने पर उग्रवादियों ने गोलीबारी करते हुए जंगल की ओर भागना शुरु किया। उप-निरीक्षक शमशी और उप-निरीक्षक नंदलाल के नेतृत्व वाली स्टॉप पार्टी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए गोलीबारी की जिससे 2 उग्रवादी मारे गए। लांस नायक गुलाब सिंह और कांस्टेबल मोहनलाल ने भी साहसिक कार्रवाई की। यह मुठभेड़ लगभग दो घंटे तक चली। मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर पांच उग्रवादियों के शव बरामद हुए जिनमें हरी वर्दी में दो महिलाएं शामिल थीं। शवों की पहचान 1. मानसजी, छत्तीसगढ़ राज्य समिति का सदस्य, अकलोडोगरी, पी एस अर्जुनी, धम्तरी, छत्तीसगढ़ 2. संतोष टिर्की उर्फ संदीप पुत्र रामदयाल टिर्की, ग्राम दुर्जन, पी एस रांका, गढ़वा 3. रामसागर सिंह उर्फ शामसुंदरजी पुत्र अर्जुन सिंह, ग्राम चपिया, पी एस भंडारिया, गढ़वा 4. आशा देवी उर्फ बसंती उर्फ उषा जी पुत्री स्व. गणेश महतो, भंजना पी एस भंडारिया, गढ़वा और 5. खुशबू मिंज उर्फ अनिता पुत्री निमियस मिंज, लाटो, पीएस गारु, लातेहर (झारखंड) के रूप में हुई। मानसजी, छत्तीसगढ़ के कई मामलों में संलिप्त थी और अन्य उग्रवादी झारखंड राज्य से संबंधित मामलों में संलिप्त थे। वे सभी सी पी आई (माओवाद) के सक्रिय सदस्य थे। बरामद किए गए हथियारों/गोलीबारुद और अन्य वस्तुओं में ये शामिल हैं: 1. मैग्जीन के साथ चीन में निर्मित ए के एम (ए के-56), यू एस ए में निर्मित एक अर्द्ध स्वचालित राइफल, मैग्जीन के साथ 4 एस एल आर, हैंड ग्रेनेड, बड़ी मात्रा में गोलियों के केश, नक्सली साहित्य, दवाइयां, कपड़े और दैनिक प्रयोग की वस्तुएं।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री तारानंद सिंह, उप-निरीक्षक और शमशाद आलम शमशी, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.05.2007 से अनुमत है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.74-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राम नरेश कुंवर,
   निरीक्षक
2. मुरली मनोहर मांझी,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजी गई एक गुप्त सूचना के आधार पर जब ये बारुदी सुरंग-रोधी तीन वाहनों पर गंतव्य स्थल की ओर जा रहे थे तो इन्हें हुंधुदुआ नदी के पश्चिम की ओर ठहरे सशस्त्र माओवादियों का दल दिखाई दिया। सर्व श्री राम नरेश कुंवर, मुरली मनोहर मांझी और राधेश्याम पांडे ने वाहन कुछ कार्मिकों के पास छोड़ दिए और आगे बढ़े तथा देखा कि दो व्यक्ति मोटरसाइकल पर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस को देखा और संभवतः अपने दल को सूचित करने के लिए वे वहां से भाग खड़े हो गए। सर्वश्री राम नरेश कुंवर, मुरली मनोहर मांझी और राधेश्याम पांडे ने नदी तट पर अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की नेतृत्व क्षमता का उस समय परिचय दिया जब वहां पर पहुंचे सशस्त्र माओवादियों के दल ने इन पर गालियों की बौछार कर दी। इन्होंने सावधानी, दूरदृष्टि और व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए निदेश दिया कि अपना जीवन और सरकारी हथियार बचाने के लिए जवाबी गोलीबारी कर दें। इस गोलीबारी से माओवादियों का मनोबल गिर गया और उन्होंने रुक-रुक कर पुलिस पर गोलीबारी जारी रखते हुए पीछे मुड़ना शुरु कर दिया। इस पर बच कर भाग रहे माओवादियों को पकड़ने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार बल ने उस क्षेत्र को घेर लिया। इससे माओवादी हरि मेहतो, छत्र जिला और सशस्त्र दल के एक घायल सदस्य राज कुमार भियां को गिरफ्तार किया जा सका। इन्हें .303 बोर मार्क-3 से भरी पुलिस राइफल और .303 की 30 जीवित गोलियों से भरी विंडोलिया की सहायता से गिरफ्तार किया गया। सर्वश्री राम नरेश कुंवर, मुरली मनोहर मांझी और राधेश्याम पांडे ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस प्रतिबंधित सशस्त्र सी.पी.आई. माओवादी दल के विरुद्ध अत्यधिक साहस, बहादुरी और पेशेवर तकनीक का परिचय दिया। इससे माओवादियों का मनोबल गिर गया, वे डर गए और उस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर हो गए।

अपने पीछे वे बड़ी संख्या में हथियार और अपनी वस्तुएं छोड़ गए और जब्त की गई वस्तुओं की एक ऐतिहासिक जब्ती सूची तैयार की गई और मनतु पुलिस स्टेशन में मामला सं. 54/2006 दर्ज करवाया गया। राम नरेश कुंवर, मुरली मनोहर मांझी और राधेश्याम पांडे ने अपने जीवन को जोखिम में डाल कर सशस्त्र दल, जोनल कमांडर बी.के. जी उर्फ रवि जी और किसले जी पर, जो पलामू जिले और बिहार में पड़ने वाले जिलों के लिए आतंक के पर्याय थे, पर विजय हासिल की। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इन्होंने पुलिस मनोबल के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राम नरेश कुंवर, निरीक्षक और मुरली मनोहर मांझी, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02.12.2006 से अनुमत है।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.75-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अवध कुमार यादव,
   उप-निरीक्षक
2. कृष्ण कुमार महतो,
   उप-निरीक्षक
3. कमलेश सिंह,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री अवध कुमार यादव उप-निरीक्षक यह सूचना मिलने पर कि नक्सली अपने खूंखार नेता लोहा सिंह उर्फ कंडु के नेतृत्व में एकत्र हो रहे हैं तो इस तथ्य के बावजूद ये उक्त टीम के साथ लायडाग में एक और छापे में व्यस्त हैं, जो वहां से काफी दूर स्थित हैं, तुरंत सक्रिय हो गए। सूचना के आधार पर अवध कुमार यादव ने तुरंत एक कार्य योजना बनाई और दो तरफ से अनुकरणीय साहस और बहादुरी से उस स्थान पर छापा मारा जिससे नक्सली लाचार हो गए। अवध कुमार यादव द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई और साहसिक योजना तथा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प से यह छापा सफल हुआ जिसमें कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। बाद में उस स्थान की जांच करने पर 62 जीवित गोलियां और एस एल आर जैसे हथियार, वाहन बरामद हुए और सशस्त्र नक्सलियों की संख्या का अनुमान लगभग 35-40 तक लगाया गया है। यह अभियान लगभग डेढ़ घंटे तक चला, पुलिस की तरफ से 350 राउंद गोलियां और नक्सलियों की ओर से 400 राउंद गोलियां चलीं। अवध कुमार यादव के नेतृत्व में बनाई गई उचित और साहसिक योजना से नक्सलियों द्वारा लगाई गई घात नष्ट कर दी गई और लोहा सिंह उर्फ कंडू को ढेर कर दिया गया। यह खूंखार नक्सली 62 आपराधिक मामलों में वांछित था। यह प्रशस्ति पत्र, अवध कुमार यादव और उनके साथियों उप-निरीक्षक के.के. महतो और कमलेश सिंह ने अपने जीवन को 100 प्रतिशत जोखिम में डाल कर भी बहादुरी और साहस से भरी कार्रवाई की तथा जिस उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उसके आधार पर यह रिकार्ड पर रखे जाने योग्य है। इनके इन्हीं कृत्यों के कारण खूंखार लोहा सिंह उर्फ कंडु मारा जा सका जिससे इस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अवध कुमार यादव, उप-निरीक्षक, कृष्ण कुमार महतो, उप निरीक्षक और कमलेश सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.11.2006 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.76-पेज/2010. राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी नाम और रैंक
श्री अमर नाथ
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 22.02.2008 को "विक्टर" अभियान चलाया गया था जिसमें छापा मारने के लिए पुलिस की तीन अलग-अलग पार्टियां बनाई गई थीं। योजना के अनुसार एक पार्टी में प्रभारी अधिकारी भंडारिया के उप-निरीक्षक अमरनाथ, निरीक्षक साजी एंथोनी और सी आर पी एफ की सी/13 कंपनी के कार्मिक थे। यह पार्टी कुशवार जंगल पहुंची और इसे यह पता चला कि ग्राम बहहरा, तोला तेनुआदमार में लगभग 30-40 नक्सली अपने नाकाम इरादों से एकत्र हुए हैं। नक्सलियों की इन हरकतों के कारण ग्रामवासी आतंकित हैं और वे अपने घर छोड़ रहे हैं। यह सूचना भेजने के बाद यह पार्टी बहहरा पहुंची। इसी बीच उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अमरनाथ मिश्रा और सहायक कमांडेंट पी.एन. तिवारी की अगुवाई में दूसरी पार्टी को सी आर पी एफ के साथ सहायता के लिए उसी दिशा में कूच करने का निदेश दिया गया। दिनांक 23.02.2008 को उप-निरीक्षक अमरनाथ और निरीक्षक साजी एंथोनी के नेतृत्व वाली पार्टी जंगल में लगातार तीन घंटे पैदल चलने के बाद लगभग 12.15 बजे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची। जैसे ही यह पार्टी तोला तेनुआदमार के दक्षिण पहुंची वैसे ही हरही पहाड़ी पर तैनात नक्सली संतरी ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। पुलिस पार्टी पर की गई उस अचानक, अंधाधुंध और भारी गोलीबारी से यह पार्टी घबरा गई। इसके बावजूद उप-निरीक्षक अमरनाथ और निरीक्षक साजी एंथोनी ने बल से कहा कि वे मोर्चा संभालें और फिर नक्सलियों से समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन दूसरी तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी जारी रही। जब पुलिस पार्टी को यह लगा कि उनके जीवन और हथियारों को खतरा है तो उप-निरीक्षक अमरनाथ और निरीक्षक साजी एंथोनी ने बल कार्मिकों से कहा कि वे भी जबावी गोलीबारी करें। उप-निरीक्षक अमरनाथ और निरीक्षक साजी एंथोनी के साथ कांस्टेबल अबानी कलिता, कांस्टेबल सुबीर दास गोलीबारी की दिशा में आगे बढ़े और देखा कि दो नक्सली चट्टानों की आड़ में गोलीबारी कर रहे हैं और कुछ अन्य नक्सली जमीन पर पड़े हैं और उन्होंने अपने आपको झाड़ियों में छिपा रखा है तथा लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। इसे देख कर इन्होंने भी उसी दिशा में गोलीबारी शुरु

कर दी जिस दिशा से गोलीबारी हो रही थी। कुछ समय बाद जिस दिशा से चट्टानों की आड़ में दो नक्सली गोलीबारी कर रहे थे वहां से गोलीबारी रुक गई। लेकिन दूसरे नक्सलियों ने गोलीबारी जारी रखी। दूसरे पुलिस कर्मियों ने भी उस दिशा की ओर गोलीबारी शुरु कर दी जहां से गोलीबारी हो रही थी। यह गोलीबारी लगभग एक घंटे तक जारी रही। जब नक्सलियों को लगा कि वे संकट में हैं तो वे जंगल में भाग गए। कुछ समय बाद उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी और गढ़वा से आई कुमुक भी वहां पहुंच गई। उस स्थान की तलाशी लेने पर दो शव बरामद हुए जिनमें से एक वर्दी में था, एक 303 और एक 315 राइफल, एक 9 एम एम पिस्तौल, कई गोलियां और दैनिक इस्तेमाल की कई वस्तुएं बरामद हुईं। बाद में शवों की पहचान दिनेश सिंह उर्फ व्यासजी और रघु गंझू उर्फ आनंदजी उर्फ रंजीत के रूप में हुई। इस घटना में उप-निरीक्षक अमरनाथ, झारखंड पुलिस, निरीक्षक साजी एंथोनी, सी आर पी एफ ने उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और वीरता का परिचय दिया और कांस्टेबल अबनी कलिता, सी आर पी एफ और कांस्टेबल सुबीर दास, सी आर पी एफ ने अत्यधिक वीरता का परिचय दिया जिसके कारण दो खूंखार नक्सली मार गिराए गए।

इस मुठभेड़ में श्री अमर नाथ, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.02.2008 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.77-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संदीप कदम बसंत,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. विजय कुमार,
   उप-निरीक्षक

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 24.02.2008 को उप-निरीक्षक विजय कुमार ने खतरनाक हथियारों से लैस जोनल कमांडर प्रमोद सिंह उर्फ कनकटा, जोनल कमांडर संजय यादव उर्फ अमृत जी और उनके सहयोगी गुट सी.पी.आई. माओवादी द्वारा व्यावसायियों और ठेकेदारों को लक्ष्य बना कर उनसे जबरन धन वसूली करने और ग्रामीणों को आतंकित किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त की। विश्वसनीय सूचना के आधार पर दिनांक 25.02.2008 को 01.30 बजे ए एस पी संदीप कदम बसंत और विजय कुमार, उप-निरीक्षक ने साहसिक कार्रवाई की। ए एस पी संदीप कदम बसंत और विजय कुमार, उप-निरीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बाद प्राप्त हुई सूचना का विस्तृत विश्लेषण किया और फिर करुपा पिछुलिया, ग्राम भननपुर के पूर्व में छत्तरपुर जापला सड़क के निकट अभियान चलाने की एक उत्कृष्ट योजना बनाई। इस अभियान में सी आर पी एफ 13 बटालियन और जिला पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। अंततः 01.30 बजे दो मोटरसाइकलें दिखाई दीं और जब वे निकट आई तो सभी छः माओवादियों को रुकने और समर्पण करने का निदेश दिया गया। लेकिन उन्होंने अधिकारियों और जवानों की हत्या करने की मंशा से अत्याधुनिक हथियारों से इन पर गोलियों की बौछार कर दी और वे एक-दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे थे। अधिकारियों ने इस पर जोर से कहा कि वे पुलिस अधिकारी हैं इसलिए उग्रवादी गोलीबारी करना बंद कर दें और समर्पण कर दें। लेकिन उद्दत और दृढ़ निश्चई उग्रवादियों ने गोलीबारी जारी रखी। उग्रवादियों की गोलीबारी से मजबूर हो कर ए.एस.पी. संदीप कदम बसंत और उप-निरीक्षक विजय कुमार ने बल को निदेश दिया कि वे अपनी सुरक्षा में और सरकारी हथियारों और गोलाबारूद की रक्षा करने के लिए गोलीबारी करें और उग्रवादियों को अपने कब्जे में करें। इसके परिणामस्वरुप गोलीबारी फिर शुरु की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है

कि अधिकारियों ने अभियान के दौरान आपवादिक साहस और निर्भीकता का परिचय दिया। ए.एस.पी. संदीप कदम बसंत और उप-निरीक्षक विजय कुमार ने गोलियों की बौछार को निष्क्रिय किया और रणनीतिक दृष्टि से साहसिक आधार पर उस उग्रवादी की ओर बढ़े जो पुलिस पर गोलबारी कर रहा था तथा ये उस उग्रवादी को हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफल हो गए। बाद में उसने अपने आपको जोनल कमांडर प्रमोद सिंह उर्फ कनकटा बताया। इस अभियान के परिणामस्वरूप तीन उग्रवादियों को जीवित पकड़ा गया, कई हथियार, गोलीबारूद, उग्रवादी साहित्य, विंडोलिया, लेवी के रूप में वसूला गया एक लाख रुपए नकद बरामद किया गया और एक खूंखार उग्रवादी गिरफ्तार किया गया जबकि दो उग्रवादी परिस्थितियों के कारण भाग खड़े होने पर मजबूर हो गए। पूछताछ करने पर उग्रवादियों ने अपनी पहचान प्रमोद सिंह उर्फ कनकटा उर्फ अजय जी, सुनील यादव और मुरारी यादव के रूप में दी और मृत उग्रवादी की पहचान जोनल कमांडर संजय यादव उर्फ अमृत जी के रूप में की। इन सभी माओवादियों ने पलामू जिले और बिहार और झारखंड में पड़ने वाले आस-पास के जिलों में आतंक फैला रखा था।

अभियान के बाद निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में उन वस्तुओं की सूची तैयार की गई जिन्हें जब्त किया गया था और छतरपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 333, 307, 386, 387, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(16)क, 26, 27, 35 और 17 सी.एल.ए. अधिनियम के तहत दिनांक 25.02:2008 को मामला सं. 32/2008 दर्ज किया गया था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संदीप कदम बसंत, अपर पुलिस अधीक्षक और विजय कुमार, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.02.2008 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.78-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री रामेश्वर सिंह यादव
उप मंडल पुलिस अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

शिव दयाल जाटव और जबर सिंह लोदी की अगुवाई में डकैतों का एक कुख्यात गैंग कुछ वर्षों से दतिया जिले के स्योंधा उप-प्रभाग में सक्रिय था। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार ग्वालियर के जिला भिंड के लाहर सर्कल और बेहट सर्कल तक कर लिया था तथा फिरौती के लिए हत्या, डकैती और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में बदनामी मोल ली थी। दतिया जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश के जालौन और झांसी जिलों को छूती हैं और इस तरह उनका गैंग, अंतर्राज्य में सक्रिय गैंग था। दतिया जिले की पुलिस के इतिहास में दिनांक 8 जनवरी, 2008 का दिन यादगार दिन था जब उप-मंडल अधिकारी (पुलिस), स्योंधा, जिला दतिया (मध्य प्रदेश) श्री रामेश्वर सिंह यादव को अपने विश्वसनीय मुखबिर से यह महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कुख्यात डकैत शिव दयाल जाटव अपने दो सहयोगियों के साथ ग्राम पहाड़ी, पुलिस स्टेशन थारेट के निकट शेरगढ़ में मौजूद है। इस सूचना पर एस डी ओ पी स्योंधा श्री रामेश्वर सिंह यादव ने तुरंत कार्रवाई की और स्योंधा पुलिस स्टेशन में उपलब्ध पुलिस कार्मिकों के साथ पुलिस स्टेशन थारेट की ओर कूच किया। पुलिस स्टेशन थारेट पर स्टेशन अधिकारी को बुलाया गया और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पी.एस. थारेट में उपलब्ध कार्मिकों को लेकर ग्राम पहाड़ी की ओर कूच किया गया। शेरगढ़ (ग्राम पहाड़ी) पहुंच कर श्री यादव ने पुलिस बल को दो भागों में विभाजित किया (पहली पार्टी का नेतृत्व स्वयं श्री यादव ने किया और दूसरी पार्टी का नेतृत्व एस ओ थारेट ने किया)। डकैतों के छिपने के सही स्थान का पता तब चला जब संभवत: डकैतों ने गर्माहट लाने के लिए आग जलाई हो,तो वह आग इन्हें दिखाई दी। श्री यादव ने दूसरी पार्टी को निदेश दिया कि वे उस स्थान के निकट जाएं और उसे घेर लें। पहली पार्टी ने आस-पास की झाड़ियों में घात लगाई। जब दूसरी पार्टी अपेक्षित स्थल (शेरगढ़) पहुंच गई तो इन्होंने डकैतों से कहा कि वे समर्पण कर दें लेकिन उन्होंने पुलिस की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरी पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। इस पर दूसरी पुलिस पार्टी ने भी अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी कर दी। इसके बाद श्री यादव ने उन डकैतों को समर्पण करने

के लिए कहा जो जंगल में भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने श्री यादव की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन पर भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इस गोलीबारी में डकैतों की एक बुलेट श्री यादव के सिर के ऊपर से निकल गई जिससे ये बाल-बाल बचे। इससे पहले कि डकैत जंगल में भागते श्री यादव ने अपने बचाव में डकैतों की ओर जबाबी गोलीबारी कर दी और अपने कार्मिकों को भी प्रेरित किया कि वे भी नियंत्रित गोलीबारी करें। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि अपने जीवन को गहरे खतरे में डाल कर कोई स्थाई निर्णय लिया जाना था। इसके बाद ये अपने घुटनों के सहारे रेंगते हुए कुछ दूरी तक गए और गोलीबारी शुरु कर दी, इससे एक डकैत गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इस डकैत की पहचान शिव दयाल जाटव के रूप में हुई जिस पर आई जी पी चंबल रेंज, ग्वालियर ने 15,000/-रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी। इस डकैत शिव दयाल जाटव ने उस क्षेत्र में आतंक फैला रखा था और उसके मारे जाने से ग्रामीणों को बहुत अधिक राहत मिली। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

1. एक 12 बोर डबल बैरल (सं. 177739-2000)
2. मृतक शिव दयाल की कमर से एक बैंडोलीर जो काले रंग की थी जिसमें जीवित राउंद थे तथा इनमें से दो, 12 बोर के बट में थे।
3. स्थल से एक टूटी हुई गोली के साथ 12 बोर की गोलियों के खाली हिस्से। 315 बोर के 5 खाली हिस्से।

इस मुठभेड़ में श्री रामेश्वर सिंह यादव, उप-मंडल पुलिस अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.01.2008 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.79-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का पांचवां बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त — (वीरता के लिए पुलिस पदक का 5वां बार)
2. मनोज दीक्षित, निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. रणबीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. अशोक त्यागी, सहायक उप-निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
5. सतीश, हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
6. हरीश कुमार, हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
7. देवेन्द्र, हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 05.05.2006 को विशेष कक्ष/एन डी आर में सूचना मिली कि अयूब उर्फ लंबरदार उर्फ आजम उर्फ मास्टरजी, जो दिल्ली/एन सी आर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि में 70 से अधिक जघन्य मामलों में संलिप्त था, जो एक कुख्यात डकैत है, जिस पर पुरस्कार की घोषणा की गई है और जो अंतर्राज्य डकैत है, वह दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में डकैती डालने के लिए अपने खतरनाक हथियारों के साथ सोनिया विहार पुस्ता होते हुए सफेद रंग की टाटा सुमो सं. यू पी.। आई ई-3770 में अपने साथियों के साथ दिल्ली आएगा। इस जानकारी के आधार पर ए सी पी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम पांचवां पुस्ता सोनिया विहार, दिल्ली पहुंची और तदनुसार इन्होंने मोर्चा संभाला। अपराह्न लगभग 10.45 बजे उक्त टाटा सुमो ट्रोनिका सिटी की तरफ से आई और पुलिस पार्टी ने उसे रुकने का संकेत दिया लेकिन इसके ड्राइवर ने

इसकी गति बढ़ा दी जिसके कारण वह वाहन सड़क डिवाइडर से टकरा गया। जैसे ही वाहन सड़क डिवाइडर से टकराया वैसे ही वाहन में सवार छः लोग, जिनमें से दो की पहचान असलम और अयूब के रूप में हुई, पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बाहर कूदे और भागने के लिए पश्चिम की ओर दौड़ पड़े। उन खतरनाक डकैतों द्वारा चलाई गई गोलियां, ए सी पी संजीव यादव और निरीक्षक एस.के. गिरी की बुलेट प्रूफ जैकेट के बीच में लगी और निरीक्षक मनोज दीक्षित, उप-निरीक्षक, रणबीर सिंह, उप-निरीक्षक अशोक त्यागी, हैड कांस्टेबल सतीश कुमार, हैड कांस्टेबल हरीश कुमार और हैड कांस्टेबल देवेन्द्र के करीब से निकल गईं। इस पर तुरंत ही ए सी पी संजीव कुमार यादव और निरीक्षक मनोज दीक्षित ने पूर्व की ओर मोर्चा संभाला जब कि निरीक्षक एस.के. गिरी और हैड कांस्टेबल हरीश कुमार ने ए सी पी के दाहिनी ओर मोर्चा संभाला ताकि डकैतों को रोका जा सके। उप-निरीक्षक रणबीर सिंह और हैड कांस्टेबल देवेन्द्र ने निरीक्षक एस.के. गिरी के दाहिनी ओर मोर्चा संभाला और उप-निरीक्षक अशोक त्यागी, हैड कांस्टेबल सतीश कुमार ने ए सी पी के बांये और तिरछे में मोर्चा संभाला ताकि डकैतों को रोका जा सके। पुलिस टीम ने सभी 6 खूंखार डकैतों को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करनी जारी रखी। उक्त पुलिस अधिकारियों ने उस समय आपराधिक साहस का परिचय दिया और इस भावना को ध्यान रखते हुए कि कोई पुलिस कर्मी हताहत न हो और डकैतों को गिरफ्तार किया जाए, इन्होंने अपनी रक्षा में गोलीबारी शुरु कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बीच एक डकैत, घोर अंधेरे और घनी झाड़ियों के कारण भागने सफल हो गया, उसका पीछा किए जाने पर भी उसे पकड़ा नहीं जा सका, जब कि 5 अपराधियों को गोलियां लगीं, घायल अपराधियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत लाया गया, घोषित किया गया। खूंखार डकैतों से दो 9 एम एम पिस्तौल और 29 जीवित गोलियां, एक .32 रिवाल्वर, दो .32 पिस्तौल, डिटोनेटर के साथ एक जीवित हैंड ग्रेनेड, 4 जीवित गोलियों के साथ 315 बोर की एक देशी पिस्तौल, एक चाकू, एक टाटा सुमो कार, चलाई गई गोलियां आदि बरामद हुई। कानून की संगत धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन खजूरी खास, दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया। विशेष कक्ष की यह टीम, उन खूंखार अपराधियों के गैंग को गिरफ्तार करने पर कार्रवाई कर रही थी जो वर्ष 2006 की पहली तिमाही में दिल्ली/एन सी आर में सशस्त्र डकैतियां/लूटपाट की बहुतायत वारदातें कर रहे थे। गैंग को पकड़ने की पुलिस के लिए यह खुली चुनौती थी। विशेष कक्ष की टीम ने आसूचना एकत्र की और अंततः अयूब उर्फ लंबरदार उर्फ आजम मास्टर जी के उस कुख्यात, अंतर्राज्य गैंगस्टर को पकड़ने में सफल हुई जिस पर पुरस्कार रखा गया था और जो सरधाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश का था। यह गैंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि में हत्या, हत्या की कोशिश, पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने, डकैती, लूटपाट करने, एन डी पी एस अधिनियम, एन एस ए, गैंगस्टर आदि में 70 से अधिक जघन्य अपराधों और दिल्ली/एन सीआर में कई सशस्त्र डकैतियों और लूटपाटों में भी संलिप्त था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त, मनोज दीक्षित, निरीक्षक, रणबीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, अशोक त्यागी, सहायक उप-निरीक्षक, सतीश, हैड कांस्टेबल, हरीश कुमार, हैड कांस्टेबल और देवेन्द्र, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का पांचवां बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05.05.2006 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.80-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. सुन्दर लाल गौतम, हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. देवी दयाल, हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

दिनांक 05.02.2008 को विशेष सेल टीम द्वारा डी टी सी बस स्टॉप लाडो सराय, महरौली में गिरोह सरगना मेहराज को घेरने के लिए जाल बिछाया गया। लगभग अपराह्न 8.15 बजे जब मेहराज की कुछ भनक लगी तब, हैड कांस्टेबल सुन्दर लाल गौतम और हैड कांस्टेबल देवीदयाल ने उस पर घेरा डालना शुरू कर दिया। मेहराज, जो कि एक चालाक लोमड़ी के समान था, ने आने वाली परेशानी को भाँप लिया और उसने एक उन्नत पिस्तौल निकाल ली। स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए हैड कांस्टेबल सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल उसकी ओर साथ ही साथ आत्मसमर्पण की चेतावनी देते हुए लपके। उनके कानूनी दिशानिर्देशों पर कोई ध्यान दिए बिना उस सरगने ने अपनी पिस्तौल का निशाना स्पेशल सैल को बनाया और वे दोनों अपनी जान की कोई परवाह किए बिना उस पर झपट पड़े।। बिना रुके हुए स्पेशल सैल के दोनों पुलिसकर्मियों ने गिरोह-सरगने का पीछा करना जारी रखा, उसने तब उनको पीछा न करने की चेतावनी देते हुए दो गोलियाँ चला दीं। दोनों गोलियां हैड कास्टेबल सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल के सीने में लगी परन्तु वे बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेट -प्रुफ जैकेट पहन रखे थे। अपनी छाती पर गोलियाँ झेल कर विचलित हुए बिना हुए भी हैड कांस्टेबल सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल आत्मरक्षा में सरकारी अस्त्र शस्त्रों के बिना ही दृढ उत्साह से सरगने को पकड़ने के लिए उस पर झपट पड़े। इसी बीच सरगने ने भी स्पेशल सैल के बहादुरों से भागना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए भी सरगने ने एक बार और फिर कांस्टेबल सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल जो कि लगभग उसके समीप ही थे, की ओर अपनी पिस्तौल दागी। किन्तु इस समय एच सी सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल ने सरगने को केवल एक ही गोली चलाने का मौका दिया और इससे पहले कि वह दूसरी गोली चला पाता वे दोनों उस पर झपट पड़े और उसे जमीन पर

गिरा दिया और तत्काल, उसकी पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली। ऐसा प्रतीत होता है कि जब्त की गई इटेलियन पिस्तौल में पाँच और जिन्दा कारतूस थे, जिसने पीछा करती हुई स्पेशल सैल और क्षेत्र में उपस्थित निर्दोष नागरिकों का जीवन खतरे में डाल दिया होता। अंततः हैड कांस्टेबल सुन्दर लाल गौतम और देवीदयाल द्वारा दर्शाई गई अतुलनीय स्वेच्छा, साहस और निःस्वार्थ भाव ड्यूटी के परिणामस्वरूप बाजी स्पेशल सैल के पाले में डाल दी। सरगना मेहराज इतना कुख्यात और खतरनाक था कि उसने अगस्त, 2007 में गुजरात में अपर पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशू शुक्ल पर प्राणघातक हमला कर दिया था जब वे गुजरात में डाली गई एक डकैती के मामले में उसे गिरफ्तार करने के लिए एटा गये थे।

अभियुक्त मेहराज उर्फ मिराज उर्फ गुड्डू उर्फ जावेद उर्फ पप्पू के कब्जे से इटली में बनी एक .32 इंगिलिश पिस्तौल, पाँच जिन्दा और 3 चले हुए कारतूसों सहित जब्त की गई। गोलीबारी के दौरान पुलिस द्वारा कुल तीन गोलियाँ चलाई गई थी। इस संबंध में पुलिस स्टेशन स्पेशल सैल, नई दिल्ली में दिनांक 05.02.2008 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/186/506 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 05/2008 दर्ज की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुन्दर लाल गौतम, हैड कांस्टेबल और देवीदयाल, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5.2.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.81-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अशोक कुमार, सहायक उपनिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

अगस्त, 2008 माह के दौरान श्री एच.जी.एस.धालीवाल, आई पी एस, पुलिस उपायुक्त, दक्षिण जिला, नई दिल्ली के पर्यवेक्षण में एक टीम खूंखार और खतरनाक डकैत ओम प्रकाश उर्फ बंटी के बारे में सूचना प्राप्त करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार काम कर रही थी। यह डकैत आई पी सी की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 11.07.2008 को पी एस अमर कालोनी में प्राथमिकी संख्या 248/08 के तहत दर्ज सनसनीखेज दोहरे हत्या के मामले, आई पी सी की धारा 302/397/394/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दिनांक 11.07.08 को पी एस डिफेंस कालोनी में प्राथमिकी संख्या 217/08 के तहत दर्ज हत्या के मामले, आई पी सी की धारा 302/34 के तहत दिनांक 05.07.08 को पी एस संगम बिहार में प्राथमिकी संख्या 364/08 के तहत दर्ज हत्या के मामले और आई पी सी की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के तहत दिनांक 12.07.08 को पी एस अम्बेडकर नगर में प्राथमिकी संख्या 317/08 के तहत दर्ज हत्या की कोशिश के मामले सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूटपाट के अधिकांश सनसनीखेज मामलों और अन्य जघन्य अपराधों में वांछित था। श्री एच.जी.एस धालीवाल, डीसीपी/ दक्षिण जिले के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस अपराधी के एक दशक से भी अधिक समय के इनके आपराधिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय और खूंखार चरण के संबंध में कई तरह की सूचना प्राप्त कर ली थी। टीम द्वारा की गई अत्यधिक खोजबीन और गहन फील्ड जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप टीम को उनके छिपने के स्थान ग्राम गढ़ी शेद्रा, नौएडा के बारे में पता चला जहां से वे दो मोटर साइकले बरामद की गई जिन्हे संगम विहार और एंड्रयूज गंज में गोलीबारी और हत्या करने के बाद लूटा गया था। इन मोटर साइकलों के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए जिनसे उनकी पहचान और संलिप्तता की पुष्टि होती है। ओम प्रकाश उर्फ बंटी, पी एस संगम बिहार का एक सक्रिय दुष्चरित्र था और पूर्व में वह हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट, शस्त्र अधिनियम और चोरी के 23 मामलों में संलिप्त था जब

कि राजेश उर्फ पन्नी भी शस्त्र अधिनियम और हत्या की कोशिश के मामलों में संलिप्त था। दिनांक 24.08.2008 को श्री एच.जी.एस. धालीवाल आई.पी.एस. पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला, नई दिल्ली को एक गुप्त सूचना मिली कि राजेश शर्मा उर्फ पन्नी के साथ खूंखार डकैत ओम प्रकाश उर्फ बंटी, सौरभ बिहार, जैतपुर गांव, बदरपुर,, नई दिल्ली क्षेत्र में एक नए स्थान पर छिपा हुआ है। श्री धालीवाल ने तत्काल अपनी विशेष टीम एकत्र की स्वयं ही इन्हें आवश्यक जानकारी दी और डकैतों के छिपने के संभावित स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिसरों पर छापा मारने के लिए श्री एच.जी.एस. धालीवाल, डीसीपी/दक्षिण जिला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। दिनांक 25.08.2008 की भोर में ही पुलिस टीम ने छिपने का स्थान घेर लिया और अपराधियों से समर्पण करने के लिए कहा। समर्पण करने के बजाए उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। श्री धालीवाल ने अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया और स्वयं आगे बढ कर टीम का नेतृत्व किया और कमरे का दरवाजा तोड़ कर उसमें घुस गए जबकि गोलीबारी तब भी जारी थी। इस कार्रवाई में एक गोली इनकी पसलियों के मध्य में जा लगी जो इनकी बुलेट प्रुफ जैकेट की ऊपरी परत में उलझ गई जिससे उनकी जान बच गई। क्रेक टीम के कमरे में घुसने के बाद भी वह डकैत कुछ समय तक गोलीबारी करता रहा और कुछ समय बाद ही उस खूंखार डकैत को मार गिराया गया। करों या मरों की ऐसी स्थिति में इनके अतुलनीय साहस, वीरोचित कृत्य कर्तव्यपरायणता और उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण श्री धालीवाल ने खूंखार डकैतों की लगातार गोलीबारी के सामने भी बिना भयभीत हुए आगे बढ कर नेतृत्व किया और उन डकैतों के छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया जब कि दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। निर्दोष लोगों और अपनी टीम के सदस्यों का जीवन बचाने के लिए इन्होंने अपने जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में श्री धालीवाल ने तीन गोलियां चलाई और इनकी टीम द्वारा की गई नियंत्रित गोलीबारी में पुलिस पार्टी को गंभीर रूप से घायल होने से बचाया जा सका। छिपने के स्थान की तलाशी लेने पर ओम प्रकाश उर्फ बंटी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का खूंखार डकैत और राजेश शर्मा उर्फ पन्नी, अचूक निशाने बाज, गोली लगने से गंभीर रूप से घायलवस्था में पड़े पाए गए जिन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाद में 'मृत लाया गया' घोषित किया गया पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने प्रत्येक डकैत पर 50,000/- रूपए के पुरस्कार की घोषणा की हुई थी और विभिन्न अदालतों द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उनसे 3 स्वचालित 09 एम एम पिस्तौल (2 यू एस ए में निर्मित और 1 चीन में निर्मित), 4 देशी पिस्तौल (.313 बोर), 2 चाकू, 1 खुखरी, .9 एम एम पिस्तौल के 4 अतिरिक्त खाली मैग्जीन और 22 जीवित गोलियां बरामद हुई।

<u>अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका</u>

सहायक उप-निरीक्षक अशोक कुमार: अंतर्राज्य डकैतों के साथ मुठभेड़ के दौरान जब दरवाजा तोड़ कर सहायक उप-निरीक्षक अशोक कुमार फ्लैट में घुसे तो दोनों खूंखार डकैत तब भी गोलीबारी कर रहे थे। इन्होंने सामने का दरवाजा तोड़ा और अपनी रक्षा और सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर इन्होंने उन डकैतों को ललकारा। इन्होंने जवाबी गोलीबारी भी की और अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया और डकैतों के निकट आकर इन्होंने अपने जीवन को गंभीर

खतरे में डाला। जब इन्होंने डकैतों का रास्ता रोक दिया तो उनका बच कर भागने का रास्ता बंद हो गया

इस मुठभेड़ में श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.08.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.82-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विवेकानंद झा, निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

निरीक्षक बदरीश दत्त के नेतृत्व में स्पेशल सैल के अधिकारियों की एक टीम ने और निरीक्षक वी एन झा और अन्य पुलिस कार्मिकों सहित बिहार के एक खतरनाक, कुख्यात और खूंखार गैंगस्टर (सरगना) नाग सिंह उर्फ निर्जेश सिंह निवासी मोकामा, पटना बिहार को और उसके सहयोगियों और भाई बृजेश सिंह उर्फ गोपाल को एक शूट आउट में गिरफ्तार किया था। नाग सिंह उर्फ निर्जेश सिंह लगभग 71 से अधिक हत्या के मामलों, हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़, जेल तोड़कर भागने, फिरौती के लिए अपहरण, चौथ-वसूली, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, राजमार्गों पर डकैती, और शस्त्र अधिनियम के तहत बहुत से अपराधों के लिए वांछित था। नाग सिंह उर्फ निर्जेश सिंह के कब्जे से 4 चले हुए और 2 जिन्दा कारतूसों सहित .38 बोर की एक रिवॉल्वर और 1 चला हुआ और 2 जिन्दा कारतूस सहित .315 बोर की एक देशी पिस्तौल उसके सहयोगी बृजेश सिंह से बरामद हुई। नाग सिंह की हाल ही में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सरगर्मी से तलाश थी। इस मुठभेड़ में उसने दो पुलिस कर्मियों, जो कि टीम का एक भाग थे, को मार दिया था जिसने नाग सिंह और उसके गैंग को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से एक घर को घेर लिया था। इस मुठभेड़ में नाग सिंह और उसके सहयोगियों ने पुलिस को आतंकित करने के लिए ए.के. 47 असॉल्ट रायफलें, सैल्फ लोडिंग रायफल (एस एल आर) और विस्फोटकों का प्रयोग किया था। इस घटना में नाग सिंह दो पुलिस कर्मियों को मारकर और कई अन्यों को घायल कर बच निकलने में सफल हुआ इसके अतिरिक्त वह बिहार सरकार में मंत्री रहे श्री बृज बिहारी प्रसाद के एक हाई प्रोफाइल हत्या मामले में भी वांछित था। इस हत्या के समय माननीय मंत्री अपने उच्च सुरक्षा कवच में आई जी आई एम एस कैम्पस के अति सुरक्षित कैम्पस में सुबह की सैर पर निकले हुए थे। यह अपराधी काफी समय से व्यापारियों, बिल्डरों, चिकित्सकों और ठेकेदारों से धन ऐंठने के बारे में उन्हें धमकाता रहता था और मना करने पर उसके गैंग के सदस्य उन्हें डराने-धमकाने के लिए विस्फोटकों का सहारा लिया करते थे। वे आतंक फैलाने के लिए किसी की हत्या करने की हद तक भी जा सकते थे।

गया सूचित किया गया है कि इसने बिहार में 400/500 व्यापारियों को धन ऐंठने की धमकी दी [illegible] करोड़ रुपए वसूलने में प्रयोग किया गया। यह खुलासा पुलिस स्टेशन, स्पेशल सेल, दिल्ली में दिनांक 23.2.2006 को आई पी सी की धारा 387/506/507/ 427/436/120-ख के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2006 से हुआ है। जुलाई, 2007 के प्रथम सप्ताह में सूचना प्राप्त हुई कि नाग सिंह, एक खूंखार गैंगस्टर और बिहार का अतिवांछित भगोड़े, ने अपनी शरणस्थली बदलकर दिल्ली कर ली है और वह दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बड़ी आपराधिक गतिविधियों को अन्जाम देने के बारे में सोच रहा है। इस सूचना को और भी विकसित किया गया और दिनांक 4.8.2007 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उपरि उल्लिखित नाग सिंह अपने सहयोगी के साथ जनकपुरी ए-ब्लॉक में लगभग 7.30 बजे अपराह्न शस्त्र और गोलाबारूद से लैस किसी घृणित अपराध को अंजाम देने के लिए आएगा। इस सूचना पर निरीक्षक बदरीश दत्त और निरीक्षक वी एन झा के नेतृत्व में एक टीम ने अन्य पुलिस कर्मियों सहित 1-1/ए-2 ब्लॉक, जनकपुरी नई दिल्ली, पंखा रोड पर अपनी पोजीशन ले ली। सायं लगभग 7.45 बजे मुखबिर ने उत्तम नगर की तरफ से आ रहे दो व्यक्तियों की ओर इशारा किया और उनकी पहचान नाग सिंह और ब्रजेश सिंह के रूप में की, जो ग्रीनबेल्ट के पास लगे ट्रैफिक सिग्नल के समीप कूड़ेदान के पास आकर रूक गए। दो-तीन मिनट के वार्तालाप के बाद जब इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल की ओर बढ़ना शुरू किया, निरीक्षक वी एन झा जो कि पुलिस की वर्दी में थे, ने जोर से उन्हें आत्म समर्पण करने को कहा। पास आती पुलिस को देखकर दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए। आत्मसमर्पण करने को कहा जाने के बावजूद उन्होंने बच निकलने के इरादे से पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उनकी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से निरीक्षक बदरीश दत्त और निरीक्षक वी एन झा, जो कि अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, गोलीबारी की परिधि में आ गए और उन्हें गोली लगी किन्तु बुलेट प्रुफ जैकेट पहने होने के कारण हताहत होने से बच गए। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में और उन्हें गिरफ्तार करने के उद्देश्य से गोलियाँ चलाई। गैंगस्टरों ने ग्रीन बेल्ट के पीछे पेड़ों की आड़ ले रखी थी। आपसी गोलीबारी का दौर दस मिनट तक चला और पुलिस टीम ने गैंगस्टरों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसी दौरान निरीक्षक बदरीश दत्त और निरीक्षक वी एन झा अपनी जान की परवाह किए बिना गोली चला रहे गैंगस्टरों की ओर दोनों तरफ से लपक पड़े और उन्हें मार गिराया।

नाग सिंह उर्फ निर्जेश सिंह के कब्जे से 4 चले हुए और 2 जिन्दा कारतूस सहित .38 बोर की एक रिवॉल्वर और ब्रजेश सिंह के कब्जे से एक चला हुआ और दो खाली कारतूस सहित .315 देशी पिस्तौल बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, स्पेशल सैल (एस बी), लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में दिनांक 13/10/2005 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/186/353/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/67 द्वारा दर्ज किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री विवेकानन्द झा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4.8.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.83-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. शाहाब राशिद खान (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   पुलिस उपाधीक्षक,
2. विनय कुमार गौतम, (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   उपनिरीक्षक
3. गजेन्द्र पाल सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   हैड कांस्टेबल
4. अनिल कुमार सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

दिनांक 1/05/2007 को लखनऊ में एक लड़के मोहित चन्दानी, आयु 16 वर्ष, का विद्यालय जाते समय अपहरण हो गया। यह एक सनसनीखेज अपराध की घटना थी जो दिन-दिहाड़े हुई थी। कुछ ही घण्टों बाद अपहर्ताओं ने उसे मुक्त करने की एवज में 50 लाख की फिरौती की मांग की। इस अपराध की सूचना प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से दी गई और यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। लड़के को अपहर्ताओं के कब्जे से सुरक्षित बचाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्य बल के नेतृत्व में एक एस टी एफ (विशेष कार्य बल) का गठन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा किए गए आसूचना के संग्रह और अन्वेषण से पता चला कि अपहृत लड़के को बाराबंकी जिले के गणेशपुर गाँव में एक खंडहरनुमा घर में कैद किया हुआ था। ए एस पी के नेतृत्व में टीम शीघ्र ही उस गाँव पहुँच गई और उस क्षेत्र की विस्तृत और गहन जाँच की। बचाव अभियान शुरू करने से पहले ए एस पी ने अपनी कमान को दो भागों में बाँट दिया जिसमें से एक का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया और दूसरी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री शाहाब रशीद खान को सौंप दिया। दोनों ही टीमों ने तब योजनागत रूप से अभियान की शुरूआत की। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम को देखकर अपहर्ताओं ने अपने हथियारों से मकान के अन्दर से गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों से गोलीबारी बन्द करने

और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी किन्तु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने गोलीबारी जारी रखी। जैसी कि योजना बनाई गई थी पुलिस उपाधीक्षक शाहाब राशीद खान और हैड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह चतुराई से मकान की चहारदीवारी में प्रविष्ट हुए और अपराधियों को अपने साथ गोलीबारी में उलझाए रखा जिन्होंने मुठभेड़ में आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। गोलियों की बौछार को झेलते हुए एस टी एफ टीम ने मुठभेड़ का अन्त कर दिया और दोनों अपहर्ताओं को मार गिराया और अपहर्ताओं के कब्जे से मोहित चंदानी को जीवित बचा लिया। इस मुठभेड़ में श्री साहब राशिद खान, पुलिस उपाधीक्षक, एस टी एफ, उपनिरीक्षक विनय कुमार गौतम, हैड कांस्टेबल गजेन्द्र पाल सिंह और हैड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह ने ड्यूटी के प्रति समर्पण का उच्च स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत किया और शौर्य एवं साहस का प्रदर्शन किया। अपने जीवन को जोखिम में डालकर वे मकान की चारदीवारी में घुसे जिसमें अपहर्ता छिपे हुए थे। उन्हें मुठभेड़ में उलझाया और मार गिराया। वे अपहृत बालक मोहित चन्दानी को जीवित बचा लेने में भी सफल हुए।

पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की सूची निम्नानुसार है :

1. दो देशी .315 बोर की पिस्तौले
2. जिन्दा कारतूस .315 बोर- 04
3. खाली कारतूस .315 बोर-06
4. अभियुक्त योगेन्द्र यादव का अपना फोटो लगा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस।
5. रिंकू के पक्ष में मोटर साइकिल संख्या यूपी-32 बी एल/ 2248 का पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. मोहित चन्दानी उम्र 16 वर्ष, जिसका कि अपराधियों ने अपहरण कर लिया था।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री शाहब राशीद खान, पुलिस उपाधीक्षक विनय कुमार गौतम, उपनिरीक्षक, गजेन्द्र पाल सिंह, हैड कांस्टेबल, और अनिल कुमार सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 08.05.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.84-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. एम अशोक जैन, (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. सूर्य नाथ सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

देव कुमार यादव के नेतृत्व में डकैतों के एक गैंग की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए इटावा के एस एस पी श्री एम. अशोक जैन और औरैया के पुलिस अधीक्षक श्री सूर्य नाथ सिंह ने जिला औरैया के पुलिस स्टेशन अयाना के गाँव असेवटा के निकट यमुना नदी के किनारे एक खोज-बीन अभियान चलाया। अभियान को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी को तीन भागों में बाँटा गया। एक पार्टी का नेतृत्व एस एस पी इटावा श्री जैन ने, दूसरी का श्री एस एन सिंह एस पी औरैया ने तथा तीसरी पार्टी का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक/सी.ओ अजीतमल ने किया। सी ओ अजीतमल के नेतृत्वाधीन पुलिस पार्टी ने पहले डकैतों के गैंग के देखाऔर उन्हें चेतावनी दी। इस पर डकैतों, ने जो कि नदी किनारे छिपे हुए थे, पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे एक डकैत मारा गया। बचे हुए डकैतों ने आड़ लेकर पुलिस पर गोलीबारी करना जारी रखा। इस समय तक, एस एस पी, इटावा श्री जैन और एस पी औरैया श्री एस एन सिंह के नेतृत्व वाली पार्टियां घटना स्थल पर पहुंच गईं। डकैतों और पुलिस के बीच परस्पर गोलीबारी जारी रही। पुलिस बल ने तब धीरे-धीरे बुलेट-प्रुफ जैकेट ट्रेक्टर की मदद से घेरे को संकरा करना शुरू किया। डकैतों को आत्मसमर्पण करने को कहा गया। इसके विपरीत उन्होंने गोलियाँ चलाकर जवाब दिया। सामने से बहादुरी पूर्वक नेतृत्व करते हुए इटावा के एस एस पी श्री जैन और औरैया के एस पी श्री एस एन सिंह बाजरे के खेतों में घुस गए जहाँ कि डकैत छुपे हुए थे। दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की लड़ाई छिड़ गई जिसमें उक्त अधिकारियों ने उच्च स्तरीय साहसपूर्ण और शौर्यपूर्ण भूमिका अदा की और डकैतों द्वारा की गई गोलीबारी में बाल-

बाल बचे। इस मुठभेड़ में, जो कि छह घण्टे तक चली, गैंग सरगना देव कुमार यादव सहित तीन डकैत मारे गए। गैंग के पास से चार अपहृत व्यक्तियों को भी मुक्त करा लिया गया।

पुलिस को घटना स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई:-

1. एक रायफल .315 बोर देशी, 50 जिंदा और 30 खाली कारतूस
2. एक फैक्ट्री में बनी .315 बोर की रायफल।
3. .303 बोर की प्रतिबंधित रायफल, 13 जिन्दा और 15 खाली कारतूस
4. फैक्ट्री में बनी एक 12 बोर की एस बी बी एल बन्दूक, 26 जिन्दा और 15 खाली कारतूस
5. एक डबल बैरल .315 बोर की देशी बन्दूक, 25 जिन्दा और 22 खाली कारतूस

इस मुठभेड़ में श्री एम. अशोक जैन, एस एस पी. और श्री सूर्य नाथ सिंह एस पी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.9. 2006 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.85-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. बिजेन्दर सिंह त्यागी,
   निरीक्षक
2. श्याम सुन्दर
   उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान दिया गया</u>

वीरी सिंह उर्फ वीरा, फिरोजाबाद का कुख्यात अपहरणकर्ता था और उसकी गिरफ्तारी के लिए 20,000/- रुपए का इनाम रखा गया था। दिनांक 11/12/2008 को निरीक्षक बिजेन्दर सिंह त्यागी, उप निरीक्षक श्याम सुन्दर एवं विशेष कार्य बल के अन्य सदस्यों के साथ करीब 0050 बजे आगरा शहर के चौराहा राम बाग पहुंचे। यह सूचना थी कि वीरी सिंह और उसका शागिर्द घातक हथियारों के साथ मोटर साइकिल से तेधी बगिया की ओर आएंगे। लगभग 0145 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेधी बगिया की ओर जाती हुई एक मोटर साइकिल दिखायी दी। मुखबिर ने मोटर साइकिल सवारों की पहचान वीरी सिंह और उसके शागिर्द के रूप में की। इसी दौरान, वीरी सिंह और उसका शागिर्द घेराबन्दी होने की आशंका से आगरा शहर के कालिन्दी विहार की ओर भागने लगे। वीरी सिंह ने अकस्मात् अपनी मोटर साइकिल को शहरी गरीब योजना की श्री कांशीराम परियोजना के उत्तरी-पश्चिमी ओर डिवाइडर के पास सड़क के किनारे खड़ी की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी मोटर साइकिलों को छोड़कर निरीक्षक, बिजेन्दर सिंह त्यागी और उपनिरीक्षक श्याम सुन्दर ने पोजीशन लेकर जोर से अपराधियों को चुनौती दी और उन्हें समर्पण करने की चेतावनी दी। अपराधीगण निरीक्षक बिजेन्दर सिंह और उप निरीक्षक श्याम सिंह पर गोलियां चलाते रहे। तब दोनों ने अपराधियों पर दबाव बनाने और अपनी रक्षा के लिए आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस पर अपराधियों ने निरीक्षक बिजेन्दर सिंह त्यागी और उपनिरीक्षक श्याम सुन्दर पर जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। ये दोनों अधिकारी और दल के अन्य सदस्य अपराधियों की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी का सामना करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर समुचित पोजीशन लेते हुए और आत्मरक्षा में गोलीबारी करते हुए तथा अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए अपराधियों

की ओर बढ़ते रहे। इस तरह वे सड़क की उत्तरी तरफ पहुंचे क्योंकि उनकी जान को खतरा था और इस प्रकार वे कई बार बाल-बाल बचे क्योंकि दुर्दान्त अपराधी उन पर अंधाधुंध और लगातार गोलीबारी कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद 0230 बजे जब गोलीबारी बन्द हुई, तो निरीक्षक त्यागी और उप निरीक्षक श्याम सुन्दर आगे बढकर गए और पाया कि वीरी सिंह चारदीवारी से 15 फीट आगे झाड़ियों के पास मृत अवस्था में पड़ा था और दूसरा अपराधी धीरेन्दर जाट उर्फ नन्हें चारदीवारी से 15.20 फीट की दूरी पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इसमें निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

1. यू एस ए निर्मित .32 बोर एक पिस्टल, . 5 जिन्दा कारतूस और .32 बोर के 9 खाली खोखे।
2. 315 बोर का देशी पिस्टल, 315 बोर के 8 जिन्दा कारतूस, 8 खाली खोखे और एक मिसफायर कारतूस।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बिजेन्दर सिंह त्यागी, निरीक्षक और श्याम सुन्दर, उपनिरीक्षक ने उत्कृष्ट बहादुरी, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12.10.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.86-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम रायफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एम. खैको खैयाम

राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

सौरा सामान्य क्षेत्र में पिपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पीयू एल एफ) (आजाद घटक) के भूमिगत 8-10 सदस्यों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर दिनांक 16 अक्तूबर, 2007 को करीब 2330 बजे 34 असम राइफल्स द्वारा थाऊबल पुलिस कमाण्डो के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। 34वीं असम राइफल्स के राइफलमेन (सामान्य ड्यूटी) एम खैको खैयाम ने अपने दस्ते को मेजर एस एस नागियाल, आई सी 60492 एम के अधीन अग्र स्काउट के रूप में जाने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस कमाण्डो का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक एन टी मेतैई द्वारा किया गया। दिनांक 17 अक्तूबर को करीब 0345 बजे जैसे ही टुकड़ी ने अपनी घात लगाने वाली स्थिति की ओर बढ़ना शुरू किया तो 05-06 भूमिगत सशस्त्र उग्रवादियों को लाइचिंग मिनाव गांव से आते हुए देखा गया। जैसे ही उन्हे ललकारा गया उन उग्रवादियों ने गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। पहल करते हुए, आक्रमक भावना के साथ और अपने निजी जीवन की सुरक्षा की परवाह न करते हुए, राइफलमैन एम के खैयाम ने अपनी पूर्ण चतुराई का परिचय देते हुए, वह तत्काल बेहतर गोली बारी करने की पोजीशन की ओर तेजी से आगे बढ़े और अपनी कारगर गोलीबारी से एक उग्रवादी को मार गिराया। संयुक्त दल ने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और अपनी गन फाइट शाट से दो और उग्रवादियों को मार गिराया जबकि अन्य उग्रवादी अंधेरे और घनी झाड़ियों का सहारा लेते हुए भागने में सफल रहे। इस कार्रवाई में पी यू एल एफ (आजाद) के निम्नलिखित उग्रवादियों को मारा गया था:-

(i) एस एस डिप्टी होम सेक्रेट्री अब्दुल करीम उर्फ लालब्याय

(ii) एस एस प्राइवेट जहीरखान उर्फ खान उर्फ जीरीबम

(iii) एस एस प्राइवेट सयीद खान उर्फ हेनरी

मारे गए उग्रवादियों के पास से निम्नलिखित चीजें बरामद हुई:

(i) एके-47 राइफल, मैगजीन और 18 जिन्दा कारतूस
(ii) सिंगल बोर शाट गन (देशी) और दो कारतूस
(iii) चाइनीज हथगोले (सशस्त्र)
(iv) रेडियो सेट (केनवुड)
(v) पाउचेस और मोबाइल फोन:
(vi) 22 फायर किए गए खाली कारतूस

इस मुठभेड़ में श्री एम. खैको खेयाम, राइफलमैन ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17.10.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.87-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कृष्णन कुट्टी
नायब सूबेदार

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

दिनांक 28 दिसम्बर, 2008 को एक भूमिगत मणिपुरी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हलचल के संबंध में निजी स्रोत से प्राप्त और कड़ी मेहनत से विकसित की गई कार्रवाई योग्य आसूचना के आधार पर, घाटक प्लाटून ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास विशेष अभियान चलाया। जब पार्टी 28 दिसंबर, 2008 को लगभग 0200 बजे गोवाजांग गांव के निकट रास्ते की ओर बढ़ रही थी तभी स्काउट सदस्य एक को संदिग्ध हलचल होने का एहसास हुआ, वह तत्काल निकटस्थ झाड़ियों में छिपने गया। जब वह व्यक्ति बिलकुल नजदीक आ गया तो सैन्य दल के एक सदस्य ने उसे ललकारा, तो उस अनजान व्यक्ति ने तत्काल एक ग्रेनेड फेंका जो नायब सूबेदार/जनरल ड्यूटी कृष्णन कुट्टी के बिल्कुल पास ही फटा जो मार्चिंग दस्ते के दूसरे नम्बर पर थे। इस समय तक उस भूमिगत व्यक्ति ने भागना शुरू कर दिया। नायब सुबेदार कृष्णन कुट्टी ने पहल की और अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया जो पीछे की ओर गोली चलाता हुआ भाग रहा था। लगभग 300 मीटर तक तेजी से पीछा करते हुए, जूनियन कमीशनड आफीसर अकेले ही मुठभेड़ की और एक जगह पर उसे मार गिराया। उनके पैरों की गति सराहनीय थी क्योंकि जूनियर कमीशनड आफीसर के पास युद्ध सामग्री का पूरा सामान था जबकि उग्रवादी के पास हल्का साजसामान था। उस भूमिगत उग्रवादी की पहचान स्वयंभू लेफ्टीनेन्ट बिमल सिंह, गैर कानूनी ग्रुप का इंटेलीजैंस आफीसर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्रुप था। उसके पास से फेस एक 38 कोल्ट पिस्टल मय गोला-बारूद के बरामद किया गया। पी एल ए के सूचना अधिकारी को मार-गिराने से उस संगठन को गम्भीर क्षति हुई और उसकी गतिविधियां काफी हद तक लड़खड़ा गयी।

इस मुठभेड में, श्री कृष्णन कुट्टी, नायब सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28.12.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.88-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रवीन्द्र सिंह,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

दिनांक 13 जून, 2009 को राइफलमैन/जनरल ड्यूटी रवीन्द्र सिंह, मेजर यू.के नायर द्वारा तैयार की गई घात कार्रवाई आधारित एक विशिष्ट आसूचना का अहम अंग था। लगभग 0330 बजे घात कार्रवाई दल ने लोकचाओं नाला रास्ते के चौराहे वाले क्षेत्र में कुछ गतिविधि का पता लगने के बाद, उस किलिंग स्थल में उन संदिग्ध व्यक्तियों के आने का इन्तजार किया। ललकारने पर उन संदिग्ध व्यक्तियों ने अपने स्वचालित आग्नेयास्त्रों और लैथड़ शेलों से जवाबी फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। राइफलमैन/जनरल ड्यूटी रवीन्द्र सिंह ने मेजर नायब को आगे बढ़ने के लिए प्रभावी कवरिंग फायर प्रदान किया जिससे वे एक भूमिगत को मार सके। दूसरे यू जी को भागते हुए देखकर राइफलमैन/जनरल ड्यूटी रवीन्द्र सिंह ने अभीष्ट पेशेवरता और अदम्य साहस के साथ छुपी हुई पोजीशन में उस उग्रवादी को भी मार गिराया। दोनों उग्रवादी दुर्दान्त भूमिगत संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, असम से संबंधित थे।

इस वीरतापूर्ण कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क):	जी-3 राइफलें	- 1 नग
(ख):	कारगर आर डी	- 4 नग
(ग):	यू. एस. निर्मित लैथड़	- 1 नग
(घ):	जिन्दा बम लैथड़	- 1 नग
(ड.):	एस सी सी लैथड़	- 3 नग
(च):	चाइनीज हथगोले	- 2 नग

इस मुठभेड़ में श्री रवीन्द्र सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13.06.2009 से दिया जाएगा।

वरुण मिश्रा

(वरुण मिश्रा)
संयुक्त सचिव

सं.89-प्रेज/2010, राष्ट्रपति असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस. राजू सिंघा,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

राइफलमैन जनरल ड्यूटी एस.राजू सिंघा दिनांक 3 जुलाई 2009 को जनरल क्षेत्र में उग्रवादियों की धरपकड़ करने के लिए भेजी गई घात कार्रवाई का एक अंग था। वह अपनी उच्च रणनीति का इस्तेमाल करने स्काउट के रूप में नेतृत्व करने का इच्छुक था, इसलिए उसने सावधानी का परिचय देते हुए अगली सुबह बड़े कौशल के साथ इस घात कार्रवाई का नेतृत्व करते हुए मौके पर पहुंच गया। उसने मार्ग में कुछ हलचल का पता लगाया। उसने संदिग्ध व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर होने वाली क्षति से आगाह करते हुए ललकारा। इस पर दो आंतकवादी भारी गोलीबारी करने लगे। यह घात कार्रवाई आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए दल द्वारा स्वयं बनाई गई थी। राइफलमैन राजू सिंघा ने अपनी पोजीशन लेकर उग्रवादियों पर भारी मात्रा में जवाबी गोलीबारी की। यह भीषण गोलीबारी की लड़ाई 15 मिनट तक चलती रही। उन्होंने यह अन्दाजा लगाया कि ऐसे में उग्रवादी अपनी टुकडी में किसी को हताहत कर सकते हैं, अतः उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए, अपनी दिशा को बदला और खतरनाक स्थिति को झेलते हुए उग्रवादियों पर उनके एक तरफ से गोलीबारी की और उन्हें अचम्भे में डालते हुए एक को मार गिराया। यह कार्रवाई दो और आतंकवादियों के मारने के पश्चात शाम तक समाप्त हुई और उसमें हथियारों एवं गोला-बारूद की भारी बरामदगी हुई। राइफलमैन राजू सिंघा ने सामने से मोर्चा संभाला और अदम्य साहस और वीरता से घातक खतरे का सामना किया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई:-

(क):	एक -47	-01 नग
(ख):	मेगजीन –एके-47	-01 नग
(ग):	कारगर आरडी एके-47 -	01 नग
(घ):	एफ सी सी ए.के.-47	-09 नग
(ड.):	स्टेन मशीन कारबाइन	-01 नग

(घ):	मैगजीन- एसएमसी	-01 नग
(छ):	कारगर आर डी एस एस सी	-02नग
(ज):	एफ सी सी एसएमसी	-03 नग
(झ):	आईईडी	-02नग
(त्र):	चाइनीज हथगोले	-06 नग

इस मुठभेड़ में श्री एस. राजू सिंघा, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 03.07.2009 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा।

(वरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.90-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री नोकजार, राइफलमैन -(मरणोपरान्त)

<u>इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

14 अप्रैल 2009 को राइफलमैन नोकजार कमांडैट क्युक रिएक्शन टीम का सदस्य था । वह लाईट मशीन गन मेंबर-1 के तौर पर पायलट प्रोटेक्शन जिप्सी में था ।

उस समय गहन निगरानी कर रहा था जब मूविंग क्विक रिएक्शन टीम भीषण गोलीबारी की चपेट में आ गयी। राइफलमैन नोकजार ने तुरन्त अपनी लाइट मशीन गन से जवाबी गोलीबारी की और तत्पश्चात टीम को फायर की दिशा का संकेत दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर राइफलमैन नोकजार वाहन से कूद पड़ा और भूमिगतों पर कारगर गोलीबारी करने के लिए पोजीशन ले ली। भागते हुए भूमिगतों को रोकते समय हुए गन-शॉट घाव के बावजूद भी वह कारगर गोलीबारी करता रहा। फिर उसने देखा कि राइफलमैन (जनरल ड्यूटी) तोकीवी येपथो, लाइट मशीनगन नं0-2, गोलीबारी में गम्भीर रूप से घायल है। राइफलमैन नोकजार ने राइफलमैन तोकीवी येपथो को प्राथमिक चिकित्सा दी। चूंकि राइफलमैन तोकीवी येपथो के तेज खून बह रहा था, अतः राइफलमैन नोकजार उसे ड्रेसिंग के लिए फील्ड में ले गया और उसका उपचार किया और इसके साथ ही भूमिगतों पर कारगर गोलीबारी करता रहा। इसी बीच, गोली की बौछार उसकी ओर आयी किन्तु वह तब तक भूमिगतों के साथ लड़ता रहा जब तक कि उसने घावों की वजह से अन्तिम सांस नहीं ले ली। इस प्रकार, स्वर्गीय राइफलमैन नोकजार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस, दृढ निष्ठा, उच्च कोटि की कमाण्डरी के साथ देशभक्ति का परिचय दिया है। इस प्रेरणास्पद प्रतिबद्धता के कार्य में उसने न केवल एक उत्कृष्ट सैनिक के गुणों का परिचय दिया अपितु राष्ट्र के लिए अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट बलिदान दिया है।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री नोकजार, राइफल मैन ने अदम्य वीरता,साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14.04.2009 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.91-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पवन कुमार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

निरीक्षक करनैल सिंह के कमाण्ड में बी/136 की दो प्लाटूनों को झारखण्ड (बिहार के सीमावर्ती गया जिला) के पलामू जिला में हरिहर गंज पुलिस स्टेशन के जनरल क्षेत्र में, सी आर पी एफ 13वीं बटालियन के संचालनात्मक नियंत्रण में, दिनांक 01.02.2006 से 03.02.2006 तक की अवधि के दौरान सी पी आई (माओवादी) उग्रवादियों के विरूद्ध एक विशेष अभियान 'आक्टोपस' के एक भाग के रूप में हरिहरगंज पुलिस स्टेशन के राज्य पुलिस घटक के साथ तैनात किया गया था। बी/136 के सैन्य दल का नेतृत्व निरीक्षक करनैल सिंह द्वारा और सिविल पुलिस घटक का नेतृत्व नवीन कुमार सिन्हा, एस डी पी ओ, छतरपुर पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया। दिनांक 01/02/2006 को ट्रप्स छतरपुर की बाह्य चौकी के नौधिया के पास लम्बी गश्त कर रहे थे। लगभग 1030 बजे बी /136 के कम्पनी कमाण्डर करनैल सिंह को लालगढ़ गांव के पास में लगभग 40-50 लोगों के उग्रवादी समूह के जमावडे के बारे में पता चला। बिना समय गवांये, उसने एस डी पी ओ छतरपुर के साथ एक कार्रवाई योजना तैयार की और लालगढ़ गांव की ओर रणनीतिक ढंग से रवाना हो गए। जब करीब 1130 बजे यह दल गांव के निकट पहुंच रहा था तभी गांव की पहाड़ी के पास से नक्सली अड्डे वाले मौके की जगह से उन पर गोलीबारी कर दी गई। यह उग्रवादियों का स्काउट दल था। बाकी उग्रवादी गांव में रूके हुए थे। सी आर पी एफ टुकड़ी ने तुरंत जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों के स्काउट को मार गिराया। गांव में बडे समूह की मौजूदगी के अंदेशे से, सी आर पी एफ पार्टी ने दो तरफ से बढ़ना प्रारम्भ किया और दुश्मन के स्काउटों को लगातार एवं कारगर फायर से मारते गाए। इनमें से एक दस्ते का नेतृत्व निरीक्षक करनैल सिंह और बी/136 का कांस्टेबल/जीडी पवन उस दल का अगुवा व्यक्ति था। कांस्टेबल/जीडी पवन कुमार ने आगे बढ़ने और गांव में रूके हुए नक्सली समूहों को ढूंढने में अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया। भावी खतरे का अनुमान करके उग्रवादियों ने उनकी ओर बढ़ रही पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। सी आर पी एफ पार्टी ने जवाबी

गोलीबारी की और उग्रवादियों को पास की पहाडियों और जंगलों की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसी बीच, बी/136 के कांस्टेबल/जीडी पवन कुमार ने एक उग्रवादी को उसकी ओर हथियार का निशाना लगाते हुए देखा और तत्काल जवाब में अपनी सर्विस राइफल से उस उग्रवादी पर फायर की झड़ी लगा दी। यदि उसने तत्काल उग्रवादी पर फायरिंग न की होती तो उस उग्रवादी ने या तो कांस्टेबल/जीडी पवन कुमार अथवा उसकी पार्टी के सदस्य को हताहत कर दिया। होता इस पर यह सी टी पवन कुमार के लिए अपनी जान की परवा किए बगैर तुरन्त कार्रवाई करने का समय था और उनके फायर राउन्ड की एक गोली उग्रवादी के सिर पर लगी जिससे वह उग्रवादी ढेर हो गया। इसके द्वारा उन्होंने अपने दल के लिए होने वाले सम्भावित वह खतरा टाल दिया जिसका खतरा था। उस क्षेत्र की तलाशी करने पर मारे गए आंतकवादी का शव मिला जिसकी पहचान एरिया कमाण्डर कृष्ण जी उर्फ पवन जी ये रूप में हुई है। उसके पास से यू एस ए निर्मित एक रेगुलर पुलिस रिवाल्वर और -23 जिन्दा कारतूस, खाली खोखे, और नक्सली साहित्य बरामद किए गए। क्षेत्र की फिर से तलाशी-करने पर तीन खूंखार कोर महिला उग्रवादियों को पकडा गया जिनकी पहचान सरिता देवी, आयु-20 वर्ष पुत्री ब्राहिल भुइंया, ग्राम-हुतुक डाग, सुमित कुमार आयु-14वर्ष पुत्री नानू भुइंया, ग्राम हुतुकडाग, पुलिस स्टेशन छत्तरपुर एवं कागा जी उर्फ कविता देवी पुत्री ब्रज बिहारी सिंह, पत्नी विश्वनाथ सिंह, ग्राम मजुवाही के रूप में हुई। कांस्टेबल जीडी पवन कुमार की वीरता और साहसी कार्य विशेष रूप से सराहनीय था और उसकी अनुसंशा एक प्रशस्ति पत्र देते हुए जोनल आई जी (पुलिस), रांची (झारखण्ड पुलिस) द्वारा की गई थी। इसके पश्चात, पकड़े गए उग्रवादियों से पूंछताछ के दौरान यह पता चला कि मारा गया उग्रवादी दिनांक 13.11.2005 में हजानानाबद जेल तोड़ने और दिनांक 26.10.2006 को हरिहरंग पुलिस स्टेशन और सुल्तानीघाट पर ए/-13 पार्टी पर हमला करने का सूत्रधार था।

इस मुठभेड में, श्री पवन कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1.2.2006 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(वरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.92-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अनिल कुमार, कमाण्डेंट
2. चेतन चौधरी, असिस्टेंट कमाण्डेंट
3. लक्ष्मण ओरांव, सब इंस्पेक्टर
4. राजेश कुमार कनौजिया, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

1.2.2008 को पुलिस थाना यरीपुरा, कुलगाम के अन्तर्गत तेंगबल गाँव, कुज्जर में आतंकवादियों के उपस्थित होने से संबंधित राज्य पुलिस द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर पहली आर आर, पाँचवीं बटालियन, सी आर पी एफ के सहयोग से एस ओ जी, कुलगाम द्वारा एक संयुक्त घेरेबंदी एवं खोजी कार्रवाई शुरू की गई। गाँव को घेर लिए जाने के बाद, श्री पी एन टिक्कू, डी एस पी (ओ पी एस) कुलगाम की कमान में एक तथा श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट, पाँचवीं बटालियन, सी आर पी एफ के कमान में दूसरी मिलाकर दो हमला दलों का गठन किया गया। श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट, पाँचवीं बटालियन के क्यू आर टी तथा इंस्पेक्टर/जीडी जयन्त राय, ओसीबी/5 बटालियन एवं श्री चेतन चौधरी, एसी, ओसीबी/5 बटालियन के कमान में बी/ 5 बटालियन एवं ई/5 बटालियन में प्रत्येक से एक –एक प्लाटून सहित सी आर पी एफ का एक हमला दल तैयार किया गया। राज्य पुलिस/एस ओ जी दल में 1 इंस्पेक्टर, 11 सार्जेण्ट, 49 कांस्टेबल, 24 ओ आर तथा पहली आर आर के दल में 4 अधिकारी, 6 जूनियर कमाण्डिंग ऑफिसर तथा 120 ओ आर शामिल थे। कार्रवाई दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेंगबल गाँव में छुपे आतंकवादियों को ढूंढ निकालना था। बुद्धिमता से आगे बढ़ते हुए खोजी दलों ने संभावित छुपने के स्थानों सहित मकानों की विधिवत् तलाशी ली । तलाशी शुरू होने से मुश्किल से 10 मिनट बाद ही स्वचालित गोलीबारी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद समस्त दलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया। जल्द ही यह पता चल गया कि गोली एक अर्ध-पक्के मकान से चलाई जा रही थी, जिसे अक्सर आतंकवादियों द्वारा छुपने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। छुपे हुए आतंकवादियों ने खोजी दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। खोजी दलों के रूप में गठित किए गए समस्त तीनों बलों में से हमला दलों द्वारा तुरन्त

धावा बोलने हेतु एक योजना तैयार की गई। श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट- 5 बटालियन सी आर पी एफ, श्री चेतन चौधरी, एसी, 5 बटा. सी आर पी एफ, सी टी/जीडी राजेश कुमार कनौजिया, 5 बटालियन सी आर पी एफ ने सी आर पी एफ से हमला दल के लिए अपना योगदान दिया। उक्त हमला दल विपरीत दिशा से आ रही भयंकर गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर लक्षित मकान की ओर बढ़ता रहा; भारी गोलीबारी के बीच मकान के पास पहुँचने के प्रयास वास्तव में साहसपूर्ण थे। हालांकि, उनकी मंशा को आतंकवादी ने भांप लिया और उन पर स्वचालित हथियार से गोलीबारी शुरू कर दी। चूंकि आतंकवादी को मार गिराना अब आवश्यक हो गया था, क्योंकि वे दलों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा सकते थे, इसलिए उपरोक्त चारों अधिकारियों ने आगे बढ़ना जारी रखा। कई गोलियाँ उनके बदन के बिल्कुल पास से निकल गईं और यहाँ तक कि आतंकवादी ने उन पर एक हथगोला भी फेंका जो संयोगवश बिना कोई नुकसान पहुँचाए फट गया। जब ये लोग लक्ष्य से लगभग 5-7 मीटर दूर थे, तब उन सभी ने आतंकवादी पर स्वचालित हथियार से गोली बरसानी शुरू कर दी और इस प्रक्रिया में एक आतंकवादी मारा गया। इसे बाद में एच एम बटालियन कमाण्डर राहुल भट्ट, पुत्र-गुलाम रसूल भट्ट, नियासी-अथनयारा, पुलिस थाना- जैनपुरा के रूप में पहचाना गया, जिसके खिलाफ थरिपुरा पुलिस थाना में जघन्य आतंकवाद संबंधी अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। मृत आतंकवादी से निम्नलिखित सामग्रियों की बरामदगी की गई:-

I)	ए के-47 राईफल	-(पंजी.सं. वाई के 1439 अंशतः क्षतिग्रस्त)
ii)	ए के मैग्जीन	-2
iii)	ए के गोलाबारूद	-48 चक्र
iv)	पाऊच	-1

इस कार्रवाई में, सी आर पी एफ के सैनिकों में श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट 5 बटा., सी आर पी एफ के सक्षम अग्रणी नेतृत्व में, जो सामने की ओर से सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, सक्रियता से भाग लिया। श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट 5 बटा., श्री चेतन चौधरी, ए/सी, 5बटा., एस आई/जीडी लक्ष्मण ओरांव, 130 बटा. तथा कांस्टेबल/जीडी राजेश कुमार कनौजिया, 5 बटा. सी आर पी एफ ने जान के लिए खतरा पैदा करने वाली परिस्थिति में भी उक्त आतंकवादी को मार गिराने में सफलता प्राप्त कर ली। सुरक्षा बलों/पुलिस द्वारा दिखाई गई अदम्य साहस के साथ-साथ पेशेवर क्षमता अतुलनीय थी। यह कहना उचित होगा कि मुठभेड़ स्थल पर कोई समानान्तर क्षति नहीं हुई। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। हालांकि, उपरोक्त में से कोई भी आतंकवादी की गोली का निशाना बन सकता था। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि आतंकवादी हथियारों से पूरी तरह लैस हैं, उन्होंने हमले में भागीदारी की और वास्तविक रूप से आगे बढ़कर आतंकवादी को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अनिल कुमार, कमाण्डेंट चेतन चौधरी, असिस्टेंट कमाण्डेंट, लक्ष्मण ओरांव, सब इंस्पेक्टर और राजेश कुमार कनौजिया, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1.2.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.93-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. दर्शन सिंह, हैड कांस्टेबल
2. शमशेर कुमार, कांस्टेबल
3. अमरनाथ यादव, कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया</u>

भरीला-कीटा गांव, जिला- लेथर (झारखंड) में नक्सलवादियों की गतिविधि से संबंधित विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सिविल पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बी/136 बटा. सी आर पी एफ की टुकडी ने चंदवा पुलिस थाना के अन्तर्गत कीटा गांव से सटे भरीला में छापा/खोजी कार्रवाई शुरू कर दी। दल कीटा से सटे भरीला गांव में 30.11.2006 को 1330 बजे पहुँचा जो संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा (एस जे एम एम) प्रमुख लोहा सिंह का लगभग 35 नकसलवादियों के दल के साथ छुपने का स्थान था। जब टुकड़ी ने बुद्धिमतापूर्वक गांव को घेरना शुरू किया, तो एस जे एम एम संतरी ने अपने छुपने के स्थान से सी आर पी एफ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल हमारी टुकडी ने मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। बंदूक की लड़ाई 1500 बजे तक लगभग डेढ़ घंटे जारी रही। इस मुठभेड़ के दौरान, एच सी/जीडी दर्शन सिंह के नेतृत्व में हमला दल ने, जिसमें सी टी/जी डी शमशेर कुमार, सीटी/जीडी अमरनाथ यादव, बी/136 बटा. तथा चंदवा पुलिस थाना के एस आई अवध कुमार यादव, एस आई कृष्ण कुमार महतो और एस आई कमलेश कुमार नामक सिविल पुलिस कर्मी शामिल थे, उन्होंने छुपने के स्थान को ध्वस्त करते हुए अदम्य साहस एवं वीरतापूर्ण कार्रवाई का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों की जान को खतरा पैदा करते हुए अन्ततः आतंकवादी को मार गिराया। सी आर पी एफ की टुकडी की बहादुरीपूर्ण कार्रवाई के कारण, आतंकवादियों को अपने कामरेड के मृत शरीर को हथियारों एवं असलों सहित छोड़कर जहाँ-तहाँ भागना पड़ा। आतंकवादियों के छुपने के स्थान की तलाशी लेने के दौरान, एक मृत शरीर जिसे एस जे एम एम प्रमुख लोहा सिंह उर्फ केन्द्रु के रूप में पहचाना गया, को एक एस एल आर (बॉडी संख्या 16073496), एक एस एल आर मैगजीन, 7.62 के 63 जीवित कारतूस, दो मोटर साईकल, 7.62 का 1 खाली खोल और 5 एस एल आर पाऊच के साथ बरामद किया गया जिसे सिविल

पुलिस को सौंप दिया गया था। दल ने आतंकवादियों के छुपने के स्थान पर खून के धब्बे भी पाए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संघर्ष से भागने में सफल हुए कुछ और आतंकवादी भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। यह सी आर पी एफ एवं चंदवा पुलिस, जिला-लेथर (झारखंड) द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई थी। इस कार्रवाई में एचसी/ जीडी दर्शन सिंह के नेतृत्व में सिविल पुलिस कर्मियों एवं सी आर पी एफ, जिसमें सी टी/ जीडी शमशेर कुमार, सीटी/जीडी अमरनाथ यादव शामिल थे, ने भाग लिया। इस कार्रवाई में सफलता सी आर पी एफ एवं सिविल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ खुफिया जानकारी एवं अन्य वस्तुगत संसाधनों की साझेदारी के कारण संभव हुई थी।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री दर्शन सिंह, हैड कांस्टेबल, शमशेर कुमार, कांस्टेबल और अमरनाथ यादव, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.11.2006 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.94-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शंकर दत्त पाण्डेय, सेकेण्ड-इन-कमान
2. कोलप्पा कृष्ण कुमार, कांस्टेबल
3. दीप चन्द यादव, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

9.8.07 को 0435 बजे से 1830 बजे तक पुलिस थाना-यरिपुरा, जिला- कुलगाम के अन्तर्गत माटीबगगांव में कुलगाम से लगभग 13 किमी0 दूर एक संयुक्त घेराव/खोजी कार्रवाई शुरू की गई थी। आर/आर. 5 बटा. सी आर पी एफ एवं जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा घेराबन्दी किए जाने के बाद, दलों का गठन किया गया, जिसमें से एक दल श्री शंकर दत्त पाण्डेय, 2-आई/सी. 5 बटा0 सी आर पी एफ के कमान में गठित किया गया था। श्री शंकर दत्त पाण्डेय, 2-आई/सी, सीटी/जीडी कोलप्पा कृष्ण कुमार तथा सीटी/जीडी दीप चन्द यादव, 5 बटा. सी आर पी एफ वाली पार्टी जब एक मकान की ओर बढ़ रही थी, तब अचानक अंधाधुंध गोलीबारी में फंस गई। पार्टी ने तुरन्त मोर्चा संभाला और लक्षित मकान की ओर बढ़ने लगे जहाँ आतंकवादी छुपे हुए थे। अपनी जान को दिख रहे स्पष्ट खतरे के बावजूद, श्री शंकर दत्त पाण्डेय, 2-आई/सी,सीटी/जीडी कोलप्पा कृष्ण कुमार, 5 बटा., सी आर पी एफ द्वारा दी जा रही संरक्षण गोलीबारी में आतंकवादियों की ओर आगे बढ़े तथा काफी नजदीक से आतंकवादियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप एच एम का बटा. कमाण्डर, आई ई डी विशेषज्ञ, पाक प्रशिक्षित, सबजार अहमद मलिक उर्फ मुजमिल, पुत्र-गुलाम रसूल, निवासी- गोडंचाल नामक एक खूंखार आतंकवादी मारा गया। दूसरे आतंकवादी, जो उसी हमला दल के काफी नजदीक छुपा हुआ था, ने खोजी दल पर एक हथगोला फेंका और भागना शुरू कर दिया । श्री शंकर दत्त पाण्डेय, 2 आई/सी, सी टी/ जीडी कोलप्पा कृष्ण कुमार और सी टी/जीडी दीप चन्द यादव, 5 बटा., सी आर पी एफ ने हथगोले के धमाके से अपनी जान को बचाते हुए तथा अपनी जान की परवाह किए बिना भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया और अन्ततः उस पर काबू पा लिया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गई:-

राईफल (एके-47)	-1
मैगजीन (एके-47)	-3
ए के असला	-37 चक्र
चीनी हथगोला	-1
मोबाईल फोन	-2
सिम कार्ड (टूटा हुआ)	-2

उपरवर्णित आतंकवादियों की मृत्यु/गिरफ्तारी 5 बटा., सी आर पी एफ की एक प्रमुख उपलब्धि थी, जिसकी जिला पुलिस प्राधिकारियों तथा क्षेत्र में कार्यरत अन्य सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा व्यापक रूप से सराहना एवं प्रशंसा की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री शंकर दत्त पाण्डेय, सेकेण्ड-इन-कमान, कोलप्पा कृष्ण कुमार, कांस्टेबल तथा दीप चन्द यादव, कांस्टेबल ने अदम्य साहस वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9.8.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.95-ग्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कन्हैया सिंह, असिस्टेंट कमाण्डेट
2. मालाराम, सब इंस्पेक्टर
3. नन्द लाल, सब इंस्पेक्टर
4. गुलाब सिंह, लांस नायक
5. मोहन लाल शर्मा, कांस्टेबल
6. मुकेश कुमार, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

12.05.2007 को लगभग 0630 बजे 13 बटालियन सी आर पी एफ की टुकड़ी ने श्री कन्हैया सिंह, असिस्टेंट कमाण्डेंट की कमान में सिविल पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बिन्दा गांव को कवर करते हुए भण्डारिया पुलिस थाना, जिला- गढ़वा (झारखंड) के नगनाहा में 'चार्ली' नामक विशेष कर्रवाई शुरू की। जब सी आर पी एफ एफ पार्टी टोटकी खैरा गंव के पास पहुँची, जो एक नाले के पास बसा हुआ है, तो एस आई मालाराम, जो खुफिया निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, ने एक नक्सलवादी संतरी को देखा जो जंगल के काफी करीब नाला के पास बसे एक मकान के नजदीक खड़ा था। एस आई मालाराम ने चालाकी से समय गंवाए बिना श्री कन्हैया सिंह, ए सी को सूचित किया, जिसने विलक्षण बुद्धिमता एवं कार्यात्मक अनुभव का परिचय देते हुए सम्पूर्ण पार्टी को दो हिस्सों में बाँट दिया तथा एस आई शमशाद आलम शमशी, भण्डारिया पुलिस थाना के एस आई,/ लांस नायक गुलाब सिंह, कांस्टेबल मोहन लाल शर्मा एवं अन्य वाली पार्टी को भागने वाले नक्सलवादी को घेरने के लिए अवरोधक दल के रूप में तैनात कर दिया घेरा डाल लेने के बाद श्री कन्हैया सिंह ने अपने दल के साथ नक्सलवादियों के स्थान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। श्री कन्हैया सिंह, ए सी ने एस आई मालाराम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, एस आई तारानन्द सिंह, भण्डारिया पुलिस थाना प्रभारी तथा अन्य के साथ घेरे को तंग करना शुरू कर दिया और ऐसा करते वक्त नक्सली संतरी ने सी आर पी एक टुकड़ी को देख लिया तथा टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। श्री कन्हैया सिंह ए सी, एस आई मालाराम, कांस्टेबल मुकेश कुमार ने नक्सली संतरी पर गोलियाँ बरसाईं, जिसके साथ कुछ और

नक्सलवादी जुड़ गए थे। अत्यन्त करीबी गोलीबारी में श्री कन्हैया सिंह ए सी ने एस आई मालाराम के साथ मिलकर अपने जानों की परवाह किए बिना वीरता से कार्रवाई की और तीन उग्रवादियों को मार गिराया। भण्डारिया पुलिस थाना प्रभारी एस आई टी.एन. सिंह तथा कांस्टेबल मुकेश कुमार ने भी साहसपूर्वक कार्य किया और अन्य नक्सलियों को लड़ाई में व्यस्त रखा। इस पर नक्सलियों ने भागना शुरू कर दिया, परन्तु अवरोधक दल के रूप में तैनात पार्टी ने भागते हुए नक्सलियों को घेरे रखा। इसके बाद, भारी गोलीबारी के बीच लांस नायक, गुलाब सिंह, कांस्टेबल मोहन लाल ने एस आई नन्द लाल की सहायता से एस आई शमशाद आलम शम्शी, भण्डारिया पुलिस थाना के एस आई के साथ मिलकर भागते हुए उग्रवादियों का साहसपूर्वक पीछा किया और उनमें से दो और नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद, क्षेत्र से नक्सलियों के पाँच मृतक शरीर तथा भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किए गए । अतुलनीय कार्रवाई योजना तथा अत्यन्त सराहनीय कार्रवाई अनुभव, साहस एवं दृढ़ निश्चय के कारण सी आर पी एफ दल ने बिना कोई नुकसान उठाए पाँच नक्सलियों को मार गिराया तथा भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार/गोला-बारूद बरामद किए जिसमें एक एके 56,4 एस एल आर, 1 सेमि. ऑटो अमेरिकन राईफल तथा 315 राईफल बरामद किया । उपरोक्त सुरक्षाकर्मियों द्वारा अपनी जानों की परवाह किए बिना दिखाई गई तत्परता, कार्यात्मक अनुभव, साहस एवं वीरतापूर्ण कार्रवाई एक उत्कृष्ट कार्य है जिसमें नक्सलियों को न केवल जान की क्षति हुई वरन् भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारूद का भी नुकसान उठाना पड़ा। इससे नकसलियों का मनोबल काफी टूट गया, जिसने समस्त सी पी आई (माओवादी) संगठन को अक्षम बना दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री कन्हैया सिंह, असिस्टेंट कमाण्डेंट मालाराम, सब इंस्पेक्टर, नन्द लाल, सब इंस्पेक्टर, गुलाब सिंह, लांस नायक , मोहन लाल शर्मा, कांस्टेबल तथा मुकेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12.5.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.96-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, केन्द्रीय पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री साहिब सिंह, हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

24.02.2008 को सी पी आई (माओवादी) की गतिविधि के संबंध में विशेष जानकारी मिलने पर एक कार्रवाई शुरू की गई। उक्त कार्रवाई की योजना के अनुसार, सिविल पुलिस कर्मियों के साथ श्री टी.एस. परिहार एसी के कमान में बी/ 13 की दो पलटनों ने मदनपुर क्षेत्र में छापा/तलाशी का काम शुरू किया। जब टुकड़ी मदनपुर गांव में 25.2.2008 को लगभग 0130 बजे तलाशी ले रही थी तब उन्होंने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को संदिग्ध तरीके से अपनी ओर आते देखा। तत्काल बी/13 की टुकड़ी ने गांव के मार्गों को अवरूद्ध करते हुए तगड़ी नाकेबन्दी कर दी। मोटरसाइकिल रूक गई और इधर-उधर होने लगी। जब टुकड़ी मोटरसाइकिल सवार को घेरने लगी तो दूसरे मोटरसाइकिल की आवाज सुनी गई। यह पाया गया कि मोटरसाइकिल की हेडलाईट बन्द थी और उसी हालत में वह हमारी टुकडी की ओर बढ़ रहा था। हैड कांस्टेबल साहिब सिंह, जो अपने दल के साथ उसी ओर बढ रहे थे, ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और उस व्यक्ति को चकमे में डाल दिया। जब मोटरसाइकिल हमारे दल के पास पहुँची तो उसे रूकने की चेतावनी दी गई। मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति उछलकर नीचे आ गए और अपने छोटे हथियारों से गोली बरसाते हुए भागने की कोशिश की। हैड कांस्टेबल साहिब सिंह ने तुरन्त स्थिति को भांपा, अपनी बुद्धिमता का प्रयोग किया और साहसपूर्वक जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने फिर भागते हुए आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया और अपने दल को पीछे आने के लिए कहा। भागते हुए आतंकवादियों का पीछा करते हुए उन्होंने उनकी ओर 05 चक्र गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप एक संदिग्ध मारा गया और तीन अन्य आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे एवं घनी झाड़ियों का लाभ उठाते हुए दो संदिग्ध आतंकवादी भागने में सफल हो गए। तलाशी लेने पर मृत आतंकवादी से एक स्मिथ एण्ड वेशन .38 पुलिस रिवाल्वर के साथ 18 जिंदा कारतूस और गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से एक देशी 303 रिवाल्वर सहित 03 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। स्थलगत छानबीन के दौरान एक गिरफ्तार आतंकवादी ने अपनी पहचान सी पी आई (माओवादी) का

जोनल कमाण्डर, नाम- प्रमोद सिंह उर्फ अजय जी उर्फ कनकटा, उम्र-27 वर्ष, पुत्र-तपेश्वर सिंह, ग्राम-हदना, पुलिस थाना-हुसैनाबाद, जिला- पलामू (झारखण्ड) के रूप में बताई। मारे गए आतंकवादी की पहचान सी पी आई (माओवादी) के जोनल कमाण्डर, नाम-संजय यादव उर्फ अमृत जी, उम्र-30 वर्ष, पुत्र- झपोला यादव, ग्राम-गरियौटा, पुलिस थाना-हुसैनाबाद, जिला-पलामू (झारखण्ड) के रूप में की गई। पकड़े गए जोनल कमाण्डर ने आगे यह भी बताया कि पहली मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति भी सी पी आई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य थे और उनके मार्गदर्शन के लिए आगे-आगे चल रहे थे। मार्गदर्शक मोटरसाइकिल पर सवार दो गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स कांस्टेबल सुनिल यादव (वर्तमान में जिला गढ़वा में तैनात) तथा मुरारी यादव, पुत्र- चुल्लन यादव, ग्राम-ग्लेग गट्टीघाट, पुलिस थाना-छतरपुर, पलामू के रूप में की गई। टुकड़ी ने 2-मोटरसाइकिल, 1-मोबाईल सेट, भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और 1,01,500/-रूपए नकद भी बरामद किए।

श्री संदीप कदम बसंत, डी एस पी, छत्तरपुर एवं एस आई विजय, एस एच आई-छत्तरपुर, जिला-पलामू (झारखण्ड) ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस कार्रवाई को सिविल पुलिस एवं सी आर पी एफ के भगीरथ प्रयास से सावधानीपूर्वक तैयार किया गया और सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। सिविल पुलिस एवं सी आर पी एफ के संयुक्त दल ने अपना काम बहादुरी एवं दक्षता से पूरा किया। सिविल पुलिस एवं सी आर पी एफ के बीच आसूचना की बेहतर साझेदारी और समन्वय था। श्री संदीप कदम बसंत, डी एस पी और एस आई विजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया तथा अपने दल का अच्छा मार्गदर्शन किया जिसके कारण सी पी आई (माओवादी) का एक खूँखार जोनल कमाण्डर मारा जा सका।

इस मुठभेड़ में श्री साहिब सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25.02.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.97-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मुंशी राम, हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

पुलिस थाना-दांगीवाचा, जिला-बारामूला (जम्मू व कश्मीर) के अन्तर्गत दुरसू गांव में मकबूल शेख, पुत्र-कमाल शेख के मकान में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में 1.2.08 को मिली विशेष जानकारी के आधार पर, श्री जितेन्दर कुमार, असिस्टेंट कमाण्डेंट, ओ सी-ए/179 अपने सैन्यबल तथा जे के पी के एस ओ जी के साथ गांव की ओर गए और उस क्षेत्र को घेर लिया। श्री जितेन्दर कुमार ने उस मकान का पता लगाने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया जिसमें आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान, सैन्यबल ने आतंकवादियों के छुपे होने के स्थान का पता लगाने में सफलता प्राप्त कर ली और प्रमुख स्थानों पर सैन्यबलों को तैनात कर समस्त बचाव मार्गों को अवरूद्ध करते हुए उसे घेर लिया। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि अभिनिर्धारित मकान में चार आतंकवादी छुपे हुए हैं। स्थिति का आकलन करने के बाद, श्री जितेन्दर कुमार ने अतिरिक्त बल को बुलाने का निर्णय लिया और तदनुरूप श्री आर के यादव, कमाण्डेंट 179 बटालियन को सूचना दे दी। इसकी जानकारी मिलने पर, बिना कोई समय गंवाए कमाण्डेंट 179 बटालियन यूनिट क्यू आर टी के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े तथा अपने डी सी (ऑप) और ऑफिसर कमाण्डिंग, सी, जी/179 बटा. को अतिरिक्त सैन्यबल के साथ संदिग्ध स्थान पर आने का निर्देश दिया। उस स्थान पर पहुँचने के बाद, कमाण्डेंट 197 बटा. ने स्थिति का जायजा लिया और वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की क्यू आर टी तथा ए/179 बटा. की पार्टी को मकान के चारों ओर लगाए गए घेरे को मजबूत बनाने के लिए तैनात कर दिया जिससे कि लक्षित मकान एवं उस मकान में छुपे आतंकवादियों को पृथक किया जा सके। यह जानने पर कि उन्हें घेर लिया गया है, आतंकवादियों ने सी आर पी एफ तथा जे के पी कर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की, परन्तु श्री आर.के. यादव कमाण्डेंट के नेतृत्व वाली अपनी टुकड़ी तथा जे के पी के इंस्पेक्टर/ जी डी एम एस भाटी और एच सी कपिल अहमद की जवाबी गोलीबारी से इन्हें दबोच लिया गया। मकान मालिक से पूछताछ करने

पर पता चला कि उस मकान में एक भूमिगत छुपने का स्थान है। यह निर्णय लिया गया कि वहाँ से आतंकवादियों को निकालने के लिए हथगोले का प्रयोग किया जाए। कवर फायर के संरक्षण में श्री आर के यादव के निर्देशन के अन्तर्गत छुपाव स्थल के पास कई हथगोले दागे गए परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। कमाण्डों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद, आतंकवादियों को बाहर निकालने हेतु छुपाव स्थल के पास आई ई डी लगाने का निर्णय लिया गया। एच सी/जीडी मुंशीराम, 179 बटा. ने आतंकवादियों के छुपने के स्थान के नजदीक एक आई ई डी लगाने के लिए अपनी पेशकश की। एच सी/जीडी मुंशीराम होशियारी से अपने दोनों हाथों में आई ई डी लेकर लक्ष्य की ओर बढ़ा तथा जे के पी के एच सी काफिल अहमद के साथ छुपाव स्थल के नजदीक पहुँचा। सतर्क अन्दरूनी घेराव पार्टी ने दोनों सैन्यकर्मियों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की। छुपाव स्थल के एकदम नजदीक पहुँचे दोनों व्यक्तियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आई ई डी लगा दिया। जैसे ही आई ई डी फटा, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों, एच सी काफिल अहमद तथा कवरिंग पार्टी के बीच घमासान गोलीबारी होने लगी। दोनों एच सी काफिल अहमद एवं एच सी/ जी डी मुंशीराम अपने मोर्चे पर डटे रहे और अपनी जान को भारी खतरे के बावजूद पीछे नहीं हटे। पहली आई ई डी का कोई प्रभाव नहीं होते देखकर एच सी मुंशीराम ने एच सी काफिल अहमद के सहयोग से छुपाव स्थल की दिवार के पास दूसरा आई ई डी लगा दिया। दूसरे आई ई डी के फटने से छुपाव स्थल का ऊपरी ढांचा ढह गया और आग लग गई। आग के बुझने के बाद, तलाशी शुरू की गई और मलबे से चार मृत आतंकवादियों के शरीर बरामद किए गए। उनकी पहचान इब्राहिम, मोसावा, नजीर और उमर (लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुट) के रूप में की गई। उनके पास से एके 47 राईफल-4, एके-47 मैगजीन 4, एके-47 जिंदा कारतूस-65 चक बरामद किए गए। यह कार्रवाई योग्यता, समकालिकता, सतर्क आयोजना, वीरतापूर्ण निष्पादन और उच्च कोटि के अग्रणी नेतृत्व को दर्शाती है। एच सी/ जी डी मुंशीराम, 179 बटालियन ने इस कार्रवाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उक्त एच सी/ जीडी ने जे के पी कर्मी एच सी काफिल अहमद के सक्रिय सहयोग से अपने आपको आग में ले जाने तथा छुपाव स्थल के पास आई ई डी लगाने में विलक्षण साहस का परिचय दिया। यह कार्रवाई समस्त चार विदेशी आतंकवादियों को मार गिराने में महत्वपूर्ण थी।

इस मुठभेड़ में श्री मुंशीराम हैड कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1.02.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.98-प्रेज/2010, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शाजी एन्टोनी, इंस्पेक्टर
2. अबानी कलीता, कांस्टेबल
3. सुबिर दास, कांस्टेबल

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

क्षेत्र में नक्सलवादियों की गतिविधि के संबंध में प्राप्त विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, श्री बी.के. शर्मा, कमाण्डेंट 13 बटा. तथा श्री साकेत कुमार, एस पी गढ़वा द्वारा "विक्टर" नामक एक संयुक्त कार्रवाई योजना तैयार की गई। कार्रवाई योजना के अनुसार, इंस्पेक्टर/जी.डी शाजी एन्टोनी और श्री पी.एन. तिवारी, असिस्टेंट कमाण्डेंट की कमान में सी/13 बटा. की प्रत्येक में दो प्लाटूनों सहित दो पार्टियों का गठन किया गया। ये पार्टियाँ श्री ए.डी. शर्मा, डी सी के समग्र पर्यवेक्षण में सिविल पुलिस कर्मियों सहित 23.2.2008 को 0330 बजे अप्रचलित रास्तों से होकर केरवा संरक्षित वन क्षेत्र में पहुँची। इसके साथ ही, जिला एस टी एफ की दो प्लाटूनों को भी दूसरी तरु से उस क्षेत्र में भेजा गया था। जब श्री ए.डी.शर्मा, डिप्टी कमाण्डेंट की कमान में टुकड़ियाँ दैंगुरा गांव पहुँची, तब उन्हें गांव के पूर्वी छोर की तरफ रघु गंजु उर्फ प्रमंडल जी के नेतृत्व वाले नक्सली दस्ते की गतिविधि के संबंध में जानकारी मिली। तत्काल, उन्होंने इसकी जानकारी अगले पार्टी कमाण्डर इंस्पेक्टर/जीडी शाजी एन्टोनी को दी जिनके साथ एस आई अमरनाथ, एस एच ओ पुलिस थाना- भण्डारिया, जिला- गढ़वा (झारखण्ड) भी थे। जानकारी मिलने पर उक्त पार्टी बुद्धिमतापूर्वक वन मार्ग से होकर तेनुआ डामर गांव पहुँची जो दैंगुरा गांव के पूर्वी ओर बसा हुआ है। लगभग 1200 बजे जब सी/13 बटालियन की प्लाटून और सिविल पुलिस कर्मी वन में एक नाले को पार कर रहे थे, तब उग्रवादियों ने छुपाव स्थल से टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल हमारी टुकड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर/जीडी शाजी एन्टोनी, जिनके साथ कांस्टेबल अबानी कलीता और कांस्टेबल सुबिर दास थे, कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे और संरक्षक दल के रूप में कार्य कर रहे थे, ने युक्तिपूर्वक जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। विद्यमान स्थिति का

जायजा लेने के बाद, इंस्पेक्टर/जीडी शाजी एन्टोनी और सब इंस्पेक्टर अमरनाथ ने तत्काल टुकड़ियों को फिर से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया और कांस्टेबल बृज मोहन गूजर को एक राईफल ग्रेनेड दागने का आदेश दिया जिससे कि गोलीबारी की अधिकता को नियंत्रित किया जा सके तथा नक्सलियों को पीछे हटाया जा सके। इस राईफल ग्रेनेड के प्रभाव से, नक्सलियों की गोलीबारी में कमी आई तथा तभी टुकड़ियों ने स्थिति संभालते हुए जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। प्लाटून की कवर फायरिंग के अन्तर्गत, इंस्पेक्टर शाजी एन्टोनी, कांस्टेबल अबानी कलीता तथा कांस्टेबल सुबिर दास ने एस आई अमरनाथ के साथ नक्सलियों पर, जो पीछे से टुकड़ियों पर वार कर रहे थे, प्रहार करने के लिए एक छोटे दल के रूप में सबको पुनर्गठित किया। नक्सलियों को मिटाने के लिए, कांस्टेबल अबानी कलीता तथा कांस्टेबल सुबिर दास ने अदम्य साहस एवं लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कमाण्डर से आगे बढ़ने की इजाजत मांगी। उसके बाद, वे निर्भीकता से आगे बढ़े और भारी गोलीबारी से कमान पोस्ट पर प्रहार किया, जिसका समर्थन इंस्पेक्टर/ जीडी शाजी, एन्टोनी और एस आई अमरनाथ द्वारा भी किया गया और इस प्रकार उन्होंने नक्सली कमान पोस्ट को ध्वस्त कर दिया । इंस्पेक्टर/ जीडी शाजी एन्टोनी के नेतृत्व वाली सिविल पुलिस, सी आर पी एफ पार्टी के वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण खूँखार नक्सली अपने कामरेड के मृत शरीरों, हथियारों तथा असलों को छोड़कर जहाँ-तहाँ भागने लगे। यह मुठभेड़ लगभग एक घंटे चली और उग्रवादियों के छुपाव स्थल की तलाशी के दौरान उनके नेता रघु गंजु उर्फ प्रमंडल जी उर्फ रंजीत जी को उनके विश्वासी साथी दिनेश सिंह उर्फ व्यास जी, पुत्र-बिल्टन सिंह, निवासी-ग्राम कस्मर, पुलिस थाना-रंका, जिला-गढ़वा के साथ मृत पाया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद एवं अन्य सामान बरामद किए गए। इस दल ने उग्रवादियों के छुपाव स्थल पर खून के धब्बे भी पाए गए जिससे पता चलता था कि कुछ और उग्रवादी, जो लड़ाई के स्थान से भागने में सफल हो गए, बुरी तरह से जख्मी हुए थे।

सी आर पी एफ एवं पुलिस थाना भंडारिया, जिला गढ़वा (झारखण्ड) द्वारा यह एक संयुक्त कार्रवाई थी। इस कार्रवाई में सिविल पुलिस कर्मियों विशेषकर एस आई अमरनाथ तथा इंस्पेक्टर/जीडी शाजी एन्टोनी के नेतृत्व में सी आर पी एफ टुकड़ी, कांस्टेबल/जीडी अबानी कलीता और कांस्टेबल/ जीडी सुबीर दास, 13 बटालियन ने भाग लिया। इस कार्रवाई के अन्तर्गत सफलता सी आर पी एफ एवं सिविल पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ आसूचना जानकारी एवं अन्य सामग्री संसाधनों की साझेदारी के कारण हासिल हुई थी।

इस कार्रवाई में, 13 बटालियन के इंस्पेक्टर/जीडी शाजी एन्टोनी और सिविल पुलिस के एस आई अमरनाथ ने उच्च कोटि की बुद्धिमता, पहल, निश्चय और बहादुरीपूर्ण कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए टुकड़ी का सामने से नेतृत्व किया तथा शत्रु के हमले का सामना किया। इसके बाद, कांस्टेबल/जीडी अबानी कलीता और कांस्टेबल सुबीर दास, 13 बटालियन ने विलक्षण तत्परता का परिचय दिया और अपनी जान को जोखिम में डालकर सी आर पी एफ कर्मी के साथ-साथ हथियारों को बचाया। कार्रवाई के दौरान, दल ने सब जोनल कमाण्डर (सी पी आई-माओवादी) सहित खूंखार उग्रवादियों को मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने न केवल उग्रवादियों के

गढ़ को क्षति पहुँचाई वरन् बल को भी गौरवान्वित किया। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगी की गई।

(क) 2 मैगजीन सहित 303 राईफल
(ख) 9 मि.मी पिस्तौल -1
(ग) 303 जिंदा कारतूस -131
(घ) 9 मि.मी. जिंदा कारतूस -5
(ङ) 315 जिंदा कारतूस -31
(च) 303 चार्जर क्लीप -25
(छ) पिट्ठू -2
(ज) 303 के खाली खोल -4
(झ) भारी मात्रा में नक्सली साहित्य

इस मुठभेड़ में सर्व श्री शाजी एन्टोनी, इंस्पेक्टर, अचानी कलीता, कांस्टेबल तथा सुबीर दास, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23.02.2008 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 99-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संदीप दादाजी खिरात्कर,
   निरीक्षक
2. किरण वसंत भोसले
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक दिया गया

हमेशा की तरह दिनांक 26.11.2008 को श्री संदीप दादाजी खिरात्कर, निरीक्षक अपनी नियमित ड्यूटी करने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद लगभग 20.00 बजे अपने थाने से लगभग 3.5 किमी0 दूर बारक्ले पैलेस, भायकुला, मुम्बई स्थित अपने आवास की ओर निकले। जब ये लगभग 21.57 बजे अपने घर पर थे, इनके मुखबिर ने इनके सैल फोन पर सूचित किया कि दो अज्ञात व्यक्ति अपने आधुनिक हथियारों से मुम्बई छत्रपति रेलवे स्टेशन, मुम्बई के प्लेटफार्म नं0 13 के निकट यात्री हाल में यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं और हैंड ग्रेनेड भी फैंक रहे हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक खिरात्कर एक क्षण गंवाए बगैर अपनी निजी मोटरसाइकल बुलेट पर सवार हो कर सी एस टी एम स्थित थाने की ओर चल पड़े। ये अगले 05 मिनट में थाने में पहुंच गए। घटना की गंभीरता को भांपते हुए ये शस्त्रागार की ओर लपके और वहां से 6 राउंड के साथ .38 सर्विस रिवाल्वर निकाली। उस समय प्लेटफार्म नं0 1 के बाहर स्थानीय स्टेशन के पोर्च की ओर भारी मात्रा में हथियारों से लैस दो आतंकवादी आ रहे थे। उप-निरीक्षक किरण भोसले पहले ही महाप्रबंधक के कार्यालय के भवन में मौजूद थे। जब निरीक्षक खिरात्कर ने देखा कि दो आतंकवादी स्वचालित हथियारों के साथ पोर्च की ओर आ रहे हैं तो इन्होंने अपनी रिवाल्वर से आतंकवादियों की दिशा में 5 राउंड गोलीबारी की। उन आतंकवादियों ने अभी तक किसी जबाबी गोलीबारी का सामना नहीं किया था इसलिए अचानक हुए इस जबाबी हमले से वे पूरी तरह से भौंचक्के रह गए। वे निश्चिंत और स्वतंत्र रूप से हॉल में चहलकदमी कर रहे थे और जबाबी हमला होने की उन्हें कतई आशा नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी, खंभों और खड़ी स्थानीय ट्रेनों के पीछे

आश्रय लेने पर मजबूर हो गए ताकि वे घायल होने से बच सकें। इससे उप-शहरी ट्रेन के हाल में यात्रियों पर गोलीबारी करने का उनका ध्यान हट गया और इससे बेखबर यात्रियों को गोलीबारी वाले क्षेत्र से बच कर निकलने का बेशकीमती समय मिल गया। इससे उप-शहरी हॉल के यात्रियों की जान बचाने में काफी सहायता मिली। निरीक्षक खिरात्कर द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी के कारण ही उप-शहरी हॉल में एक भी यात्री नहीं मारा गया और जो आक्रामक रूप आतंकवादियों ने अपना रखा था इस जबाबी गोलीबारी के कारण वे रक्षात्मक रूख अपनाने पर मजबूर हो गए। तथापि, जब निरीक्षक खिरात्कर को पता चला कि इनकी सर्विस रिवाल्वर की फायरिंग रैंज 200 गज तक सिमित है और इससे इन्हें बहुत अधिक सहायता नहीं मिल पाएगी तो इन्होंने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए ड्यूटी पर तैनात संतरी से और अधिक रैंज और अधिक प्रभावी .303 राइफल ली जिसकी मैग्जीन पांच राउंडों से भरी हुई थी और 25 राउंड थे और इन्होंने हथियारों से पूरी तरह लैस आतंकवादियों पर 20 राउंड गोलीबारी की जिससे वे प्लेटफार्म नं.1 और 3 की ओर जाने पर मजबूर हो गए और अंततः उन्हें कामा एंड अल्ब्लेसा अस्पताल, मुम्बई की ओर रेलवे स्टेशन से बचकर भागने का रास्ता मिल गया। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बाद में की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि उस दिन अन्य स्थानों के समान ही आतंकवादियों ने योजना बनाई थी कि सी एस टी एम की एक बिल्डिंग में रेलवे पदाधिकारियों और यात्रियों को बंधक बना कर अपनी गैर-कानूनी मांगों को मनवाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाला जाए। लेकिन निरीक्षक खिरात्कर की साहसिक और समय पर की गई जबाबी गोलीबारी के कारण वे सफल नहीं हो सके। इस मामले में निरीक्षक खिरात्कर को उस घटना के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया गया था फिर भी इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को खतरे में डाला और भारी मात्रा में हथियारों से लैस उन आतंकवादियों पर .38 रिवाल्वर और .303 राइफल से गोलीबारी कर दी जिनके पास अत्याधुनिक एके-47 एसॉल्ट राइफलें थीं। निरीक्षक संदीप खिरात्कर ने अत्यधिक सूझ-बूझ और साहस का परिचय देते हुए कार्रवाई की और मुम्बई सी एस टी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों का जीवन बचाया। इस संबंध में आई पी सी की धारा 302,307,326,427 120 (ख),121,34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (3), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 के तहत दिनांक 27-11-2008 को मुम्बई सी एस टी रेलवे पुलिस स्टेशन, मुम्बई में सी आर संख्या 155/2008 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

<u>श्री किरण वसंत भोसले</u>

ये दिनांक 26.11.2008 के 20.00 बजे से 27.11.2008 को 08.00 बजे तक शिफ्ट प्रभारी के रूप में ड्यूटी पर थे। उस दिन ये रेलवे स्टेशन के अहाते के अपने क्षेत्र की रूटीन जांच कर रहे थे। अचानक इन्हें लगभग 21.50 बजे गोली चलने और तेज विस्फोट होने की आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने मुख्य हॉल की तरफ देखा तो इन्होंने नोटिस किया कि भारी मात्रा में हथियारों से लैस दो आतंकवादी, यात्रियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। इस पर उप-निरीक्षक भोसले ने यात्री आरक्षण केन्द्र के एक खंभे के पीछे संभावित मोर्चा संभाला और आतंकवादियों की गोलियों से जो यात्री घायल हो गए थे उनका जीवन बचाने के लिए उनकी

सहायता करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपने जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं की और यह जानते हुए भी कि आतंकवादी अभी भी आस-पास ही अपने हथियारों से गोलीबारी कर रहे हैं, उप-निरीक्षक भोसले ने निर्भय हो कर घायलों की सहायता करनी जारी रखी और इस प्रकार ये घायलों का तत्काल चिकित्सा उपचार करने के लिए उन्हें निकटवर्ती सेंट जॉर्ज अस्पताल, मुम्बई भेजने में सफल हुए। इसके बाद उप-निरीक्षक भोसले आर पी एफ के शस्त्रागार की ओर दौड़े और वहां से 30 राउंड के साथ 9 एम एम सर्विस पिस्तौल ली और फिर जबाबी हमले के लिए महाप्रबंधक के कार्यालय की बिल्डिंग के पोर्च की ओर गए। इसी बीच भारी मात्रा में हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पहले ही एक पुलिस निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल/ आर पी एफ, एक होम गार्ड और तीन रेलवे कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में निर्दोष यात्रियों की हत्या कर दी थी। इन दो आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में अत्याधुनिक ए के-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड थे। उप-निरीक्षक भोसले ने आर पी एफ निरीक्षक खिरात्कर के साथ आतंकवादियों की गोलीबारी के सामने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए अपनी-अपनी 9 एम एम पिस्तौलों से गोलीबारी की। आर पी एफ के इन दो अधिकारियों द्वारा की गई इस गोलीबारी से आतंकवादी भौचक्के रह गए और वे अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने हेतु रेलवे कार्यालय के एक भवन में लोगों को बंधक बनाने की अपनी योजना बदलने पर मजबूर हो गए। उप-निरीक्षक भोसले और निरीक्षक खिरात्कर द्वारा किए गए इस अचानक हमले से आतंकवादियों के पास रेलवे परिसर से बाहर निकल कर सी एसटी स्टेशन से बाहर भागने में सफल हो गए और कामा एंड अल्ब्लेस अस्पताल, मुम्बई की ओर भाग खड़े हुए उप-निरीक्षक भोसले के इस साहसिक कृत्य से उप-शहरी हॉल में और यात्री मारे जाने से बच गए और इन्हें अपना जीवन बचाने के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचने हेतु बेशकीमती समय मिल गया। उप-निरीक्षक भोसले और निरीक्षक संदीप खिरात्कर ने अत्यधिक सूझ-बूझ और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और मुम्बई सी एस टी रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में यात्रियों का जीवन बचाया। इस संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (3) के साथ पठित आई पी सी की धारा 302, 307, 326, 325, 427, 120 (ख), 121, 34 के तहत दिनांक 27-11-2008 को मुम्बई सी एस टी रेलवे पुलिस स्टेशन में सीआर संख्या 155/2008 के तहत एक मामला दायर किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री संदीप दादाजी खिरात्कर, निरीक्षक और किरण वसंत भोसले, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है।

ये पदक, पुलिस पदक का नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं.100-प्रेज/2010. राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री मैथिली शरण गुप्ता,
पुलिस महानिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 8 नवम्बर, 2007 को लगभग 1400 बजे दो अज्ञात उग्रवादियों ने सोपोर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 177 और 179 बटालियनों के आर.ओ.पी. पर गोलीबारी कर दी। सी आर पी एफ और जे एंड के पुलिस द्वारा की गई जबाबी गोलीबारी से ये दोनों उग्रवादी, न्यू लाइट होटल के परिसर में घुसने पर मजबूर हो गए जो सोपोर के मुख्य चौक के पास स्थित है। इसके बाद का घटनाक्रम संक्षेप में नीचे दिया गया है।

इस हमले पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया श्री डी.पी. उपाध्याय, कमांडेंट, 177 बटालियन, सी आर पी एफ, श्री सुभाष चन्द्र, द्वितीय कमान अधिकारी, 177 बटालियन, सी आर पी एफ, श्री अशोक कुमार, उपकमांडेंट, 177 बटालियन ने अपने-अपने क्यू आर टी के साथ और कुछ सीमा तक जे एंड के पुलिस के साथ की। इन टुकड़ियों ने न्यू लाइट होटल के चारों ओर घेरा डाला और उग्रवादियों को बच कर भाग निकलने नहीं दिया। 22 आर आर और जे एंड के पुलिस की टुकड़ियां आ जाने से 177 बटालियन सी आर पी एफ के प्रयास और अधिक पुख्ता हो गए। इन टुकड़ियों का मुख्य कार्य सभी सिविलियनों का पता लगाना और उन्हें होटल परिसर से सुरक्षित रूप से हटाना था। यहां पर यह कहने की जरुरत नहीं है कि यह कार्य अत्यंत संवेदनशील, नाजुक और जोखिम भरा था। सिविलियनों को हटाते समय सोपोर के मुख्य चौक के निकट 179 बटालियन सी आर पी एफ का एक बंकर आ गया। कांस्टेबल/जी डी शिशुपाल सिंह भदोरिया, कांस्टेबल/जी डी छोटे लाल चौहान, 179 बटालियन, सी आर पी एफ वाहन से उतरे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर घटित हो रही घटनाओं की गंभीरता से ये परिचित नहीं थे। अचानक, होटल की ऊपरी मंजिल से उग्रवादियों ने गोलीबारी कर दी कांस्टेबल/जी डी शिशुपाल सिंह भदोरिया और कांस्टेबल/जी डी छोटे लाल चौहान, 179 बटालियन घायल हो गए। दोनों को ही श्री अशोक कुमार, डी/सी (आप्स), 177 बटालियन सी आर पी एफ के नेतृत्व वाली एक पार्टी द्वारा अत्यधिक जोखिम ले कर वहां से हटाया गया। कुछ समय बाद कांस्टेबल/जी डी शिशुपाल सिंह

भदौरिया की घायल होने के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई। दिनांक 8 नवम्बर, 2007 को अंधेरा होने के कारण अभियान रोक दिया गया। उसी दिन श्री मैथिली शरण गुप्ता, जे पी एस, आई जी (आप्स), सी आर पी एफ कश्मीर और श्री एस.एम. सहाय, आई एफ एस, एल ओ पी, जे एंड के पुलिस भी उसी समय घटना स्थल पर पहुंचे। सिविलियन को होटल से सुरक्षित रूप से हटाने के बाद उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया कि कमरों की तलाशी ली जाए। शुरु में यह कार्य जे एंड के पुलिस ने किया। कमरों की तलाशी लेते हुए कांस्टेबल ओम सिंह 556/आई आर 8वां (500 कार्गो), उग्रवादियों द्वारा की गई गोलीबारी से घायल हो गये। इस कारण जे एंड के पुलिस ने कमरों की तलाशी लेने का कार्य छोड़ दिया। दिनांक 9 नवम्बर, 2007 को आगे कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद श्री मैथिली शरण गुप्ता, आई पी एस, आई जी पी (आप्स) सी आर पी एफ कश्मीर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया कि कमरों की तलाशी लेने का कार्य सी आर पी एफ द्वारा किया जाए। यह कार्य 177 बटालियन को सौंपा गया और श्री डी.पी. उपाध्याय, कमांडेंट को कमरों की तलाशी लेने वाली टीम तैयार करने का निदेश दिया गया। चुनी गई टीम में निम्नलिखित सदस्य थे: (i) कांस्टेबल/जी डी मुहम्मद इसील खां, (ii) कांस्टेबल/जी डी पिंकु बोरदोलोइ, (iii) कांस्टेबल/जी डी रॉबर्ट लाल थिंगालिमा और (iv) श्री अशोक कुमार डीसी(आप्स) 177 बटालियन। एक अत्यंत साहसिक और खतरनाक योजना बनाई गई। पड़ोस की एक बिल्डिंग के ऊंचे छोर से एक संकरी लेन के पार न्यू लाइट होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर स्टील की एक सीढ़ी डाली गई। भारी गोलीबारी के बीच तलाशी लेने वाली टीम इस सीढ़ी से न्यू लाइट होटल पहुंची और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने का काम शुरु किया। होटल के प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा था। इस टीम ने सभी 52 कमरों की जांच की। इन सभी कमरों की तलाशी लेने के बाद इन्होंने श्री डी.पी. उपाध्याय, कमांडेंट को संकेत दिया कि सभी ठीक है और होटल के बाकी हिस्सों की तलाशी लेने के लिए वे अपने सुरक्षा कार्मिकों के साथ इस टीम के साथ मिल गए। तलाशी का दूसरा चरण होटल के पिछवाड़े में किया गया। जब यह तलाशी ली जा रही थी तो एक उग्रवादी ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की। इस पर तलाशी दल और श्री डी.पी. उपाध्याय, कमांडेंट, 177 बटालियन ने जबाबी कार्रवाई की। उग्रवादी को एक तरफ की पगडंडी की ओर भागने के लिए मजबूर किया गया। जिस पगडंडी पर उग्रवादी भागा उस पर कांस्टेबल/जी डी दत्तात्रे पोटे, 177 बटालियन, सी आर पी एफ और श्री एम.एस. गुप्ता, आई पी एस, आई जी (ऑप्स), कश्मीर ने मोर्चा संभाला हुआ था। इनके बीच हुई भारी गोलीबारी में उग्रवादी मार गिराया गया जिसकी पहचान अबु तल्लाह जांबाज मुमताजुल्ला, फैसलाबाद, जिला-मियांवाली, पाकिस्तान के रूप में हुई और जो लश्कर-ए-तैय्यबा आतंकवादी गुट का था। जिस कमरे से उग्रवादियों ने गोलीबारी की थी उस कमरे की तलाशी लेने पर वहां पर कोई और उग्रवादी नहीं मिला। इस पार्टी ने अपनी तलाशी लगभग समाप्त होकर दी थी कि श्री सुभाष चन्द्र, द्वितीय कमान अधिकारी, 177 बटालियन, सी आर पी एफ को इनके अपने स्रोत से इनके मोबाइल फोन पर सूचना मिली कि दूसरा उग्रवादी उसी परिसर में बेसमैंट जैसे ढांचे में छिपा हुआ है। इस पर तलाशी ली गई और अंततः बेसमैंट खोज निकाला गया। इस बेसमैंट में कुछ तारें उलझी हुई थीं जिनके रहते दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। सी आर पी एफ पार्टी उस उग्रवादी को बाहर

नहीं निकाल पा रही थी इसलिए आई ई डी से कमरे को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। अगली सुबह मलबा हटाने के लिए जे सीबी को बुलाया गया और उग्रवादी का पता लगाने के लिए कहा गया। इसी प्रक्रिया के दौरान उग्रवादी स्वयं प्रकट हुआ और उसने सी आर पी एफ पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। उग्रवादी उस पगडंडी की ओर दौड़ा जिस पर कांस्टैबल/जी डी बीरेन्द्र शर्मा, 177 बटालियन, निरीक्षक मो. शफीक, सं. 4500/एन जी ओ, जम्मू और कश्मीर पुलिस और श्री अशोक कुमार, डी सी, 177 बटालियन ने मोर्चा संभाला हुआ था। कांस्टेबल/जीडी बीरेन्द्र शर्मा, निरीक्षक मो. शफीक और श्री अशोक कुमार, डी सी, 177 बटालियन ने अत्यधिक साहस का परिचय दिया और इनके जीवन को गंभीर खतरा होने पर भी इन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। कांस्टेबल/जी डी बीरेन्द्र शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए लेकिन ये तीनों उस उग्रवादी को घायल करने में सफल हो गए और बाद में घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उस उग्रवादी की पहचान अबू ओसामा जीशान काशिम, जिला लेह, एन डब्ल्यू एफ पी, पाकिस्तान के रूप में हुई जिसका संबंध लश्कर-ए-तैय्यबा के गुट से था। कांस्टेबल/जी डी पिंकू बोर्दोलोई कांस्टेबल/जीडी राबर्ट लाल थिंगलामा और कांस्टेबल/जी डी मो. इसील खान ने अपने आपको अत्यंत खतरे में डालते हुए इस अभियान को असाधारण ढंग से संचालित किया। श्री डी.पी. उपाध्याय, कमांडेंट, 177 बटालियन, अशोक कुमार डी सी (आप्स), 177 बटालियन सी आर पी एफ ने भी उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया। श्री मैथिली शरण गुप्ता, आई पी एस, आई जी पी(आप्स) सी आर पी एफ कश्मीर, पूरे अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल पर मौजूद थे, इन्होंने स्वयं इस अभियान का पर्यवेक्षण किया और इसके समाप्त होने तक निदेश दिए। ये, उग्रवादी की सीधी गोलीबारी के सामने आ गए जो सी आर पी एफ की सर्वोच्च परंपरा का उदाहरण है और इसी साहस के कारण उग्रवादी को मार गिराया जा सका। कांस्टेबल/जीडी दत्तात्रेय घोटे, 177 बटालियन ने पहले उग्रवादीको मार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई और कांस्टेबल/जी डी बीरेन्द्र शर्मा यद्यपि गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हो गए थे फिर भी इन्होंने दूसरे उग्रवादी को घायल करने और मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में श्री मैथिली शरण गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.11.2007 से अनुमत है।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2010

नियमावली

सं. 4/2/2010 एम. I]--निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए 2010 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

वर्ग--1 (भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय के पद)

(1) भू-विज्ञानी, ग्रुप "क"

वर्ग--2 (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक "ख"), ग्रुप "क"

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप "ख"

2. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक या दोनों वर्गों के पदों के लिए, प्रतियोगी हो सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है, उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन वर्गों के पदों के वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसको रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गई वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान (1): उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान (2): दोनों वर्गों के पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव में योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही पदों के लिए आवंटित किया जाएगा।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जायेंगे। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थाई रूप में की जाएंगी।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट--1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो:--

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवारों को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु पहली जनवरी, 2010 को 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 32 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उनका जन्म 2 जनवरी, 1978 से पहले और पहली जनवरी 1989 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम-2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी:--

कालम	कालम
1	2
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	(1) भू-विज्ञानी, ग्रुप 'क'
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) ग्रुप 'क', (2) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी:--

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों;

(3) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक;

(4) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(5) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित), ने पहली जनवरी, 2010 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुए शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 2010 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(6) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली जनवरी, 2010 तक पूरी कर ली है, और जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा;

(7) दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों तक।

टिप्पणी I :— अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त नियम 6 (ग) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त नियम 6 (ग) (5) तथा (6) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी IV : उपर्युक्त नियम 6 (ग) (7) के अन्तर्गत आयु में छूट के उपबन्धों के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण-पत्र किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित है।

टिप्पणी 1 :—उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विशेष ध्यान :—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन करने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र विधिवत् अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

उम्मीदवार के पास :—

7. (क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में "मास्टर" डिग्री, या

(ख) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में एसोसियेटशिप का डिप्लोमा, या

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन) के लिए, या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के पदों) हेतु।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह वचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र को स्वीकार करने तथा उनकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है, अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवार के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधन का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रोनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग

किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो; या

(12) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(13) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :--

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, तथा/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :--

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :--

(1) उम्मीदवार इस सम्बन्ध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवेक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. (1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जानी वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक (जो बाद में सामान्य अर्हक मानक कहलाएगा) निर्धारित करेगा। आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज. जा. और अ.पि.व. के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग सामान्य अर्हक मानक में छूट दे सकता है।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

(2) सेवा आबंटन के समय, अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत् समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं।

(3) आयोग अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी कमी को ध्यान में रखते हुए अर्हक मानकों को और कम कर सकता है और इस नियम के प्रावधानों से उत्पन्न आरक्षित रिक्तियों पर किसी उम्मीदवार के अधिशेष हो जाने पर आयोग, उप नियम (4) और (5) में निर्धारित ढंग से अनुशंसा कर सकता है।

(4) उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, आयोग प्रथम दृष्टया सभी वर्गों में रिक्तियों की कुल संख्या का ध्यान रखेगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या को घटाया जाएगा जिन्होंने उपनियम (1) के परन्तुक की शर्तों के अनुसार पात्रता या चयन मानदण्ड में किसी प्रकार की रियायत या छूट प्राप्त किए बिना योग्यता या निर्धारित सामान्य अर्हक मानक से अधिक योग्यता प्राप्त की है। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ आयोग उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची जारी करेगा जिसमें प्रत्येक वर्गों के अन्तर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में रैंक किए गए सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदण्ड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया। आरक्षित वर्गों में से, आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों प्रत्येक के उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक वर्गों में प्रारम्भिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रमिक संख्या के बराबर होगी।

(5) उपनियम (4) में दिए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आबंटित किए जाएंगे और जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है वहां सरकार आयोग को इस अनुरोध के साथ मांग भेज सकती है कि वह आरक्षित सूची में से प्रत्येक श्रेणी में रिक्त रह गई रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से मांग की गई संख्या को बराबर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम अनुशंसा करें।

15. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार निर्धारित अर्हता स्तर में छूट दी जाएगी। तथापि यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार का आयोग द्वारा सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति

तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अर्हता स्तर पर अपेक्षित संख्या में अपनी योग्यता पर चयन होता है तो आयोग द्वारा रियायती स्तर पर अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक की अनुशंसा नहीं की जाएगी।

16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करे इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसा भी मामला हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को इस पद के लिए अथवा अन्यथा उनके शारीरिक आरोग्यता का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण करवाना अपेक्षित होगा। चिकित्सा परीक्षा का विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। चिकित्सा परीक्षा के समय उम्मीदवार को संबंधित चिकित्सा बोर्ड को 16.00 रुपये (केवल सोलह रुपये) का भुगतान करना होगा।

नोट :--निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा इनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी।

19. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए। तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी :–

कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
1	2
एफ (F)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य।
पी पी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य।
एल (L)	3. उठाकर किए जाने वाले कार्य।
के सी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य।
बी (B)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य।
एस (S)	6. बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य।
एस टी (ST)	7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य।
डब्ल्यू (W)	8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य।
एस ई (SE)	9. देखकर किए जाने वाले कार्य।
एच (H)	10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य।
आर डब्ल्यू (RW)	11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य।

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा:--

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड	कार्य
बी एल (BL)	1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं।
बी ए (BA)	2. दोनों भुजाएं खराब-क. दुर्बल पहुंच, ख. पकड़ की दुर्बलता
बी एल ए (BLA)	3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब।
ओ एल (OL)	4. एक पैर खराब (दायां या बायां)-क. दुर्बल पहुंच, ख. पकड़ की दुर्बलता, ग. ऐटेक्सिक
ओ ए (OA)	5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) –वही–
बी एच (BH)	6. सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)।
एम डब्ल्यू (MW)	7. मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
बी (B)	8. नेत्रहीन।
पी बी (PB)	9. आंशिक नेत्रहीन।
डी (D)	10. बधिर।
पी डी (PD)	11. आंशिक बधिर।

20. जिस व्यक्ति ने :--

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

21. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-3 में दिया गया है।

भूपाल नन्दा
निदेशक

परिशिष्ट--1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:--

भाग-1--नीचे पैरा 2 में दिए गए नियमों में लिखित परीक्षा।

भाग-2--आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी:--

विषय	समय	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	100
(2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-I	3 घंटे	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र-II	3 घंटे	200
(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र III	3 घंटे	200
(5) जल भू-विज्ञान	3 घंटे	200

नोट:--वर्ग 1 और वर्ग 2 के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे। केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवार को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णतः परम्परागत निबंधात्मक प्रकार की होगी।

4. सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

5. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

6. उम्मीदवार को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

8. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

9. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग की और सही हो।

11. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्न तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित ही पूछे जाएंगे।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

13. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में अपने साथ बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर लाने तथा प्रयोग करने की छूट है। परीक्षा हाल में कैलकुलेटर उधार लेने अथवा बदलने की अनुमति नहीं है।

14. व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार

उम्मीदवार का साक्षात्कार सक्षम तथा निष्पक्ष प्रेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके समक्ष उम्मीदवार के परिचयवृत का पूर्ण अभिलेख होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार जिस पद के लिए वह प्रतियोगी है उसके लिए उसकी उपयुक्तता को आंकना है। व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार के नेतृत्व, पहलशक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा, व्यवहार कौशल और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यवहारिक अनुप्रयोग की क्षमताओं, चारित्रिक सत्यनिष्ठा और स्वयं को कार्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के प्रति अभिरुचि की क्षमताओं के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है। भू-वैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम.एससी. डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनमें उम्मीदवारों को विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक लघु निबंध लिखना होगा। अन्य प्रश्नों का उद्देश्य उनकी अंग्रेजी समझने की क्षमता तथा शब्दों के सुनिपुणता की परीक्षा करना होगा।

(2) भू-विज्ञान

प्रश्न-पत्र-1

खंड क: भू-आकृति विज्ञान तथा सुदूर संवेदन

मूल सिद्धांत। अपक्षरण तथा मृदा बृहत क्षति। प्रक्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव। अपरदन चक्र की अवधारणा। नदीय भू भाग, शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों 'कार्स्ट' भूदृश्य तथा हिमानी शृंखलाओं का भू-आकृति विज्ञान, भू-आकृति मानचित्रण, ढाल विश्लेषण तथा अप्रवाह द्रोणी विश्लेषण। खनिज पूर्वेक्षण, सिविल इंजीनियरी, जल विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययनों में, भू-आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग। स्थलाकृति मानचित्र। भारत का भू-आकृति विज्ञान। वायवीय फोटोग्राफी तथा फोटोग्राममीति की अवधारणा तथा नियम। उपग्रह सुदूर संवेदन-आंकड़ा उत्पाद तथा उनकी व्याख्या की परिकल्पना तथा सिद्धांत। प्रतिबिम्ब संसाधन। स्थलरूप में सुदूर संवेदन तथा भू उपयोग मानचित्रण संरचना मानचित्रण--जल भूविज्ञानीय अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण। विश्वव्यापी तथा भारतीय अंतरिक्ष मिशन। भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)--सिद्धांत तथा अनुप्रयोग।

खंड ख: संरचना भू-विज्ञान

भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा मानचित्र अंकन, प्रक्षेप आरेख के सिद्धांत। इलास्टिक, प्लास्टिक तथा लसीला के (विस्कोस) सामग्री का बल-दबाव संबंध, विकृत शैलों के दबाव का मापन विरूपण परिस्थितियों में खनिजों तथा शैलों का व्यवहार। वलन, भेदन/दरार रेखन, संधियों तथा भ्रंशों का संरचनात्मक विश्लेषण, अध्यारोपित विरूपण। क्लनन तथा भ्रंशन की

क्रियाविधि। क्रिस्टलन और विरूपण के बीच समय संबद्धता विषम विन्यास तथा आधार-उपस्थिति संबंध। आग्नेय शैलों, अंतर्वेधी तथा लवण गुम्बदों का संरचनात्मक व्यवहार। शैल संविन्यासी परिचय।

खंड ग : भू-विवर्तनिक

पृथ्वी तथा सौर पद्धति, उल्कापिन्ड तथा अन्य अति पार्थिव पदार्थ, पृथ्वी का ग्रहीय विकास तथा इसकी आंतरिक संरचना। पृथ्वी की भू-पटल की विषमता। महासागरीय तथा महाद्वीपीय भू-पटल की प्रमुख विवर्तनिक विशेषताएं। महाद्वीपीय विस्थापन--भूवैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय प्रमाण, यांत्रिकी आपत्तियां, वर्तमान स्थिति। मध्यसागरीय कटक, गम्भीरसागर खाईयां, स्थर भू-खंड क्षेत्रों तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं पर गुरुत्व एवं चुम्बकीय असंगति। पराचुम्बकत्व। समुद्रतल विस्तारण तथा प्लेट विवर्तनिकी। द्वीप चाप, महासागरीय द्वीप तथा ज्वालामुखी चाप। समस्थिति, पर्वतन तथा महादेशरचना। पृथ्वी की भूकंपीय पट्टियां। भूकंपीयता तथा प्लेट संचलन। भारतीय पट्टिका की भू-गतिकी।

खंड घ : स्तरिकी

नाम पद्धति तथा आधुनिक स्तरिकी नियमावली। विकिरण--समस्थानी तथा भूवैज्ञानिक काल मापन। भूवैज्ञानिक काल--स्केल। अजीवाश्मी गैर जीवाश्ममय शैली के सहसंबंध की स्तरिकी प्रक्रियाएं। भारत की कैम्ब्रियन पूर्व स्तरिकी। भारत की पुराजीवी मध्यजीवी तथा नूतनजीवी शैल समूह की स्तरिकी। गोंडवाना शैल समूह तथा गोंडवाना भूमि। हिमालय का उत्थान तथा शिवालिक द्रोणी का विकास। दक्खिनी ज्वालामुखी। चतुर्थ महाकल्प स्तरिकी। शैल अभिलेख, पुराजलवायु तथा पुरा भूगोल।

खंड ङ : जीवाश्म विज्ञान

जीवाश्म अभिलेख तथा भूवैज्ञानिक काल स्केल। आकृति विज्ञान तथा जीवाश्म समूहों के काल परिसर। भूवैज्ञानिक काल में मोलस्को तथा स्तनपायियों में विकासीय परिवर्तन। विकास के सिद्धान्त। जैव स्तरिकी सह-संबंध में फोरामिनीफेरा तथा एकिनोडमांट की जातियों तथा सवंशों का प्रयोग। शिवालि कशेरुकी प्राणिजात तथा गोंडवाना वनस्पति, कैम्ब्रियन पूर्व काल में जीवन का प्रमाण। विभिन्न सूक्ष्म जीवाश्म समूह तथा उनका भारत में वितरण।

(3) भू-विज्ञान

प्रश्न पत्र-II

भाग क : खनिजिकी

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिज समूहों के भौतिकीय, रसायनिक तथा क्रिस्टल संरचनात्मक अभिलक्षण। आग्नेय तथा कायांतरी शैलों के आम खनिज। कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड तथा हैलाइड समूहों के खनिज।

आम शैल निर्मित करने वाले सिलीकेट खनिजों के प्रकाशीय गुण, एक अक्षीय तथा द्विअक्षीय खनिज। खनिजों के विलोम कोण, बहु-वर्णता, द्विअवर्तन तथा उनके खनिज संघटन से संबंध। यमलित क्रिस्टल/प्रकीणन।

4 स्टेज।

भाग ख : आग्नेय तथा कायांतरी शैलिकी

आग्नेय शैलों के रूप, गठन तथा संरचना। सिलीकेट गलित संतुलन, द्विअंगी तथा त्रिअंगी अवस्था आरेख। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एन्डेजाइट तथा क्षारीय शैलों की शैलिकी तथा भूविवर्तनिक विकास। ग्रैबो, किम्बरलाइट एनार्थसाइट तथा कार्बोनेटाइट की शैलिकी/प्राथमिक अल्पसिलिक मैग्मा की उत्पत्ति।

कायांतरी शैलों का गठन तथा संरचना। मृदाश्मक तथा अशुद्ध कैल्सियमी शैलों का क्षेत्रीय तथा संस्पर्श कायान्तरण। खनिज समुच्चय तथा P-T अवस्था। कायांतरित अभिक्रियाओं का प्रायोगिक तथा उष्मागतिक मूल्यांकन। कायांतरण के विभिन्न कोटि तथा संलक्षणी के अभिलक्षण। मैग्मसेमिटम्म तथा ग्रेनाइटीभवन, मिग्मेटाइट/प्लेट विवर्तनिकी तथा कायांतरण मंडल युग्मित कायांतरिक पट्टी।

भाग ग : अवसादी विज्ञान

अवसादी का जनक क्षेत्र तथा प्रसंचनन। अवसादी गठन। स्थलजात अवसादों का ढांचा मैट्रिक्स तथा सीमेंट। कण-साइज को परिभाषा, मापन तथा व्याख्या/हाइड्रोलिक्स के तत्व। प्राथमिक संरचना तथा पुराधारा विश्लेषण। जीव जनित तथा रासायनिक अवसादी संरचना। अवसादी पर्यावरण तथा संलक्षणी। समुद्री, असमुद्री तथा मिश्रित अवसादों का संलक्षणी प्रतिरूपण। विवर्तनिक तथा अवसादन। अवसादी द्रोणियों का वर्गीकरण तथा परिभाषा। भारत के अवसादी द्रोणियां। चक्रीय अवसाद। भूकंपी तथा अनुक्रमी स्तरिकी/द्रोणी विश्लेषण का लक्ष्य तथा क्षेत्र। संरचना परिरेखा तथा समस्थूलता मैप।

भाग घ : भू-रसायन

पृथ्वी, सौर परिवार तथा समिष्टि के संबंध में, तत्वों का अंतरिक्षी बाहुल। ग्रहों तथा उल्कापिंडों का संघटन। पृथ्वी की संरचना तथा संघटन और तत्वों का वितरण। सूक्ष्म मात्रिक तत्व। मूल (प्रारंभिक) क्रिस्टल रसायन तथा उष्मागतिकी। समस्थानिक रसायन का परिचय। जलमंडल, जीवमंडल तथा वायुमंडल का भू-रसायन/भूरसायनिक चक्र तथा भूरसायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धान्त।

भाग ङ: पर्यावरणीय भूविज्ञान

संकल्पना तथा सिद्धान्त। प्राकृतिक आपदा-निरोधक/पूर्वोपाय विधियां-बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, नदी तथा तटीय अपरदन। मानवोद्भवी सक्रियता जैसे नगरीकरण, विवृत खनन तथा अखनन, नदी-घाटी परियोजना, औद्योगिक तथा रेडियोधर्मी अवशिष्ट का निपटान, भौमजल की अति अधिक निकासी, उर्वरक का उपयोग, अयस्कों, खनन अवशिष्टों तथा फ्लाइ ऐश का क्षेपण का प्रतिघात निर्धारण/भौमजल की कार्बनिक तथा अकार्बनिक दूषण तथा उनके उपचार की विधियां। मृदा निम्नीकृत तथा उपचार की विधियां। पर्यावरण संरक्षा--भारत में वैधानिक विधियां।

(4) भूविज्ञान

प्रश्न पत्र-III

खंड क : भारतीय खनिज निक्षेप तथा खनिज अर्थशास्त्र

धात्विक निक्षेपों की भारत में प्राप्ति तथा वितरण--क्षारक धातु, लोहा, मैंगनीज़, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकल, सोना, चांदी मालिब्डेनम। भारतीय अधात्वनिक्षेप-अभ्रक, एसबेस्टस, बेराईटीज़, जिप्सम, ग्रेफाइट, ऐपाटाइट तथा बेरिल। रत्नपाषाण, दुर्गलनीय खनिज, अपघर्षक तथा कांच उर्वरक, प्रलेप, सिरेमिक तथा सीमेंट उद्योग के उपयोग में आने वाले खनिज। इमारती पत्थर। फॉसफोराइट निक्षेप। प्लेसर निक्षेप। दुर्लभ मृदा खनिज।

युद्धीय, क्रांतिक तथा अनिवार्य खनिज। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति। खनिज खपत का बदलता पैटर्न। राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज अनुदान नियम। समुद्री खनिज सम्पत्ति तथा समुद्र के नियम।

खंड ख : अयस्क उत्पत्ति

अयस्क निक्षेप तथा अयस्क खनिज। खनिजन के मैग्मीय प्रक्रम। पार्थिवी, स्कार्न तथा उष्णजलीय खनिजन। तरल अंतर्वेश अध्ययन। (I) अतिमैफिक, मैफिक तथा अधिसिलिक शैलों, (II) हरितास्म पट्टी, (III) कोमाटाइट, एनार्थोसाइट तथा किम्बरलाइट एवं अंत: सागरीय ज्वालामुखन से संबंधित खनिजन। भू-वैज्ञानिक समय आद्योपान्त में मैग्मा-संबंधी खनिजन। स्तररूप तथा स्तरपरिमा अयस्क। अयस्क तथा कायांतरण--कारण और परिणाम संबंध।

खण्ड ग : खनिज अन्वेषण

पृष्ठ तथा अधस्तलीय अन्वेषण की विधियां, आर्थिक खनिजों का पूर्वेक्षण--प्रवेधन, प्रतिचयन, आमापन। भूभौतिकीय प्रविधि-गुरुत्व, वैद्युत, चुम्बकीय, वायुवाहित तथा भूकंपी। भूआकृतिक तथा सुदूर संवेदन प्रविधि। भूवानस्पतिक तथा भूरासायनिक विधियां। वेधन, संलेखन तथा विश्लेषण के लिए सर्वेक्षण।

खण्ड घ : ईंधन का भूविज्ञान

कोयले की परिभाषा तथा उत्पत्ति। कोयला युक्त संस्तर की स्तरिकी। कोयला शैल विज्ञान के मूलभूत,पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी तथा ऐन्थ्रासाइट कोयला। कोयले के सूक्ष्मदर्शीय संघटक। कोयला-शैल विज्ञान का औद्योगिक अनुप्रयोग। भारतीय कोयला निक्षेप। कार्बनी पदार्थों का प्रसंचनन।

प्राकृतिक हाइड्रोकार्बनों की उत्पत्ति, अभिगमन तथा फंसना। स्रोत तथा तैलाश्म शैलों के अभिलक्षण। संरचनात्मक, स्तरिक तथा मिश्रित ट्रैप। अन्वेषण की प्रविधियां। भारत के अभिनट तथा अपनट पेट्रोलियम द्रोणियों का भौगोलिक तथा भूवैज्ञानिक वितरण।

रेडियोसक्रिय खनिजों की खनिजिकी तथा भूरसायन। रेडियोसक्रियता पहचानने की यंत्रीय प्रविधियां। खनिजों के निक्षेपों के पूर्वेक्षण तथा आमापन के लिए रेडियोसक्रिय विधियां। भारत में रेडियो सक्रिय खनिजों का वितरण, पैट्रोलियम की खोज में रेडियोसक्रिय विधियां-कूप संलेखन प्रविधि। नाभिकीय अपरद निपटान--भूवैज्ञानिक बाधाएं।

खण्ड ङ: इंजीनियरी भूविज्ञान

शैलों तथा मृदाओं के बलकृत गुणधर्म। नदी घाटी परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक अन्वेषण--बांध तथा जलाशय, सुरंगें--प्रकार, विधियां तथा समस्याएं। सेतु--प्रकार तथा आधारी समस्याएं। तटरेखा इंजीनियरी। भूस्खलन--वर्गीकरण, कारण निवारण तथा पुनर्वास। कंक्रीट पुंज--स्रोत, क्षार--पुंज प्रतिक्रिया। अभूकंपी, योजना--भारत में भूकंपनीयता तथा भूकंप प्रतिरोध संरचनाएं। इंजीनियरी परियोजनाओं में भौमजल की समस्याएं। भारत के मुख्य परियोजनाओं के भू-तकनीकी केस अध्ययन।

(5) जल भूविज्ञान

खण्ड क: जल का उद्भव, प्राप्ति तथा वितरण

जल का उद्भव: उल्का, आकाशी मैग्मीय तथा समुद्री जल।

जलीय चक्र: अपक्षेपण, प्रवाह, अंत:स्यदन तथा वाष्पोत्सर्जन। जलारेख। उपपृष्ठीयगति तथा भूजल का उर्ध्व वितरण। झरने, जलभरों का वर्गीकरण, अपवाह द्रोणी तथा भूजल द्रोणी की अवधारणा शैलों के जल विज्ञानीय गुणधर्म--आपेक्षिक पराभव, आपेक्षिक धारण, सरंध्रता द्रव चालकता, पारगम्यता, भंडारण गुणांक/भौम जलस्तर की घटत बढ़ाव--उद्भावक कारक, वायुदबीय अवधारणा और ज्वारीय क्षमता। जल स्तर समोच्च रेखा मानचित्र जलधारी लक्षणों के संदर्भ में शैलों का वर्गीकरण--जल स्तरिकी इकाई--भारत के भूजल क्षेत्र। भारत के शुष्क प्रदेशों का भू-जल विज्ञान, आर्द्र क्षेत्र।

खण्ड ख: कूप द्रवचालित तथा कूप डिज़ाइन

भूजल प्रवाह का सिद्धांत, डार्सी का नियम और उसके अनुप्रयोग, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में परागम्यता का निर्धारण। कूपों के प्रकार, कूपों की ड्रिलिंग पद्धतियां, संरचना डिज़ाइन, विकास तथा अनुरक्षण, आपेक्षिक क्षमता तथा उसका निर्धारण। अपरिरुद्ध परिरुद्ध अस्थिर, स्थिर तथा त्रिज्य प्रवाह परिस्थितियां। भूजल विज्ञानीय सीमाओं के लिए पम्प परीक्षण-पद्धतियां, आंकड़ों का विश्लेषण तथा व्याख्या। थीम, थीस, जैकब तथा चाल्टन पद्धतियां अपनाते हुए जलभरों के पैरामीटरों का मूल्यांकन। भू-जल प्रतिदर्श अंकीय तथा विद्युत माडल।

खण्ड ग: भू-जल रसायन विज्ञान

भू-जल गुणवत्ता--जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, विभिन्न प्रयोगों के लिए गुणवत्ता मानदंड--जल मानदंड-जल गुणवत्ता आंकड़ों की ग्राफीय प्रस्तुति--भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल की गुणवत्ता--आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की समस्याएं--तटीय तथा अन्य जलभरों में खारे पानी का अतिक्रमण और इसके रोधक उपाय। जल-भू विज्ञानीय, अध्ययनों में विकिरण समस्थानक (रेडियो आईसोटोप) भू-जल संदूषण।

खण्ड घ: भू-जल अन्वेषण

भूविज्ञानी-अश्मविज्ञानीय तथा संरचनात्मक मानचित्रण, फेक्चर ट्रेस विश्लेषण। जल-भूविज्ञानीय-जल विज्ञानीय गुणों के संदर्भ में अश्मविज्ञानीय वर्गीकरण। भूविज्ञानीय संरचनाओं के संदर्भ में द्रवचालित निरन्तरता। झरनों की स्थिति-सुदूर संवेदी-विभिन्न उपग्रह प्रेषणों के विभिन्न प्रभावों के उपयोग द्वारा भू-भाग का जल-भू आकृति मानचित्रण। रेखीय मानचित्रण। उपग्रह प्रभावों द्वारा सतही भू-जल सामर्थ्य क्षेत्र मानचित्रण। पृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां--भूकंपीय घनत्वीय, भू विद्युतीय तथा चुम्बकीय। उपपृष्ठीय भू भौतिकी पद्धतियां--जलभरों के चित्रण तथा जलगुणवत्ता के आंकलन के लिए कूप गणन।

खण्ड ङ: भू-जल की समस्याएं तथा प्रबंध

स्थापना कार्य, खनन, नहरें तथा सुरंगों से संबंधित भू-जल की समस्याएं। अवशोषण तथा भू-जल खनन की समस्याएं। शहरी क्षेत्रों में भू-जल विकास तथा वर्षा जल उपज। कृत्रिम पुनर्भरण पद्धतियां। शुष्क प्रदेशों में भू-जल की समस्याएं और सुधारक उपाय। भू-जल संतुलन और आकलन की पद्धतियां। भू-जल विधान। संपोषण मानदण्ड तथा भू-जल स्रोतों के नवीनीकृत तथा अनवीनीकृत प्रबंध।

परिशिष्ट-2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्ज़ामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों को निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं

को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारण मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

2(क). तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। शारीरिक विकलांगता की श्रेणी के अंतर्गत केवल आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए कुछ हद तक छूट दी जाएगी।

(ख). चिकित्सा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के लिए आयोजित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा में निर्धारित संपूर्ण चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। चिकित्सा परीक्षा का आयोजन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किए जाएंगे।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह ज़रूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के बीच के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाएं। यदि वज़न, कद और छाती के बीच में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवारों को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :--

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वज़न सिवाए एड़ियों के, पांवों के अंगूठे या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स ऑफ हैड लेवल) हारिज़ेंटल बार (आड़े छड़) के नीचे जाए। कद सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :--

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर के ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफल का (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े/समतल (हारिज़ेंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा। और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84-89, 86-93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें :--अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिए।

5. उम्मीदवार का वज़न किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधी किलोग्राम का उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक आंख का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) : किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखों में फैलाव या विकृति अथवा कन्ट्रिब्युअस स्ट्रक्चर का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विज़ुअल एक्यूइटी) : दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी एक दूर की नज़र के लिए और दूसरी नजदीक की नज़र के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नज़र (नेक्ड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंखों की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा:--

दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
6/9 अथवा 6/6	6/9 अथवा 6/12	0.6	0.8

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)-4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित)+4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फण्ड्स परीक्षा जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवेचना पर फण्ड्स परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : (3) कलर विज़न--(1) कलर विज़न की जांच ज़रूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए। ला लैंटर्न एपचर के आकार पर निर्भर होगा :--

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपचर) का आकार	1.3 मि. मी.	1.3 मि. मी.
3. उद्भाषण काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण से संबंधित भू-विज्ञानी ग्रुप क तथा केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड से संबंध कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी तथा सहायक जल-भू-विज्ञानी के पदों के लिए रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा आंखों से संबंधित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊंचा होगा।

(3) लाल संकेत, हरे संकेत और रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है। शिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एंडिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है। कलर विज़न की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाज़मी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ विज़न) : सम्मुख विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) : केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से ज़रूरी नहीं है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दिशाएं (ऑक्यूलर कण्डीशन्स)।

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) : रोहे जब तक भयानक न हों, साधारणत: अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भेंगापन: जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना ज़रूरी है भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति: एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा।

नार्मल मैक्सीमम सिस्टॉलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :--

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 + आयु होता है।

(2) 25 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 + आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

विशेष ध्यान--सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टॉलिक प्रेशर और 90 एम. एम. के ऊपर डायस्टॉलिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगना चाहिए कि घबराहट में (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है, ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच, रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच भी नैमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारा वाले दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो। चाहे थोड़ी-बहुत होरीज़ैंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजाओं के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच उतार करके लगाने चाहिएं। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर न निकले।

कोहनी को मोड़कर बहु धमनी (ब्राकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच स्टैथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है और उसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई देने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है। वह सिस्टॉलिक प्रेशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो तेज़ ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाएं यह

डॉयस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है इस "साइलैंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की भी परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेय (डॉयबिटीज़), के द्योतक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड को उम्मीदवार का ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैन्डर्ड के अनुरूप पाएं तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है। इसका ग्लूको मेह (अमधुमेही नान डायबिटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के बिना ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा। जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेन्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लीनिकल रिपोर्ट लेबोरेटरी परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतरिम राय पर आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्तों के बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (ऑपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव है।	यदि 1000 से 4000 तक की 30 स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य।
(3)	सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पनिक मैम्ब्रेन छिद्र	(1) एक कान सामान्य हो, दूसरे कान से टिम्पनिक मेम्ब्रन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एट्रिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सबनार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान से सामान्य रूप में एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सब-नार्मल श्रवण वाले कान मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए योग्य। (2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य यदि किसी भी कान को श्रवण यंत्र लगा कर अथवा बिना लगाये सुधार कर 30 डेसिबल हो जाने पर गैर तकनीकी काम के लिये योग्य।
(5)	बहते रहने वाला कान ऑपरेशन किया गया/बिना ऑपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिये अस्थाई रूप से अयोग्य।
(6)	नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा।	(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (2) यदि लक्षणों सहित नास पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
(7)	टॉसिल और/अथवा स्वर यंत्र (लेरिंस) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(1) टॉसिल और/अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य। (2) यदि आवाज़ में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य।

1	2	3
(8)	कान, नाक और गले (ई.एन.टी.) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर	(1) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप से अयोग्य। (2) दुर्दम ट्यूमर अयोग्य।
(9)	ऑस्टेकिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या ऑपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11)	नेज़ल पोली	अस्थाई रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिये ज़रूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई वेरिकोसिल वेरिकाज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उनके अंगों, हाथ पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात संरचना या दोष नहीं है।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे कमज़ोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असमानताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें संबंधित भू-विज्ञानी परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है।

उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देना चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

टिप्पणी:--उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपयुक्त सेवाओं के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इज़ाज़त दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करें तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षण के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है:--

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड से संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाईंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं है कि उसे कोई ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उससे अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना सम्बद्ध है जितना वर्तमान से और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी और कनिष्ठ भू-जल विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) तथा सहायक जल-भू-विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें भारत में या भारत के बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के कारण उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामले में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के अयोग्य बनाए जाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इन नियुक्तियों के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा:

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में, उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना नाम पूरा लिखें।

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं।

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी खेचक, रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म एपेंडिसाइटिस हुआ है।

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

1	2	3	4	5	6	7	8
यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं और उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

6. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताएं कि किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

11. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं। तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अन्तर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी होगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रपत्र—I

(ख) (उम्मीदवार का नाम)

की शारीरिक परीक्षा या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास :	अच्छा	सामान्य	खराब
पोषण	पतला	औसत	मोटा
वजन	कद (जूते उतार कर)		
वजन	में हाल में हुआ कोई परिवर्तन		
	तापमान		

छाती का घेर----------

1. पूरा सांस खींचने पर----------

पूरा सांस छोड़ने पर----------

2. त्वचा :--कोई बाहरी बीमारी----------

3. नेत्र :--

(1) कोई बीमारी----------

(2) रतौंधी----------

(3) कलर विजन का दोष----------

(4) दृष्टि के क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन)----------

(5) फंडस की जांच----------

(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्विटी)----------

(7) त्रिविम संगलन की योग्यता----------

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलएकसस
दूर की नजर	दा. ने.		
	बा. ने.		
पास की नजर	दा. ने.		
	बा. ने.		
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा. ने.		
	बा. ने.		

4. कान निरीक्षण सुनना

दायां कान बायां कान

5. ग्रंथियां थाईराइड

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)--का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का पता लगा है। यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें--

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक लीजर)

गति (रेट) :

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर सिस्टालिक .....डायस्टालिक.....

9. उदर (पेट) घेरा स्पर्श सहायता हर्निया

(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर, तिल्ली, गुर्दे, ट्यूमर

(ख) स्वतंत्र भगंदर

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक असमान्यता का संकेत.....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)

कोई असामान्यता.....

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनेटोयूरिनरी सिस्टम).....

हाइड्रोसिल वेरिकोसिल आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :--

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्टस

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट :--महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय की गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें विनियम 9)।

14. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है?

टिप्पणी 1 :--बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) स्वस्थ

(ii) .....के कारण अस्वस्थ

(iii).....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

टिप्पणी 2 :--उम्मीदवार की छाती का एक्सरे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अन्तिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है।

अध्यक्ष

स्थान : हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

दिनांक : मेडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र--II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम लिखें :

(बड़े अक्षरों में)

2. रोल नम्बर :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मेडिकल बोर्ड द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी :--बोर्ड को उम्मीदवार की छाती के एक्सरे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अन्तर्गत अपना निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम.....

(i) स्वस्थ

(ii) .....के कारण अस्वस्थ

(iii).....के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ

स्थान : अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

दिनांक : मेडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट--3

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण

1. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा 'परीक्षण' उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित

वेतनमान :--

क्रम सं.	नाम/पद का नाम	संशोधित वेतनमान	ग्रेड पे
(1)	भू-वैज्ञानिक	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	5,400/-
(2)	वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	6,600/-
(3)	अधीक्षक भू-वैज्ञानिक	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	7,600/-
(4)	निदेशक भू-वैज्ञानिक	वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/-	8,700/-
(5)	उपमहानिदेशक/(भू-विज्ञान)	वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/-	10,000/-
(6)	अपर महानिदेशक (भू-विज्ञान)	एज ए जी रु. 67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--79,000/-)	शून्य

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(छ) भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी) ग्रुप "क"--

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा। उस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय भू-जल-बोर्ड विहित वेतनमान--

क्रम सं.	नाम/पद का नाम	पूर्व संशोधित वेतनमान	संशोधित वेतनमान	ग्रेड पे
(1)	वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ-जल भू-विज्ञानी)	रु. 8,000-275-13,500/-	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	5,400/-
(2)	वैज्ञानिक "ग" (वरिष्ठ-जल-भू-विज्ञानी)	रु. 10,000-325-15,200/-	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	6,600/-
(3)	वैज्ञानिक "घ"	रु. 12,000-375-16,500/-	वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/-	7,600/-
(4)	क्षेत्रीय निदेशक	रु. 14,300-400-18,300/-	वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/-	8,700/-
(5)	सदस्य	रु. 18,400-500-22,400/-	वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/-	10,000/-
(6)	अध्यक्ष	रु. 22,400-525-24,500/-	वेतन बैंड-4 रु. 67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)--79,000/-	शून्य

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय) सेवाएं नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/-

संशोधित वेतनमान पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड पे रु. 4,800/-

(ग) कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी (ग्रुप 'क') के संवर्ग में भर्ती अंशत: संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशत: समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को सहायक जल-विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा दी जाएगी।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है।

(च) सहायक भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

भूपाल नन्दा
निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2010

सं. यू-13019/5/2010-एएनएल--राष्ट्रपति, इस विषय पर पहले की सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति गठित करती हैं।

2. संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए इस सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) प्रशासक, लक्षद्वीप।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा-सदस्य।

(ग) जिला पंचायत के अध्यक्ष व मुख्य पार्षद

(घ) सिविल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

3. यदि उपर्युक्त पैरा 2(क) से (ग) श्रेणीयों में कोई सदस्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उपर्युक्त पैरा 2(घ) के अन्तर्गत मनोनयन इस प्रकार से किया जाएगा कि कम से कम एक सदस्य महिलाओं का तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करे।

4. गृह मंत्रालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव (संघ राजय क्षेत्र) इसके सदस्य सचिव होंगे।

5. गृह मंत्री की सलाहकार समिति की वर्ष में एक बार बैठक होगी और समिति नीतिगत मुद्दों, विधायी प्रस्तावों, वित्तीय मामलों तथा केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा आवश्यक/वांछनीय समझे जाने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

6. मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

एम.एल. वर्मा
उप सचिव

सं. यू-13019/1/2010-सी.पी.डी.--राष्ट्रपति, इस विषय पर पहले की सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति गठित करती है।

2. संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव के लिए इस सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) प्रशासक, दमण एवं दीव।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा-सदस्य।

(ग) जिला पंचायत के अध्यक्ष व मुख्य पार्षद।

(घ) अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, दमण।

(ङ) सिविल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गृह मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

3. यदि उपर्युक्त पैरा 2(क) से (घ) श्रेणीयों में कोई सदस्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उपर्युक्त पैरा 2(ङ) के अन्तर्गत मनोनयन इस प्रकार से किया जाएगा कि कम से कम एक सदस्य महिलाओं का तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करे।

4. गृह मंत्रालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) इसके सदस्य सचिव होंगे।

5. गृह मंत्री की सलाहकार समिति की वर्ष में एक बार बैठक होगी और समिति नीतिगत मुद्दों, विधायी प्रस्तावों, वित्तीय मामलों तथा केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा आवश्यक/वांछनीय समझे जाने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

6. मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

एम.एल. वर्मा, उप सचिव

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 31 मई 2010

सं. 21/एनएमसीपी/2007/टीआर-II--केन्द्र सरकार ने 210 करोड़ रुपये के परिव्यय (135 करोड़ रुपये के भारत सरकार के योगदान सहित)के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के तहत 11वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वत की जाने वाली 'सार्वजनिक निजी भागीदारिता (पीपीपी) मोड के अंतर्गत नए मिनी टूल रूमों (एमटीआर) की स्थापना' नामक एक योजना को अप्रैल 2008 में अनुमोदन प्रदान कर दिया था। इस योजना का उद्देश्य क्वालिटी टूल्स को डिजाइनिंग और विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र में क्षमताओं को सृजित करके, उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करके और अनुसंधान व विकास कार्यकलाप को प्रोत्साहित करके विनिर्माण कार्य में लगे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाना है।

2. योजना का ब्योरा एवं संशोधित दिशानिर्देश, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के वेबसाइट, यानि, www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अभय बाकरे, संयुक्त विकास आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 04 जून 2010

संकल्प

सं. ई-11015/08/2008-हिन्दी--गृह मंत्रालय , राजभाषा विभाग के दिनांक 15.03.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/20015/45/87 रा.भा. (क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति का कार्यकाल, गठन तथा कार्य आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे :--

1. मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय — अध्यक्ष

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

2. श्री मदन लाल शर्मा, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
22, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

स्थायी पता

गाँव पलाटन,
डाकघर पाल्लानवाला,
तहसील अखनूर
जिला-जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
पिन-181204

3. श्री प्रदीप टम्टा, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
111, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110011

स्थायी पता
ग्राम एवं डाकघर लोध,
जिला बागेश्वर,
(उत्तराखंड)
पिन-263628

संसद सदस्य

4. श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
21, मीना बाग,
नई दिल्ली-110011

स्थायी पता :
90, अनूप नगर,
इन्दौर (मध्य प्रदेश)
पिन-452008

5. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
सिंधिया किला, रिंग रोड,
सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-110023

स्थायी पता :

रानी महल, जय विलास पैलेस
लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
पिन-474001

6. श्रीमती कुसुम राय, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
सी-704, स्वर्ण जयन्ती सदन,
डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

स्थायी पता :

ई-डी-1, राजाजीपुरम
लखनऊ (उ.प्र.)
पिन-226017

7. डॉ. मालचन्द मुंगेकर, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
सी-499, डिफेंस कालोनी,
नई दिल्ली-110024

स्थायी पता :

901, कारनेशन, दोस्ती अक्रे कॉम्प्लेक्स,
वड़ाला (पूर्व),
मुंबई-400037

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

8. कर्नल प्रदीप कुमार उपमन्यु, सदस्य
1/46, सदर बाजार, दिल्ली छावनी,
दिल्ली-110010

9. श्री संदीप तंवर सदस्य
डब्ल्यू जेड-909/2
नारायणा गाँव,
नई दिल्ली-110028

10. श्री पी.पी. अनूप कुमार सदस्य
"रोशनी" पोस्ट बट्टोली,
वाया कक्कातिल,
कोज्जिकोड (केरल)
पिन-673510

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित सदस्य

11. श्री मोहन प्रकाश दुबे सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स बाई-68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-110023

स्थायी पता :

25/5, सेक्टर-1,
पुष्प विहार,
नई दिल्ली-110017

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा नामित सदस्य

12. डॉ. पद्माकर पाण्डे सदस्य
प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा,
ए-16, अरूणा आसफ अली मार्ग,
नई दिल्ली-110067

स्थायी पता :

के-65/22
गोला दीनानाथ,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
पिन-221001

अन्य गैर-सरकारी सदस्य (हिन्दी भाषा के विद्वान)

13. प्रो. डॉ. करसनदास हीराभाई सोनेरी — सदस्य
ग्राम धनसुरा, तालुका धनसुरा,
जिला साबरकांठा (गुजरात)
पिन-383310

14. डॉ. महेश चन्द्र, — सदस्य
डीडीए फ्लैट नं. 316,
सेक्टर-ए, पाकेट-सी
वसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070

15. डॉ. राम किशोर अग्रवाल, — सदस्य
8, नैहक रोड, वृन्दावन,
जिला, मथुरा-281121 (उ.प्र.)

16. डॉ. लक्ष्मण तिवारी — सदस्य
बी-1/19, अस्सी
वाराणसी-221005 (उ.प्र.)

राजभाषा विभाग के अधिकारीगण

17. सचिव, — सदस्य
राजभाषा विभाग

18. संयुक्त सचिव, — सदस्य
राजभाषा विभाग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारीगण

19. सचिव, — सदस्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

20. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, — सदस्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

21. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, — सदस्य
विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

22. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, — सदस्य
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
ओखला, नई दिल्ली-110020

23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, — सदस्य
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
मुम्बई-400056 (महाराष्ट्र)

24. अध्यक्ष, — सदस्य
कयर बोर्ड,
कोच्ची-682016 (केरल)

25. महानिदेशक, — सदस्य
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु
व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा-201309 (उ.प्र.)

26. निदेशक, — सदस्य
भारतीय उद्यमिता संस्थान,
गुवाहाटी-781029 (असम)

27. महानिदेशक, — सदस्य
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
हैदराबाद-500045 (आंध्र प्रदेश)

28. निदेशक, — सदस्य
महात्मागांधी ग्रामीण औद्योगीकरण
संस्थान (एमगिरी) वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

29. संयुक्त सचिव, — सदस्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

30. संयुक्त सचिव, — सदस्य-सचिव
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2. कार्य

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तीन वर्ष का होगा :—

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।

4. विविध

समिति का प्रधान कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत् समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/22034/04/86-रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा

सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रवीर कुमार
संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 18-24/2007-खेल-4--उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पेंशन की स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से उनके नाम के सामने दी गई मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है :--

क्र. सं.	पेंशनर के नाम व पते	उपलब्धियां एवं खेल विधा	प्रतिमाह पेंशन की राशि
1.	श्री नांगोम डिंको सिंह, सेकता मगाई लैइकी, पो. लामलौंग, जिला इंफाल	एशियाई खेल-मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक	7,000/-
2.	श्रीमती मनीषा मल्होत्रा, टी-54 जुहू कोलीवाड़ा, मुम्बई-49	एशियाई खेल-टेनिस में रजत पदक	6,000/-
3.	श्री ए. पी. सुब्बैय्या, मकान नं. 320, II ब्लाक शैलजा विस्तार, कुशल नगर, कर्नाटक-571234	राष्ट्रमंडल खेल-निशानेबाजी में कांस्य पदक	6,000/-
4.	श्री विशाल उप्पल, सी-81, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	बुसान एशियाई खेल-टेनिस में कांस्य पदक	6,000/-
5.	श्री नितेन कीर्तने, 837, भंडारकर इंस्टीट्यूट रोड़ सोनाली अपार्टमेंट, पुणे-411004	एशियाई खेल-टेनिस में कांस्य पदक	6,000/-

इंजेति श्रीनिवास
संयुक्त सचिव

दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. एफ. 18-29/2009-खेल-4--भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 10 खिलाड़ियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई मासिक पेंशन स्वीकृत की गई है :--

क्र. सं.	पेंशनरों का नाम और पता	उपलब्धि एवं खेल विधा	पेंशन की दर
1	2	3	4
1.	श्री उदय चोवटा, बाडीगुडे हाउस, पो. व जिला-मनी, बोंटवाल तालुक डी.के. जिला, कर्नाटक-574253	भारोत्तोलन में विश्व कप में स्वर्ण पदक	8,000/-
2.	सुश्री एंचल मैरी जोसफ, माउंट कारमेल कालेज, 58, पैलेस रोड, बंगलौर	एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में रजत पदक	6,000/-
3.	श्री हरप्रीत सिंह, म. नं. बी XI/661, गली नं. 6 के. सी. रोड, बरनाला (पंजाब)	राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक-मुक्केबाजी	6,000/-
4.	श्रीमती प्रतिमा मंगराज, पी. फायर आफिस, बुकसी बाजार (जीपीओ) कटक-753001 (उड़ीसा)	राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक-भारोत्तोलन	6,000/-
5.	श्री लाजरूस बारला, क्वा. सं. 4आर/3, यूनिट-8, गोपाबंधु स्क्वायर, भुवनेश्वर-12, उड़ीसा-751012	एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक-हाकी	7,000/-
6.	श्री श्याम सिंह थापा, ब्लाक-20, फ्लैट-3, रिजेन्ट पार्क, गवर्नमेंट हाउसिंग इस्टेट, 131, एनएससी बोस रोड, टौली गंज, (रानीकुथी), कोलकाता-700040, पश्चिम बंगाल	एशियाई खेलों में कांस्य पदक-फुटबाल	6,000/-
7.	श्री सुकल्याण घोष दस्तीदार, 24, सदानन्द रोड, नीलांजना अपार्टमेंट फ्लैट्स-1 बी, कालीघाट, कोलकाता-700026	एशियाई खेलों में कांस्य पदक-फुटबाल	6,000/-
8.	श्री अमर बहादुर गुरूंग, ग्राम-जोहरी गांव, पो. अनारवाला, (देहरादून कैंट) जि.-देहरादून (यू.के.)-248003	एशियाई खेलों में कांस्य पदक-फुटबाल फुटबाल	6,000/-
9.	सुश्री भागीरथ समाई, सुरक्षा अधिकारी, चयनाकुरी पावर स्टेशन, डीपीएससी लि. पो. सुंदरचक, जिला वर्धमान (पश्चिम बंगाल-713360)	एशियाई खेलों में कांस्य पदक-निशानेबाजी	6,000/-
10.	सुश्री अपर्णा पोपट, 11, वेलेंटाइन, एल. गमादिया रोड, मुंबई-400026	राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक-बैडमिंटन	6,000/-

इंजेति श्रीनिवास
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2010

सं. ईआरबी-I/2010/23/9--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 24.02.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसार यात्री अपराधों से संबंधित मामलों के पंजीकरण/अंतरण की कार्यविधि की जांच करने और कठिनाईयों का अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए 30 अप्रैल 2010 तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उपर्युक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख आगे 31.07.2010 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिवाजी रक्षित
सचिव
(रेलवे बोर्ड)

New Delhi the 3rd June, 2010

No. 55–Pres/2010- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohd Rafi,**
   Head Constable
2. **Kanwal Singh,**
   Follower

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 22.01.2009, on a specific information developed through reliable sources regarding the movement of terrorists in Bhatyas area under the jurisdiction of PS Gandoh, a meticulously planned search operation was launched by Police party. The area was kept under cordon for the whole night. On the morning of 23.01.2009, two terrorists were noticed hiding in the house of one Fareed Ahmed S/o Ramzan, R/o Bhatyas. During search operation, HC Mohd Rafi, Follower Kanwal Singh of the Police party volunteered to raid the hideout to neutralize terrorists.Without caring for their personal lives, they crawled up to the hideout, took position and asked the terrorists to surrender, but the terrorists resorted to indiscriminate firing on the police personnel and they had a narrow escape. HC Mohd. Rafi further crawled under the covering fire of Follower Kanwal Singh up to the window, took position there and kept watch on the terrorists. But it was very risky as the terrorists were hiding in the ceiling of the roof of the house from where they could have targeted him. But the said officials took a great risk and broke open the window and entered in the room. As soon as, the terrorists noticed his movement, they threw a grenade, which missed the target and exploded outside. In the meantime, Follower Kanwal Singh also entered the same room. They took position along the wall and kept constant watch on the terrorists who were engaged in firing by the colleague partyfrom out side. As soon as one of the terrorists changed his position on the ceiling/roof, HC Mohd Rafi and Follower Kanwal Singh fired at him, bullets hit the terrorist who fell on the ceiling which broke and he fell down in the same room where HC MohdRafi and Follower Kanwal Singh were already in position. They again fired volley of bullets and killed him on spot. Meanwhile, second terrorist jumped

down and tried to escape, but the cordon party trapped him and killed him on spot. The identity of the slain terrorists was established as (i) Zahoor Din Khanday, S/o Gh.Mohd KhandayR/o Chilli Gandoh.'A' category terrorist active since last 13 years and (ii) Sajjad Hussain @ Battu S/o Gh. Qadir Ganai R/o Beli Chinara Gandoh 'C' categoryterrorist active since last 01 year. In this regard case FIR No.5/2009 US 307 RPC, 7/27 AA Stands registered in P/S Gandoh.

Thus HC Mohd Rafi and Follower Kanwar Singh meticuolously planned and executed the operation and in the dare devil operation managed to eliminate both these dreaded terrorists at the cost of risk to their personal safety.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK	-	02 Nos.
(b)	Magazines AK	-	04 Nos.
(c)	Rounds AK	-	22 Rds.
(d)	Pouches	-	02 Nos.
(e)	Mobile Charger	-	01 No.
(f)	HM letter Pad	-	01 No.

In this encounter S/Shri Mohd Rafi, Head Constable and Kanwal Singh, Follower displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-01-2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 56–Pres/2010- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Border Security Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**M S Rathore, Commandant**	**(PPMG)**
2.	**Amrit Hazang, Head Constable**	**(PPMG)**
3.	**Hardesh Kumar, Head Constable/ Radio Operator**	**(PPMG)**
4.	**Nishan Singh, Constable**	**(PPMG)**
5.	**S.R.Panda, Deputy Commandant**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Hon'ble Prime Minister was to address a Public meeting at Sher - e – Kashmir cricket stadium, Srinagar, J&K on 17th Nov'2004 around 1300 hrs. With an intention of disrupting the function and creating chaos and panic, militants occupied a hill feature above the Jan Bakers near Suleman Complex over looking the Sher – E – Kashmir stadium. The position of the militants was ascertained at about 0815 hrs when they fired on the Police party, which had been tasked to dominate the feature. On hearing the gun shot Shri M S Rathore, Commandant 43 Bn BSF who was in the vicinity, immediately rushed to the site along with his Quick Reaction Team and guards. After assessing the situation on ground, he called Sh S R Panda, DC of 57 Bn BSF, whose bunker was on QRT duty near the Tourist Reception Center. On seeing the movement of troops and vehicles, the militants opened heavy volume of fire which was effectively retaliated by own party. In the sudden cross fire two innocent civilians were caught in between. Head Constable/RO Hardesh Kumar without caring for his own life and displaying rare courage dashed towards the civilians and brought them out safe but in this gallant action, he came in the direct line of fire of the militants and sustained bullet injury on his right hand. As the militant were occupying the dominating position, therefore, a tactical manoeuvre was executed to cordon the

militants from two flanks one column was under command of Sh M S Rathore, Commandant and another was led by Sh S R Panda, Dy Commandant. Even after laying cordon, the sustained firing of the militants could not be neutralized because of their advantageous position. It was then decided to storm the building and eliminate the militants as the arrival of Prime Minister for meeting was drawing near. On being assaulted from the front, the militants escaped through the window and took shelter in the rear of the house. Party consisting of Sh M S Rathore, Commandant, Head Constable Amrit Hazang and Constable Nishan Singh without caring for their own safety and being fully aware of the peril to their own life under heavy fire and grenade lobbing moved towards the militant's position with the determination of winding up the operation before arrival of Hon'able Prime Minister. In spite of being severely injured in the close quarter battle, Sh M S Rathore, Commandant, Head Constable Amrit Hazang and Constable Nishan Singh did not flinch under the situation and with unparallel determination and exemplary courage successfully eliminated one dreaded militant and injured the other. The elimination of the militant could be possible due to the exemplary leadership quality, meticulous planning, professionalism and high level of determination and devotion to duty exhibited by Sh M S Rathore, Comdt, Head Constable Amrit Hazang and Constable Nishan Singh. During the ensuing operation, the party of Sh S R Panda, Dy Commandant displaying sound professionalism and tactic, under eminent danger to their own life effectively cordoned the rear position to plug the escape route of the militants. The injured militant while trying to escape from the target area by rolling down from the rear side of the hillock, was eliminated very precisely by Sh S R Panda, Dy Commandant. Later, the recovered dead bodies of two militants were identified as Ab Rahman Lakvi and ab Asam Pathan of LET outfit. Besides, 02 Nos AK 47 Rifle with 07 magazine, 160 live rounds of AK 47 hand grenades, jumping grenades and Anti Tank rifle cells, were also seized.

In this encounter S/Shri M S Rathore, Commandant, Amrit Hazang, Head Constable, Hardesh Kumar, Head Constable/Radio Operator, Nishan Singh, Constable and S.R.Panda, Deputy Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(*i*) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.11.2004.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 57–Pres/2010- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Vaghela Baldev Singh, Constable**	**(PPMG)**	**(Posthumously)**
2.	**K. Sajjanuddin, Commandnt**	**(PMG)**	
3.	**B. Basumatary, Head Constable**	**(PMG)**	
4.	**Sajjan Singh, Constable**	**(PMG)**	

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 08/08/2007 at about 2100 hrs an information was received by Commandant 185 Bn Shri K. Sajjanuddin, from SP Awantipur and a local source regarding the presence of two militants at village Midura. After verifying the authenticity of the information, an operation was planned by Commandant 185 Bn in consultation with SP Awantipur. One platoon of E/185 Bn & QRT of the unit HQ was sent for laying a cordon of target area. Simultaneously a party of HQ/185 with Commandant was kept in readiness at Headquarters to move at short notice. At about 0540 hrs on 09/08/2007 the inmates of houses in target area were called out to ensure the safety of civilians. One person wearing 'Pheren' came out from a house and when he was challenged to raise his hands he suddenly fired at cordon party. Ct Sajjan Singh who was near the boundary wall of the house immediately took position & fired at the militant without caring for his safety due to which militant was forced to move back into the house. On receipt of this information Shri K.Sajjanuddin, Commandant along with his party rushed to the spot. After reaching spot he checked and further tightened the cordon to plug all possible escape routes. After checking the cordon K.Sajjanuddin, Commandant carried out through search of each and every house of target area so that location of militants could be ascertained. He along with SP Awantipur Sh. Sardar Khan also placed men strategically at all dominating positions to provide effective fire power at target area. To further confirm the position of militant at about 0730 hrs Shri K.Sajjanuddin, Commandant tried to open the window of one of the suspected houses with the help of HC/GD B. Basumatary. The window was opened by taking great risk as chances of fire from militant was imminent. As soon as the window was opened heavy volume

of fire came from militants inside on Shri K.Sajjanuddin, Commandant & HC/GD B.Basumatary. Both of them took position under the window and showed great determination and without caring for their personal safety retaliated effectively by firing at the militants from the window. Commandant K.Sajjanuddin and HC/GD B. Basumatary displayed outstanding courage and presence of mind, despite grave danger to their life and fired three rifle grenades on militants from the window of the house. Due to this retaliation one militant was killed who was later identified as Bashir Ahmed Khan Code named Adil of HM, a 'B' Category militant. The position of the other militant could not be ascertained for some time. The suspected position of the militant was subjected to small-arms fire from three dominating positions by CRPF, SOG & RR. In due course, the structure was brought down by using an IED. While structure was being brought down, late CT/GD Vaghela Baldev Singh who was located very near to the position of the militant noticed some suspicious movement. He immediately fired at the militant who was trying to move out from the debris by firing at security forces. late CT/GD Vaghela Baldev Singh stood his ground fired at the militant without caring for his personal safety. He exhibited great courage in the face of hostile firing. As a result of his action the other militant was also eliminated. He was later identified as Ali Mohd Bhat a non-categorized militant of HM. During this exchange of fire No.055123299 CT/GD Vaghela Baldev Singh suffered mortal injuries & later on succumbed to his injuries on 13/08/2007. In the above operation, besides the killing of two militants a large number of Arms/Amns were also recovered. Details of recoveries are as under:-

1) AK-47	- 01 No
2) AK-56	- 01 No
3) AK-47 Magazine	- 03 Nos.
4) Rounds 7.62x39MM	- 88 Nos.
5) Chinese Grenade	- 01 No
6) Amn Pouch	- 01 No
7) Mobile Phone	- 01 No
8) Mobile charger	- 01 No

In this encounter S/Shri (Late) Vaghela Baldev Singh, Constable, K. Sajjanuddin, Commandant, B. Basumatary, Head Constable and Sajjan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.08.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 58–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **R. Anil Kumar, Head Constable** **(Posthumously)**
2. **B. Srinivasulu, Police Constable**
3. **R. Rajesh, Police Constable**
4. **G. Purusotham, Police Constable**
5. **G. Veera Babu, Police Constable**
6. **K. Srinivasulu, Police Constable**
7. **Y. Brahma Reddy, Police Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26-05-2008 Assistant Superintendent of Police, Narsipatnam, Sri Kanthi Rana Tata, IPS received an area information that some Maoist cadres belonging to Andhra Orissa Special Zonal Committee are moving / camping somewhere in the areas of Gollapally, Chintavalasa, Kondrupalli, Tatafagondi and Chakkalamaddi in G.K.Veedhi PS limits in A1, A2 and B1 blocks of map No.65 K/5. On the basis of this information an operation was planned and launched by ASP Narsipatnam and Group Commander (Visakhapatnam) Sri Vineet Brijlal, IPS on the same day for nabbing the Maoists. The Greyhounds unit which was available in Visakhapatnam was divided into two groups, one headed by DAC/RI G.Prabhakar with 16 other members and the other group headed by AAC/RSI M.Suresh Babu and 16 other members. Both these groups were dropped in the outskirts of Kodesingi village at around 11 PM in the same night. After getting dropped both the groups walked in northwest direction for around 1½ KM and took temporary LUP for the night. Next day i.e., on 27-5-08 both the parties moved towards the expected areas and checked the assigned points and took LUP at the predesignated locations. Next day morning i.e., on 28-05-2008 at around 5.15 pm while the party headed by AAC/RSI M.Suresh Babu was moving towards point No.11 they encountered a nala. The party incharge Sri M.Suresh Babu studied the Survey of India map and crossed over the nala. After crossing the nala the party saw a track connecting Gunukurai (V)-Kondrupally (V) running from north to south, there was another small foot track

which was branching off from the above track in southeast direction going to Gadimamidi(V). While the party was crossing the track and almost moving parallel to the said small foot track and when 10 members of the party had already crossed the main track, suddenly some land mines blasted. As soon as the mines were blasted, all the members of the party took lying position, the party members were still trying to regain their composure when Maoists started indiscriminate firing on the party from north east direction and southwest direction. The Greyhounds party also retaliated fire while trying to slightly move in northeast direction. While the party was trying to move in northeast direction some more mines were blasted which were perhaps claymore / directional mines. Due to the impact of blasts the police party got divided into 3 sub groups while in effort to retaliate the fire. The first group which got stuck up between the land mines had S/ Shri R. Anil Kumar, Head Constable, B. Srinivasulu, Police Constable, R. Rajesh, Police Constable, G. VeeraBabu, Police Constable, and K. Srinivasulu, Police Constable. The second group had S/Shri G. Purushotham, Police Constable and G. Veerababu and the third group of 11 members had AAC, M.Ramesh Babu along with remaining party. Though the group of S/ Shri R. Anil Kumar, Head Constable, B. Srinivasulu, Police Constable, R. Rajesh, Police Constable, G. VeeraBabu, Police Constable, and K. Srinivasulu, Police Constable came under impact of blasts and heavy firing from the extremists, R. Anil Kumar, Head Constable retaliated fire with his AK-47 with the support of other 4 Nominees who were firing with their weapons. The second group consisting of Shri G. Purushotham and Shri Y. Brahma Reddy also retaliated fire from slightly different location towards east of first group. All the above 7 nominees even after coming under the impact of blasts and in the face of incoming hostile fire with automatic weapons by the extremists who were in large number from both directions have shown exemplary courage, extreme devotion to duty without caring for their lives and in retaliating fire towards extremists. During the exchange of fire Shri R. Anil Kumar received fatal bullet injuries and sacrificed his life in the line of duty. The exchange of fire which started at around 5.15 pm continued till darkness, therefore the area could not be searched in the night. As the police party was heavily out numbered by the extremists one more unit of Greyhounds was dispatched in the night of 28.5.08 itself from Narsipatnam base. This party reached at the scene of exchange of fire on 29-5-08 at around 10.30am in the morning and joined the group headed by AAC-M.Suresh Babu and group headed by DAC/RI G. Prabhakar. After joining, all the groups checked the area and recovered the dead body of Shri R. Anil Kumar and dispatched the same to Visakhapatnam in a helicopter belonging to Indian Navy. After dispatching the dead body of Shri R. Anil Kumar, all the police parties continued the combing operations for the whole day and took LUP for the night on a hilltop. Next day morning i.e., on 29-5-2008, while police party headed by DAC/RI M.Srinivasa Rao was retreating, they found 4 civilians moving under suspicious circumstances. On seeing the party all the 4 civilians started running. The police

party chased and caught them. On interrogation they revealed that they were the naxal sympathizers and they had provided the food to Maoists for last 4 days. They were also eye witness to ambush and exchange of fire which occurred on the day before the previous day. They then informed the police party that during the exchange of fire 4 Maoists had also died and they knew where the dead bodies were lying. They later led the Greyhounds unit headed by DAC/RI M.Srinivas to the dead bodies. The unit then recovered the 4 dead bodies belonging to Maoists in olive green uniform (3 Male, 1 Female). The bodies were later identified to be of :

1. Bisai Kamraj @ Randev,
   CRB Company Commander and AOB
   South Zone Committee Member of the CPI (Maoists)
2. Santosh @ Kankaiah @ Anjaiah,
   Section Commander of CRB company of CPI (Maoist)
3. Ashok,
   Member, CRB Company of CPI (Maoist)
4. Sujata, Deputy Commander, CRB Company of CPI (Maoist).

The weapon belonging to Shri R. Anil Kumar, could not be traced which was perhaps taken away by the extremists. Along with the dead bodies of Maoists DBBL-2, US Made Carbine-1,8mm rifle-1, Grenades -2, Pipe bombs & Direction mines-2, Soap bombs-4 and empty cartridges-22 were also recovered. In this exchange of fire which took place between a military company of CPI (Maoists) and Greyhounds unit headed by AAC-M.Suresh Babu lasted for nearly 2 ½ hours and resulted in death of 4 extremists and recovery of 4 weapons. The Nominees 1 to 7 have displayed rare courage and extreme dedication to duty in the face of land mines, claymore mines and hostile incoming fire in neutralizing the extremists who were firing on the police party with automatic weapons. This exchange of fire has dealt a serious blow to the morale of the extremists as their entire company could not face a small unit of Greyhounds consisting of 17 members. Though the initiative in this case totally rested with extremists as they were the first to sight the police party and triggered the land mine blasts along with firing, the Nominees 1 to 7 were able to successfully counter the ambush laid by the Maoists but Shri R. Anil Kumar, Head Constable had to sacrifice his life at the alter of duty.

In this encounter S/Shri (Late) R. Anil Kumar, Head Constable, B. Srinivasulu, Police Constable, R. Rajesh, Police Constable, G. Purusotham, Police Constable, G. Veera Babu, Police Constable, K. Srinivasulu, Police Constable and Y. Brahma Reddy, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.05.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 59–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Sridhar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 21.10.2009, SI K. Sridhar, through his reliable source received specific information about the movement of outlawed CPI Maoists Action Team in Bhupalpally mandal villages and the surrounding areas to commit murders and sensational congnizable offences. On this information, SI K. Sridhar met the S.P.Warangal and OSD and apprised them about the information. SP Warangal along with the OSD, Warangal analyzed the information thread bare and prepared a meticulous operational plan. The OSD, Warangal pooled up the available district guards for organizing a raid on the camp. The OSD, Warangal briefed the party about the importance of the information and thoroughly briefed about possible ambush, claymore mines and land mines by Maoists near the camp site and were told to strictly adhere to the principles of field craft. SI K. Sridhar Inthezargunj and SI of District Guards, Warangal along with the party consisting of 15 members, left the district headquarters on 21.10.2009 at about 1605 hrs and got dropped at the outskirts of Sripally (v). As all the tracks through the fields were suspected to be heavily mined, SI K. Sridhar along with the party started moving cross country on foot following field tactics meticulously. After moving 2½ Kms, at about 2045 hours, SI K. Sridhar noticed the movement of three armed extremists along with weapons near a cotton field and some tree. Then SI K. Sridhar divided his entire party into three parties, one as assault party led by SI K. Sridhar along with 2 PCs, one as cover party led by SI Inthezargung along with 6 PCs and other as cut off party led by SI District Guards with 7 members. After the cut off party took its position on possible escape route and the cover party to cover the safety of assault party, SI K. Sridhar gave signal for advancement of the assault party. As the assault party approached the camp of extremists by crawling, the sentry who smelled the advancing police party alerted the extremists in the camp by shouting "police" and simultaneously opened rapid

fire on the police party. The extremists numbering about 03 who were in a dominant location immediately opened indiscriminate fire in all directions with automatic weapons and simultaneously hurled HE grenades. SI K. Sridhar warning the extremists to stop fire and surrender to police ordered the assault party to move forward towards extremist camp taking available cover. As the extremists failed to yield to the repeated warnings and continued heavy firing from auto weapons with intention to kill the police, SI K. Sridhar ordered the party to reply fire of extremists in self defense and also alerted the cut off party to seal the escape route. SI K. Sridhar wearing bullet proof jacket unmindful of grave risk to his life replying fire of extremists, advanced close to the camp site. Two extremists taking cover and advantage of the fields managed to escape, while the other cadre engaged police by incessant fire from the camp place. The fierce gun battle resembled a warlike situation in the fields. SI K. Sridhar and the party though were under intense fire from extremists and the stream of bullets were passing from a hair split distance, bravely chased the extremists and through a controlled fire neutralized the firing of extremists. The firing from extremists continued till 2100 hrs. SI K. Sridhar and his party, though in small numbers, retaliated valiantly without caring for their lives. The police party subsequently searched the scene and found dead body of one male cadre at the camp site who was identified as follows:

1. Gangaraboina Swamy @ Ramesh@ Mahesh, s/o Rajaiah, 25 yrs, Mudiraj, r/o Challagarige (v) of Chityal (m) of Warangal District, Action Team Member/Commander.

The police also seized one 9 mm Pistol and one bag containing towel, lungi and a pair of chappals from the scene. Gangaraboina Swamy @ Ramesh of CPI Maoists rose from a party member to Commander rank. He is most dreaded extremist in the 3 districts who is responsible for commission of 12 heinous crimes including murders etc. After this encounter the morale of the cadre of CPI Maoists group fell to its lowest ebb. During this exchange of fire, the assault group was handicapped by the presence of farmers working in the nearby field. Despite the odds, the nominees continued to think and act with utmost professionalism, without compromising any innocent lives. It may be noted that the villages surrounding these fields viz. Sripally, Gudadipalli and Kompelli are highly infested and chances of police movement getting exposed and police parties being ambushed were very high. SI K. Sridhar with a small team meticulously planned the operation and carefully executed the same without any lapses from the police side and achieved outstanding results, which deserves recognition and encouragement.

In this encounter Shri K. Sridhar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (*i*) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21.10.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 60–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri B. Nagarjuna,
Reserve Sub Inspector/Assistant Assault Commander

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On information received from S.P. Raigada District of Orrisa State that about 35 members of banned CPI (Maoists) part were holding a meeting and recruiting new cadre with a plan to attack Police party and certain civilian installations at and around Sukurhubaju village under Gurhari PS limits, Gunupr Sub-Division. The Assault unit of RSI/ACC B. Nagarjuna and the unit personnel was clearly briefed by the Group Commander. Greyhounds, Regional Headquarters, Visakhapatnam before leaving for the task on the night of 16.12.2007. Later the assault party dropped at Kurhingi (V) of Raigada on 17.12.2007 at 0545 hrs. and moved towards the Duraghati, Beehurhi and Katraguda villages. In between Katragurha and Lodari villages and Assault party divided into 2 parties. 1st party led by Sri A.C.S. Syamasunder, IPS and 2nd party led by AAC Sri B. Nagarjuna comprising 10 members each and moved towards north direction clearly checking the area which is densely forested with deep shrubs and trees and took LUP. On 18.12.2007 at 0600 hrs the 2nd party led by RSI/ACC B. Nagarjuna on moving towards Sukurhubaju (V) consisting of deep jungle and found a dalam comprising of 8 to 10 heavily armed members. At the same time party 1st also moved towards Sukurhubaju (V). At this crucial situation RSI/ACC B. Nagarjuna strategically divided his party into 2 groups and led the 1st group by himself and 2nd group by a Senior Commando. After careful briefing and necessary instructions to the group member and RSI/ACC B. Nagarjuna immediately informed the 2nd party by VHF Set. However, in alighting speed the sentry of dalam, sighted RSI/ACC B. Nagarjuna police party and opened fire indiscriminately in order to kill RSI/ACC B. Nagarjuna and his party. In retaliation the RSI/ACC B. Nagarjuna and JCs opened fire on them in which a female Maoist was killed. Later, it was established that the dead body was identified as Sujatha, D.C.M. of Vamsadhara Dalam. RSI/ACC B. Nagarjuna

displayed rare and conspicuous bravery in retaliation when the Maoists were indiscriminately firing on them from opposite side with automatic weapons. When Maoists tried to escape from the scene RSI/ACC B. Nagarjuna and along with his party moved forward without carrying grave risk to his life, chased the dalam up to 700 meters under continuous fire.

In the light of tremendous initiative, extraordinary bravery shown by RSI/ACC B. Nagarjuna in an E.O.F. that was presented supra. The jungle was covered full of tree and boulders it was very difficult to move in the forest even though RSI/ACC B. Nagarjuna with a strong will and determination did not care for his life and killed one lady D.C.M. and chased the dalam members.

The following recoveries have been made from the site of encounter:-

1. SBBL-
2. Two loaded SLR magzines
3. Manpack
4. Kitbags -5

In this encounter Shri B.Nagarjuna, Reserve Sub Inspector/ Assistant Assault Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

Theser award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.12.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

34—111 GI/2010

No. 61–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **D. Udaya Bhaskar, Inspector**
2. **T. Sharath Babu, Inspector**
3. **U. Srinivasa Rao, Inspector**
4. **A. Venugopal, Police Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu.Gopal, PC are the members of a team of Special Intelligence Branch (SIB), specially formed to neutralize top Maoist cadres.

Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC got credible information about the movements of Patel Sudhakar Reddy @ Vikas - Central Committee [CC] Member and Central Military Commission [CMC] Member of CPI [Maoist] along with platoon in the forest of Lavvala of Tadvai P.S limits of Mulugu Sub-Division of Warangal district. On 23-05-2009, Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC left Tadvai, along with local police and District Special Party for combing the Lavvala forest area at 11.00 PM and reached a stream called Jalagavancha Vagu in Lavvala forest at 03.00 AM on 24-05-2009.

Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC led the special party during

the early hours to the top of the hillock, called "Durgam Gutta" and found some suspicious movements on a corner of hilltop. Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC along with Special Party, slowly crawled towards the said place by taking cover of bushes, trees and boulders, though it was very hard to crawl due to thorny bushes and hard rocks on the surface and found a platoon of CPI Maoist, numbering between 20 and 25, armed with sophisticated weapons. Upon which Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and half of the special party were formed as team 1 and Shri Sharath Babu and Shri A. Venu Gopal, PC along with remaining special party was formed as team 2. Then team 1 crawled to the Maoist camp from northern side and took position under cover and team 2 covered the camp from western side. Then the local SI disclosed identity of Police and warned them to surrender. On that, the Maoist sentry started firing at Police by shouting "Police" - "Police" to alert the platoon. All the Maoists alerted and started firing with an intention to kill Police. Shri D. Udaya Bhaskar, Dy. SP and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and their team took cover behind bushes, trees and boulders to escape from the rain of bullets fired by Maoists. At that movement Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector noticed a Maoist, who was firing with an AK 47 riffle and surrounded with an armed Maoists team, was about to escape from that place. At that juncture Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector who were leading their team, jumped out from their cover without caring the safety and security of their lives and started firing at the Maoists, who were making a fierce attack on them. The action of the Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector was almost a suicidal bid. Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector narrowly escaped number of bullets fired by the Maoists. One bullet went just touching his hair and couple of bullets just missed his neck. Shri U. Srinivasa Rao, Inspector could feel the heat of the bullets as 3 to 4 bullets narrowly missed his neck and he could also hear the buzz of the bullets as they just passed almost touching his right ear. Even then Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector did not care the safety and unmind full of their lives continued their brave and daring counter attack by rushing towards the Maoists, by firing at them. Shocked with the counter attack by Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector and Shri U. Srinivasa Rao, Inspector the Maoist platoon moved towards western side in a desperate bid to escape by firing with sophisticated weapons. If they were allowed to move western side, the Maoists not only escape but also kill the police, who were covering the western side. At that movement Shri T. Sharath Babu, Inspector jumped out from his cover [boulder] and started burst firing over the Maoists who were continuously pouring bullets. Shri T. Sharath Babu, Inspector was so lucky that he narrowly missed several bullets fired by Maoists. Two bullets went just touching his shirt.

Shri Sharath Babu, Inspector with all odds and danger risked his life and fired at them. At the same time Shri Venu Gopal, PC also came out from his cover and with out caring his safety started firing by running towards the Maoist platoon. The Maoists were shocked with the assault made by the Shri Sharath Babu, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC from the western side since they never expected such daring attack from west. The brave and daring attacks made by the nominees from northern and western sides shattered the morale of the platoon and they started moving back. Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC showed exemplary courage and bravery in combating the Maoists. With their brave and gallant action nominees continued the assault from both the directions and got upper hand over the Maoists. The Maoists lost the battle unable to sustain the brave attack made by Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, Shri T. Sharath Babu, Inspector, Shri U. Srinivasa Rao, Inspector and Shri A. Venu Gopal, PC and escaped through valleys located at eastern and southern sides. The exchange of fire was last for 15 minutes from 05.30 Am to 05.45 AM. After the encounter when observed Patel Sudhakar Reddy was found dead with an AK47 rifle in his hand and another Maoist was also found dead with a pistol, who is later identified as Koganti Venkataiah - State Committee Member [SCM] Central Committee Tech Team. In this exchange of fire, the Police seized one AK 47 Rifle, one 8 mm Rifle, one Pistol, one AK 47 magazine with live rounds, four Kit bags containing Rs.20,000/- Cash, Literature, a towel etc. and this is the subject matter of Cr.No.34/2009 of Tadvai Police Station of Warangal District.

In this encounter S/Shri D. Udaya Bhaskar, Inspector, T. Sharath Babu, Inspector, U. Srinivasa Rao, Inspector and A. Venugopal, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.05.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 62–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ajay Yadav,**
   Superintendent of Police
2. **Mayank Shrivastav,**
   Additional Superintendent of Police
3. **Ajeet Ogre,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 10.11.2008, Shri Ajay Yadav, S.P., Narayanpur, received information about naxalite's meeting in Khodgaon area. Based on the information, he planned an operation and one party consisting of 29 policemen under leadership of ASP Narayanpur Mayank Srivastava and T.I. Narayanpur Ajeet Ogre was sent to suspected area. When party reached near Khodgaon, they received information about meeting being conducted near Bandipara hillock. Immediately the information was passed on to S.P. over wireless. Shri Ajay Yadav asked the party to keep a watch and himself reached on the spot with another police party. There Shri Ajay Yadav reorganised the whole party in two parts, one led by himself and other by ASP Narayanpur Mayank Srivastava and T.I. Narayanpur Ajeet Ogre. Both the parties moved towards meeting place following jungle tactics and maintaining surprise. After reaching the place police party asked naxalites to surrender but naxalites did not pay any heed to this warning and instead started firing on police party. Then police party also retaliated in self defence. The Naxlites who were large in number and firing with automatic weapons had tactical advantage but the counter action of the police forced them to retreat. Then police party started chasing them. Shri Yadav, Shri Srivastava and shri Ogre were leading the troops from the front. During the advance of police towards the naxalites, they exploded land mines and started firing taking shield of rocks and trees. Police parties proceded towards Naxlites applying the principle "Fire and move" but due to heavy firing by Naxlites from hilltop life of police party was endangered. Then Shri Ajay Yadav, assessing the gravity of situation and displaying his leadership qualities moved ahead without caring for his own

life and started heavy firing on the Naxlites by his AK47 rifle, in order to protect the other police personnel. From the other side, Shri Mayank Srivastava and Shri Ajeet Ogre also moved ahead without caring for their own lifes and fired heavily on the naxalites. Due to this sudden counter action Naxlites ran away. A thorough search of place of incident was conducted in which dead bodies of three uniformed naxlites been recovered. Shri Ajay Yadav, Shri Mayank Srivastava and Shri Ajeet Ogre showed high professional acumen, exceptional courage and admirable presence of mind. He had moved ahead making tactical use of land, observing the terrain and the position of the Naxalites. The police action under the exception leadership of above officers resulted in neutralization of three hardcore naxalites. Killing of these three dreaded naxalites freed the entire region from the sense of insecurity that gripped the community as a result of the presence of these dreaded naxalites. The Police Party also recovered 1, twelve bore DB Gun [DBBL], 5 muzzle loader Guns, 1 Tiffin Bomb, 1 detonator, 5 rounds of 12 Bore Guns and other essential commodities. This sterling success against the naxalites was made possible only because of the rare act of exemplary courage, velour and unflinching devotion to duty by Shri Ajay Yadav Shri Mayank Srivastava and Shri Ajeet Ogre. They acted with conspicuous gallantry and beyond the call of normal duty, bearing a great risk to their own lifes.

In this encounter S/Shri Ajay Yadav, Superintendent of Police, Mayank Shrivastav, Additional Superintendent of Police and Ajeet Ogre, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.11.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 63–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhatisgarh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amresh Kumar Mishra,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

In view of boycot call of parliamentary election-2009 by naxalites Shri Amresh Mishra, Supdt. of Police, Distt. Narayanpur planned an operation in Abujmad area, the stronghold of naxalites. On 06.04.2009, he himself led party for the operation. He divided whole party in two parts, one being led by T.I. Ajeet Ogre and other being led by STF Company Commander Rajendra Singh and he being the overall in-charge. When party reached village Enmetta, they noticed a meeting hold by naxalites behind a school building. Immediately S.P. ordered Police party to cordon off area and cautiously moved towards meeting place. But naxalite's sentry noticed party movement and fired upon Police party. Police party also retaliated in self defence cautiously so as villager should not be hit. But this bolstered naxalite's morale and they fired aggressively taking cover of villagers. Here Shri Mishra showed great operational understanding and he asked one party to engage naxalites in such a way so the presence of Police party was conspicuous on that side only. He himself led other party with him towards the backside of meeting place. Here he found a big naxalite camp at base of hill from where they were firing upon other Police party. As they were moving towards naxalites tactically, their movement was also noticed by naxalites and they hurled hand grenades and fired heavily upon police party. Due to this sudden attack, life of whole Police party was in danger. Then Shri Mishra assessing the gravity of situation and displaying his leadership qualities moved ahead without caring for his own life and started heavy firing on the naxalites by his AK47 rifle. This sudden counter action disorganized naxalites; they panicked and started running away. But again there was gun battle and Shri Mishra chased them showing highest level of gallantry; killed one woman naxalite. Seeing this dangerous advance of Shri Mishra, naxalites exploded three land mines which they have already planted at the edge of camp. This allowed naxalites to move away, taking injured naxalites with them. A thorough search of place of incident

was conducted in which dead body of one woman naxalite had been recovered. Shri Amresh Mishra showed high professional acumen, exceptional courage and admirable presence of mind. He made tactical use of terrain and perfect use of gun in self defence, observing the terrain and the position of the naxalites. The police action under his exception leadership resulted in neutralization of one hardcore woman naxalite. The Police Party also recovered one .303 rifle, 01 ML gun, 01 ML pistol, 06 tiffin bomb, 08 .303 rounds, 07 detonators, naxal documents, anti election pamphlets and articles of daily use. This sterling success against the naxalites was made possible only because of the rare act of exemplary courage, valour and unflinching devotion to duty by Shri Amresh Mishra. He acted with conspicuous gallantry and beyond the call of normal duty, bearing a great risk to his own life.

In this encounter Shri Amresh Kumar Mishra, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.04.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 64–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhatisgarh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ankit Garg,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 09-12-08, intelligence relating to presence of 50-60 naxalites in the forest area of village Kandulnar and Aded was received by Shri Ankit Garg, Suptd. of Police, Distt. Bijapur. Upon receipt of this information operation was immediately planned and the available police force was divided into two parts, one led by Shri Ankit Garg himself and another led by Insp. K.L. Nand, SHO Bijapur. Police parties reached the suspected spot located between the dense forest of Kandulnar and Aded and during the search of the area from two sides police party came under heavy fire from the naxalites. The troops immediately took position and retaliated in self defence. The Naxlites who were nearly 50 in number and firing with automatic weapons had tactical advantage but the counter action of the police forced them to retreat. Naxalites retreated and started running away towards hillocks giving a cover fire. Then Shri Ankit Garg reorganized the police parties, party led by S.P, took position on the right side whereas the other party proceeded to take position on the left side to surround the hillock. During the advance of police towards the naxalites, they exploded land mines and started firing taking shield of rocks and trees. Both the parties preceded towards Naxlites applying the principle "Fire and move" but due to heavy firing by Naxlites from hilltop life of police party was endangered. Then Shri Ankit Garg, assessing the gravity of situation and displaying his leadership qualities moved ahead without caring for his own life and started heavy firing on the Naxlites by his AK47 rifle, in order to protect the other police personnel. Due to this sudden counter action Naxlites ran away. A thorough search of place of incident was conducted in which dead bodies of two armed naxlites been recovered. Shri Ankit Garg showed high professional acumen, exceptional courage and admirable presence of mind. He had moved ahead making tactical use of land, observing the terrain and the position of the Naxalites. The police action under the exception leadership of

SP resulted in neutralization of two hardcore naxalites who were identified as (1). Aytu @ Pradeep aged 26 years R/O Belam Nendra PS Basaguda (2) Modiyam Buddhu @ Kishor aged 35 R/O Pedakorma PS Bijapur . Killing of these two dreaded naxalites freed the entire region from the sense of insecurity that gripped the community as a result of the presence of these dreaded naxalites. The Police Party also recovered 02 muzzle loading gun, 02 hand grenade and other essential commodities. This sterling success against the naxalites was made possible only because of the rare act of exemplary courage, velour and unflinching devotion to duty by Shri Ankit Garg. He acted with conspicuous gallantry and beyond the call of his normal duty, bearing a great risk to his own life.

In this encounter Shri Anikit Garg, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10.12.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 65–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohd Arshad,**
   Superintendent of Police
2. **Rajinder Singh Rahi,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 06-04-2007 a specific information was received about presence of three terrorists in Ishber Nishat area of District Srinagar, who were planning to carry out terrorist actions against SF's and civilians in the city and its outer areas to sabotage the peace process in the state. On this information, the area was cordoned and search operation was conducted by the Police Parties of District Srinagar under the overall supervision of Mohd Arshad, SP Operation, Srinagar. When the police parties were cordoning off the area for search operation, the terrorists hiding in a house opened indiscriminate firing on the police parties with their illegal weapons to eliminate them. Police parties immediately took their safe positions and the cordon was tightened around the target house and reinforcement of Police and CRPF was called. During this process one of the terrorist tried to escape by throwing hand grenades and indiscriminate firing on the raiding parties. But due to gallant act & presence of mind, he was gunned down by one of the police party. After that another party lead by SP (Operation) entered into one of the room in ground floor having braved intense firing from inside. The party without caring for their personal live succeeded in eliminating of 2nd terrorist by firing from the point blank range. Meanwhile another party headed by Inspector Rajinder Singh despite heavy firing by terrorists from inside managed their enter into room by throwing grenades inside the room. Immediately thereafter in charge party Inspector Rajinder Singh climbed a window and jumped inside and took the terrorist by utter surprise and fired from a point blank range resulting into the elimination of third terrorist. In the ensuing encounter 03 terrorist got killed who were later on identified as Abdul Akhter Pahalwan @ Imran R/o Rawalpindi, Rameez Ahmed Malla @ Abu Taib S/o Ghulam Hassan

Malla R/o Litter Pulwama and Gulzar Ahmed Dar @ Abu Saifullah S/o Ab. Rashid Dar R/O Zainbotu Shopian. The CRPF personnel, who were called for assistance of police parties, also played gallant role during the operation.

The following arms / ammunition were recovered from the site of encounter:-

1.	Rifle AK-47	- 03 Nos
2.	Mag.AK	- 06 Nos
3.	Wireless Set	- 01 No. (Damaged)
4.	Chinese Grenade	- 01 No
5.	Antenna	- 01 No
6.	A K Rounds	- 111

In this encounter S/Shri Mohd Arshad, Superintendent of Police, Mayank Shrivastav and Rajinder Singh Rahi, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.04.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 66–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Jameel Ahmad Khatana,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Sukhdev Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
3. **Pawan Singh,**
   Sub Inspector
4. **Ishaq Ahmad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25-09-2007, a specific information was received about the presence of some terrorists in village Yamrach. Since Yamrach falls in the border of district Pulwama and Kulgam. Immediately forces were mobilized from camps nearer to the village Yamrach from both the district. The Camp Incharge Sh. Sukhdev Singh Dy.S.P. (SOG) camp Imam Sahib Shopian and Sh. Jameel Ahmad Khatana, Dy.S.P., (SOG) Hatipora Kulgam rushed to the village. Both the officers were accompanied by a small component and compat police party. The village was cordoned by both the police parties of Shopian and KUlgam districts. Dy.S.P. Jameel Ahmad along with SI Pawan Singh and Constable Ishaq Ahmad was the members one search party whereas the another party was headed by Sh. Sukhdev Singh Dy.S.P (SOG) Imam Sahab Shopian. As soon as the police party zeroed the target house, the hiding terrorist started indiscriminate firing on the police party. The police party did not give up instead both the parties reached the target house by periodically firing on the target house. Both the parties managed to go really close to target house. The police party headed by Shri Jameel Ahmad Dy.S.P. had sealed the front side of the house whereas the party headed by Sh. Shukhdev Singh Dy.S.P, had sealed the back side of the house. This action effectively could seal all possible escape routes for both the hiding terrorists. Seeing no option to get out of the cordon by both the hiding terrorists they started indiscriminate firing on the police party. The police party exhibited true professionalism and real courage and subsequently eliminated both the terrorists.

The operation was finished with a span of two hours. It is worth to mention in this operation no collateral damage occurred either to the property or to the lives. This was an exclusive operation by J&K Police. The killed terrorists were subsequently identified as. Gazi Ahmad Mir @ Gazi S/O Manzoor Ahmad R/O Khelan Pulwama and Hanzala Pakistani R/O Pakistan of LeT banned outfit one of them was "A" category terrorist and another was a Pak terrorist. In the above operation the following arms/ammunition were recovered from the site of encounter:-

01.	Rifle AK	=	02 Nos. (Partially damaged)
02.	AK Mag	=	05 Nos.
03.	AK Amn.	=	150 rds.
04.	Pouch with belt	=	02Nos.

In this encounter S/Shri Jameel Ahmad Khatana, Deputy Superintendent of Police, Sukhdev Singh, Deputy Superintendent of Police, Pawan Singh, Sub Inspector and Ishaq Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25.09.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 67–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S. Kaliraj Mahesh Kumar,**
   Additioinal Superintendent of Police
2. **Ajaz Ahmad Mir,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 19.6.2008, a specific information was developed by Shri Kaliraj Mahesh Kumar, ASP regarding the presence of a terrorist namely Mehboob Ahmad Afridi @ Zarkavi @ Jugnu @ Ahma Bai S/o Moulvi Tablib Afridi, Check 879 Anjum Farmali, Pakistan (LeT) Al Mansureen District commander, Spore) in a hide out in village Khaipora, P/S a police party from Srinagar rushed and cordoned the said village in the early hours of 20.6.2008. Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar, ASP along with Shri Ajaz Ahmad Mir, Constable proceeded towards suspected hideout. After locating the suspected house, Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar tactically positioned the police party around the suspected house. As Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar, ASP and Shri Ajaz Ahmad Mir, Constable tried to move towards the hideout, terrorist hiding inside lobbed a grenade and started indiscriminate firing on the Police party in which Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar, ASP had a narrow escape as the bullet missed him by a whisker. On retaliation by the police party, the terrorist again mount inside the hide out. Meanwhile the troops of 32 RR also arrived and laid an outer cordon. Displaying extra ordinary presence of mind and courage, the S. Kaliraj Mahesh Kumar, ASP without caring for his life, took cover at a very close proximity to the location of terrorist and engaged terrorist in a fire fight. Terrorist tried to escape by lobbing a grenade towards Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar, ASP and Shri Ajaz Ahmad Mir, Constable but they without caring for their personnel lives, succeeded in climination of said terrorist. He was active since 2001 and was involved in humber of heinous crimes including killing of civilians and security forces besides in Shopian, Kulgam, Sopore and Handwara. By eliminating the said terrorist, the LeT outfit suffered a major set back. In this connection, case FIR No

38/2008 U/s 307 RPC 7/27 Arms Act, 19 ULA stands registered in P/S Kralgund. The following recoveries were made on the above gallant action: -

AK – 47 rifle – 01, AK – 47 rifle Mag – 04 nos, AK – 47 rounds 70 Rds, Grenade – 1 No.

In this encounter S/Shri S. Kaliraj Mahesh Kumar, Additional Superintendent of Police and Ajaz Ahmad Mir, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.06.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 68–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sardar Khan,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 09.08.2007, a specific information provided by SP Awantipora regarding the presence of two terrorists in the Khud Mohallah of village Modoora. On this information the whole Mohallah was cordoned, by the police Awantipora assisted by 185 Bn CRPF. During house to house search one terrorist namely Bashir Ahmad Khan S/o Mohammad Jabar Khan R/o Pastoona of HM outfit who was hiding in the house of Mohda Malik S/o Ghulam Qadir R/o Khud Mohallah Modoora fired upon the searching party. The terrorist who was hiding in the house made hostage of family members of the said house for his safety. Superintendent of Police Awantipora did not allow the police party to retaliate due to the presence of civilians in the said house. Meanwhile, from the right side of the house one terrorist namely Ali Mohammad Bhat S/o Ghulam Mohammad R/o Charsoo of HM outfit also fired from the house of Ghulam Rasool Mir S/o Ghulam Qadir Mir, R/o Khud Mohallah on the police party. In the said house whole family members were kept hostage by the terrorist for his safety under these circumstances SP Awantipora Sh. Sardar Khan, took his consideration towards the first terrorist. The terrorist regularly fired upon police party but they could not retaliate. Shri Sardar Khan, SP, showing his acumen and professionalism entered in the house and got hold of the terrorist and killed him on spot and saved the life of 07 innocent civilians. Another terrorist was firing upon police party from the other house where too he had made family members as hostages. SP Awantipora entered the said house and after monitoring the location where from the terrorist was firing, SP Awantipora fired upon the terrorist and killed him on the spot in the house and the life of all civilians were saved. The following arms/ammunition was recovered from their possession:-

01.	Rifle AK-47	=02 No.
02.	Mag. AK-27	=03 Nos.

03.	Amn. AK-47	=88 Rds.
04.	Chinese Grenade	=01 (Destroyed)
05.	Pouch	=01No.

In this connection, case FIR No.130/07 U/S 307 RPC, 7/27 A. Act stands registered in Police Station Awantipora.

In this encounter Shri Sardar Khan, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.08.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 69–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohd. Imran Lone, Constable**
2. **Abdul Majid Najar, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04.12.2007 at 1300 hours CRPF personnel of 130 Bn. were on patrolling in village Laddermad when terrorists suddenly attacked them causing injuries to one CRPF personnel. After the incident the village was cordoned by Police Awantipora/SSR/SOG, 130 Bn CRPF and 50 RR for search of terrorists. During search operation, the terrorists who were hiding in the house of Gaffar Wani S/O Gh. Qadir Wani R/O Ladermud, fired indiscriminately upon the searching party causing injuries to Constable Mohd. Imran. However, the said injured constable fought bravely and succeeded in elimination of one of the terrorist. Constable Abdul Majid who without caring for this precious life entered the said house rescued constable Mohd. Imran Lone and also killed another hardcore terrorist. While one of the killed terrorist was identified as Abu Talha R/O Pakistan of LeT, the other terrorist remained unidentified. Two AK-47 damaged were recovered from the spot.

In this encounter S/Shri Mohd. Imran Lone, Constable and Abdul Majid Najar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.12.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 70–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kafil Ahmed,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On a specific information generated by Police on 1st February, 2008 regarding the presence of four LeT terrorists in the house of Mohd Maqbool Sheikh S/o Qamar Sheikh R/o Drusu (Rafiabad) District Baramulla, the initial cordon of the house was laid by Police Component Sopore/CRPF associated with Police Component Sopore under the command of Addl.SP Sopore and Assistant Commandant Shri Jatinder kumar of 179 Bn CRPF besides other personnel including Inspector M.S. Bhati and HC Munshi Ram of 179 Bn CRPF, HC Kafil Ahmad. As the cordon was being laid, terrorists who were hiding in the house, opened fire onto the Police/CRPF parties. Using a high degree of alacrity and presence of mind, these Police/CRPF Personnel played a commendable role and tightened the cordon to ensure that the terrorists do not escape. Gaining entry into the house and towards the hide became difficult as the house was isolated and approaching parties were being fired upon from the hide by the terrorists. It is at this juncture, HC Kafil Ahmad volunteered himself to enter near the window which was just 03 Mtrs away from the hide and as soon as he reached near the window, the terrorists opened a heavy volley of fire and using great operational tactics and fire discipline, the HC Kafil Ahmad positioned himself to have a clear view into the hideout area. The other members of the party mentioned above continued to provide cover support to HC Kapil Ahmad besides holding the cordon tight. At this Juncture, the senior officers of Police/CRPF including the IG, CRPF, DIG, JKP North Kashmir, DIG, CRPF North Kashmir and SSP Baramulla arrived at the operational site and further co-ordinated and supervised the deployments. Since the hide had only one exit and rest of it was concrete portion, HC Kafil Ahmad volunteered to position himself at advantage position having a clear view of the only exit of the hideout. This has, however, yielded no result as the fire power used was not adequate to bust the hideout. It is, here that

the presence of mind and past experience of the senior officers of the JKP/CRPF came in handy and it was thought of using water cannons to fill the hide so as the compel the terrorists to come out of the hideout. The IG, CRPF, DIG, JKP NKR and the DIG RPF co-ordinated the positioning and deployment of the CRPF personnel in general, where as, the Commandant 179 Bn CRPF was coordinating and placing the Assistant Commandant Jatinder Kumar, Inspector M.S. Bhati and HC Munshi Ram of 179 Bn CRPF, in particular, in the assault party near the hide. Here HC Mohd Kafil was already positioned. These men in the close proximity, despite risk to their lives, organized the filling up of the hide with water and also placed IEDs at the Wall adjacent to the hide. As the water was filling up the hide and the IED was making an impact on the wall of the hide, terrorists made an exit from the hide firing onto the police/CRPF Personnel mentioned above. However, the alert inner cordon of CRPF Personnel including Assistant Commandant Jatinder Kumar, Inspector M.S. Bhati and HC Munshi Ram of 179 Bn CRPF and Police volunteer Kafil Ahmad in particular, engaged the terrorists and were successful in neutralizing them. The slain terrorists were identified as Ibrahim, Mosawa, Nazir and Omar (All residents of Pakistan). Arms and ammunition recovered during the operation includes 04 AK Rifles, 04 AK Magazines and 65 AK rounds. For the incident, case FIR No. 3/2008 U/S 307 RPC, 7/27 a.Act stands registered in Police Station Dangiwacha.

In this encounter Shri Kafil Ahmed, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

39—111 GI/2010

No. 71–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Peerzada Naveed,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 29.09.2007 on a specific information, about the presence of terrorists in village Tujan, Police Budgam under the command of Dy.SP (Ops Budgam) Peerzada Naveed cordoned off the sadi village at around 0230 hours, with the assistance of 53 RR. During house to house search, no clue of terrorists were traced. However, around afternoon it was reliably learnt that the terrorists have taken refuge in a local mosque of the village. On this, Dy.SP (Ops) Budgam, Peerzada Naveed who was leading the operation laid a tight cordon around the mosque alongwith 53 RR. While the cordon was being laid, the hidden terrorists opened indiscriminate fire on the cordon party. As the terrorists were hiding in a mosque (involving sentiments of local population), Police exercised restraint and did not retaliate. The holed up terrorists were asked to surrender, but they turned down the offer and continued to fire upon the cordon party. On 30.09.2007, Dy. SP Peerzada Naveed continued with the cordon, inspite of limited manpower and thwarted all attempts of escape by the holed up terrorists. Reinforcements were called from 181 Bn CRPF for outer cordon. Throughout the night, the surrender offer to terrorists was repeated by the officer which, however, fell on deaf ears. Early next morning Dy.SP (Ops) Budgam, Peerzada Naveed without caring for his precious life and in a daring act of bravery entered the mosque where he was heavily fired upon. Taking cover behind the mosque pillars and after a fierce exchange of fire, the said officer was able to kill both the terrorists from point blank range. The killed terrorists were identified as Khursheed Ahmad Rather @ Zubair (Category "A") S/o Ghulam Nabi Rather R/o Kadipora Pulwama and Nazir Ahmad Dar @ Irfan S/o Munawar Dar R/o Tujan Pulwama. The said slain terrorists were wanted in many militancy/ criminal cases. During the operation, which lasted for two days, the officer planned the operation in such a way that no any collateral damage, whatsoever, resulted. Moreover, no damage was caused to

the mosque in which the terrorists were hiding. The following arms/ ammunition were also recovered from the site of encounter:-

01.	AK-47 Rifle	- 01 No.
02.	AK-47 Magazine	- 01 No.
03.	Carbine	- 01 rds
04.	Carbine Mag	- 01 No.

In this encounter Shri Peerzada Naveed, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.09.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 72–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Naveen Kumar Sinha,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Manoj Kumar Roy,**
   Sub Inspector
3. **Anil Kumar Singh,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 01.02.2006 S/Shri Navin Kumar Sinha, SDPO, Manoj Kumar Roy, SI, Anil Kumar Singh, SI of Jharkhand Police and Pawan Kumar, Constable of CRPF along with 13 BN, and other forces under the leadership of Navin Kumar Sinha, while conducting Raid, search against extremists within Nawdiha O.P. Area, were tipped with an information about concentration of extremists at Lalgarha village, a strategy was made by the leader and the force immediately rushed to surround the area of destination. At 11.30 hrs. when the force approached the vicinity, the outlaws targeting the force to kill, began to give rain of firing through sophisticated Arms but Navin Kumar Sinha could get skillfully narrow save while in such a tough and critical moment he inspired and directed the force to open fire for safety of lives and Government weapons resultantly the force retaliated instantly and pinned down the 40-50 outlaws with all courage, zeal and brevity and succeeded in perching the vantage point of extremists falling on hill areas. The gallant action of the recommendees uprooted the blood shot eyes of the outlaws compelling them to anticipate the force existing in large number and consequently the outlaws moved back loosing their higheadness and determination towards the hideouts spread in south-west hills and forest areas while on the other hands Manoj Kumar Roy, Anil Kumar Singh and Pawan Kumar were heading with continuous and effective firing inspiring the force, resultantly, one black dressed outlaw was shot dead in the gun-battle with restricted six round police service revolver having four cartridges loaded and windoliar containing 19 live cartridges and two used. Besides, many of the

extremeists sustained injuries but they could escape. The commendable and subsequent chase by the officers also gained apprehension of three lady members of the outfit group injured Kagji @ Kavita Devi, Sarita Devi and Sumitri Kumari who on interrogation identified the dead as Area Commander Kailash Singh @ Pawan jee and also about other associates involved in ransacking Nawdiha O.P. Hariharganj Police station and Residential office of S.D.P.O at Chhattarpur. Moreover, careful search and seizure of various articles of outlaws done and Chhattarpur (Nawdiha) P.S case No.-10/2006 got registered.

The conspicuous, gallantry role with dedication shown during the tough situation by Navin Kumar Sinha, Manoj Kumar Ray, Anil Kumar Singh and Pawan Kumar Proved their outstanding duty as milestone for other policemen.

In this encounter S/Shri Naveen Kumar Sinha, Sub Divisional Police Officer, Manoj Kumar Roy, Sub Inspector and Anil Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.02.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

40—111 GI/2010

No. 73–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Taranand Singh,**
   Sub Inspector
2. **Shamshad Alam Shamshi,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

This recommendation stems out of a fruitful encounter between Police/CRPF and CPI(Maoist) extremists at village Totki under Bhandaria PS, Garhwa by Asst. Comdt. Kanhaiya Singh, SI Mala Ram, SI Nandlal, Lance Nayak Gulab Singh, Constable Mohan Sharma and Constable Mukesh Kumar all CRPF and Taranand Singh and SI Shamshad Alam Shamshi from Jharkhand Police and other personnel of CRPF, Jharkhand Armed Police and Jharkhand Police. Earlier, the extremists attempted to trap Police personnel/CRPF for which they had laid ambush. But their plan was foiled. In brief, the fact is that information was coming about concentration of extremists in areas of Bhandaria PS. Accordingly a raid led by SI Taranand Singh was organized. As per operational plan forces of CRPF/JAP under the command of Shri Kanhaiya Singh along with SI Shamshad Alam shamshi, SI Malaram and SI Nandlal and other CRPF and JAP personnel proceeded for raid/search operation in village areas on 12.05.07 at 06.30 AM. Crossing village Nagnaha the raiding party while coming out of jungle to enter village "Totki" noticed the presence of Naxal sentry under a tree near a house. They were 25-30 in number and it seemed, has assembled to cause serious incident. The raiding party was alerted and it was divided into two by SI Taranand Singh in consultation with Assistant Commandant CRPF. The one was led by himself along with Shri Kanhaiya Singh Assistant Commandant and SI Malaram. The another party led by SI Shamshad Alam Shamshi and SI Nandlal along with CRPF/JAP was detailed to act as stop party for arresting the fleeing extremists. SI Taranand Singh and Shri Kanhaiya Singh along with forces advanced towards extremists, while doing so the extremists saw force and started firing at the force. Finding in a critical position with no alternative in self-defence

and to save the life of forces and safeguard of arms S.I Taranand Singh, Kanhaiya Singh and SI Maralarm opened fire which resulted in death of 3 extremists, CI Mukesh Kumar also acted bravely and engaged Nexalites in gun battle. On pressure from police. The extremists started running towards the jungle and continued firing. The stop party led by SI Shamshi and SI Nandlal also fired in defence resulting in death 2 more extremists, Lance Nayak Gulab Singh and Constable Mohanlal also acted courageously. The encounter lasted for about two hours. Further search led to recovery of 5 dead bodies of extremists including 2 women in green uniform. The dead bodies were identified as 1. Manasjee, Chhatisgarh State Committee member of Aklodogri, PS Arjuni, dhamtari, Chhatisgarh. 2. Santosh Tirki @ Sandip S/O Ramdayal Tirki, village Durjan, PS Ranka, Garhwa 3. Ramsagar Singh @ Shamsunderji S/O Arjun Singh, Village Chapiya, PS Bhandariya, Garhwa, Garhwa 4. Asha Devi @ Basanti @ Ushaji D/O Late Ganesh Mahto of Bhanjna PS Bhandaria, Garhwa and 5 Khushboo Minz @ Anita D/O Namiyas Minz of Lato, PS Garu, Latehar (Jharkhand). Manasjee was involved in many cases of Chhatisgarh and others were involved in cases of Jharkhand State. They all were active member of CPI (Maoist). The arms/ammunition and other article recovered includes 1. China made AKM (AK-56) with magazine, 1 USA made semi automatic rifle, 4 SLRs with Magazine. Hand Grenade, huge cache of live Cartridge including other articles like Naxal literature, medicines, clothes and daily use articles. In this encounter police fired 765 rounds whereas 1000 rounds were fired by the extremists. This encounter demonstrates extraordinary talent and bravery and devotion to duty on the part of nominees at the risk of their life.

In this encounter S/Shri Taranand Singh, Sub Inspector and Shamshad Alam Shamshi, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.05.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 74–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ram Naresh Kunwar,**
   Inspector
2. **Murli Manohar Manjhi,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On the tip of a secret information messaged by the Superintendent of Police at which they were proceeding towards destination on three antilandmine vehicles, meanwhile noticed about the Maoist Armed squad concentrated in the west of Hudhudua river, S/Shri Ram Naresh Kunwar, Murli Manohar Manjhi and Radheshyam Pandey handed over the vehicle to few personnel and moved ahead and found two persons coming on a motorcycle but suspiciously escaped to see the police on being left the motorcycle viewing to inform the squad. The exemplary courage and high leadership qualities of the S/Shri Ram Naresh Kunwar, Murli Manohar Manjhi and Radheshyam Pandey got exhibited on the river bank, when reached as the armed squad of Maoist poured barrage of bullets targeting force but S/Shri Ram Naresh Kunwar, Murli Manohar Manjhi and Radheshyam Pandey maintaining care, foresight and professional skill, directed to open fire for safety of lives and Government weapons, resultantly Maoist's morale degraded and they began to turn back but doing firing on Police in few intervals. Under the guideline, the force surrounded the area to apprehend escaping Maoist Squad which could ensure apprehension of Maoist Hari Mahto of Chatra District and one injured armed squad member Raj Kumar Bhiyan with .3.03 bore Mark-3 loaded Police Rifle and Windolia containing 30 live .303 cartridges. S/Shri Ram Naresh Kunwar, Murli Manohar Manjhi and Radheshyam Pandey proved their great zeal, brevity and professional technique against the banned C.P.I Maoist armed squad having with the most sophisticated arms which compelled them to be retreated far across the area under fear and degraded morale, leaving large number of weapons and belongings and a historic seizure

list was prepared and Manatu P.S. Case No. 54/2006 got registered. Ram Naresh Kunwar, Murli Manohar Manjhi and Radheshyam Pandey taking risk of their lives won over Armed Squad Zonal Commandar B.K. Jee @ Ravi Jee. And kislay Jee who were terrors for Palamau District and Districts falling under Bihar State and admittedly they have established a milestone for the Police Morale.

In this encounter S/Shri Ram Naresh Kunwar, Inspector, and Murli Manohar Manjhi, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.12.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 75–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Awadh Kumar Yadav,**
   Sub Inspector
2. **Krishna Kumar Mahto,**
   Sub Inspector
3. **Kamlesh Singh,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

This recommendation for PPMG to S.I Awadh Kumar Yadav (Officer In-charge Chandwa P.S, Distt – Latehar, Jharkhand) is based of showing exemplary courage while facing an encounter with dreaded Naxal outfit JSMM, operational in Latehar-Lohardaga-Gumla districts of Jharkhand on 30th Nov. 2006 at Tola Bharila Under P.S. Chandwa, Distt. Latehar. The raid led by Awadh Kumar Yadav, assisted by S.I's K.K Mahto and Kamlesh Singh of the same police station and a small police force and jawans of C.R.P.F Battalion 136. It is noteworthy that Awadh Kumar Yadav on receiving feedback from an informant about assembly of the naxals under their dreaded leader Loha Singh alias Kandru, swung into action despite the fact that at the said moment he was busy in another raid with the aforesaid team at Lathdag, at considerable distance from the site. At the tipoff, Awadh Kumar Yadav chalked out an immediate action plan and raided the site with exemplary courage and bravery form two sides making the naxals handicapped. Due to instant action and bold planning and determination shown by Awadh Kumar Yadav, the raid was successfully executed without any casualties from the police side. Later investigation of the site led to recovery of 62 live cartridge and weapons like SLR, along with vehicles, the number of armed naxals is assessed to be about 35-40. The encounter duration of one and a half hours, 350 rounds were fired from police side and 400 rounds form the naxals. Careful and courageous planning of the raid led by Awadh Kumar Yadav resulted in sabotage of the ambush and liquidation of Loha Singh alias Kandru, wanted by the police for 62 criminal cases. The citation is to put on record the act

of valour and courage and unfailing devotion to their duty at 100 percent risk of life shown by Awadh Kumar Yadav and his associates S.I's K.K Mahto and Kamlesh Singh which led to killing of dreaded Loha Singh alias Kandru thereby giving respite to the common people of this area. The courage and valor shown by Awadh Kumar Yadav and his associate officers should be duly recognized and honored so that their morale and that of the police force be boosted and that in future they should all the more be motivated to bring glory and fame to Jharkhand Police and thereby making it one of the finest forces in the country.

In this encounter S/Shri Awadh Kumar Yadav, Sub Inspector, Krishna Kumar Mahto, Sub Inspector and Kamlesh Singh Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.11.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 76–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Amar Nath,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 22.02.2008 operation "Victor" was launched in which three different parties of police were made to conduct raids. As per the plan one party consisting of officer-in-charge Bhandariya, SI Amarnath, Inspector Saji Anthony alongwith the force of Coy C/13 of CRPF reached Kushwar Jungle and came to know that in village Bahahara, Tola Tenuadamar around 30-40 naxalites have assembled for some evil design and because of that villagers are terrorized and leaving their homes. After passing on the information, the party reached to Bahahara. At the same time the other party led by Dy SP (HQ) Amarnath Mishra and Assistant Commandant P.N. Tiwari alongwith CRPF was also told to move in the same direction for assistance. At around 12:15 on 23/02/2008 after walking continuously in the jungle for three hours the party led by SI Amarnath and Inspector Sazi Anthony reached the destination. As soon as the party reached on south of the Tola Tenuadamar the sentry of naxals posted on the Harhi Hill opened indiscriminate fire on the police party. The sudden, indiscriminate and heavy fire on the police raised panic in the police party. Despite that SI Amarnath and Inspector Sazi Anthony told the Force to take position and asked the naxalites to surrender. But the indiscriminate firing continued from other side. After seeing the threat to their life and the Arms SI Amarnath and Inspector Sazi Anthony told the Force to retaliate. Constable Abani Kalita, Constable Subir Das alongwith SI Amarnath and Inspector Sazi Anthony moved in the direction of firing and saw that two naxals were firing in the cover of rocks and other few were lying in the ground and had concealed themselves in bushes and were firing continuously. Seeing this they also opened fire in the direction from which fire was coming. After some time the two naxalites firing from the cover of rocks stopped firing. But the others continued firing. Others from police party also opened fire in the direction from which fire was coming. The firing continued for

about one hour. Seeing themselves on backfoot, the naxalites escaped in the Jungle. After sometime, the other party led by Dy SP(HQ) and reinforcement from Garhwa also reached. Search led to recovery of two dead bodies one in uniform, one 303 and one 315 rifle, one 9mm pistol, many live cartridges and other articles of daily usage. The dead bodies were later on recognized of that of Dinesh Singh @ Byasji and Raghu Ganjhu @ Pramandaji @ Ranjeet. In this incident SI Amarnath, Jharkhand Police Inspector Sazi Anthony, CRPF have shown great qualities of leadership and bravery and Constable Abani Kalita, CRPF and Constable Subir Das, CRPF have shown great qualities of bravery which has resulted in killing of two dreaded naxalites.

In this encounter Shri Amar Nath, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 77–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jharkhand Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sandeep Kadam Basant,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Vijay Kumar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

The gallant act of the ASP Sandip Kadam Basant and Vijay Kumar SI proved at 01.30 hrs. on 25.02.2008 followed by the most reliable information messaged to SI Vijay Kumar at 23.00 hrs. on 24.02.2008 with regard to extortion of levy targeting businessmen and contractors unleashing terror among villagers by none but the Zonal Commandar Pramod Singh alias Kankatta, Zonal Commandar Sanjay Yadav alias Amrij jee and their associates of C.P.I. Maoist, an outfit having deadly arms. ASP Sandip Kadam Basant and Vijay Kumar SI, after informing the higher Police Officials, performed detail analysis of information received and then meticulously planned an operation near Karupa Pichhulia, East of village Mananpur near Chhattarpur-Japla road. The operation involved C.R.P.F. 13 Bn and district police Officers and Jawans. Eventually at 01.30 hrs. two Motorcycles were seen and at closet arrival, all six Maoists were directed to stop and surrender. But they started to blow rain of bullets with latest sophisticated arms intending to kill the officers and the jawans and were boosting morale of each other. The officers recurrently shouted at extremists explaining their identify as police and to stop firing and surrender. But the defiant and determined extremists continued to fire. Forced by the situation, the leader A.S.P. Sandip Kadam Basant and SI Vijay Kumar directed the force to open fire in self defence, intending to protect the Govt. arms and ammunitions and to take the ransacker extremists in command. Consequently firing was resorted to. Undoubtedly the officers exhibited exceptional courage and zeal during the operation. A.S.P. Sandip Kadam Basant and SI Vijay Kumar defied the rain of bullets and in a dare devil manner tactically moved towards an extremists who

was firing at police and succeeded in catching him alive with weapon. He later identified himself as Zonal Commander Pramod Singh alias Kankatta. The operation resulted in apprehension of three alive with several arms, ammunitions, extremist literature, Vindolia, one lac rupee cash collected as levy and one dead extremist while remaining two were compelled by circumstances to escape. On interrogation, the extremists disclosed their identities as Pramod Singh alias Kankatta alias Ajay Jee, Sunil Yadav and Murari Yadav and also identified the dead one as Zonal Commandar Sanjay Yadav alias Amrit Jee. All these Maoists had unleashed rein of terror in district of Palamau and the adjacent districts falling under the state of Bihar and Jharkhand.

Following the operation, seizure lists were prepared in the presence of independent witnesses and Chhattarpur P.S. Case No. 32/2008 was registered on 25.02.2008 U/s 147, 148,149,353,333,307,386,387 Indian penal Code, 25(16)A, 26, 27, 35 Arms Act and 17 C.L.A. Act.

ASP Sandip Kadam Vasant and Sl Vijay Kumar, exhibited exemplary valour, presence of mind and ability to employ tactics in highly risky operation involving close battle. Their courageous achievement had a crushing effect on morale of extremists and highly elevating effect on morale of police.

In this encounter S/Shri Sandeep Kadam Basant, Additional Superintendent of Police and Vijay Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24-25/02/2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 78–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Madhya Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rameshwar Singh Yadav,
Sub Divisional Officer Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

The notorious dacoit's gang led by Shivdayal Jatav and Jabar Singh Lodhi had been operating in Seondha Sub Division of Datia District for the last few years. They have widened their area of operation to Lahar circle of District Bhind and Behat circle of Gwalior and had earned notoriety for their gruesome crimes in this area like murder, dacoity and kidnapping for ransom. District Datia touches the boundaries of Jaloun and Jhansi District of Uttar Pradesh, and thus their gang had assumed interstate dimensions. 8th January, 2008 was memorable day in the history of district Datia Police when Sub-Divisional Officer (Police), Seondha, District Datia (Madhya Pradesh) Shri Rameshwar Singh Yadav received valuable information, through his reliable informer, about the presence of notorious dacoit Shiv Dayal Jatav alongwith two associates at Sherghar near Village Pahadi, Police Station Tharet. On this information SDOP Seondha Shri Rameshwar Singh Yadav acted promptly and proceeded P.S. Tharet with available police Force at Seondha. At P.S.Tharet he summoned the Station Officer and collected the available Force of P.S. Tharet for a march to village Pahadi as indicated by the informer. On reaching Shergarh (village Pahadi) Shri Yadav divided the entire police force into two parties (Party No.1- led by Shri Yadav himself and Party No.2 led by SO Tharet). The exact location of their hideout was revealed when the police party saw fire, apparently lit by the dacoits to keep them warm. Shri Yadav directed Party No.2 to go near the spot and surround them. The party No.1 lay in ambush in the nearby bushes. The party No.2 on reaching the spot (Shergarh) challenged the dacoit to surrender but they did not heed the police warning and started firing on the police party NO.2 which also opened fire in self defence. This made Shri Yadav to challenge the dacoits, who were trying to slip away in the jungle, to surrender but they did not heed his

warning and opened indiscriminate firing towards Shri Yadav who had a narrow escape as a bullet of the dacoits zipped over his head. Before the dacoits could slip away into jungle, Shri Yadav, in self defence, opened fire towards dacoits and also exhorted his men to retaliate with controlled firing. A situation arose where he had to take a standing position at great risk to his life. Thereafter, he crawled on his knees for some distance and again opened fire, resulting in fatal injury to one of the dacoits. This dacoit was later on identified as Shiv dayal Jatav on whose head IGP Chambal Range, Gwalior had declared a reward of 15000/-. The criminal activities of dacoit Shiv dayal Jatav had created a reign of terror in the area and his liquidation has brought a major relief to the villagers. In this encounter, SDOP Seondha Shri R.S. Yadav emerged as a giant killer whose outstanding courage, devotion to duty beyond the call of nature, high sense of leadership combined with iron-like determination led to the liquidation of notorious dacoit Shiv Dayal Jatav. It would be no exaggeration to say that SDOP Shri R.S. Yadav displayed exemplary gallantry by exposing his precious life to grave danger. Thus, Shri Yadav has not only glorified district Data Police but Madhya Pradesh Police as a whole. The following recoveries were made from the site of encounter:-

1. One 12 bore Double Barrel (No.177739-2000)
2. One bandoleer from the waist of deceased Shiv Dayal which was of black colour with live rounds and 2 of them in the butt of the 12 bore.
3. Empties of 12 bore cartridges with one broken cartridge from the spot. 5 empties of 315 bore

In this encounter Shri Rameshwar Singh Yadav, Sub Divisional Officer Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.01.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 79–Pres/2010- The President is pleased to award the 5th Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police**	**(5th Bar to PMG)**
2.	**Manoj Dixit, Inspector**	**(PMG)**
3.	**Ranbir Singh, Assistant Sub Inspector**	**(PMG)**
4.	**Ashok Tyagi, Assistant Sub Inspector**	**(PMG)**
5.	**Satish, Head Constable**	**(PMG)**
6.	**Harish Kumar, Head Constable**	**(PMG)**
7.	**Devender, Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 05.05.2006 an information received in Special Cell/NDR that a notorious, rewarded & Inter-state gangster Ayub @ Lambardar @ Azam @ Masterji, involved in over 70 heinous cases in Delhi/NCR, Uttar Pradesh, Uttranachal etc along with his gang members would come in Delhi in a white Tata Sumo No. UP-I l E-3770 with deadly weapons via Sonia Vihar Pushta to commit dacoity in the area of Timarpur Delhi. On this input, a team led by ACP Sanjeev Kumar Yadav reached at 5th Pusta Sonia Vihar, Delhi and took their position accordingly. At about 10.45 p.m. the said Tata Sumo arrived from Tronica city side and it was signaled to spot by the police party but the driver of the car accelerated speed to escape resulted-in the vehicle collided with road divider. No sooner did, the vehicle collided with the divider, 6 occupants of the vehicle including 2 occupants identified as Aslam and Ayub jumped from Tata Sumo by opening indiscriminate firing on police party and rushed towards West

side to escape. The bullets fired by the desperados hit to the chest of bullet proof jackets of ACP Sanjeev and Inspr S.K.Giri and also passed close to Insp. Manoj Dixit. SI Ranbir Singh. SI Ashok Tyagi, HC Satish Kumar, HC Harish Kumar and HC Devender. Immediately ACP Sanjeev Kumar Yadav and Inspector Manoj Dixit took their position towards East side whereas Inspector S.K. Giri and HC Harish Kumar to the right of ACP to confronting with gangsters. SI Ranbir Singh and HC Devender took their position to the right of Inspector S .K Giri and SI Ashok Tyagi HC Satish Kumar took their position diagonally in the left of ACP to confront with gangsters. The police team challenged all 6 desperados to surrender but the desperados continued firing on the police party. The above police officers showed exceptional courage at that moment and with the apprehension to avert casualties of police party and apprehended criminals, fired in self-defence. The cross-firing from both sides continued for about 20-25 minutes. In cross-firing, one criminal managed to escape despite chase due to heavy darkness and dense bushes while 5 criminals sustained bullet injuries. The injured criminals were immediately shifted to hospital wherein they were declared brought dead. Two 9 MM Pistols & 29 live cartridges, one .32 Revolver, two .32 Pistols, one live Hand Grenade with detonator, one Country made Pistol of 315 bore with 4 live cartridges, 1- knife, 1 Tata Sumo car and fired cartridges etc were recovered from the desperados and a case under relevant sections of law was lodged at P.S. Khajuri Khas, Delhi. The team of Special Cell was working on a desperate gang of criminals involved in spates of armed dacoities/robberies in Delhi/NCR in first quarter of year 2006. It was an open challenge for Police to nab the gang. The team of Special Cell collected intelligence and finally succeeded to trace the gang of notorious, rewarded & Inter-state gangster Ayub @ Lambardar @ Azam Masterji of Sardhana, Meerut UP involved in those incidents. The gang was found involved in over 70 heinous cases of murder, attempt to murder, firing on police party, dacoity, robbery. NDPS Act. NSA, Gangster Act etc in Delhi, Uttar Pradesh, Uttranchal etc and also various armed dacoities and robberies of Delhi/NCR.

In this encounter S/Shri Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police, Manoj Dixit, Inspector, Ranbir Singh, Assistant Sub Inspector, Ashok Tyagi, Assistant Sub Inspector, Satish, Head Constable, Harish Kumar, Head Constable and Devender, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 5th Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.05.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 80–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sunder Lal Gautam, Head Constable** — **(1st Bar to PMG)**
2. **Devi Dayal, Head Constable** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 05.02.2008, the trap was laid by Special Cell team around DTC Bus Stop, Lado Sarai, Mehrauli to nab the gangster Mehraj. As soon as Mehraj was spotted around 8.15 PM, HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal started zeroing in on him. Mehraj, being a shrewd fox as he was immediately sensed the impending trouble and whisked a sophisticated pistol. Assessing the gravity of situation, HC Sunder Gautam and HC Devidayal rushed to him while challenging him to surrender simultaneously. Without paying heed to their lawful directions, the gangster instead aimed his pistol at Special Cell duo storming at him without caring for their own lives. Undeterred, the special Cell duo kept galloping towards the gangster, who just then fired two bullets on them besides warming them not to follow chase. The bullets hit HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal at their torso but they escaped unhurt only due to bullet-proof jackets worn by them Unfazed, despite facing the bullets on chests, HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal dashed to nab the gangster with reinforced vigor besides shipping out their official fire-arms in self-defence. Meanwhile, the gangster had also started running away from special Cell brave hearts. While running, the gangster once again aimed his pistol towards HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal, who were about to close in on him, and fired again. But this time HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal allowed him to fire only one round and before the second one could be fired, they both pounced upon the gangster and nailed him to the ground, grabbing the pistol from him simultaneously. It revealed that the recovered Italian pistol contained five more

live rounds, which could have played havoc on the chasing Special Cell team as well as the innocent citizens present around the area. Ultimately, the unparalleled spontaneity, courage and selflessness displayed by HC Sunder Lal Gautam and HC Devidayal saved the day in favour of Special Cell. The gangster Mehraj was so dreaded that in August 2007, he unleashed a murderous assault on the life of Shri Himansu Shukla, IPS, Addl SP/Gujarat, who had gone to Etah for apprehending him in connection with a dacoity committed at Gujarat.

One .32 English pistol made in Italy along with 5 live and 3 spent (fired) cartridges was recovered from the possession of accused Mehraj @ Miraj @ Guddu @ Javed @ Pappu. Total 3 rounds were fired by the police during the shootout. A case FIR No.05/2008 dated 05/02/2008 U/s 307/186/506 IPC and 25/27 Arms Act was registered at PS Special Cell, New Delhi, in this regard.

In this encounter S/Shri Sunder Lal Gautam, Head Constable and Devi Dayal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 81–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashok Kumar,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

During the month of August 2008, a team under the supervision of Shri H.G.S. Dhaliwal, IPS, Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi was continuously working to develop information and apprehend dreaded and desperate gangster Om Prakash @ Bunty wanted in some of the most sensational cases of murder, robbery and other heinous offences in Delhi, Haryana and Uttar Pradesh including the sensational double murder case of PS Amar Colony registered vide FIR No.248/08 dated 11.07.2008 u/s 302/34 IPC & 25 Arms Act, murder case of PS Defence Colony registered vide FIR No.217/08 dated 11.07.08 u/s 302/397/394/307/34 IPC & 25/27 Arms Act, murder case of PS Sangam Vihar registered vide FIR No.364/08 dated 05.07.08 u/s 302/34 IPC and attempt to murder case of PS Ambedkar Nagar registered vide FIR No.317/08 dated 12.07.08 u/s 307/34 IPC & 25/27/54/59 Arms Act. During the most active and desperate phase of their criminal carcers dating back to more than a decade, the special team led by Shri H.G.S. Dhaliwal, DCP/South District, developed various informations. As a result of massive manhunt and extensive field investigation led the team to their hideout in Village Garhi Shedra, NOIDA, from where two motorcycles which were robbed from Sangam Vihar and Andrews Ganj after firing and killing were recovered alongwith some incriminating documents confirming their identities and involvements. Om Prakash @ Bunty was an active Bad Character of PS Sangam Vihar and was previously involved in 23 cases of murder, attempt to murder, robbery, Arms Act and theft, whereas Rajesh @ Panni was also involved in cases of Arms Act and attempt to murder. On 24.08.2008, a secret information was received by Shri H.G.S. Dhaliwal, IPS, Deputy Commissioner of Police, South District, New Delhi that dreaded gangster Om Prakash @ Bunty alongwith Rajesh Sharma @ Panni had shifted to a new hideout in the area of Saurabh Vihar, Jaitpur Village,

Badarpur, New Delhi. Mr. Dhaliwal immediately collected his special team, briefed them personally and developed further information on likely hideout. A special team led by Mr.H.G.S. Dhaliwal, DCP /South District was constituted to raid the premises. In the wee hours of 25.08.2008, the police team surrounded the hideout and exhorted the criminals to surrender. But instead they responded with indiscriminate firing. Mr. Dhaliwal ordered firing in self-defence and personally led the crack team from the front that broke open the door and entered the room while the cross-firing was still continuing. In the action, a bullet hit him on his mid-riff area which penetrated upper layer and got embedded in his Bullet Proof Jacket due to which his life was saved. The gangsters inside the hideout kept on firing for sometime even after the crack team had entered the room and it was only after a sustained gun battle that this dreaded gangsters could be neutralized. In such a do or die situation, it is to the credit of his indomitable courage, gallant action, dedication to duty and dynamic leadership that undeterred by continuous firing by the dreaded gangsters that Mr. Dhaliwal led his team from the front and broke into the hideout while the cross-firing was still continuing, regardless to his own safety to prevent loss of innocent lives as well as lives of his own team members. Mr. Dhaliwal fired three bullets during the cross firing and more serious injuries could be prevented to the police party due to controlled retaliatory firing of Mr. Dhaliwal and his team. On search of the hideout, Om Prakash @ Bunty — the dreaded gangster of National Capital Region Delhi- and Rajesh Sharma @ Panni — the ruthless sharp shooter- were found lying in a critical condition due to bullet wounds and were later declared "Dead on Arrival" at All India Institute of Medical Sciences. Both the gangsters carried a reward of Rs.50,000/- each on their head, declared by the Commissioner of Police, Delhi and Non-Bailable Warrants against the gangsters were issued by different courts. 3 automatic .9 mm pistols (2 made in USA and 1 made in China), 4 country made pistols (.313 bore), 2 knives, 1 Khukri, 4 extra empty magazines of .9 mm pistol and 22 live cartridges were recovered.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICER

ASI ASHOK KUMAR: During the encounter with the interstate gangsters when ASI Ashok Kumar entered the flat after breaking open the door, the dreaded duo were still firing indiscriminately. He broke open the front door and bravely challenged the gangsters, without caring for his personal safety and life. He also fired in retaliation and displayed exemplary valour, puffing at risk his own life while coming in close proximity of the gangsters which blocked their escape.

In this encounter Shri Ashok Kumar, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (j) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25.08.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 82–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Delhi Police.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vivekanand Jha,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

A team of officers of Special Cell, led by Insp Badrish Dutt and consisting of Insp V N Jha & other police personnel has, in a shootout arrested dreaded, notorious and desperate gangsters of Bihar, namely Naga Singh @ Nirjesh Singh r/o Mokama, Patna, Bihar and his associate and brother Brijesh Singh @ Gopal. Naga Singh @ Nirjesh Singh, wanted in over 71 cases of murder, attempt to murder, Police encounter, Jail breaking, Kidnapping for ransom, Extortions, Explosive Substance Act, Highway robbery, Arms Act etc. One .38 bore Revolver along with 4 spent and 2 live cartridges were recovered from Naga Singh @ Nirjesh Singh and one .315 bore country made pistol along with 1 spent and 2 live cartridges were recovered from his associate Brajesh Singh. Naga Singh was hotly wanted in a recent case of encounter with police in which he had killed two Police personal who were the part of a team, which had cordoned Naga Singh and his gang in a house, in order to arrest him. In this encounter Naga Singh and his associates had used AK 47 assault rifles, Self Loading Rifles (SLR) and explosives to terrorize the police. In this incident Naga Singh escaped leaving behind two Police personnel dead and many injured. Besides he was also wanted in a high profile **Murder of Sh Brij Bihari Prasad, Minister in Govt. of Bihar**. At the time of murder the Hon'ble Minister was taking a morning walk under high security cover in a highly secured campus of IGIMS. He has been threatening the businessmen, builders, Doctors, and the contractors, demanding the extortion money and on refusal, his gang members would use explosives and weapons so as to scare them, going to the extent of eliminating a few to create a general terror in the area. It is reported that he had given extortion threats to 400/500 businessmen in Bihar. **He was such a terror that his name was used to extort Rs 1 Crore from Smt Ranjita Ranjan, Member of Parliament, vide FIR No. 14/2006, dated - 23.2.2006, u/s - 387/506/507/427/436/120-B IPC, PS Special Cell, Delhi.** Information was received during the first week of July- 2007

that Naga Singh, a desperate gangster and most wanted fugitive of Bihar had shifted his base to Delhi and was planning major criminal activities in and around Delhi. This information was further developed and on 4.8.2007 secret information was received that above mentioned Naga Singh along with his associate would come to Janak Puri A- Block at about 7.30 PM, fully equipped with arms and ammunition, with intention to commit some heinous crime. On this information a team under leadership of Insp. Badrish Dutt and Insp. V. N. Jha comprising of other police personnel took their positions at the strategic points around the traffic signal of A-1/A-2 Block Janak Puri, at Pankha Road, New Delhi. At about 7.45 PM the informer pointed out two persons coming from Uttam Nagar side and identified them as Naga Singh and Brajesh singh, who, came and stopped near the dust bin situated near the green belt and close to the traffic signal. After a conversation of 2/3 minutes, when they intended to proceed towards the traffic signal, Insp. V N Jha, who was in police uniform loudly challenged them to surrender. Sensing the approaching police team both whipped out their weapons. In spite of call for surrendering, they opened fire upon the police team in a bid to escape. Due to their this unexpected move Insp. Badrish Dutt and Insp V. N. Jha who were leading the team had come into the range of fire and sustained the bullet hit but escaped the injury due to bullet proof jackets worn by them. The police team also returned the fire in self defence and to affect their arrest. The gangsters had taken cover behind the trees of the green belt. The exchange of fire lasted for ten minutes, and the police team kept tightening their cordon towards the gangsters. Meanwhile Insp. Badrish Dutt & Insp. V N Jha without caring for their lives rushed towards the firing gangsters from two sides and overpowered them. One .38 bore Revolver with 4 spent and 2 live cartridges was recovered from Naga Singh @ Nirjesh Singh and one .315 caliber Country made pistol with one spent and 2 live cartridges was recovered from the possession of Brajesh Singh. A case vide FIR No. 60/07 U/S 307/186/353/34 IPC, 25/27Arms Act, Dated 13/10/2005 was registered at PS Special Cell (SB), Lodhi Colony, New Delhi.

In this encounter Shri Vivekanand Jha, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.08.2007.

—

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 83–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Shahab Rashid Khan, Deputy Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Vinay Kumar Gautam, Sub Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Gajendra Pal Singh, Head Constable**	**(PMG)**
4.	**Anil Kumar Singh, Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 1/05/2007 Mohit Chandani a boy aged 16 years was kidnapped while going to school, in Lucknow. This was a sensational crime committed in broad daylight. After a few hours the kidnappers demanded a ransom of Rs fifty lacs for his release. The crime was reported prominently in both the print and electronic media and it became a major challenge for the police. A STF (Special Task Force) team under the leadership of Additional SP STF was formed to work out the case and safe release of the boy from the clutches of the kidnappers. Collection of intelligence and investigation conducted by Additional SP and his team revealed that the kidnapped boy was being held captive at an abandoned house in village Ganeshpur of district Barabanki. The team under the leadership of Additional SP soon reached the village and conducted a detailed reconnaissance of the area. Before launching the rescue operation, Additional SP divided the force under his command into two teams, one led by himself and the other by Sh Shahab Rashid Khan Dy. SP. Both teams then began the operation in a planned manner. On sighting the police team led by Additional SP, the kidnappers began to fire with their weapons from inside the house. Additional SP warned the criminals to cease fire and surrender but that had no effect on them and they continued firing. As planned Additional SP, SI Vinay Kumar Gautam, Head Constable Gajendra Pal Singh, Dy SP Sahab Rashid Khan and Head Constable Anil Kumar Singh entered the premises tactically and engaged

the criminals who had refused to surrender in an encounter. Braving the bullets and gunfire the members of the STF team closed in and killed two kidnappers and managed to rescue the boy Mohit Chandani alive from the clutches of the kidnappers. In this encounter Sh Sahab Rashid Khan, Deputy SP STF, Sub Inspector Vinay Kumar Gautam, Head Constable Gajendra Pal Singh and Head Constable Anil Kumar Singh have displayed gallantry and courage beyond the call of duty and of a very high order. Despite grave threat to their lives, they entered the premises in which the kidnappers were hiding, engaged them in an encounter and killed them. They could also rescue the kidnapped boy Mohit Chandani unhurt.

The details of recoveries made by the police are as under:-

1. Two country made Pistol .315 bore
2. Live Cartridges .315 bore -04
3. Empty Cartridges .315 bore -06
4. Driving License of Accused Yogendra Bahadur with his photo, pasted thereon.
5. Registration certificate of Motor Cycle No. U.P.-32 BL/2248, in favour of Rinku .
6. Mohit Chandani aged 16 years, who had been kidnapped by the criminals.

In this encounter S/Shri Shahab Rashid Khan, Deputy Superintendent of Police, Vinay Kumar Gautam, Sub Inspector, Gajendra Pal Singh, Head Constable and Anil Kumar Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.05.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 84–Pres/2010- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M. Ashok Jain, Senior Superintendent of Police** — **(1st Bar to PMG)**
2. **Surya Nath Singh, Superintendent of Police** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Acting on information provided by reliable sources about the presence of a gang of Dacoits led by Dev Kumar Yadav. Shri M. Ashok Jain, SSP Etawah and Shri Surya Nath Singh, SP Auraiya launched a combing and search operation in the ravines of the river Yamuna, near village Asewata, P.S. Ayana, District Auraiya. In order to make the operation effective the police party was divided into three groups. One was led by Shri Jain SSP Etawah, other by Shri S.N. Singh SP Auraiya and the third by Dy.S.P./C.O. Ajitmal. The police party led by C.O. Ajitmal, spotted the gang of dacoits first and challenged them. On this the dacoits who were hiding behind bushes in the ravines fired at the police. The police party fired at the dacoits in self defence, killing one of them. The remaining dacoits took cover and continued to fire at the police. By this time, the police parties led by Shri Jain S.S.P. Etawah and Shri S.N. Singh SP Auraiya reached the spot. The exchange of fire between the dacoits and the police continued. The police force then gradually began to close the cordon with the help of a bullet proof tractor. The dacoits were asked to surrender. However they replied by firing. Leading bravely from the front, Shri Jain S.S.P. Etawah and Shri S.N.Singh S.P. Auraiya entered the Bajra field in which the dacoits were hiding on foot. A close quarter battle ensued in which both these officers performed a highly courageous and gallant role and narrowly escaped being injured by the firing of the dacoits. Three dacoits including the gang leader Dev Kumar Yadav were killed in this encounter which lasted for 6 hours. Four kidnapped persons were also freed from the custody of the gang.

In this encounter, Shri M. Ashok Jain, S.S.P. and Shri Surya Nath Singh S.P. showed exceptional courage, conspicuous gallantry and devotion to duty. The following recoveries have made by the police:-

1- One Rifle .315 Bore Country made, 50 live and 30 empty cartridges.
2- One Rifle .315 Bore Factory made, 36 live and 17 empty cartridges
3- One Rifle .303 Bore Prohibited Bore, 13 live and 15 empty cartridges
4- One SBBL Gun 12 Bore Factory made, 26 live and 15 empty cartridges
5- One Double Barrel gun .315 Bore Country made, 25 live and 22 empty cartridges

In this encounter S/Shri M. Ashok Jain, Senior Superintendent of Police and Surya Nath Singh, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.09.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 85–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Bijendra Singh Tyagi, Inspector**
2. **Shyam Sunder, Sub Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Veeri Singh @ Veera was a notorious kidnapper of Firozabad and was carrying a reward of Rs. 20,000/-for his arrest. On 11/12.10.2008 Inspector Bijendra Singh Tyagi alongwith SI Shyam Sunder and other members of Special Task Force reached Chauraha Ram Bagh of Agra city at about 0050 hrs. An information was received that Veeri Singh and his associate would reach on motorcycle with lethal weapons towards Tedhi Bagia. At about 0145 hrs. a motorcycle was seen on the national highway heading towards Tedhi Bagia. The informer identified the motorcycle riders as Veeri Singh and his associate. Inspector. Tyagi, SI Shyam Sunder and other team members chased them. In the meanwhile Veeri Singh and his associate suspected of being chased started fleeing towards Kalindi Vihar of Agra city. Veeri Singh abruptly parked his motorcycle at the end of the road near the divider on the north west of Sri Kanshiram Project of Urban Poor Scheme and started firing on the police team. Leaving their motorcycles Inspector. Bijendra Singh Tyagi and SI Shyam Sunder took position, challenged the criminals loudly and warned them to surrender. The criminals continued firing at Inspector. Bijendra Singh and SI Shyam Sunder. The duo, in a bid to overpower the criminals and to save themselves returned fire in self-defence. On this the criminals intensified firing towards Inspector. Bijendra Singh Tyagi and SI Shyam Sunder. Both these officers alongwith other team members, facing constant firing from the criminals tried to advance towards the criminals by taking suitable positions and continued firing in self defence without caring for their lives and by showing exemplary courage. They reached the northern side of the road because there was a constant threat to their lives and

as such they had a narrow escape several times as the dreaded criminals were firing heavily and regularly towards them. After about 15 minutes, at 0230 hrs. when the firing stopped, Inspector Tyagi SI, Shyam Sunder moved ahead and found that Veeri Singh was lying dead near the bushes-15 ft ahead of boundary wall and the other criminal Dhirendra Jat @ Nehne was lying dead at a distance of 15-20 ft. from the boundary. Shri Bijendra Singh Tyagi, Inspector and Shri Shyam Sunder, SI exhibited exceptional courage, conspicuous gallantry and devotion to duty in this encounter the following recoveries have made:-

1. One Pistol .32 bore made in USA, 5 live cartridges and 9 empty shells of .32 bore.

2. One country made pistol 315 bore, 8 live cartridges, 8 empty shells and one misfire cartridge of 315 bore

In this encounter S/Shri Bijendra Singh Tyagi, Inspector and Shyam Sunder, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.10.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 86–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri M. Khaiko Khiam,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Based on information about presence of 08-10 undergrounds of Peoples United Liberation Front (PULF) (Azad Faction) in general area Soura a joint operation was launched by 34 Assam Rifles alongwith Thoubal Police Commandos on 16 October 2007 at 2330 hours. Rifleman (General Duty) M Khaiko Khiam of 34 AR volunteered to be the leading scout of the column under IC 60492N Major SS Nagiyal. The Police Commandos were led by Assistant Sub Inspector NT Meitei. On 17 Oct around 0345 hours as columns began moving ahead of own ambush locations, 05-06 armed undergrounds were seen advancing from Laiching Minao village. When challenged, the militants opened fire and tried to escape. Displaying initiative, aggressive spirit, and least regard for own personal safety Rifleman MK Khiam, showing acute presence of mind rushed ahead immediately to a better fire position and with effective fire shot dead one underground. The combined team pursued the fleeing undergrounds and in the ensuing gun fight shot dead two more undergrounds while other undergrounds managed to escape taking cover of the darkness and thick undergrowth. During the operation following undergrounds of PULF (AZAD) were killed:-

(i) SS Deputy Home Secy Abdul Karim @ Lalboy
(ii) SS Private Zahir Khan @ Khan @ Jiribum
(iii) SS Private Sayeed Khan @ Henry

The following were recovered from the slain undergrounds :-

(i) AK-47 rifle with mag and 18 live rounds
(ii) Single bore shot gun(country made) with two carts
(iii) Chinese Hand Grenade (Armed)
(iv) Radio Set (Kenwood)
(v) Pouches and Mobile Phone
(vi) 22 assorted fired cases

In this encounter Shri M. Khaiko Khiam, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.10.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 87–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Krishnan Kutty,
Naib Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 28 December 2008, based on actionable intelligence, painstakingly developed and received from his source regarding move of a senior functionary of an underground Manipuri outfit, Ghatak platoon launched special operation in the vicinity of International Border. At approximately 0200 hours on 28 December 2008, party was moving along a track near village Govajang, when scout number one noticed some suspected movement and immediately took cover in nearby bush. When the individual was in close proximity, scout number one challenged him. The surprised individual immediately hurled a grenade which exploded narrowly blasted missing Naib Subedar/ General Duty Krishnan Kutty who was at number two in order of march. By this time the underground had already started to flee. Naib Subedar Krishnan Kutty displaying initiative and unflinching valour chased the individual, unmindful of his personal safety firing from his hip position. After a hot pursuit of approximately 300 meters uphill, the Junior Commissioned Officer single handedly encountered and killed the underground at point blank range. His feat is even more praise worthy since the Junior Commissioned Officer was in full battle load whereas the underground was lightly equipped. The underground killed has been identified as Self Styled Lieutenant Bimol Singh, Intelligence Officer, of proscribed group, People's Liberation Army. One point 38 Colt pistol along with ammunition was recovered from him. The neutralisation of the intelligence officer of PLA has rendered a severe blow to the organisation and crippled their activities to a large extent.

In this encounter Shri Krishnan Kutty, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.12.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 88–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ravindra Singh,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 13th June, 2009 Rifleman/General Duty Ravindra Singh was part of a specific intelligence based ambush planned by Maj. U K Nair. At approximately 0330 hrs, ambush party after spotting some movement in general area lokchao Nala Track Junction, waited for the suspects to enter the killing ground. The suspects on being challenged, tried to flee retaliating with automatic fire and Lathode Shells. Rifleman/General Duty Ravindra Singh provided effective covering fire for move of Major Nair, who eliminated one UG. Seeing the other UG escaping, Rifleman/General Duty Ravindra Singh showing utmost professionalism and cold courage shot dead the insurgent from his concealed position. Both the insurgents belonged to the dreaded underground group United Liberation Front of Assam. Detailed search led to recovery of huge quantity of warlike stores from the slain insurgents.

The following recoveries were made during the site of gallant action:-

(a)	G-3 Rifles	-	01 No.
(b)	Live rds	-	04 Nos
(c)	US Made Lathode	-	01 No.
(d)	Live bomb Lathode		01 No.
(e)	FCC Lathode	-	03 Nos.
(f)	Chinese hand Grenade	-	02 Nos.

In this encounter Shri Ravindra Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.06.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 89–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S. Raju Singha,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Rifleman General Duty S Raju Singha was the part of the ambush sent to intercept the move of Militants from general area on 3rd July, 2009. He volunteered to be the leading scout using high field craft, he led the ambush to a tactically viable site next morning showing alacrity, he detected movement on the track. He challenged the suspects to avoid collateral damage. At this the two terrorists started firing heavily. Ambuah was sprung by own party, fixing the terrorists. Rifleman Raju Singha stood his ground and fired and fired heavily on the militants. Fierce fire fight ensued for 15 Minutes. He realized that militants could cause casualty to own troops. Showing audacious courage, he created a diversion and in face of certain death charged the militants from a flank, surprising them and shot them dead. Operation culminated in the evening by killing of two more terrorists and recovery of huge cache of arms and ammunition. Rifleman Raju Singha led from the front, showing raw daring and cold courage inspite of mortal danger. The following recoveries were made at the site of gallant action.

(a)	AK-47	-	01 No.
(b)	Mag AK-47	-	01 No.
(c)	Live Rds AK-47	-	05 Rds.
(d)	FCC AK-47	-	09 Nos.
(e)	Sten Machine Carbine		01 Nos
(f)	Mag SMC	-	01 No.
(g)	Live Rds SMC	-	02 Rds.
(h)	FCC SMC	-	03 Nos
(i)	IED	-	02 Nos.
(j)	Chinese Hand Grenade		06 Nos.

In this encounter Shri S. Raju Singha, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.07.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 90–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nokzar, (Posthumously)
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Rifleman Nokzar was keeping strict vigil on the road when the moving Quick Reaction Team came under intense fire. Rifleman Nokzar immediately, retaliated the fire with the Light Machine Gun and simultaneously indicated the direction of fire to the team. Displaying utter disregard to his personal safety, Rifleman Nokzar got off the vehicle and took position to bring effective fire on the undergrounds. Despite sustaining gun shot wounds while chasing the fleeing undergrounds he kept on bringing effective fire. He then saw that Rifleman (General Duty) Tokivi Yeptho, his Light Machine Gun Number 2, was seriously injured in the fire fight. Rifleman Nokzar gave first aid to Rifleman Tokivi Yeptho. Since Rifleman Tokivi Yeptho was bleeding profusely, Rifleman Nokzar took out his field dressing and applied to him and continued to bring down effective fire on the undergrounds. In the meantime, a volley of fire came towards him but he kept on fighting with the undergrounds until he finally succumbed to his injuries. Thus, Late Rifleman Nokzar displayed raw courage with utter disregard to his life, gritty determination and extreme loyalty with high sense of camaraderie. In this act of inspiring commitment, he not only showed qualities of an excellent soldier but also gave the supreme sacrifice of his life to the nation.

In this encounter Shri (Late) Nokzar, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.04.2009.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 91--Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pawan Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Two Platoons of B/136 under command of Inspector Karnail Singh were deployed in the general area of Hariharganj Police Station in Palamu district of Jharkhand (bordering Gaya Distt of Bihar) alongwith State Police components of Hariharganj Police Station as a part of special operation 'Octopus' against the CPI (Maoist) extremists w.e.f. 01/02/2006 to 03/02/06 under the operational control of 13 Bn CRPF. The troops of B/136 were led by Inspector Karnail Singh and Civil Police components were led by Shri Navin Kumar Sinha, SDPO Chhattarpur. The troops were on Long Range Patrolling near Naudiha out post of Chhattarpur P.S. on 1/2/06. At about 1030 hrs the Coy Commander of B/136 Inspector Karnail Singh was tipped about the concentration of an extremist group of approximate 40-50 in the vicinity of Lalgarha village. Without loosing time he planned the operation along with SDPO Chhattarpur and moved tactically towards Lalgarha village. When the party was nearing the village at about 1130 hrs it was fired upon by the naxalites perched at a vantage point in the near by hillock of the village. This was the scout group of the extremists. The rest of the extremists were taking shelter in the village. CRPF troops retaliated instantly and pinned down the scout of the extremists. Anticipating the presence of bigger group in the village, the CRPF party made a move from two flanks keeping the enemy's scout pinned down by continuous and effective fire. One of the flanks was led by Inspector Karnail Singh and Ct/GD Pawan Kumar of B/136 was the point man of the party. CT/GD Pawan Kumar showed exemplary courage and bravery in advancing and locating the naxal group taking shelter in the village. Sensing the ensuing danger, extremists started firing at the party advancing towards them. CRPF party returned the fire and forced the extremists to flee in the nearby hills and forest. In the mean time CT/GD Pawan Kumar of B/136 saw

one extremist pointing a weapon towards him. Instantly he responded and charged towards the extremist firing with his service Rifle. Had he not charged upon the extremists immediately, the extremist would have caused casualty either to CT Pawan Kumar or to his party members. Thus it was a matter of quick reaction on the part of CT Pawan Kumar without caring his life and the single fired round hit on the head of the extremist resulting neutralization of the extremist thereby evading the chance of probable causality on own troops which involved a grave risk of life. Search on the area led to the recovery of the killed extremist whose identity has been established as Area Commander Krishanji, alias Pawanji. One regular Police revolver Made in USA with 23 live rounds, fired cases, Naxal literature were recovered from his possession. Further search of the area led to apprehension of three hard core mahila extremists who were identified as Sarita Devi aged 20 years D/O Brahil Bhuian, Vill- Hutukdag, Sumiti Kumari Aged 14 years D/O Nanu Bhuian, vill- Hutukdag, P.S. Chhattarpur and Kagaji alias Kavita Devi D/O Briz Bihari Singh, W/O-Vishwanath Singh, Vill- Majuahi. The gallant and courageous act of CT/GD Pawan Kumar was especially lauded and commended by the Zonal IGP, Ranchi (Jharkhand Police) by issuing an appreciation letter. Subsequent interrogation of apprehended extremists revealed that the killed extremist was instrumental in Jehanabad Jail break on 13/11/05 and attack on Hariharganj P.S. and party of A/13 at Sultanighati on 26/01/06. The grit, valour, dedication and gallantry shown by CT/GD Pawan Kumar is an outstanding act of bravery in which he not only killed a dreaded extremist but has considerably dented the morale of the CPI (Maoist) activists and will go a long way in inspiring our troops in the fight against naxalism. The exemplary show of courage exhibited by CT/GD Pawan Kumar has galvanized the Force in the face of determined and organized enemy. This has also brought laurels to the force and enhanced its public image.

In this encounter Shri Pawan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.02.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 92–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anil Kumar,**
   Commandant
2. **Chetan Choudhary,**
   Assistant Commandant
3. **Laxman Oran,**
   Sub Inspector
4. **Rajesh Kumar Kanaujia,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01/02/2008, based on an intelligence input provided by State Police, Kulgam, regarding presence of militants in village Tengbal, Kujjar, under P.S. Yaripora, Kulgam, a joint Cordon and Search operation was conducted by SOG, Kulgam in association with 1st RR, 5th Bn, CRPF. After the village was cordoned, two storming teams were formed one under the command of Shri P.N.Tikoo, DySP(OPS) Kulgam and another under the command of Shri Anil Kumar, Commandant 5th Bn CRPF. A storming team of CRPF consisting one platoon each of B/5 Bn & E/5 Bn under the command of Insp/GD Jayanta Roy, OC B/5 Bn & Shri Chetan Choudhary, A/C, OC B/5 Bn and QRT of 5 Bn under over all supervision of Shri Anil Kumar, Comdt. 5 Bn, CRPF were formed. Search parties of State Police/SOG team were consisting of 01 Inspector, 11 Sergeants, 49 Cts, 24 ORs and 1st RR team were consisting of 04 officers, 06 Junior Commanding Officers and 120 ORs. The biggest challenge with operation group was to localize the hiding militant in the village Tengbal. Tactically moving ahead, the search parties thoroughly searched the houses including the likely hideouts. Hardly 10 minutes after the search had started, automatic gunshots were heard, upon which all parties took positions. Shortly it was evident that the fire was emanating from a semi-permanent structure, perhaps being used by militant for hiding. The hiding militant started firing on the troops indiscriminately. Immediately an assault plan was drawn, in that assault parties from all the three Forces were formed out of search parties. Shri Anil Kumar, Comdt-5 Bn CRPF, Shri Chetan Choudhary, A/C, 5 Bn CRPF, Sl/GD Laxman Oran, 130 Bn CRPF, CT/GD Rajesh Kumar Kanaujia, 5 Bn CRPF volunteered for assault group from CRPF. The said assault group moved ahead towards the target house without caring about their lives despite heavy volley of bullets was coming from the opposite direction; the endeavor to reach the house was truly gallant amidst heavy firing. Their motive perhaps came to know to the militant and he thrust a

volley of automatic fire on them. Since elimination of the militant was eminent now, as he could have caused any damage to the troops, above four personnel kept on advancing towards him. Many bullets passed very near to their bodies and the militant even threw a hand grenade towards them which fortunately, exploded without any damage. When these men were approximately 5-7 meters short of the target, all of them opened their automatic fire on the militant and in the process one militant was neutralized. He was later identified as HM Battalion Commander Rahul Bhatt S/O Ghulam Rasool Bhat, R/O Awanyara, PS. Zainapora against whom many heinous militancy related crimes are registered in P.S. Yaripora. Recovery of following materials was made from the dead militant:-

i)	AK-47 Rifle	- 01 No. (Regd.No.YK 1439 partially damaged)
ii)	AK Magazines	- 02 Nos.
iii)	AK Ammunition	- 48 rounds.
iv)	Pouch	- 01 No.

In this operation, CRPF troops actively participated under an able frontal leadership of Shri Anil Kumar, Commandant 5 Bn, CRPF who was leading the troops from the front. The indomitable courage shown by Shri Anil Kumar, Commandant 5 Bn,, Sh. Chetan Choudhary, A/C, 5 Bn, SI/GD Laxman Oran, 130 Bn and No.031418382 CT/GD Rajesh Kumar Kanaujia, 5 Bn CRPF in the face of life threatening danger succeeded in killing of said militant. The professionalism coupled with outstanding courage exhibited by the security forces/police was remarkable. It is worth to mention that no collateral damage occurred at the encounter site. They have exhibited unflinching raw courage. Perhaps anyone of above could have been target of militant's bullets. Very well aware of this, despite the knowledge that the militant is well armed, they volunteered for the assault and actually moved ahead and killed the marauder.

In this encounter S/Shri Anil Kumar, Commandant, Chetan Choudhary, Assistant Commandant, Laxman Oran, Sub Inspector and Rajesh Kumar Kanaujia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 93–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Darshan Singh,**
   Head Constable
2. **Shamsher Kumar,**
   Constable
3. **Amarnath Yadav,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on the specific intelligence input regarding movement of naxalites in the village of Bharila-Kita, District-Lethar (Jharkhand), the troops of B/136 Bn CRPF alongwith civil police components carried out raid/search operation in Bharila adjacent to the village kita under PS-Chandwa. The party reached village Bharila adjacent to Kita at 1330 hrs on 30/11/2006 which was the hide out place of Sangharsh Jan Mukti Morcha (SJMM) Supremo Loha Singh alongwith a group of approximate 35 naxalites. When the troops started cordoning the village tactically, the sentry of SJMM opened heavy fire indiscriminately on the CRPF troops from the hide out. Immediately, our troops took position and retaliated with effective firing. Gun battle was continued for one and half hour till 1500 hrs. During the encounter, the assault party led by HC/GD Darshan Singh comprising Ct/GD Shamsher Kumar, Ct/GD Amarmnath Yadav of B/136 Bn and Civil Police components named SI Awadh Kumar Yadav, SI Krishna Kumar Mahto and SI Kamlesh Kumar of PS-Chandwa exhibited exemplary courage and gallant action by storming the hide out from where the extremists were firing by putting their life in grave risk and successfully neutralized the extremist. Due to brave action of CRPF troops, the extremists had to flee helter-shelter leaving behind the dead body of their comrade besides weapons and ammunitions. During the search of the hideout place of extremists, one dead body identified as SJMM Chief Loha Singh alias Kendru was recovered alongwith one SLR (Body No.16073496), one SLR Magazine, 63 Nos of 7.62 live rounds, two motor cycles, 01 empty case of 7.62 and 05 SLR pouches which were handed over to civil police. The party also found bloodstains in the hide out areas of extremists which clearly indicates that few more extremists who managed to escape from the conflict zone had suffered serious injuries. This as a joint operation by CRPF and Chandwa Police, District-Lethar (Jharkhand). In this operation the Civil Police components and CRPF led by HC/GD Darshan Singh comprising Ct/GD Shamsher Kumar, Ct/GD Amarnath Yadav had participated. Success in this

operation was possible because of excellent co-ordination between CRPF and Civil Police as well as sharing of intelligence inputs and other material resources.

In this encounter S/Shri Darshan Singh, Head Constable, Shamsher Kumar, Constable and Amarnath Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.11.2006.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 94–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shankar Dutt Pandey, Second-in-Command**
2. **Kollappa Krishna Kumar, Constable**
3. **Deep Chand Yadav, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded

A joint Cordon/search operation was launched approximate 13 Kms. away from Kulgam in Matibug Village under P.S.Yaripora, Distt.Kulgam on 09/8/07 from 0435 hrs to 1830 hrs. After laying the cordon by R/R, 5 Bn, CRPF and J&K Police, parties were formed, out of which one party was under the command of Shri Shankar Dutt Pandey,2-I/C of 5Bn, CRPF. The CRPF party consisting of Sh. Shankar Dutt Pandey,2-I/C, CT/GD Kollappa Krishna Kumar and CT/GD Deep Chand Yadav of 5 Bn, CRPF while approaching towards one house, suddenly came under indiscriminate fire. The party took immediate cover and approached towards the target house where the militants hiding. In spite of the clear and conspicuous danger to their lives Shri Shankar Dutt Pandey, 2-I/C, CT/GD Kollappa Krishna Kumar of 5 Bn, CRPF tactically approached the militants under the covering fire given by CT/GD Deep Chand Yadav of 5 Bn, CRPF and fired upon the militants from close range resulting which one hardcore militant namely Sabzar Ahmad Malik @ Muzamil, PAK trained, IED expert, BN Commander of H.M. group S/o Gulam Rasool, R/o Gondchal got killed. Another

militant who was hiding very near to the same strike party lobbed one grenade on the search party and started running. Shri Shankar Dutt Pandey,2-I/C, CT/GD Kollappa Krishna Kumar and CT/GD Deep Chand Yadav of 5 Bn, CRPF saving themselves from the grenade blast chased the fleeing militant without caring for their own lives and finally overpowered him . Following recoveries were made from the encounter site:-

Rifle (AK-47)	-	01 No.
Mag. (AK-47)	-	03 Nos.
Amn. AK	-	37 Rounds.
Chinese Grenade	-	01 No.
Mobile Phone	-	02 Nos.
SIM Cards (Broken)	-	02 Nos.

The elimination and apprehension of above mentioned militants was a major achievement of 5 Bn, CRPF which has been widely acknowledged and appreciated by the District Police Authorities and other security agencies operating in the area.

In this encounter S/Shri Shankar Dutt Pandey, Second-in-Command, Kolappa Krishna Kumar, Constable and Deep Chand Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.08.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 95–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kanhaiya Singh,**
   Assistant Commandant
2. **Malaram,**
   Sub Inspector
3. **Nand Lal,**
   Sub Inspector
4. **Gulab Singh,**
   Lance Naik
5. **Mohan Lal Sharma,**
   Constable
6. **Mukesh Kumar,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

At about 0630 hrs on 12/5/07 troops of 13 Bn CRPF, started Special Operation 'Charlie', under command of Shri Kanhaiya Singh, Asstt. Comdt. alongwith Civil Police personnel covering vill Binda, Nagnaha of P.S. Bhandaria, distt. Garhwa(Jharkhand). When CRPF party reached near vill Totki Khaira which was situated along a Nalla, SI Mala Ram being scout was vigilant and was paid off in which he spotted naxalite sentry who was standing near a house located near a nalla very close to jungle. SI Malaram acting smartly and without wasting time informed Sh. Kanhaiya Singh, AC who, showing rare presence of mind and operational acumen divided whole party into two and assigned the party consisting SI Nand Lal, SI Shamshad Alam Shamshi JSI of Bhandaria PS, L/NK Gulab Singh, Ct Mohan Lal Sharma and others to work as cut off group in order to engage the fleeing naxalites. On placing the cordon, Shri Kanhaiya Singh decided to advance with his party towards naxalite's location. Shri Kanhaiya Singh, AC alongwith SI Malaram, Ct Mukesh Kumar, SI Taranand Singh, OC Bhandaria PS and others advanced further to squeeze the cordon and in doing so the naxal sentry saw CRPF troops and opened indiscriminate firing

on troops. Sh. Kanhaiya Singh AC, Sl Malaram, Ct Mukesh Kumar charged towards the naxal sentry who was reinforced by some more naxalites. In the ensuing gun battle from very close range, Sh. Kanhaiya Singh AC alongwith SI Malaram, without caring about their own lives acted bravely neutralizing three extremists. OC Bhandaria P.S. SI T.N. Singh and CT Mukesh Kumar also acted courageously and engaged other naxalites in the battle. On this the naxalites started fleeing and the party placed as stop engaged the fleeing naxalites. Further in the face of heavy fire L/NK Gulab Singh, CT Mohanlal by support of SI Nand Lal alongwith SI Shamshad Alam Shamshi, JSI of Bhandaria P.S. who acted courageously chased the fleeing extremists and neutralized two more naxalites. After the encounter five dead bodies of naxalites and huge cache of arms and ammunition was found from the area. Because of outstanding ops planning and highly appreciable ops acumen, courage and determination, CRPF troops could succeed to neutralize five naxalites and recover huge quantity of sophisticated arms/amns including one A.K. 56, 4 SLR, 1 Semi Auto American Rifle & one 315 Rifle without suffering any loss/injury. The alertness, operational acumen, courageous and gallant action shown by the above personnel without caring for their lives, is an outstanding act in which the naxalites not only suffered heavy loss of life but also underwent heavy loss of arms/ammunition. The morale of the naxalites has been dented badly, which has decapacitated the whole CPI (Maoist) organization.

In this encounter S/Shri Kanhaiya Singh, Assistant Commandant Malaram, Sub Inspector, Nand Lal, Sub Inspector, Gulab Singh, Lance Naik, Mohan Lal Sharma, Constable and Mukesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.05.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

50—111 GI/2010

No. 96–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sahib Singh,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 24/02/08, on getting specific information regarding movement of CPI (Maoists), an operation was launched. As per planning of said operation two Platoons of B/13 under command Shri. T.S.Parihar, A/C along with civil police components carried out Raid/Search in Madanpur area. While the troops were searching village Madanpur they noticed a suspicious motorcycle coming towards them at around 0130 hrs on 25/02/08 in a suspicious manner. Immediately troops of B/13 laid a hasty Naka blocking the routes of the village. The motorcycle was stopped and frisked. While troops were frisking the motorcycle rider, sound of another motorcycle was heard. It was observed that the headlight of the motorcycle was off and in said circumstances was advancing towards our troops. HC Sahib Singh, who with his section was moving towards that side and immediately took position maintaining element of surprise. When the motorcycle reached near our party it was warned to stop. The persons riding on said motorcycle jumped and started firing with their small arms and tried to flee away. HC Sahib Singh immediately assessed the situation, used tactical skills and courage to retaliate the fire. He then started chasing the fleeing extremists and also commanded his team to follow him. While chasing the fleeing extremists he fired 05 rounds towards them, resulting in the killing of one suspect and apprehension of three other extremists. During this process two suspected extremists managed to escape taking advantage of darkness and thick vegetation. On being searched one Smith and Wession .38 Police Revolver alongwith 18 live rounds were recovered from the killed extremist and one Country Made 303 Revolver with 03 live rounds from those apprehended. On the spot interrogation was carried out in which one of apprehended extremist revealed his identity as Zonal Commander of CPI(Maoist) namely Promod Singh Alias Ajay Ji, Alias Kankatta Age-27 years, S/O Tapeshwar Singh, Vill- Hadna, P.S. Hussainabad, District Palamu (Jharkhand). The killed extremist was identified as Zonal Comdr.

of CPI(Maoist) namely Sanjay Yadav Alias Amrit Ji Age-30 yrs, S/O Jhapola Yadav, Vill- Gariauta, P.S. Hussainabad, District Palamu (Jharkhand). The apprehended Zonal Commander further revealed that the two persons riding the previous motor cycle were also active members of CPI(Maoist) and were moving in advance as their scouts. The two apprehended riders of the scout motor cycle were identified as Police Spl. Task Force constable namely Sunil Yadav (Presently posted in Distt. Garhwa) and Murari Yadav, S/O Chullan Yadav, Village Glage Gattighat, P.S.Chhattarpur, Palamu. Troops also recovered motorcycle -02, Mobile Set-01, huge quantity of Naxal literature and Cash Rs. 1,01,500/-. Shri Sandeep Kadam Basant, Dy SP, Chattarpur and SI Vijay, SHI-Chattarpur, Distt- Palamu (Jharkhand) also participated in this operation. The operation was meticulously planned and successfully executed as a result of concerted efforts of civil police and CRPF. The combined troops of civil police and CRPF have done their job with bravery and dexterity. There was good sharing of intelligence and coordination between Civil Police and CRPF. Shri Sandeep Kadam Basant, Dy. SP and SI Vijay Kumar led their troops and provided good guidance to their section because of which one dreaded Zonal Commander of CPI (Maoist) was eliminated.

In this encounter Shri Sahib Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25.02.2008.

No. 97–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Munshi Ram,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On receipt of specific information on 01/02/08 regarding presence of militants in the house of Maqbool Sheikh S/o Qamal Sheikh at village Dursoo under P.S. Dangiwacha Distt-Baramulla (J&K), Sh. Jitender Kumar Asst. Comdt, OC-A/179 along with own troops and SOG of JKP rushed to the village and cordoned off the area. Shri Jitender Kumar launched a search operation to locate the house in which militants were reported to be hiding. In due course, troops succeeded in locating the house in which militants were hiding and cordoned it off plugging all escape routes by placing troops in dominating positions. Examination of villagers revealed that four militants were hiding in a hide out made in the identified house. After assessing the situation, Shri Jitender Kumar decided to call for reinforcement and accordingly informed Shri R.K.Yadav, Comdt. 179 Bn. Upon getting this information, Comdt. 179 Bn without wasting any time rushed to the spot along with unit QRT and directed his DC(Ops) and Officers Commanding, C, G/179 Bn to reach at the suspected site with reinforcement. On reaching the site, Comdt 179 Bn assessed the situation and taking into consideration the ground realities deployed his own QRT and party of A/179 Bn to strengthen the cordon laid around the house to ensure that the target house and thereby the militants hiding in the house were isolated. Sensing that they had been cordoned off, the militants started heavy indiscriminate firing on CRPF and JKP personnel and tried to escape but were pinned down by sustained firing by own troops led by Shri R.K.Yadav Commandant and including Insp/GD M.S.Bhati and HC Kafil Ahmed of JKP. Interrogation of the house owner revealed the presence of an underground hide out in the house. It was decided that grenades be used to dislodge the militants from it. Under protection of cover fire, a series of grenades were lobbed near the hideout under the direction of Shri R.K.Yadav, Commandant but with no successful result.After thorough discussion between commanders, it was decided to plant an IED near the hideout to dislodge

the militants. HC/GD Munshi Ram of 179 Bn volunteered himself to plant an IED adjacent to the hideout of the militants. HC/GD Munshi Ram tactically moved towards the target with IED in both hands and reached near the hideout along with HC Kafil Ahmad of JKP. The alert inner cordon party gave effective covering to both the personnel. Both the individuals in close proximity of the hideout and despite grave risk to their lives planted the IED. As soon as the IED blasted, the militants opened fire. A fierce exchange of fire between the militants, HC Kafil Ahmad and the covering party ensued. Both HC Kafil Ahmad and HC/GD Munshi Ram stuck to their positions and did not retreat even under the gravest threat to their lives. Seeing the ineffectiveness of the first IED another IED was planted at the wall adjacent to the hideout by HC Munshi Ram with the help of HC Kafil Ahmad. Due to the impact of the blast of the second IED, the super structure above the hideout collapsed and caught fire. After dousing the fire, a search was conducted and the bodies of four slain militants were recovered from the debris. They were identified as Ibrahim, Mosawa, Nazir and Omar of the L.E.T militant outfit. AK-47 Rifle – 04 No, AF-47 Magazine – 04 Nos, AK-47 live rounds – 65 Rds were recovered from their possession. This Operation symbolises aptness, synchronization, meticulous planning, gallant execution and high degree of frontal leadership. No. 901322573 HC/GD Munshi Ram of 179 Bn played a significant role in this Operation. The said HC/GD with the active support of JKP personnel namely HC Kafil Ahmad displayed exemplary courage in exposing himself to fire, to plant IEDs near the hideout. This action was crucial to the neutralization of all four foreign militants.

In this encounter Shri Munshi Ram, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 98–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Shaji Antony,**
   Inspector
2. **Abani Kalita,**
   Constable
3. **Subir Das,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on the specific intelligence input regarding movement of naxalites in the area, a joint operation "Victor" was planned by Shri B K Sharma, Commandant 13 Bn and Shri Saket Kumar, SP Garhwa. As per operational planning, two separate parties consisting of two platoons each of C/13 Bn under command of Inspector/GD Shaji Antony and Shri P N Tiwari, Assistant Commandant. Under the over all supervision of Shri A D Sharma, DC alongwith civil police components reached the Kerwa protected forest area through unconventional routes by 0330 hrs on 23/02/2008. Simultaneously, two platoons of District STF were also inducted in the area from the other side. When the troops under command of Shri A D Sharma, Deputy Commandant had reached village-Dengura, they received information regarding movement of Naxal Dasta reportedly led by Raghu Ganju Alias Pramandal Ji towards the eastern side of the village. Immediately, they informed the matter to the next party Commander Inspector/GD Shaji Antony accompanied by SI Amarnath, SHO, PS-Bhandaria, Distt- Garhwa (Jharkhand). On getting information the said party moved tactically through the forest route towards Village- Tenua Damar which is located on the eastern side of village-Denguara. At about 1200 hrs when the platoon of C/13 Bn and civil police were negotiating a Nala in the forest. The extremist opened heavy fire indiscriminately on the troops from the hide out. Immediately, our troops took position and retaliated with effective firing. Inspector/GD Shaji Antony who was flanked by Constable Abani Kalita and Constable Subir Das was leading the operation and were acting as a scout party retaliated the firing with tactical astuteness after taking stock of prevailing situation. Inspector/GD

Shaji Antony and SI Amarnath quickly took decision to re-arrange the troops and ordered Constable Brij Mohan Gujar to fire one rifle grenade to control the intensity of fire power and to push the naxalites on the back foot. Due to the impact of this rifle grenade, the firing power of the naxalites decreased and meanwhile the troops took position and started retaliating. Under the cover firing of the platoon. Inspector Shaji Antony, Constable Abani Kalita and Constable Subir Das alongwith SI Amarnath regrouped into a small party to attack the naxalites effectively who were firing on the troops from the flanks. To eliminate the naxalites, Constable Abani Kalita and Constable Subir Das showing extreme courage and fighting spirit asked their Commander to let them advance towards naxal position without caring for the high risk to their lives. Thereafter, they advanced fearlessly and hit the Command post with their heavy fire supported by Inspector/GD Shaji Antony and SI Amarnath and destroyed the naxal command post. Due to the daredevil and gallant action of the CRPF party and civil police searheaded by Inspector/GD Shaji Antony, the draded naxal fled helter sheiter leaving behind the dead bodies of their comrade and their weapons and ammunitions. The encounter lasted about an hour, during the search of the hide out place of extremists, their leader namely Raghu Ganju alias Parmandal Ji alias Ranjit Ji alongwith his trusted aid namely Dinesh Singh alias Vyasa Ji S/o Bilton Singh resident of Village- Kasmar, PS- Ranka, Dist- Gorhwa were found killed and huge quantity of Arms, ammunition and other items were recovered. The party also found bloodstains in the hide out areas of extremists which clearly indicates that few more extremists who managed to escape from the conflict zone had suffered serious injuries.

This was a joint operation by CRPF and PS Bhandaria, District- Garhwa (Jharkhand). In this operation the Civil Police components especially SI Amarnath and CRPF troops led by Inspector/GD Shaji Antony, Constable/GD Abani Kalita and Constable/GD Subir Das of 13 Bn had participated. Success in this operation was possible because of excellent coordination between CRPF and Civil Police as well as sharing of intelligence inputs and other materials resources.

In this operation, Inspector/GD Shaji Antony of 13 Bn and SI Amarnath of Civil Police exhibited a high standard of tactical acumen, initiative, determination and conspicuous act of bravery by leading the troops from front and faced the enemy attack. Further, Constable/GD Abani Kalita and Constable Subir Das of 13 Bn exhibited exceptional grit and swiftness of action by risking their own lives to save CRPF men as well as weapons. During the operation the party killed dreaded extremists including the Sub Zonal Commander of CPI (Maoist). Thus, they had not only dented the more of extremists but also brought laurels to the Force. The following recoveries were made from the site of encounter:-

(a) 303 Rifle with Mag-02 (b) 9mm Pistol-01 (c) 303 Live Rds-131 (d) 9mm live Rds-05 (e) 315 live Rds-31 (f) 303 Charger clip-25 (g) Pithu-02 (h) Empty cases of 303- 04 (i) Huge quantity of Naxal literature.

In this encounter S/Shri Shaji Antony, Inspector, Abani Kalita, Constable and Subir Das, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.02.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 99–Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Railway Protection Force.

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sandip Dadaji Khiratkar,**
   Inspector
2. **Kiran Vasant Bhosale,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26/11/2008 as usual, Shri Sandip Dadaji Khiratkar, Inspector after performing his regular duty and giving necessary instructions to his Sub-Ordinates he left his Thana at about 20.00 hrs for his residence about 3.5 Kms situated at Barkaley Palace, Byculla, Mumbai. While he was present at his home at about 21.57 hrs, one of his informers informed him on his cell phone that two unknown persons were firing indiscriminately from their sophisticated weapons and also lobbing hand grenades at the passengers in the passenger-hall near Platform No.13 of Mumbai Chatrapati Railway Station, Mumbai. On getting the information, Inspector Khirtkar, without wasting a minute, left his home and rushed back to the Thana at CSTM on his personal motorcycle Bullet. He reached the Thana in the next 05 mts. Sensing the seriousness of the incident, he, within no time, rushed to the Armory and drew a .38 Service revolver with 6 rounds. At that time, the two heavily armed terrorists had come towards the porch of local station outside Platform No.1. Sub Inspector Kiran Bhosale was already present at the building of General Manager's office. When Inspector Khiratkar noticed the two terrorists moving in the porch with the automatic weapons, he immediately fired 5 rounds from his revolver in the direction of terrorists. This sudden counter attack completely took the terrorists by surprise, who by now had not faced any retaliatory firing and were least expecting such response as it was evident from their free and leisure movement in the hall without being attacked. As a result, the terrorists were forced to take shelter behind pillars and stationary local trains from getting injured. This in other way distracted them from focusing on firing at the passengers in the Sub-Urban train hall which in turn gave precious moments to the unaware passengers to quickly escape the firing zone. This in a big way helped to avert killing of passengers in the suburban hall. The fact that not a single passenger was killed in the suburban hall was only due to the retaliatory firing caused by Inspector Khiratkar which pushed the terrorists in a defensive position from their earlier offensive mode. However, still when Inspector Khiratkar noticed that his service revolver was not of much help owing to its limited firing range of 200 yards, Inspector Khiratkar keeping his presence of mind, again took the long range and more effective .303

Rifle from the on duty sentry with five rounds loaded in the magazine and 25 round and fired twenty rounds at the heavily armed terrorists, which finally forced them to move towards Platform No. 1&3 and ultimately find an escape route out of the railway station to flee towards Cama & Albless Hospitals, Mumbai. It is worth mention that later investigations revealed that the two terrorists had planned to take the railway officials and the passengers as hostage in one of the buildings in CSTM just like in other places on that day to force the Govt. of India to fulfill their illegitimate demands. But could not succeed due to the brave and timely action of retaliatory firing taken by Inspector Khiratkar. In this case, Inspector Khiratkar was not officially informed about the said incident even though sensing his duty he acted on his own and thus by putting his life in danger fired from .38 revolver and .303 rifle on the heavily armed terrorists, who were armed with sophisticated AK-47 assault rifles. Inspector Sandip Khiratkar acted with great presence of mind and displayed an example of extreme bravery; and saved the lives of a large number of passengers at Mumbai CST Railway Station. In this connection, a case vide C.R.No.155/2008 u/s 302, 307, 326 427, 120 (B), 121, 34 IPC r/w 25(1) (3) of Arms Act r/w 3, r of explosive substances act, 1908 have been registered at Mumbai CST Railway Police Station, Mumbai on 27/11/2008.

In another case, Inspector Khiratkar alongwith Sub Inspector Kiran Bhosale was also instrumental in arresting two accused namely (1) Sonu Ansari and (2) Samir Ansari on 14/10/2008 who were found in possession of fake Indian Government Currency Notes valued at Rs.1,07,500/- In this connection a case vide C.R.No.131/2008 U/s 489 (a) (g) IPC was registered at Mumbai CST Railway Police Station, Mumbai.

Shri Kiran Vasant Bhosale:-

On 26/11/2008 he was on duty as a shift-in-Charge from 20.00 hrs. to 08.00 hrs. of 27/11/2008 at Mumbai CST (Main Post). On that day he was on his routine checking of his area in the precincts of the Railway Station. Suddenly, at about 21.50 hrs, he heard a sound of bullets being fired and a loud explosion. When he looked towards the main hall, he noticed two heavily armed terrorists firing indiscriminately at the passengers and some of the passengers lying dead and seriously injured. Immediately SI Bhosale took position behind a pillar at the passenger reservation centre and began assisting the injured persons to save their lives who were injured due to firing by the terrorist. Without caring for his own life and knowing that the terrorists were still around firing from their weapons. Sub Inspector Bhosale kept assisting the injured fearlessly and thus managed to send the injured to a nearby St. George Hospital, Mumbai for immediate Medical treatment. Thereafter, Sub Inspector Bhosale rushed to the Armory of RPF and took a 9mm Service Pistol with 30 rounds and again rushed to the porch of

General Manager Office building for counter attack. In the meantime, the heavily armed terrorists had killed a large number of innocent passengers including one Police Inspector, one Head Constable/RPF, One Home Guard and three Railway employees. The two terrorists were heavily armed with sophisticated AK-47 rifle and hand grenades. Sub Inspector Bhosale alongwith RPF Inspector Khiratkar putting their lives in danger fired at the terrorists with their 9mm pistols. The sudden counter firing by these two RPF officers took the terrorists completely by surprise and forced them to change their plan of taking hostage of persons in one of the railway office buildings to force the Govt. to agree to their illegitimate demands. Due to the sudden counter attack by the Sub Inspector Bhosale and Inspector Khiratkar, the terrorist had no option but to find an escape route out of the railway premises. Thus, the terrorists finally managed to flee out of the CST Station and moved towards Cama & Albelss Hospital, Mumbai. This brave act of Sub-Inspector Bhosale saved further killing of passengers in the sub-urban hall and gave the precious time to the unaware passengers to run to safety. SI Bhosale and Inspector Sandip Khiratkar acted with great presence of mind and displayed an example of extreme bravery; and saved the lives of a large number of passengers at Mumbai CST Railway Station. In this connection, a case vide C.R.No.155/2008 u/s 302, 307, 326,325, 427, 120 (B), 121, 34 IPC r/w 25(1) (3) of Arms Act r/w 3, of explosive substances act, 1908 have been registered at Mumbai CST Railway Police Station on 27/11/2008.

In another case, Sub Inspector Bhosale was also instrumental in arresting two accused namely (1) Sonu Ansari and (2) Samir Ansari on 14/10/2008 who were found in possession of fake Indian Government Currency Notes valued at Rs.1,07,500/-. In this connection a case vide C.R. No.131/2008 U/s 489 (a) (g) IPC was registered at Mumbai CST Railway Police Station, Mumbai.

In this encounter S/Shri Sandip Dadaji Khiratkar, Inspector and Kiran Vasant Bhosale, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.11.2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 100-Pres/2010- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force.

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Miaithili Sharan Gupta,
Inspector General of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Two unidentified militants fired at the R.O.P. of 177 and 179 Bns, CRPF at about 1400 hrs on 8th Nov, 2007 in Sopore. Retaliation by CRPF and J & K Police caused these two militants to enter the premises of New Light Hotel which is situated adjacent to the Main Chowk in Sopore. The subsequent sequence of events is being summarized as follows.

The initial reaction to this attack was provided by Shri D.P. Upadhyay, Commmandant-177 Bn CRPF, Shri Subash Chandra, 2-I/C of 177 Bn, CRPF, Shri Ashok Kumar, Dy. Comdt. of 177 Bit along with their respective QRTs. and some extent of J&K Police. These troops put up a cordon around New Light Hotel thereby preventing the militants from escaping. The efforts of 177 Bn CRPF were strengthened by the arrival of troops belonging to 22 RR and J & K Police. The immediate task of searching and safely removing of all civilians from the Hotel premises was carried out by these troops. Needless to say that this was an extremely sensitive, delicate and hazardous operation. It was during the evacuation of civilians that one Bunker of 179 Bn CRPP arrived near the main Chowk of Sopore. No.065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria, No. 913154751 CT/GD Chhote Lal Chauhan of 179 Bn, CRPF alighted from the vehicle. It appears that they were not aware of the gravity of the events taking place. All of a sudden militants opened fire from the upper storey of the Hotel resulting in injuries to No.065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria and No. 913154751 CT/GD Chhote Lal Chauhan of 179 Bn. Both of the men were evacuated under great risk by a party headed by Shri Ashok Kumar, D/C (Ops) of 177 Bn CRPF. Later No. 065222735 CT/GD Shishupal Singh Bhadoria succumbed to injuries in Hospital. The operations were suspended due to darkness on 8th November 2007. Shri Maithili Sharan Gupta, JPS, IG (Ops) CRPF Kashmir arrived on the spot at the same time during the day as did Shri S.

M. Sahai, IFS, LOP of J & K Police. Having evacuated civilian safely from the Hotel it was decided by senior officers present that room intervention be undertaken. This task was initially taken up by the J & K Police. In the process of room intervention, Constable Om Singh, 556/IR 8th (500 Cargo) was injured as a result of firing by militants. This resulted in abandoning of attempts of room intervention by the J & K Police. No further progress was made on 9th November-2007. Shri Maithili Sharan Gupta, IPS, IGP (Ops) CRPF Kashmir and other senior officers then decided that room intervention would be conducted by the CRPF. This task was allotted to 177 Bn and Shri 1k P. Upadhaya, Commandant was directed to prepare room intervention team. The Team selected contained the following members:- (I) Ct/GD Muhammad Iseel Khan, (ii) Ct/GD Pinku Bordoloi, (Iii) Ct/GD Robert Lal Thinghlima and (iv) Shri Ashok Kumar D/C(Ops) 177 Bn. A very daring and dangerous plan was formulated. A steel ladder was extended from a high ledge of an adjoining building across a narrow lane and into the top floor of the New Light Hotel. Under cover of heavy fire, the room intervention team crossed over to the New Light Hotel and began room to room searching. The search of every room of the hotel was an extremely risky task that was performed with utmost skill and daring by the room intervention party. This party sanitized and checked all the 52 rooms. On clearing all these rooms they gave on all clear signal to Shri D. P. Upadhyay, Commandant who along with his security personnel joined this party to search the remaining parts of the hotel. The second phase of the search was conducted in the back of the hotel. It was while the search was in progress that one militant tried to force his escape by firing upon security forces. His fire was returned by room intervention party and Shri D. P. Upadhyay, Comdt. 177 Bn. The militant was forced to run towards a side alley to escape. The alley in which the militant ran was manned by No. 055253371 CT/GD Dattatry Pote of 177 Bn, CRPF' and Shri M.S. Gupta, IPS, IG (Ops), Kashmir. There was a heavy exchange of fire between them resulting in the killing of militant identified as Abu Tallah Janbaz Mumtazulla of Peplan, District-Mainwali, Pakistan belonging to the Lashkar-e-Tayyaba terrorists' outfit. Search of the room were the militants had fired did not reveal any other militant. The party had almost abandoned its search when Shri Subash Chandra-2-I/C of 177 Bn CRPF received a call on his mobile phone from one of his sources indicating that the other militant was hiding in a basement-like structure of the same premises. A search was conducted and the basement was finally located. This basement had some wire-meshing through which a severe exchange of fire took place. The CRPF party was unable to dislodge the militant and it was decided to demolish the room by use of an IED. This was accomplished. The following morning a JCB was called in to remove the debris and locate the militant. It was during this exercise that the militant revealed himself and fired at CRPF party. The militant ran towards an alley that was being covered by No. 055074432 Ct/GD Birender Sharma of 177 Bn, Inspector Mohd Shafiq, No. 4500/NGO of J&K Police and Shri Ashok Kumar, DC 177 Bn. CT/GD Birender Sharma, Insp Mohd. Shafiq and Sh. Ashok Kumar, DC, 177 Bn.

showed extreme courage and did not give up their position in spite of grave threat to their life. CT/GD Birender Sharma was severely injured but all three succeeded in injuring the militant and he later succumbed to his injuries. The militant was later identified as Abu Osama Zeeshan Quasim of The./Distt.-Leh, NWFP, Pakistan belonging to the Lashkar-e-Tayyaba terrorists outfit. No. 001386199 CT/GD Pinku Bordoloi, No. 055353419 CT/GD Robert La! Thinghllma and No. 065344093 CT/GD Mohd Iseel Khan have conducted this operation in an extra ordinary manner by putting themselves in utmost danger. Shri D. P. Upadhyay Commandant 177 Bn, Shri Ashok Kumar fl/C (Ops) 177 Bn CRPP have also exhibited valour of a high degree. Shri Maithili Sharan Gupta, IPS, IGP (Ops) CRPF Kashmir was on the spot during the entire operation. He personally supervised and directed the operation to its conclusion. His role in liquidating one of the militants by putting himself in direct line of fire is in the highest traditions of the CRPF. No.055253371 Ct/GD Dattatray Pote of 177 Bn was instrumental in killing the first militant and No.055074432 Ct/GD Birender Sharma, even when he was severely injured in the gunfight, in injuring and neutralizing the second militant.

In this encounter Shri Maithili Sharan Gupta, Inspector General of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.11.2007.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 19th June 2010

RULES

No. 4/2/2010-M.II—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2010 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Water Resources, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Mines).

(i) Geologist, Group A.

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources).

(i) Jr. Hydrogeologist (Scientist B), Group A.

(ii) Assistant Hydrogeologists, Group B.

2. A candidate may compete for any one or both the categories of posts mentioned above for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies on the result of the written part of the examination for consideration for selection to both the categories of posts will be required to indicate clearly in the Detailed Application Form to be submitted subsequently within due date, the categories of posts for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N. B. (i) No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his Detailed Application Form will be entertained by the Commission.

N. B. (ii) The candidates competing for both the categories of posts will be allotted to the posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

3. The approximate number of vacancies to be filled on the basis of results of above Geologist's Examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation of vacancies among the vacancies of above categories of posts to be filled up from the above examination for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Physically disabled persons will be made as per Govt. of India rules & Regulation in force.

Appointment of the selected candidates based on the results of the above examination, will be made initially on a temporary basis.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of Permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on 1st January, 2010 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1978 and not later than 1st January, 1989.

(b) The upper age limit will be relaxable upto a maximum of seven years in the case of Government servants, if they are employed in a Department mentioned in Column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	(i) Geologist, Group A
Central Ground Water Board	(i) Jr. Hydrogeologist (Scientist B), Group A
	(ii) Assistant Hydrogeologists Group 'B'

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

(iii) upto a maximum of five years, if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to 31st day of December, 1989.

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

(v) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years of Military Service as on 1st January, 2010 and have been released (i) on completion of assignment including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 2010 otherwise than by way of dismissal of discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment.

(vi) upto a maximum of 5 years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1st January, 2010 and whose assignment has been extended beyond 5 years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(vii) upto a maximum of 10 years in the case of blind, deaf-mute and Orthopaedically disabled persons.

Note I— Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 6(c) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen persons domiciled in the state of J & K, physically handicapped etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

Note II— The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-Servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note III—The age concession under Rule 6(c) (v) and (vi) will not be admissible to Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs, who are released on their own request.

Note IV—Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 6(c) (vii) above, a physically handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to the physically disabled candidates by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificates in this part of the instructions include the alternative certificates mentioned above.

Note 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any ground whatsoever.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an act or Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified

for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the Detailed Application Form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note II.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that if a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

10. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate for the examination and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission, *viz.* Written Examination and Interview for Personality Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview for Personality Test, it is found that they do not fulfil any of eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) being in possession of or using mobile phone, paper or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination; or

(xii) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xiii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14.(1) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to the filled up on the basis of the examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendations by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Backward Classes recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) The Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the manner prescribed in sub-rules (4) and (5).

(4) while recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso sub-rule (1). Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also declare a consolidated reserve list of candidates, which will include candidates from general and reserved categories ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule (1). Amongst the reserved categories, the number of candidates from each of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Class categories in the reserve list will be equal to the respective number of vacancies reduced initially in each category.

(5) The candidates recommended in terms of the provision of sub-rule (4), shall be allocated by the Government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requesting it to recommend, in order of Merit, from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of filling up the unfilled vacancies in each category.

15. The prescribed qualifying standards will be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them. In case, however, the physically handicapped candidates get selected on their own merit in the requisite number at the qualifying standards fixed by the Commission for General, SC, ST and OBC category candidates, extra physically disabled candidates i.e. more than the number of vacancies reserved for them, will not be recommended by the Commission on the relaxed standards.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere

with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. The candidates who are declared finally successful on the basis of this examination, may be required to undergo the medical examination to ascertain their physical fitness for the post or otherwise. The details of the medical examination are given in the Appendix II to these Rules. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 (Rupees sixteen only) to the Medical Board concerned at the time of the Medical Examination.

Note:—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment in gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II, for the disable Ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. For being considered against the vacancies reserved for them, the physically disabled persons should have disability of forty per cent (40%) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more of the following physical requirements/abilities which may be necessary for performing the duties in the concerned Services/Posts:—

CODE		PHYSICAL REQUIREMENTS
F	1.	Work performed by manipulating (with Fingers)
PP	2.	Work performed by pulling & pushing
L	3.	Work performed by lifting
KC	4.	Worked performed by kneeling and crouching
B	5.	Work performed by bending
S	6.	Work performed by sitting (on bench or chair)
ST	7.	Work performed by standing
W	8.	Work performed by walking
SE	9.	Work performed by seeing
H	10.	Work performed by hearing/speaking
RW	11.	Work performed by reading and writing.

The functional classification in their case shall be one or more of the following, consistent with the requirements of the concerned Services/Posts—

FUNCTIONAL CLASSIFICATION

CODE		FUNCTIONS	
BL	1.	both legs affected but not arms.	
BA	2.	both arms affected—	a. impaired reach b. weakness of grip
BLA	3.	both legs and both arms affected	
OL	4.	one leg affected (R or L)	a. impaired reach b. weakness of grip c. ataxic
OA	5.	one arm affected (R or L)	—do—
BH	6.	stiff back and hips (cannot sit or stoop)	
MW	7.	muscular weakness and limited physical endurance.	
B	8.	the blind	
PB	9.	partially blind	
D	10.	the deaf	
PD	11.	partially deaf	

20. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

21. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

BHUPAL NANDA
Director

APPENDIX-I

1. The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

Part II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks.

2. The following will be the subjects for the written examination:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1	2	3
General English	3 hrs.	100
Geology Paper I	3 hrs.	200
Geology Paper II	3 hrs.	200
Geology Paper III	3 hrs.	200
Hydrogeology	3 hrs.	200

Note:—Candidates competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under catergory II only will be required to offer subjects at (1) to (3) and (5) above.

3. THE EXAMINATION IN ALL THE SUBJECTS WILL BE OF CONVENTIONAL (ESSAY) TYPE.

4. All Question Papers must be answered in English. The Question Papers will be set in English only.

5. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. If a candidate's handwriting is not easily legible, deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

11. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

13. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for answering papers in this examination. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

14. Interview for Personality Test : The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview will be to assess his suitability for the posts, for which he has competed. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a Science Graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write a Short Essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words.

(2)GEOLOGY PAPER I

Section A : Geomorphology and Remote Sensing

Basic principles, Weathering and Soils, Mass wasting, Influence of climate on process. Concept of erosion cycles. Geomorphology of fluvial tracts, arid zones, coastal regions, 'Karst' landscapes and glaciated ranges. Geomorphic mapping, slope analysis and drainage basin analysis. Applications of geomorphology in mineral prospecting, civil engineering, hydrology and environmental studies, Topographical maps, Geomorphology of India.

Concepts and Principles of aerial photography and photogrammetry, satellite remote sensing—data products and their interpretation. Digital image processing. Remote sensing in landform and land use mapping, structural mapping, hydrogeological studies and mineral exploration. Global and Indian Space Missions. Geographic Information System (GIS)—Principles and Applications.

Section B : Structural Geology

Principles of geological mapping and map reading, projection diagrams, Stress-strain relationships of elastic, plastic and viscous materials. Measurement of strain in deformed rocks. Behaviour of minerals and rocks under deformation conditions. Structural analysis of folds, cleavages, lineations. Joints and faults. Superposed deformation. Mechanism of folding and faulting. Time-relationship between crystallization and deformation. Unconformities and basement-cover relations. Structural behaviour of igneous rocks, diapirs and salt domes. Introduction to petrofabrics.

Section C : Geotectonics

Earth and the Solar System. Meteorites and other extra-terrestrial materials, Planetary evolution of the earth and its internal structure. Heterogeneity of the earth's crust. Major tectonic features of the Oceanic and Continental crust. Continental drift—geological and geophysical evidence, mechanics, objections, present status. Gravity and Magnetic anomalies at Mid-ocean ridges, deep sea trenches, continental shield areas and mountain chains. Palaeomagnetism, Seafloor spreading and Plate Tectonics. Island arcs, Oceanic islands and volcanic arcs, Isostasy, orogeny and epeirogeny, seismic belts of the Earth. Seismicity and Plate movements. Geodynamics of the Indian Plate.

Section D : Stratigraphy

Nomenclature and the modern stratigraphic code. Radioisotopes and measuring geological time. Geological time-scale, Stratigraphic procedures of correlation of unfossiliferous rocks. Precambrian stratigraphy of India. Stratigraphy of the Palaeozoic. Mesozoic and Cenozoic formations of India, Gondwana system and Gondwanaland, Rise of the Himalaya and evolution of Siwalik basin, Deccan Volcanics. Quaternary stratigraphy, Rock record, palaeoclimates and palaeogeography.

Section E : Palaeontology

Fossil record and geological time-scale. Morphology and time-ranges of fossil groups. Evolutionary changes in molluscs and mammals in geological time. Principles of evolution. Use of species and genera of foraminifera and echinodermata in biostratigraphic correlation. Siwalik vertebrate fauna and Gondwana flora, evidence of life in Precambrian time, different microfossil groups and their distribution in India.

(3) GEOLOGY PAPER II

Section A : Mineralogy

Physical, chemical and crystallographic characteristics of common rock forming silicate mineral groups. Structural classification of silicates. Common minerals of igneous and metamorphic rocks. Minerals of the carbonate, phosphate, sulphide and halide groups.

Optical properties of common rock forming silicate minerals, uniaxial and biaxial minerals. Extinction angles, pleochroism, berifringence of minerals and their relation with mineral composition. Twinned crystals. Dispersion the U-stage.

Section B : Igneous and Metamorphic Petrology

Forms, textures and structures of igneous rocks, Silicate melt equilibria, binary and ternary phase diagrams, Petrology and geotectonic evolution of granites, basalts, andesites and alkanine rocks. Petrology of gabbros, kimberlites, anorthosites and carbonatites. Origin of primary basic magmas.

Textures and structures of metamorphic rocks. Regional and contact metamorphism of pelitic and impure calcareous rocks. Mineral assemblages and P/T conditions. Experimental and thermodynamic appraisal of metamorphic reactions. Characteristics of different grades and facies of metamorphism, Metasomatism and granitization, Migmatites. Plate tectonics and metamorphic zones. Paired metamorphic belts.

Section C : Sedimentology

Provenance and diagenesis of sediments. Sedimentary textures, Framework matrix and cement of terrigenous sediments. Definition, measurement and interpretation of grain size. Elements of hydraulics, Primary structure, palaeocurrent analysis. Biogenic and chemical sedimentary structures. Sedimentary environment and facies. Facies modelling for marine, non-marine and mixed sediments. Tectonics and sedimentation. Classification and definition of sedimentary basins, Sedimentary basins of Inida. Cyclic sediments. Seismic and sequence stratigraphy. Purpose and scope of basin analysis. Structure contours and isopach maps.

Section D : Geochemistry

Earth in relation to the solar system and universe, cosmic abundance of elements. composition of the planets and meteorites. Structure and composition of Earth and distribution of elements. Trace elements. Elementary crystal chemistry and thermodynamics. Introduction to isotope geochemistry. Geochemistry of hydrosphere, biosphere and atmosphere. Geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

Section E : Environmental Geology

Concepts and principles. Natural hazards—Preventive/ Precautionary measures—floods, landslides, earthquakes, river and coastal erosion. Impact assessment of anthropogenic activities such as urbanization, open cast mining and quarring, river-valley projects disposal of industrial and radio-active waste, excess withdrawal of ground water, use of fertilizers, dumping of ores, mine waste and fly-ash. Organic and inorganic contamination of ground water and their remedial measures, soil degradation and remedial measures. Environment protection—legislative measures in India.

(4) GEOLOGY PAPER III

Section A : Indian mineral deposits and mineral economics

Occurrence and distribution in India of metalliferous deposits—base metals, iron, manganese, aluminium, chromium, nickel, gold, silver, molybdenum. Indian deposits of non-metals—mica, asbestos, barytes, gypsum, graphite, apatite and beryl. Gemstones, refractory minerals, abrasives and minerals used in glass, fertilizer, paint, ceramic and cement industries. Building stones, Phosphorite deposits, Placer deposits, rare earth minerals.

Strategic, critical and essential minerals. India's status in mineral production. Changing patterns of mineral consumption, National Mineral Policy. Mineral Concession Rules. Marine mineral resources and Law of Sea.

Section B : Ore genesis

Ore deposits and ore minerals. Magmatic processes of mineralisation. Porphyry Skarn and hydrothermal mineralisation. Fluid inclusion studies. Mineralisation

associated with—(i) ultramafic, mafic and acidic rocks, (ii) greenstone belts, (iii) komatites, anorthosites and kimberlites and (iv) submarine volcanism. Magma-related mineralisation through geological time. Stratiform and stratabound ores. Ores and metamorphism—cause and effect relations.

Section C : Mineral exploration

Methods of surface and subsurface exploration, prospecting for economic minerals—drilling, sampling and assaying. Geophysical techniques—gravity, electrical, magnetic, airbone and seismic. Geomorphological and remote sensing techniques. Geobotanical and geochemical methods. Borehole logging and surveys for deviation.

Section D : Geology of fuels

Definition, origin of coal. Stratigraphy of coal measures. Fundamentals of coal petrology, peat, lignite, bituminous and anthracite coal. Microscopic constituents of coal. Industrial application of coal petrology. Indian coal deposits, diagenesis of organic materials.

Origin, migration and entrapment of natural hydrocarbons. Characters of source and reservoir rocks. Structural, stratigraphic and mixed traps. Techniques of exploration. Geographical and geological distributions of onshore and offshore petroliferous basins of India.

Mineralogy and geochemistry of radioactive minerals. Instrumental techniques of detection and measurement of radioactivity. Radioactive methods for prospecting and assaying of mineral deposits. Distribution of radioactive minerals in India. Radioactive methods in petroleum exploration—well logging techniques. Nuclear waste disposal—geological constraints.

Section E : Engineering Geology

Mechanical properties of rocks and soil. Geological investigations for river valley projects—Dams and reservoirs; tunnels—type, methods and problems. Bridges—types and foundation problems. Shoreline engineering. Landslides—classification, causes, prevention and rehabilitation. Concrete aggregates—sources, alkali-aggregate reaction. Aseismic designing—seismicity in India and earthquake resistant structures. Problems of groundwater in engineering projects. Geotechnical case studies of major projects in India.

(5) HYDROGEOLOGY

Section A : Origin, occurrence and distribution of water.

Origin of water : meteoric, juvenile, magmatic and sea waters. Hydrologic cycle : precipitation, runoff, infiltration and evapotranspiration. Hydrographs, subsurface movement and vertical distribution of groundwater, springs, Classification of aquifers, concepts of drainage basin and groundwater basin. Hydrological properties of rocks—specific yield, specific retention, porosity, hydraulic conductivity, transmissivity, storage coefficient. Water table fluctuations—causative factors, concept of barometric and tidal efficiencies. Water table contour maps. Classification of rocks with respect to their water bearing characteristics. Hydrostratigraphic units. Groundwater provinces of India. Hydrogeology of arid zones of India, wet lands.

Section B : Well hydraulics and well design

Theory of groundwater flow. Darcy's Law and its applications, determination of permeability in laboratory and in field. Types of wells, drilling methods, construction, design, development and maintenance of wells, specific capacity and its determination. Unconfined, confined steady, unsteady and radial flow conditions. Pumps tests—methods, data analysis and interpretation for hydrogeologic boundaries. Evaluation of aquifer parameters using Teim, Theis, Jacob and Walton methods. Groundwater modelling—numerical and electrical models.

Section C : Groundwater chemistry

Groundwater quality—physical and chemical properties of water, quality criteria for different uses, graphical presentation of water quality data, groundwater quality in different provinces of India—problems of arsenic and fluoride. Saline water intrusion in coastal and other aquifers and its prevention. Radioisotopes in hydrogeological studies. Groundwater contamination.

Section D : Groundwater exploration

Geological—Lithological and structural mapping, fracture trace analysis. Hydrological—lithological classification with respect of hydrologic properties. Hydraulic continuity in relation to geologic structures. Location of springs. Remote sensing—hydrogeomorphic mapping of the terrain using different images of different satellite missions. Lineament mapping. Shallow groundwater potential zone mapping using statellite images. Surface geophysical methods—seismic, gravity, geo-electrical and magnetic. Subsurface geophysical methods—well logging for delineation of aquifers and estimation of water quality.

Section E : Groundwater problems and management

Groundwater problems related to foundation work, mining, canals and tunnels. Problems of over exploitation and groundwater mining. Groundwater development in urban areas and rain water harvesting. Artificial recharge methods. Groundwater problems in arid regions and remediation. Groundwater balance and methods of estimation. Groundwater legislation. Sustainability criteria and managing renewable and nonrenewable groundwater resources.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot

be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2(a) It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the partially hearing impaired persons only to the extent of posts reserved under physically handicapped category, standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

(b) The medical examination to be conducted shall consist of the entire medical examination which the Medical Board may prescribe for a candidate. The medical examination shall be conducted only in respect of the candidates who have been declared finally successful on the basis of the examination.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidates is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :— He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect, without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his hand. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal place when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hand loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84–89, 86–93.5 etc. In according the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.— The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilogram; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

   (i) General :—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or continuous structure of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

   (ii) Visual Acquity :—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests one of the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant		Near Vision	
Better eye	Worst eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0.6	0.8

Note : (1) Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed 4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed 4.00D.

Note : (2) Fundus Examination : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and result recorded.

Note : (3) Colour vision : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :

	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidate	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1.3mm.	1.3mm.
3. Time of exposure	5 Sec.	5 Sec.

For the post of Geologist Group 'A' concerning Geological Survey of India, and Junior Hydrogeologists and Assistant Hydrogeologists Concerning Central Ground Water Board, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision while either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases, where a candidate fails to qualify when tested by only one of the tests both the tests should be employed.

Note (4) : Field of vision—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test, gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

Note (5) : Night Blindness—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test e.g. recording of visual acquity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

Note (6) : (a) Ocular conditions other than visual acquity—Any organic disease or a progressive reactive error which is likely to result in lowering the visual acquity should be considered as a disqualification.

(b) Trachoma—Trachoma unless complicated, shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) Squint—Where the presence of binocular vision is essential, squint even if the visual acquity is of a prescribed standard, should be considered a disqualification.

(d) One-eyed Persons—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. Blood Pressure.

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15–25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury monometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it, below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level : they may disappear as pressure falls and re-appear at still lower level. This silent gap may cause error in readings).

8. The urine passed in presence of the examiner, should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical

test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory be considers necessary including standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. The exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit till confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if, the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that accounts, provided he/she has no progressive;

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical job if the deafness is upto 30 decible in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibles in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present. Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation, in both ears should be given a chance by declaring him temporary unfit and then he may be considered under 4 (ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear, mastoid cavity-fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/ allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum if present with symptoms temporarily unfit.
(7) Chronic Inflammatory conditions of tonsils and or larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and or Larynxs Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumour Unfit.
(9) Otoscalrosis.	If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congential defect of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication ('well filled teeth will be considered as sound').

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that it is not reptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the concerned Geologists' Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine the fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate had already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affliction or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases if found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists and Junior Hydrogeologists/Assistant Hydrogeologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a Medical Board considered that a minor appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considered that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Boards' opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidate who are to be declared—'Temporarily Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a

final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....

2. State your age and birth place.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower, Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is "Yes" state the name of the race.

(b) Have you ever had smallpox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung fainting attacks, rhematism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment.

4. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or any other cause?

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages and cause of death	Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages and cause of death
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Have you been examined by a Medical Board before?

7. If answer to the above is 'Yes' please state that Services/posts you have examined for?

8. Who was the examining authority?

9. When and where was the Medical Board held?

.....

10. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.....

11. All the above answers are to the best of my knowledge & belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or, that there has been suppression of any factual information comes to notice at any time during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature

Signed in my presence

Signature of the Chairman of the Board

PROFORMA-I

Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good.....Fair.....Poor.....

Nutrition : Thin.....Average.....Obese.....Height (without shoes).....Weight.....

Any recent change in weight.....

Temperature.....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration).....

(2) (After full expiration).....

2. Skin : Any abvious disease.....

3. Eyes.....

(1) Any disease.....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of Vision.....

(5) Fundus Examination.....

(6) Visual Acquity.....

(7) Ability for stereoscopic vision.....

Acquity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses Sph. eye Axis
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear.....Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid

6. Condition of Teeth

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

If yes, explain fully.....

8. Circulation System.....

(a) Heart and organic lesions.....

Rate : Standing.....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure :

Systolic.....Diastolic.....

9. Abdomen : Girth.....

Tenderness.....

Hernia.....

(a) Palpable Liver.....Spleen

Kidneys.....Tumours

(b) Haemorrhoids.....Fistula

10. Nervous System : Indications if nervous or mental disabilities.....

11. Loco Motor System : Any abnormality.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance.....

(b) Sp. Gr.....

(c) Albumen.....

(d) Sugar.....

(e) Casts.....

(f) Cells.....

13. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his/her duties in the service for which he/she is a candidate.....

Note :—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

.....

.....

14. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit?

.....

.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE?

Note (I) : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit.....

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Note (II) : The candidate has not undergone chest X-Ray test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-Ray test.

Place :

Date :

Signature
Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

PROFORMA-II

Candidate's Statement/Declaration

1. State your Name
(in block letter)

Roll No.

Candidate's Signature
Signed in my presence
Signature of the Chairman of the Board

To be filled-in by the Medical Board

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories in respect of chest X-Ray test of the candidate.

Name of the candidate.....

(i) Fit.....

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Place :

Date :

Signature
Chairman
Member
Member
Seal of the Medical Board

APPENDIX-III

Brief particulars relating to the post for which recruitment is being made through this examination.

1. Geological Survey of India

(1) Geologist, Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examination and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed hierarchy of scales of pay in the Geological Survey of India is as below :—

Sl. No.	Name/Designation of the Post	Revised Pay Scale	
		Pay Band	Grade Pay
1.	Geologist	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 5,400
2.	Senior Geologist	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 6,600
3.	Superintending Geologist	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 7,600
4.	Director (Geology)	PB-4 : Rs. 37,400—67,000	Rs. 8,700
5.	Deputy Director General (Geology)	PB-4 : Rs. 37,400—67,000	Rs. 10,000
6.	Additional Director General (Geology)	HAG Rs. 67,000—(annual increment @ 3%)—79,000	NIL

(d) Promotions to the higher grade of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

2. Central Ground Water Board

(1) Scientist 'B' (Jr. Hg.), Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed hierarchy of scales of pay in the Central Ground Water Board :—

Sl. No.	Name/Designation of the Post	Pre-revised Pay Scale	Revised Pay Scale	
			Pay Band	Grade Pay
1.	Scientist 'B' (Jr. Hg.)	Rs. 8,000-275-13,500	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 5,400
2.	Scientist 'C' (Sr. Hg.)	Rs. 10,000-325-15,200	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 6,600
3.	Scientist 'D'	Rs. 12,000-375-16,500	PB-3 : Rs. 15,600—39,100	Rs. 7,600
4.	Regional Director	Rs. 14,300-400-18,300	PB-4 : Rs. 37,400—67,000	Rs. 8,700
5.	Member	Rs. 18,400-500-22,400	PB-4 : Rs. 37,400—67,000	Rs. 10,000
6.	Chairman	Rs. 22,400-525-24,500	PB-4 : Rs. 67,000 (annual increment @ 3%)—79,000	NIL

(c) Promotions to the highest grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for services in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay—Rs. 7,500-250-12,000/-. Revised Pay Scale PB-2, Rs. 9,300—34,800 GP-Rs. 4,800/-.

(c) Recruitment to the cadre of Scientist 'B' Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologist are liable for Service anywhere in India or outside India.

BHUPAL NANDA
Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th June 2010

No. U-13019/5/2010-ANL—In supersession of all earlier Notifications on the subject, the President is pleased to constitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep.

2. The Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep shall consist of the following as Members :—

(a) Administrator, Lakshadweep.

(b) Member of the Lok Sabha representing the Union Territory.

(c) President-cum-Chief Councillor of the District Panchayat.

(d) Two persons of standing representing civil society to be nominated by the Home Minister.

3. In case, no Member out of those from the categories at para 2 (a) to (c) above represents women and SC/ST, nomination under para 2(d) above shall be made in such a way that at least one Member represents women and one SC/ST.

4. Additional Secretary/Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs will be the Member Secretary.

5. Home Minister's Advisory Committee shall meet once a year and discuss policy issues, legislative proposals, financial issues and any other issues considered necessary/ desirable by the Union Home Minister.

6. The term of the nominated Members shall be for a period of two years.

M. L. VARMA
Dy. Secy.

No. U-13019/1/2010-CPD—In supersession of all earlier Notifications on the subject, the President is pleased to constitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Daman and Diu.

2. The Advisory Committee for the Union Territory of Daman and Diu shall consist of the following as Members :—

(a) Administrator, Daman and Diu.

(b) Member of the Lok Sabha representing the Union Territory.

(c) President-cum-Chief Councillor of the District Panchayat.

(d) Chairman, Municipal Council, Daman.

(e) Two persons of standing representing civil society to be nominated by the Home Minister.

3. In case, no Member out of those from the categories at para 2 (a) to (d) above represents women and SC/ST, nomination under para 2(e) above shall be made in such a way that at least one Member represents women and one SC/ST.

4. Additional Secretary/Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs will be the Member Secretary.

5. Home Minister's Advisory Committee shall meet once a year and discuss policy issues, legislative proposals, financial issues and any other issues considered necessary/ desirable by the Union Home Minister.

6. The term of the nominated Members shall be for a period of two years.

M. L. VARMA
Dy. Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

Office of the Development Commissioner
(Micro, Small & Medium Enterprises)

New Delhi-110108, the 31st May 2010

No. 21/NMCP/2007/TR-II—The Central Government had approved in April 2008 a scheme titled, "Setting up of New Mini Tools Rooms (MTRs) under Public Private Partnership (PPP) Mode" under the National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) with an outlay of Rs. 210.00 crores (including Government of India contribution of Rs. 135.00 crores) to be implemented during the 11th Plan period. The objective of the scheme is to improve the competitiveness of the MSMEs engaged in manufacturing activity by creating capacities in the private sector for designing and manufacturing quality tools, bridging the gap between the demand and the supply of trained manpower in the industry and encouraging research and development activity leading to enhanced competitiveness of the manufacturing sector.

2. The details of the scheme and modified guidelines are available on website of the office of DC(MSME) i.e. www.dcmsme.gov.in.

ABHAY BAKRE
Jt. Development Commissioner

New Delhi, the 4th June 2010

No. E-11015/08/2008-Hindi.—The Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises in pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs O.M. No. II/20015/45/87-OL (A-2) dated 15.03.1988. The tenure of the Samiti, its functions and composition etc., is given as hereunder :—

1. Minister, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. — Chairman

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

2. Shri Madan Lal Sharma, Member
Member of Parliament (Lok Sabha),
22, Dr. Rajendra Prasad Marg,
New Delhi-110001.
Permanent Address:
Village Palatan,
Post Office Pallanwalla,
Tehsil Akhoor,
Distt. Jammu (Jammu & Kashmir),
Pin-181204.

3. Shri Pradeep Tamta, Member
Member of Parliament (Lok Sabha),
111, South Avenue,
New Delhi-110011.
Permanent Address:
Village & P.O. Lob,
Distt. Bageshwar,
(Uttarakhand),
Pin-263628.

MEMBERS OF PARLIAMENT

4. Shri Prem Chand Guddu, Member
Member of Parliament (Lok Sabha),
21, Meena Bagh,
New Delhi-110011.
Permanent Address:
90, Anoop Nagar,
Indore, (Madhya Pradesh),
Pin-452008.

5. Smt. Yashodhara Raje Scindia, Member
Member of Parliament (Lok Sabha),
Scindia Villa, Ring Road,
Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.
Permanent Address:
Rani Mahal, Jai Vilas Palace,
Lashkar, Gwalior (M.P.),
Pin-474001.

6. Smt. Kusum Rai, Member
Member of Parliament (Rajya Sabha),
C-704, Swarna Jayanti Sadan,
Dr. B.D. Marg,
New Delhi-110001.
Permanent Address:
E-D-1, Rajajipuram,
Lucknow (U.P.),
Pin-226017.

7. Dr. Bhalchandra Mungekar, Member
Member of Parliament (Rajya Sabha),
C-499, Defence Colony,
New Delhi-110024.
Permanent Address:
901, Carnation, Dosti Acre Complex,
Wadala (East), Mumbai-400037.

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

8. Col. Pradeep Kumar Upamanyu, Member
1/46, Sadar Bazar, Delhi Cantt,
Delhi-110010.

9. Shri Sandeep Tanwar, Member
WZ-909/2, Narayana Village,
New Delhi-110028.

10. Shri P.P. Anoop Kumar, Member
R/o "Roshni", P.O. Vattoli,
Via Kakkattil, Kozhikode,
(Kerala),
Pin-673510.

MEMBER NOMINATED BY KENDRIYA SACHIVALYA HINDI PARISHAD

11. Shri Mohan Prakash Dubey, Member
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.
Permanent Address:
25/5, Sector-1, Pushp Vihar,
New Delhi-110017.

MEMBER NOMINATED BY NAGRI PRACHARINI SABHA

12. Dr. Padmakar Pandey, Member
Pradhan Mantri, Nagri Pracharini Sabha,
A-16, Aruna Asaf Ali Marg,
New Delhi-110067.
Permanent Address:
K-65/22, Gola Dinanath,
Varanasi (Uttar Pradesh),
Pin-221001.

OTHER NON-OFFICIAL MEMBERS (Experts in Hindi Language)

13. Prof. Dr. Karsandas Hirabhai Soneri, Member
Vill. Dhansura, Taluka Dhansura,
Distt. Sabarkantha (Gujarat),
Pin-383310.

14. Dr. Mahesh Chand, Member
DDA Flat No. 316,
Sector 'A', Pocket-C,
Vasant Kunj,
New Delhi-110070.

15. Dr. Ram Kishore Agrawal, Member
8, Nehru Road,
Vrindavan,
Distt. Mathura-281121 (U.P.).

16. Dr. Lakshman Tiwari, Member
B-1/19, Assi,
Varanasi-221005 (U.P.).

OFFICIALS OF DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

17. Secretary, Member
Department of Official Language.

18. Joint Secretary, Member
Department of Official Language.

OFFICIAL OF MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

19. Secretary, Member
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises.

20. Additional Secretary & Financial Advisor, Member
Ministry of Micro,
Small & Medium Enterprises.

21. Additional Secretary & Development Commissioner, Member
Office of Development Commissioner (MSME),
Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

22. Chairman-Cum-Managing Director, Member
National Small Industries Corporation Limited,
Okhla Industrial Area,
New Delhi-110020.

23. Chief Executive Officer, Member
Khadi and Village Industries Commission,
Mumbai-400056 (Maharashtra).

24. Chairman, Member
Coir Board,
Kochi-682016 (Kerala).

25. Director General, Member
National Institute for Entrepreneurship & Small Business Development,
Noida-201309 (U.P.).

26. Director, Member
Indian Institute of Entrepreneurship,
Guwahai-781029 (Assam).

27. Director General; Member
National Institute for Micro,
Small & Medium Enterprises,
Hyderabad-500045 (Andhra Pradesh).

28. Director, Member
Mahatama Gandhi Institute for Rural Industrilization (MGIRI),
Wardha-442001 (Maharashtra).

29. Joint Secretary, Member
Ministry of Micro,
Small & Medium Enterprises.

30. Joint Secretary, Member Secretary
Ministry of Micro,
Small & Medium Enterprises.

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry regarding progressive use of Hindi in official work.

3. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that :—

(a) Members of Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Parliament.

(b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term for three years.

4. General

Headquarters of the Samiti will be at Udyog Bhawan, New Delh, but it may hold its meetings at any other sation also.

5. Travelling and other Allowances.

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03.02.2006.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules, as amended from time to time, by Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information of general public.

PRAVIR KUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

(Department of Sports)

New Delhi, the 20th April 2010

No. F. 18-24/2007-SP. IV.—The following 5 meritorious sportspersons have been sanctioned monthly pension as

indicated against their names under the Scheme of pension to Meritorious Sportspersons through Life Insurance Corporation of India :—

Sl. No.	Name of pensioner and address	Achievement & Disciplines	Rate of pension per month
1.	Shri Ngangom Dingko Singh Sekta Magai Leikai P.O. Lamlong District: Imphal	Gold medal in Asian Games-Boxing	7,000/-
2.	Smt. Manisha Malhotra T-54 Juhu Koliwada Mumbai-49	Silver Medal in Asian Games-Tennis	6,000/-
3.	Shri A.P. Subbaiah H. No. 320, II Block Shailaja Extn. Kushal Nagar Karnataka Pin. 571234	Bronze Medal in Commonwealth Games-Shooting	6,000/-
4.	Shri Vishal Uppal C-81 Defence Colony New Delhi-110024	Bronze Medals in Busan Asian Games-Tennis	6,000/-
5.	Shri Nitten Kirtane 857, Bhandarkar Institute Road Savali Apts. Pune-411004	Bronze Medal in Asian Games-Tennis	6,000/-

INJETI SRINIVAS
Jt. Secy.

The 27th April 2010

No. F. 18-29/2009-SP. IV.—The following 10 meritorious sportspersons have been sanctioned monthly pension as indicated against their names under the Scheme of pension to Meritorious Sportspersons through Life Insurance Corporation of India :—

Sl. No.	Name of pensioner and address	Achievement & Disciplines	Rate of pension per month
1	2	3	4
1.	Shri Udaya Chowta Badigutde House, Mani Post & Village, Bantwal Taluk d. K. Dist. Karnataka-574253	Gold Medal in World Cup Weight-lifting	8,000/-
2.	Ms. Angel Mary Joseph Mount Carmel College, 58, Palace Road, Bangalore	Silver Medal in Asian Games-Athletics	6,000/-
3.	Shri Harpreet Singh H. No. BXI/661, Street No. 6, K. C Road, Barnala (Punjab) Pin. 571234	Silver Medal in Commonwealth Games-Boxing	6,000/-
4.	Smt Prasmita Mangaraj At/P.O. - Fire Officer, Buxi Buxi Bazar (GPO) Cuttack-753001 (Orissa)	Silver Medal in Commonwealth Games-Weightlifting	6,000/-
5.	Shri Lajrus Barla Qr. No. 4R/3, Uniit-8, Gopabandhu Square, Bhubaneswer-12, Orissa-751012	Gold Medals in Asian Games-Hockey	7,000/-
6.	Shri Shyam Singh Thapa Block-20, Flat-3, Regent Park, Govt. Housing Estate, 131, NSC Bose Road, Tollygunj, (Ranikuthi), Kolkata-700040, West Bengal	Bronze Medal in Asian Games-Football	6,000/-
7.	Shri Sukalyan Ghosh Dastidar, 24, Sadananda Road, Niilanjana Apartments Flat-1B Kalighat Kolkata-700026	Bronze Medal in Asian Games-Football	6,000/-
8.	Shri Amar Bahadur Gurung, Vill-Johri Gaon, P.O.-Anarwala, (Dehradun Cantt.) Distt.-Dehradun (U.K.)-248003	Bronze Medal in Asian Games-Football	6,000/-
9.	Shri Bhagirath Samui Offier Security, Chinakuri Power Station, SPSC Ltd., P.O. Sandarchak, Dist. Burdwan (West Bengal)-713360	Bronze Medal in Asian Games-Shooting	6,000/-
10.	Ms. Aparna Popat 11, Velentina, N. Gamadia Road, Mumbai-400026	Silver Medal in Commonwealth Games-Badminton	6,000/-

INJETI SRINIVAS
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 4th June 2010

No. ERB-I/2010/23/9—In terms of Ministry of Railways (Railway Board)'s Notification of even number dated 24.2.2010, a Committee was constituted to examine the procedure of registration/transfer of cases pertaining to passenger offences and to study the problems and suggest ways and means for remedial actionand to submit its report upto 30th April, 2010.

2. Ministry of Railways (Railway Board) hae now decided that the date of submission of the report by the aforesaid Committee stands extended upto 31.7.2010.

ORDER

Ordered that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

SHIVAJI RAKSHIT
Secy. Railway Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010